राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

:: कार्यवाही विवरण ::

दिनांक 15.7.98 को मंडल की 181 वीं (विशेष बोर्ड बैठक) बैठक प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री एस. एन. गुप्ता, अध्यक्ष, रा. आ. मं.	अध्यक्ष
2.	श्री रवि माथुर, शासन सचिव, न. वि. आ.	सदस्य
3.	श्री अशोक सिंघवी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त	प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि
4.	श्री आर. के. शर्मा, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
5.	श्री बी. एल. दुसाद	सदस्य
6.	श्री भवानी सिंह राजावत	सदस्य
7.	श्री गुल मोहम्मद	सदस्य
8.	श्री सी. एल. रतवाया	सदस्य
9.	श्री पुष्प जैन	सदस्य
10.	श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको	सदस्य
11	श्री एच. एस. मीणा, सचिव, रा. आ. मं.	सचिव-

विशेष आमंत्रित

1.	श्री ए. के. गुप्ता	वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी
2.	श्री बी. एन. मूलचन्दानी	मुख्य अभियंता

बिन्दु संख्या 181.1 लागत सिद्धान्तों में संशोधन के संबंध में :-

1. सरप्लस आवासों को खुली बिक्री योजना के तहत निस्तारण करने एवं उनकी लागत निर्धारण के संबंध में ।

....2

वि. स. एवं मु. ले. अ. /
मु. स. प्र.

प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया कि यदि किसी आवास का एक बार लाटरी में आवंटन किये जाने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आ निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसा सरप्लस आवास किसी भी परि में पुनः लाटरी में नहीं रखा जायेगा। ऐसा आवास का निस्तारण नि प्रक्रिया व प्रभावी आदेशों के अनुसार केवल खुली बिक्री योजना के अन्त ही किया जायेगा ।

किसी भी आवास को लाटरी में रखे जाने से पूर्व संबोधित अधिकारी (मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/ उप आवासन आयुक्त/ आवासीय अभियन्ता) यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि लॉटरी में रखे जाने हेतु प्रस्तावित आवास/ आवासों का पूर्व में आवंटन नहीं किया गया है ।

लॉटरी में रखे जाने वाले आवासों की लागत का निर्धारण प्रचलित लागत सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा । खुली बिक्री में रखे जाने वाले आवासों की लागत का निर्धारण पूर्ण सरप्लस अवधि के लिये तथा लागत निर्धारण वाले माह के अंत से आगामी जून माह तक की शेष अवधि की आधी अवधि के लिये प्रचलित दरों पर ब्याज जोड़कर किया जायेगा। खुली बिक्री हेतु आवासों की एक बार लागत निर्धारण करने के पश्चात् आगामी जून माह के अंत तक प्रभावी रहेगी। लॉटरी में रखे जाने वालें आवासों की लागत निर्धारण करते समय उनकी तुलना खुली बिक्री में रखे जाने वाले सरप्लस आवासों से नहीं की जायेगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि आवासों के आवंटन, निरस्तीकरण व पुर्नजीविकरण की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब एवं कमियों को दूर करने एवं प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से मुख्य सम्पदा प्रबन्धक आगामी "इन-हाउस" बैठक में विचारार्थ विस्तृत प्रस्ताव रखेंगे।

....3

2. मकान आवंटन के समय, पंजीकरण की जमा राशि एवं रिफण्ड पर देय ब्याज के संबंध में ।

इस बिन्दु पर लागत सिद्धान्तों के बिन्दु संख्या 22.02.02 के संशोधन में निर्णय लिया गया कि पंजीकरण राशि पर आवंटन पत्र में वर्तमान दरों के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाये।

आवंटियों को पंजीकरण राशि के रिफण्ड के मामलों में देय ब्याज के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित आदेश ही प्रभावी रहेगें ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी मकान की लागत किन्हीं कारणों सेपुनः निर्धारित की जाती है और आवंटी को इसके कारण अधिक जमा राशि रिफण्ड की जाती है तो रिफण्ड योग्य राशि पर जमावधि के लिये 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। रिफण्ड योग्य राशि की गणना सावधानी पूर्वक की जायेगी तथा आवंटी में समस्त प्रकार की बकाया राशि रिफण्ड से पूर्व समायोजित की जायेगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी आवंटी को किसी आवास के आवंटन के पश्चात् मण्डल की गलती के कारण यदि उस आवास का कब्जा देना सम्भव नहीं हो एवं यदि आवंटी को नया आवास आवंटित किया जाता है तो आवंटी द्वारा पूर्व आवास के आवंटन पत्र के क्रम में जमा राशि पर, जमा की दिनांक से नये आवास का आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक तक 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा। इस आदेश की पालना में यह सुनिश्चित अवश्य किया जाये कि आवास का आवंटन मण्डल की गलती के कारण बदला गया हो, न कि आवंटी के प्रयासों से ।

3. कॉर्नर मकानों के लिए अतिरिक्त वसूली ।

लागत सिद्धान्त 1993 के बिन्दु संख्या 21.02(ए) के अनुसार वर्तमान में डिटेच्ड कॉर्नर (डी.सी.) एवं सेमी डिटेच्डकार्नर (एस.डी.सी.) वाले

.....

ह०/-
4-8-98

स्वतंत्र आवासों के लिए निर्माण लागत की क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया ।

इसी प्रकार उपरोक्त लागत सिद्धान्तों के बिन्दु संख्या 21.02. (बी) के अनुसार भूतल (जी.एफ.) वाले फ्लेट्स के लिये वर्तमान में निर्माण लागत की 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है जिसे बढ़ा 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया ।

4. अतिरिक्त भूमि /स्ट्रिप भूमि के चार्जेज के संबंध में ।

इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान लागत सिद्धान्तों दो उपबंध जोडे जायें जिसमें बिन्दु संख्या 6.12. स्ट्रिप लैण्ड के संबंध में होगा जो कि बिन्दु संख्या 6.12. (ए) कहलाएगा एवं पूर्व के आदेश क्रमांक 44 दिनांक 11.4.96 के अनुसार लागू रहेगा। दूसरा बिन्दु 6.12. (बी) जोड़ा जाये, जिसके अनुसार यदि किसी आवास (स्वतंत्र अथवा फ्लेट) में अतिरिक्त भूमि है तो ऐसी अति भूमि के लिए मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षित भूमि दर की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी ।

5. मकानों की लागत कम करने के संबंध में ।

विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि आवासों की लागत के निर्धारण के समय अन्य प्रत्यक्ष व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं टी.एंड पी.चार्जेज पर ब्याज की गणना नहीं की जावें ।

4-8-98

7.

6. **राजस्थान आवासन मण्डल की कुछ आवासीय योजनाओं में मकानों के धीमें निस्तारण के संबंध में ।**

इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में वर्णित योजनाओं में खुली बिक्री योजना हेतु उपलब्ध आवासों के लिए निर्धारित वर्तमान लागत को 30. 6. 98 तक की स्थिति में पुन: निर्धारित कर उसकी वैधता अवधि दिनांक 30. 6. 99 तक रखी जावे। उपरोक्त वैधता अवधि में आवासों की विक्रय प्रगति को देखते हुये यदि लागत में वृद्धि की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित उपआवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता आवश्यक प्रस्ताव लागत शाखा को प्रस्तुत करेंगें ।

यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता मण्डल की विभिन्न ऐसी योजनाओं में जिनमें आवासों का निस्तारण नहीं हो रहा है अथवा धीमी गति से हो रहा है, ऐसे दिनांक 30. 6. 98 को उपलब्ध आवासों की सूची एक माह में तैयार करायेंगे। अध्यक्ष महोदय वृत्तवार समितियाँ गठित करेंगे जिसमें मण्डल के एक गैर सरकारी सदस्य भी सदस्य होंगे तथा संबंधित उप आवासन आयुक्त सदस्य-सचिव होंगे । उक्त समितियाँ मुख्य अभियन्ता द्वारा तैयार कराई गई सूचियों में सम्मिलित आवासों के लिए सम्बन्धित योजनाओं में प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुये आरक्षित दरों के निर्धारण के बारे में सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर मुख्य अभियन्ता अपनी टिप्पणी अंकित कर लागत प्रकोष्ठ में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

7. आवासों की लागत पूर्व निर्धारित लागत के स्तर पर यथावत रखने के सम्बन्ध में ।

इस बिन्दु पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. एक आवासीय योजना में लॉटरी के द्वारा आवंटन किये जाने वाले/

....6

किये गये आवासों की लागत उसी योजना में पूर्व में लाटरी में आवंटित उसी श्रेणी तथा प्रकार के आवासों की पूर्व में निर्धारित से कम लागत निर्धारित नहीं की जायेगी ।

2. एक आवासीय योजना में खुली बिक्री योजना के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासों की लागत उसी योजना में पूर्व में खुली बिक्री योजना में उसी श्रेणी तथा प्रकार के आवंटित आवासों की पूर्व में निर्धारित लागत से कम लागत निर्धारित नहीं की जायेगी ।

बिन्दु संख्या 181.2 मण्डल द्वारा निर्मित मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के आवासों के निस्तारण हेतु पुर्नभुगतान अवधि 13 वर्ष करने के संबंध में ।

वि. त. एवं मु. ले. अ.

प्रस्ताव पर आवंटी से वसूल की जाने वाली पंजीकरण राशि, सीडमनी, आवंटन के समय वसूली योग्य कब्जा राशि तथा मासिक किश्तों आदि के संदर्भ में गम्भीरता से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रभावी पंजीकरण राशि, सीडमनी, कब्जा राशि आदि यथावत रखी जावे। मासिक किश्तों के पुर्नभुगतान की अवधि आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिये वर्तमान में प्रचलित 13 वर्ष यथावत रहेगी जबकि मध्यम आय वर्ग -अ, ब [illegible] एवं उच्च आय वर्ग के लिये 8 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की जाती [illegible]

बि... अ. स. एवं ... वि. ... एवं

बिन्दु संख्या 181.3 मालवीय नगर योजना, जयपुर के राजस्थान आवासन मण्डल भूमि पर काबिज विभिन्न खातेदारों को भूखण्ड आवंटन के संबंध में ।

मुख्य अभियंता

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही विचार-विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विवादित भूमि के खातेदारों के प्रकरण, पूर्व स्थिति दर्शाते हुए निम्न समिति द्वारा मण्डल के समक्ष रखे एवं मण्डल में खातेदार को बुलाकर प्रस्तावानुसार समझौते का प्रयास किया जाये ।

वि. स.

....

इस बाबत मण्डल द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई, जिसमें सदस्य-सचिव संबंधित उप आवासन आयुक्त होंगे ।

1.	श्री बी. एल. दुसाद	सदस्य
2.	श्री पुष्प जैन	सदस्य
3.	श्री भवानी सिंह राजावत	सदस्य
4.	श्री गुल मोहम्मद	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, राज. आ. मं.	सदस्य
6.	वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा. आ. मं.	सदस्य
7.	संबंधित उप आवासन आयुक्त	सदस्य-सचिव

बिन्दु संख्या 181.4 <u>लागत गणना-पत्र संशोधन हेतु</u> ।

वि. स. एवं मु. ले. अ.

लागत गणना पत्र के प्रस्तावित प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-</u>

181.5

वि. स. एवं मु. ले. अ.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि मण्डल द्वारा घोषित "ब्याज में विशेष छूट योजना, 1998" के तहत कार्य हेतु मुख्यालय के बाहर 30 दिवस से अधिक अवधि तक के लिए भेजे जाने वाले कार्मिकों को नियमों में शिथिलता देते हुए यात्रा भत्ता के अतिरिक्त पूर्ण विश्राम भत्ता भी दिया जाये, जिसका अनुमोदन किया गया ।

181.6

वि. स. एवं मु. ले. अ.

"ब्याज में विशेष छूट योजना, 1998" के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इसके वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया कि इस बाबत अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समितियों द्वारा विभिन्न शहरों/योजनाओं में कैम्प लगाकर स्थान पर ही प्रकरणों का निपटारा किया जाये ।

....8

इस संबंध में सभी बोर्ड सदस्यों से विचार-विमर्श उपरान्त कैम्प्स की तिथियाँ निम्नानुसार रखी जाने का निर्णय लिया गया। इस बाबत वि. स. एवं मुख्यलेखाधिकारी आवश्यक परिपत्र जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त कैम्पों की सूचना स्थानीय अखबारों के माध्यम से संबंधित शहरों/योजनाओं के आवंटियों को उपलब्ध कराने हेतु जन सम्पर्क अधिकारी को निर्देश दिये गये :-

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	कैम्प की तारीख	कैम्प का स्थान
1.	जवाहर नगर, जयपुर	24. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत तृत
2.	मालवीय नगर, जयपुर	25. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत तृत
3.	मानसरोवर, जयपुर	26. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत द्वि
4.	सांगानेर, जयपुर	27. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत प्रथ
5.	जोधपुर	28. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत जो
6.	कोटा	30. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत को
7.	उदयपुर	31. 7. 98	कार्या. उप आवा. आयु. वृत उद
8.	बीकानेर	26. 7. 98	कार्या. आवा. अभि., बीकानेर
9.	हनुमानगढ़	27. 7. 98	कार्या. आवा. अभि., हनुमानगढ़
10.	भीलवाड़ा	02. 8. 98	कार्या. आवा. अभि., भीलवाड़ा
11.	अजमेर	03. 8. 98	कार्या. आवा. अभि., अजमेर

विशेष :-

बैठक के दौरान माननीय बोर्ड सदस्य श्री बी. एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको के जयपुर से अहमदाबाद स्थानान्तरण के फलस्वरूप उन्हें बोर्ड सदस्यों द्वारा माला पहना कर भाव भीनी बिदाई दी गई। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों

....9

को सम्बोधित करते हुये श्री सोईन द्वारा हुडको के माध्यम से आवासन मण्डल को एवं पूर्व में आवासन मण्डल में रहते हुये दी गई उत्कृष्ट सेवाओं की भूरि-भूरि सराहना की। उन्होंनें श्री सोईन के संबंध में कहा कि वे मण्डल एवं मण्डल कार्मिकों से सदैव आत्मिक रूप से जुडे रहे, तथा मण्डल के प्रत्येक कार्य को उन्होंनें अपना समझ कर पूर्ण लगन, तत्परता एवं कर्मठता से पूर्ण किया, इस बाबत सभी सदस्यों द्वारा भी मण्डल की ओर से उनकी सेवाओं की प्रशंसा की गई ।

श्री एस. एन. गुप्ता, माननीय अध्यक्षमहोदय के संबंध में :-
====================================

माननीय बोर्ड, सदस्य श्री बी. एल. दुसाद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के गत तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों काउल्लेख करते हुए उन्हें मण्डल के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, कर्मठ कार्यकर्ता एवं एक आदर्श पुरूष के रूप में जनता एवं मण्डल को दी गई उनकी सेवाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्री गुप्ता के कार्यकाल के दौरान किये गये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों की उपलब्धियों को बताया गया, जिसमें मण्डल के आवंटियों के वर्षों से लम्बित एवं अधूरे व्यक्तिगत खातों को पूर्ण करवाने की कार्यवाही को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अतिरिक्त काफी लम्बे समय से अनिस्तारित काफी मकानों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण कर मण्डल एवं आवंटियों को बहुत ज्यादा राहत दिलाई। लागत सिद्धान्तों में मण्डल के हितों तथा आवंटियों के हितों के अनुरूप बनाने में अनुकरणीय पहल अध्यक्ष महोदय ने की है ।

अध्यक्ष महोदय के हँसमुख, सादगीपूर्ण एवं अत्यंत व्यावहारिक व्यक्तित्व की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए श्री दुसाद ने कहा कि अध्यक्ष महोदय का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, परन्तु इनकी सेवाओं की मण्डल एवं जनता को अत्यंत आवश्यकता है, अतः सरकार को इनके कार्यकाल को बढ़ाने हेतु अनुमति देनी चाहिये ।

सभी सदस्यों द्वारा भी माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मण्डल एवं जनता के

लिये की गई सेवाओं को अनुकरणीय बताया तथा उनके द्वारा अभियान चलाकर पूर्ण गये कार्यों जैसे खातों को पूर्ण करना, 5 वर्ष के अंतिम लेखे तैयार करवाना, छूट अभि चलाना, बेदखली का राज्य सरकार से अधिकार प्राप्त करना, लागत सिद्धान्तों का सरलीकरण आदि कार्यों की भरपूर प्रशंसा की गई ।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 182वीं बैठक दिनांक 22.9.98 को प्रातः 11.00 बजे मंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री एस.एन.गुप्ता, अध्यक्ष, रा.आ.मं. : अध्यक्ष
2. श्री अशोक सिंघवी, विशिष्ठ शासन सचिव (प्रमुख शासन सचिव वित्त के प्रतिनिधि) : सदस्य
3. श्री आर.के.शर्मा, मुख्य नगर नियोजक : सदस्य
4. श्री बी.एल.दुसाद, बोर्ड सदस्य : सदस्य
5. श्री भवानी सिंह राजावत, बोर्ड सदस्य : सदस्य
6. श्री गुल मोहम्मद, बोर्ड सदस्य : सदस्य
7. श्री चुन्नी लाल लवाया, बोर्ड सदस्य : सदस्य
8. श्री बी.एस.सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको : सदस्य
9. श्री एच.एस.मीणा, कार्यवाहक आवासनआयुक्त एवं सचिव : सदस्य/मंडल-सचिव

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री ए.के.गुप्ता, वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मं.

कार्यवाही विवरण

182.1 मंडल की 180वीं एवं 181वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन:-

मंडल की 180वीं एवं 181वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।

182.2 180वीं एवं 181वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट:-

मंडल की 180वीं तथा 181वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन कर बिन्दुवार निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय

...2.

7-10-98

लिया गया:-

180.2 (179.9) मै. ई.पी.आई. से संबंधित विवाद में सहनिर्णायक नियुक्ति बाबत:-

ACE-III उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला न्यायालय, जयपुर एवं आर्बीट्रेटर (श्री के.डी. सिंह, संयुक्त सचिव एवं आर्बीट्रेटर, नई दिल्ली) में विचाराधीन ई.पी.आई. से संबंधित समस्त कार्य में सहनिर्णायक की नियुक्ति हेतु श्री एम.एल. दुबे अतिरिक्त मुख्य अभियंता को वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी से सम्पर्क कर उचित प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करना था ।

इस संबंध में क्रियान्विति अपेक्षित होने को मंडल ने गंभीरता से लिया तथा स्थिति स्पष्ट करने हेतु श्री एम.एल. दुबे, अति. मुख्य अभियंता को व्यक्तिश: बैठक में बुलाया गया तथा क्रियान्विति में अब तक बरती गई शिथिलता को गंभीरता से लेते हुये ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं करने के लिये पाबन्द किया गया । साथ ही यह निर्णय लिया कि सहनिर्णायक के कार्य संपादित करने हेतु सचिव, नगरीय विकास विभाग को नियुक्त करने हेतु उनसे सहमति प्राप्त की जावे तथा उक्त कार्यवाही तत्काल की जावे ।

180.9 Creation of a new cadre of P.E.(Jr.)Electrical & to make provision for recruitment inthe RHB employees Recruitment & Promotion Regulation. 1976

SR.P.M. उक्त बिन्दु को 180वीं बोर्ड मीटिंग में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया था । मंडल द्वारा उक्त बिन्दु को समाप्त(ड्रोप) करने का निर्णय लिया गया ।

...3.

Gul

180.14 वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को 9,18,27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में:-

वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में आवश्यक स्वीकृति बाबत राजकीय उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा मंडल से कुछ जानकारी चाही है । वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र राजकीय उपक्रम विभाग को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करते हुये व्यक्तिगत रूप से राजकीय उपक्रम विभागसे सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण को शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु पाबन्द किया ।

180.15 Revised pay scale 1998 to the Work Charge Employees of the R.H.B.

FA& CAO

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमाँक एफडी/व्यय/TTT/98, दिनाँक 16.3.98 के अनुरूप वेतन श्रृंखला संशोधित करने की अनुमति दी गई है । जिसके अनुसरण में वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

182.3 परिचलन द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 204 पुष्टि हेतु:-

ACE(P&M) हुडको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को आवासीय योजनाओं के निर्माण एवं 31.3.99 तक उक्त योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करने हेतु एजेण्डा वाई सरकुलेशन 204 समस्त सदस्यों की सहमति बाबत भेजा गया था जिस पर मंडल का साधारण बहुमत प्राप्तहोने पर क्रमाँक 1023, दिनाँक 11.8.98 द्वारा रिजोल्यूशन जारी किया गया । मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की गई ।

...4.

(signature)
7-10-98

182.4 राजस्थान आवासन मंडल हेतु अवाप्तिधीन/अवाप्तशुदा भूमि के खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी के सम्पूर्ण भूमि के नि:शुल्क समर्पण के बदले 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में:-

L.A.O. उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक (44)नविआ/3/89, दिनाँक 4.10.97 द्वारा निर्देशित किया है कि खातेदारों द्वारा 12 प्रतिशत विकसित भूखण्डों की माँग अवार्ड जारी होने से पूर्व करने पर ही भूखण्ड आवंटन पर विचार किया जाये लेकिन इस परिपत्र में दिनाँक 4.10.97 से पूर्व की अवाप्तिधीन/अवाप्तशुदा भूमि के लंबित प्रकरणों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये। अत: विचार-विमर्श कर 4.10.97 से पूर्व इस सम्यक लंबित प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनाँक 22.1.96 के अनुसार ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

182.5 राजस्थान आवासन मंडल के सदस्यों को आवंटित वाहन की स्वीकृति बाबत:-

AAO(Store) विचार-बिन्दु का अवलोकन कर बोर्ड द्वारा अब तक उपलब्ध आवंटित वाहन की स्वीकृति को अनुमोदित किया गया, तथा भविष्य हेतु विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि मंडल के गैर सरकारी सदस्यों को विभिन्न समितियों को सुचारु रूप से चलाने एवं विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण हेतु व्यक्तिश: वाहन उपलब्ध न कराये जाकर आवश्यकता होने पर पूल में से मंडल कार्य हेतु वाहन उपलब्ध करा दिया जावे।

182.6 मंडल द्वारा आवंटित आवासों में अनधिकृत निर्माण के कारण पंजीयन प्रपत्रों (कन्वेंस/परपीचुअल लीज डीड) के निष्पादन बाबत:-

CEM प्रस्तुत विचार-बिन्दु, जिसमें कि मंडल के आवंटियों द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटित आवासों में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्माण कार्य

...5

~~बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के करा लिये जाने के पश्चात, पंजीयन~~ किये जाने बाबत नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये:-

1. मंडल द्वारा मूल नक्शे के अनुसार ही आवंटित आवास का पंजीयन करा दिया जावे । यदि आवंटी द्वारा अतिरिक्त निर्माण अनधिकृत रूप से कराया गया है, तो उसे नियमन हेतु पृथक से कार्यवाही करनी होगी, जो संबंधित स्थानीय निकाय [नगर निगम/नगर परिषद/नगर विकास न्यास] के नियम-उपनियम के अनुसार होगी ।

2. यदि ऐसे आवासों में जिनमें अनधिकृत निर्माण किया गया है एवं जो ऐसी आवासीय कालोनी का भाग है, जो कि किसी स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित की जा चुकी है, ऐसे प्रकरणों में आवंटी स्वयं अनधिकृत निर्माण को नियमानुसार नियमित कराकर पंजीयन करा सकेंगे ।

3. मंडल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मंडल में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने से संबंधित कोई "लाज-बाइलॉज" नहीं बनाये गये है, जिन्हें बनाये जाने हेतु निम्न कमेटी का गठन किया गया जो नियम/उपनियम बनाकर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगी:-

1.	आवासन आयुक्त	: अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियंता	: सदस्य
3.	निदेशक [विधि]	: सदस्य
4.	वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी	: सदस्य
5.	मुख्य संपदा प्रबन्धक	: सदस्य
6.	वरिष्ठ नगर नियोजक	: सदस्य-सचिव

182.7 सुपरवाईजर [वरिष्ठ] को वेतन श्रृंखला 1400-2360 संशोधित वेतनश्रृंखला 1400-2600 दिये जाने के संबंध में:-

Sr.P.M. विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि तत्कालीन आवासन आयुक्त द्वारा

...6.

7-10-98

जारी पत्र क्रमांक 148, दिनांक 1.12.95 द्वारा सचिव, राजस्थान आवासन मंडल के आदेश क्रमांक 4081, दिनांक 13.11.95 के निरन्तर क्रम में उक्त आदेशों को स्पष्ट करते हुये सुपरवाईजर(वरिष्ठ) को वेतनमान का लाभ दिनांक 25.11.95 से देय था तथा किसी भी प्रकार का एरियर देय नहीं था । लेकिन वेतनश्रृंखला 1400-2360 व संशोधित वेतनश्रृंखला 1400-2600 में वर्ष 1991 से ही वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है तथा उसके आधार पर ही 16 व्यक्तियों का नवीन संशोधित वेतन श्रृंखला 1998 में वेतन स्थिरीकरण किया जा चुका है । अतः मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित 16 व्यक्तियों सहित सभी सुपरवाईजर(वरिष्ठ) का 1400-2360 व 1400-2600 में पुनः दिनांक 25.11.95 से वेतन स्थिरीकरण करते हुये उस वेतन के आधार पर ही संशोधित वेतनमान 1998 के अनुसार वेतन निर्धारित किया जावे तथा इसके फलस्वरूप यदि दिनांक 25.11.95 से पूर्व तक का कोई अधिक भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में निर्णय होने तक स्थगित रखी जावे । लेकिन 25.11.95 के पश्चात् देय राशि से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जावे । इस संबंध में विचाराधीन रिट याचिकाओं में दिये जाने वाले अंतिम निर्णय से यह निर्णय प्रभावित रहेगा ।

182.8 मंडल कर्मचारियों को जयपुर शहर में सरकारी अस्पताल के अतिरिक्त अमरनाथ ऐलर्जी एंड जनरल अस्पताल की चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा:-

---

SR.P.M. उक्त बिन्दु को समाप्त (ड्रोप) करने का निर्णय लिया गया ।

182.9 मंडल के किराया क्रय पद्धति के चूक करने वाले आवंटियों को बकाया मासिक किश्त/लीजमनी **राशि** देरी से जमा करवाने के कारण प्रारम्भ की गई ब्याज में विशेष छूट योजना-1998 की प्रगति की समीक्षा:-

---

किराया क्रय पद्धति के चूक करने वाले आवंटियों से ब्याज पर विशेष छूट योजना 15.6.98 से 31.8.98 तक लागू की गई थी बाद में 11.9.98 तक ...

E-U-1

बढ़ाया गया था । यह छूट योजना उन्हीं के लिये लागू की गई जिन्होंने 17.8.98 तक आवेदन प्रस्तुत कर दिये थे ।

बैठक में उक्त छूट के संबंध में प्राप्त आवेदनपत्रों, उनके निस्तारण एवं प्राप्त राशि का ब्यौरा वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श कर उक्त छूट योजना में निम्नानुसार अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया गया:-

1. दिनाँक 31.3.97 तक की अवधि की बकाया मासिक किश्त/लीजमनी योजना प्रारम्भ होने तक नहीं जमा करवाने वाले आवंटी निर्धारित प्रपत्र में आवेदनपत्र संबंधित उप आवासन आयुक्त/खण्ड कार्यालय में दिनाँक 15.10.98 तक कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकेंगे तथा मंडल द्वारा जारी माँग पत्र की राशि दिनाँक 16.11.98 तक मंडल के संबंधित राशि संग्रहण केन्द्र/बैंक में जमा करवा सकेंगे ।

2. जिन आवंटियों द्वारा पूर्व में दिनाँक 17.8.98 तक आवेदनपत्र प्रस्तुत किये जा चुके है परन्तु उनके द्वारा दिनाँक 11.9.98 तक माँगपत्र की राशि जमा नहीं कराई जा सकी है, उन्हें पुन: आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आवंटियों द्वारा पूर्व में जारी माँगपत्र की राशि अब दिनाँक 16.11.98 तक जमा करवाई जा सकती है ।

3. बढ़ाई गई योजना अवधि में अर्थात दिनाँक 15.10.98 तक आवेदनपत्र प्रस्तुत करने वाले आवंटियों के मामलों में भी पूर्व की भाँति दिनाँक 15.6.98 तक की अवधि तक की ही ब्याज की गणना की जावेगी अर्थात् दिनाँक 16.6.98 से 16.11.98 तक की अवधि का कोई ब्याज उनसे नहीं लिया जावेगा परन्तु यह छूट योजना अवधि में राशि जमा करवाने वाले आवंटियों पर ही लागू होगी ।

4. जिन आवंटियों द्वारा दिनाँक 31.3.97 तक की बकाया मासिक किश्त /लीजमनी की राशि योजना प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् दिनाँक

...8.

(signature)
7-10-98

15.6.98 से पूर्व ही जमा करवाई जा चुकी है उन्हें ब्याज में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी ।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की यह भी राय थी कि जिन आवंटियों द्वारा अपनी किश्ते समय पर पूर्ण जमा करा दी है उन्हें भी प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया जाये. जिस पर अध्यक्ष महोदय ने श्री राजावत एवं श्री गुलमोहम्मद मंडल सदस्यों से उक्त संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ।

182.10 आवास विकास संस्थान को जवाहर नगर में जवाहर एन्क्लेव के निर्माण हेतु तथा मालवीय नगर में संस्थान के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटित भूमि की लागत वसूली के स्थगन बाबत :-

FA& CAO/ CEM

मंडल द्वारा प्रस्तुत विचार-बिन्दु पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास संस्थान से जवाहर नगर क्षेत्र में आवंटित भूमि का बकाया भुगतान तथा मालवीय नगर मेंसंस्थान के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु आवंटित भूमि का भुगतान दो वर्षों के लिये स्थगित कर दिया जावे लेकिन आवंटन की दिनाँक से अदायगी की दिनाँक तक उक्त राशि पर 15प्रतिशत वार्षिक दर से आवास विकास संस्थान से ब्याज वसूलनीय होगा।

आवास विकास संस्थान को उक्त आवंटित भूमि का आवंटनपत्र सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णयानुसार जारी करने का भी निर्णय लिया गया ।

182.11 इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों द्वारा डिप्लोमाधारी अभियंताओं की समस्याओं के निराकरण बाबत विषय वस्तु उठाये जाने पर विचार कर यह तय किया गया कि पूर्व में ही डिप्लोमाधारी अभियंताओं की समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरणार्थ अपनी अनुशंषा एवं प्रस्ताव अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल को प्रस्तुत किये जाने बाबत माननीय सदस्य श्री बी.एल. दुसाद एवं श्री भवानी सिंह राजावत की दो सदस्य समिति गठित की जा चुकी है, अत: उक्त गठित समिति ही समय-समय पर डिप्लोमाधारी अभियंताओं की समस्याओं को सुनकर, विचार कर अपने निष्कर्ष/प्रस्ताव/अनुशंषा माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर सकती इसके लिये अन्य समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं है ।

SR.P.M.

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

सचिव
7-10-98

7-10-98

:: राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर ::

राजस्थान आवासन मण्डल की 183वीं बैठक दिनांक 30·1·1999 को प्रातः 11·00 बजे मण्डल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1·	श्री रवि माथुर, अध्यक्ष, राज·आवा·मण्डल एवं शासन सचिव, न·वि·एवं आ· विभाग, राज·सरकार	अध्यक्ष
2·	श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त {प्रमुख शासन सचिव वित्त के प्रतिनिधि}	: सदस्य
3·	श्री ओ·पी·मीणा, आवासन आयुक्त, राज·आवा·मण्डल	: सदस्य
4·	श्री आर·के·शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	: सदस्य
5·	श्री बी·एल·दुसाद, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
6·	श्री गुल मोहम्मद, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
7·	श्री सी·एल·रतवाया, बोर्ड सदस्य	: सदस्य
8·	श्री बी·एस·सोइन, क्षेत्रीय प्रमुख हुड्को {बोर्ड सदस्य}	: सदस्य
9·	श्री एच·एस·मीणा, सचिव, राज·आवा·मण्डल	: मंडल-सचिव

विशेष आमंत्रित-

1· श्री ए·के·गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, राज·आवा·मण्डल

2· श्री बी·एन·मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज·आवा·मण्डल

-: कार्यवाही विवरण :-

183·1 <u>मण्डल की 182वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन</u> :

मण्डल की 182वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

183·2 <u>मण्डल की 182वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विती रिपोर्ट</u> :

मण्डल की 182वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विती रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा मण्डल निर्णयोपरान्त निर्णयों की क्रियान्विति प्रशासनिक स्तर पर ही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

183·3 <u>वर्ष 1998-99 का संशोधित बजट एवं वर्ष 1999-2000 का बजट अनुमान</u> :

प्रस्तावानुसार बजट को निम्न टिप्पणियों के साथ स्वीकृत किया गया -

मु. ले. अ.

1· प्रशासनिक खर्चों में आवश्यक कमी की जाये।

2· इस वर्ष {1999-2000} केवल अल्प आयवर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकान ही जहाँ तक सम्भव हो, बनाये जायें।

3· मण्डल के विभिन्न कार्यालयों के चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य नये कार्यालय भवनों का निर्माण नहीं किया जाये।

3-2-99

2· उपरोक्त निर्णय के अतिरिक्त मण्डल के पास उपलब्ध आवासों के निस्तारण को गति देने हेतु विस्तृत विचार-विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय भी लिए गए -

§1§ मण्डल के पास ऐसे भी आवास §स्वतंत्र/बहुमंजिले§ है जो लॉटरी द्वारा आवंटन करने तथा खुली बिक्री योजना में निस्तारण हेतु उपलब्ध करने के उपरान्त भी बिक नहीं पाये है, ऐसे आवासों के निस्तारण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था यथा-राजकीय उपक्रम/पंजीकृत संस्था इस प्रकार के आवासों में से कम से कम 25 या 25 से अधिक एक या अनेक श्रेणी के मिलाकर नकद भुगतान पद्धति पर क्रय करते हैं तो ऐसे व्यक्ति/संस्था को 10 प्रतिशत की छूट/रियायत दी जायेगी।

§2§ राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के लिए आवास-वित्तीय संस्थाओं से कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की गई तथा विचार-विमर्शोपरान्त यह निण्रय लिया गया कि वर्तमान में मण्डल द्वारा एच·डी·एफ·सी· तथा अन्य आवास-वित्तीय संस्थाओं से आवासन मण्डल के आवंटियों के लिए विशेष ब्याजदर के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसे मूर्त्त रूप दिया जाये तथा उक्त संस्थाओं द्वारा आवासन मण्डल के आवंटियों के लिए ब्याज दर कमकरने के कारण होने वाली ब्याज की हानि की क्षतिपूर्ति की योजना तथा उसकी शर्तें तय करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

§3§ विचार-विमर्श के दौरान यह पाया कि प्रदेश के बाहर भी ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाएं हैं जो राजस्थान आवासन मण्डल के आवास क्रय करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश के बाहर न तो मण्डल के कोई कार्यालय हैं और न ही मण्डल द्वारा कोई संस्था ही अधिकृत है, अतः इस कमी की पूर्ति करने हेतु सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया कि मण्डल प्रदेश के बाहर विशेषकर बड़े शहरों जैसे-दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई, बैंगलोर आदि में अभिकर्ता नियुक्त करने की कार्यवाही करे। अभिकर्ता नियुक्त करने एवं नियुक्ति की शर्तें तय करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

183·11 <u>भारतीय जीवन बीमा निगम की सांगानेर शाखा के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।</u>

स·प्र· प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

183·12 <u>मानसरोवर योजना, जयपुर के अधिशेष मकानों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के स्थान पर लॉटरी से करने का अनुमोदन</u> :

स·प्र· आवंटन की कार्यवाही को मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया।

3-2-99

4· बजट प्रस्तावों की समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि जहाँ आवश्यक हो एक ही स्थान पर स्थित खण्ड कार्यालयों के मध्य आवासीय योजनाओं का पुनः वितरण किया जावे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खण्ड कार्यालयों के पास पर्याप्त कार्य है।

5· निर्मित मकानों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जायें।

183·4 मण्डल के किराया क्रय पद्वति के आवंटियों द्वारा मासिक किश्तें आदि समय पर जमा न कराने के कारण देय ब्याज में विशेष छूट योजना 1998 के संबंध में।

ले. अ.

प्रस्ताव का अनुमोदन कर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

183·5 मण्डल कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के संबंध में :

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

183·6 मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1997-98 हेतु बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में :

ले. अ.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

183·7 वित्त एवं लागत समिति की बैठक दिनांक 28·4·98, 13·7·98 एवं 7·9·98 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु :

ले. अ.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

183·8 मण्डल कर्मचारियों/अधिकारियों को 1995-96 एवं 1996-97 के बोनस एवं अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

मु. ले. अ.

प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

183·9 मैसर्स ई·पी·आई· लिमिटेड से संबंधित विवाद में सह-निर्णायक नियुक्त करने संबंधी विचार बिन्दु संख्या- 180 (2) पर पुनर्विचार कर सह-निर्णायक नियुक्त न करने के संबंध में :

तृतीय

प्रस्तावानुसार सह-निर्णायक नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया।

183·10 मण्डल की विभिन्न कॉलोनियों में अवशिष्ट पड़े आवासों का नीलामी द्वारा निष्पादन किये जाने हेतु :

मु. ले. अ.

उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये-

1- प्रस्तावानुसार केवल 5 स्थानों जवाहरनगर-भरतपुर, रामगंजमण्डी, भवानीमण्डी, सुनेल एवं सिवाना में मण्डल के 641 अवशिष्ट आवासों को खुली नीलामी द्वारा निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्तावित नीलामी की प्रक्रिया आवासन आयुक्त एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से तय की जाये।

183·13 <u>मण्डल में वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों की समाप्ति</u> :

प्रशासनिक खर्चो में कमी करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि मण्डल के 1 से 6 तक की वेतन श्रृंखलाओं के सीधी भर्ती के सभी रिक्त पदों को समाप्त किया जाये तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त इन श्रृंखलाओं के जो पद रिक्त होंगे वे भी स्वतः समाप्त हो जायेंगे तथा इन पदों पर भविष्य में बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव
3-2-89

राजस्थान आवासन मण्डल की 184वीं बैठक दिनांक 17.12.99 को प्रातः 11.00 बजे [illegible] मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही -

श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राज.आवा.मण्डल — अध्यक्ष
श्री डी.बी.गुप्ता, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त — सदस्य
(प्रमुख शासन सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
श्री प्रीतम सिंह, आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल — सदस्य
श्री बी.डी.गुप्ता, शासन उप सचिव, न.वि.आ. — सदस्य
(शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रतिनिधि)
श्री आर.के.शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान — सदस्य
श्री बी.एस.रोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको — सदस्य
श्री आर.सी.धरमानी, — मण्डल-सचिव

[illegible] आमंत्रित -

श्री सीताराम शर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल

इनके अतिरिक्त श्री एस.एम.माथुर एवं श्री एम.एल.दुबे, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता भी [illegible]स्थित थे।

कार्यवाही विवरण

[illegible]4.1 मण्डल की 183वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।
मण्डल की 183वीं बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

[illegible]4.2 मण्डल की 183वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन। मण्डल की 83वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें बिन्दु संख्या-183.10 (1) के तहत मण्डल की विभिन्न कॉलोनियों में अवशिष्ट पड़े आवासों का नीलामी द्वारा निष्पादन किये जाने हेतु लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा लागत को जून, 2000 तक स्थिर रखे जाने के संबंध में वित्तीय सलाहकार को निर्देश दिये गये। साथ ही आवासों के "थोक विक्रय" शब्द के स्थान पर "समूह विक्रय" शब्द जोड़ा जाये।

क्रियान्विति रिपोर्ट के बिन्दु संख्या-183.10 (3) के तहत अभिकर्ता की नियुक्ति एवं नियुक्ति की शर्तें तय करने संबंधी विचार बिन्दु पर पुनः चर्चा के दौरान इस बिन्दु को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थगित रखने का भी निर्णय लिया गया।

[illegible]4.3 कार्यालय आदेश दिनांक 29.10.97 के द्वारा मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु प्रभावी भूमि एवं विकास दर की वैधता अवधि दिनांक 30.6.99 तक रखने का अनुमोदन।

F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही आवासन आयुक्त द्वारा मानसरोवर एवं प्रतापनगर योजना की भूमि की दरें उक्त आदेशों में सम्मिलित नहीं होने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाकर वित्तीय सलाहकार को इन योजनाओं की दरें भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये।

184.4 दिनांक 2.4.99 को आयोजित वित्त एवं लागत समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

F.A. प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.5 Authorising Chairman, RHB to approve raising of loan and issuing Administrative & Financial (A&F) sanction for various schemes.

C.E./F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.6 वित्तीय वर्ष 1999-2000 (जून तक) हेतु संशोधित भूमि एवं विकास दर स्वीकृति हेतु।

F.A. प्रस्तावानुसार भूमि एवं विकास दरें माह जून, 2000 तक स्थिर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

184.7 बोर्ड द्वारा निर्मित आवासों/फ्लैट्स के समूह विक्रय पर "विशेष छूट योजना"-1999 के अंतर्गत न्यूनतम 100 फ्लैट्स नगद भुगतान पद्धति में एक साथ क्रय करने पर लागत

C.E.M. में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने के संबंध में।

इस बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात् मण्डल की सम्पत्ति के तीव्र निस्तारण हेतु इस ओर प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप निम्न निर्णय लिया गया-

1. उक्त प्रस्तावित छूट योजना आज से प्रारम्भ होकर मार्च, 2000 तक केवल सरप्लस व धीमी गति से बिकने वाले फ्लैट्स/आवासों पर ही नगद भुगतान पर खोली जाएगी।

2. इस योजना में छूट निम्नानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया-

(1) व्यक्तिगत आवंटन पर 10 प्रतिशत

(2) 50 से 99 आवासों तक के समूह विक्रय पर 15 प्रतिशत एवं

(3) 100 एवं 100 से ऊपर आवासों के समूह विक्रय पर 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

3. ऐसे आवेदकों के समूह जिन्होंने पूर्व में ही चल रही "थोक बिक्री" योजना के तहत आवेदन कर रखा है परन्तु आवासों का कब्जा नहीं लिया है, भी इस योजना में सम्मिलित माने जायेंगे।

4. इस योजना में पंजीकरण राशि निम्न प्रकार रहेगी-

(1) उच्च एवं मध्यम आय वर्ग-ब के लिए 10,000/- रुपये

(2) मध्यम आय वर्ग-अ एवं अल्प आय वर्ग के लिए 2000/- रुपये

(3) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 1000/- रुपये

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए उक्त सभी आयवर्गों हेतु पंजीकरण राशि 50 प्रतिशत रखी जाये।

5. आवास/फ्लैट की शेष सम्पूर्ण राशि एकमुश्त एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर कब्जा दे दिया जाये। इसमें चूक करने पर पंजीकरण राशि जब्त कर आवास निरस्त कर दिया जाये।

निर्णयों

04.8 आवास विकास संस्थान द्वारा आवास विकास लिमिटेड के खरीदे गये 51 प्रतिशत शेयर राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

04.9 सिन्धी वेलफेयर एवं मेडीकल सोसायटी को मण्डल की चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर में सामुदायिक भवन (कम्यूनिटी हॉल) हेतु भूमि आवंटन बाबत।

सिन्धी वेलफेयर एवं मेडिकल सोसायटी को दिनांक 19.12.97 को आयोजित मण्डल की जिला आवंटन समिति जोधपुर के निर्णयानुसार 5080 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन हेतु आवंटन कर, आरक्षित दर अनुसार कुल लागत राशि रूपये 38,67,150/- का आवंटन पत्र जारी कर तीन माह में राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया। किन्तु संस्था ने उक्त भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत की दर से ही आवंटन हेतु अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना की गई। इस कारण उनके द्वारा वांछित राशि भी जमा नहीं कराई गई, अतः उन्होंने उक्त अवधि को बढ़ाने एवं राशि में 50 प्रतिशत छूट चाहने हेतु भी निवेदन किया है। राज्य सरकार ने भी उक्त संदर्भ में 50 प्रतिशत दर पर भूमि दी जाने की अनुशंसा मण्डल को की थी।

मण्डल के नियमानुसार केवल मात्र राज्य सरकार की सहायत से चलने वाले शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक संस्थानों को ही आरक्षित दर की 50 प्रतिशत की दर से भूमि का आवंटन किया जाता है। किन्तु सिन्धी वेलफेयर एवं मेडीकल सोसायटी द्वारा निवेदन किया कि उनकी संस्था एक सामाजिक हितोपयोगी संस्था है, जिससे मानवीय आधार पर इतनी राशि न ली जाकर 50 प्रतिशत राशि ली जावे। अतः प्रकरण पुनः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

प्रकरण पर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

04.10 महाराजा श्री गंगाराम शिक्षा ट्रस्ट को मण्डल की चौपासनी योजना, जोधपुर में आरक्षित दर की 50 प्रतिशत लागत पर भूमि आवंटन बाबत।

महाराजा श्री गंगाराम शिक्षा ट्रस्ट को मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में आरक्षित दर पर 1035 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था, पुनः उनके आवेदनानुसार उक्त भूमि के स्थान पर चौपासनी योजना के सैक्टर-16 जोधपुर में पूर्व आवंटित 1035 व.मी. के स्थान पर केवल 607.50 वर्गमीटर भूमि आवंटन किया गया, तथा आरक्षित दर से राशि की मांग की गई। परन्तु उक्त ट्रस्ट ने उक्त भूमि 50 प्रतिशत की दर से देने की मांग की। परन्तु राज्य सरकार के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मण्डल के नियमानुसार उक्त भूमि 50 प्रतिशत दर पर इस संस्थान को दिया जाना संभव नहीं था। परन्तु पुनः ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया कि उनका संस्थान एक रोजगार व प्रशिक्षण, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए कार्यरत संस्थान है, जिसे आधी दर पर भूमि दिया जाना न केवल समाज हित में अपितु मानवीय आधार पर भी विचारणीय है, अतः उन्हें आधी दर पर ही भूमि आवंटित की जाये। प्रकरण पुनः विचारार्थ मण्डल के समक्ष रखा गया है।

इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

184.11 मकान संख्या-4-आर एच-3, जवाहर नगर, जयपुर में रह रहे स्व. श्री अब्दुल मतीन के परिवार को रहने की अवधी बढ़ाने हेतु। 184

SECY. इस संबंध में प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान सचिव द्वारा बताया गया कि स्व. श्री अब्दुल मतीन के परिवार को मकान आवंटन का निर्णय गत सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिया भी जा चुका है, तथा उन्हें पूरी कीमत पर ही मकान आवंटन का निर्णय लिया गया है। अतः उन्हें उक्त मकान का कब्जा मिलने तक उक्त मकान में ही रहने हेतु अनुमति देने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। SEC

184.12 शासन उप सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान द्वारा प्रेषित किये गये महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु।

SECY./ T.A.H.C. प्रस्ताव में दिये गये शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा मण्डल को प्रेषित विचारणीय प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा की गई एवं उनकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल में निम्न अधिकारियों की एक समिति समस्त बिन्दुओं के संबंध में अपने सुधारात्मक सुझाव सहित रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई-

1. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,
2. श्री बी.एस. सोईन, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको,
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल

184.13 मण्डल की विभिन्न दिनांकों को आयोजित वर्क्स कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु। 184

C.E. प्रस्ताव में संदर्भित बैठकों के निर्णयों की पुष्टि के संबंध में माननीय सदस्य श्री बी.एस. सोईन एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई कि इतने पुराने निर्णयों को पुष्टि हेतु इतना विलंब से [illegible] प्रस्तुत किया गया है। तथा चूंकि उक्त सभी बैठकों का अनुमोदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत उससे अगली बैठक में हो जाता है। अतः इनकी पुष्टि की अब आवश्यकता नहीं है और भविष्य में भी किसी भी समिति के ऐसे निर्णयों की पुष्टि हेतु मण्डल के समक्ष नहीं रखा जाये। C.E

184.14 Issue of A&F sanction for Rs. 789.24 lacs for the const. of operation Theatre and 20 beded wards at places in Rajasthan under the World Bank sponsored cataract blindness control project.

C.E./F.A. प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.15 बी.एल. पब्लिक स्कूल को मण्डल की सूरतगढ़ योजना में विद्यालय हेतु आवंटित भूमि की राशि किश्तों में लिये जाने के संबंध में। 184

C.E.M. प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय के सुझावानुसार संस्था को दो माह का समय देते हुए एक मौका ब्याज सहित देय राशि दिये जाने के उपरान्त आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

184.16 आरक्षित वर्गों के लिए पद आधारित आरक्षित बिन्दुओं (रोस्टर प्वाइंट) का निर्धारण उच्चतम न्यायालय के आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किये जाने बावत। 184

SECY. प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप मण्डल में भी [illegible] CY.

रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" बिन्दु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

184.17 कनिष्ठ चयन समिति द्वारा बिना टंकण परीक्षा के सशर्त चयनित कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने के संबंध में।

SECY. कनिष्ठ चयन समिति द्वारा बिना टंकण परीक्षा के सशर्त चयनित कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने के प्रस्ताव पर पूर्व में मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों एवं राज्य सरकार के नियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान आवासन आयुक्त महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हालांकि राज्य सरकार के नियमों के आधार पर इन्हें नोशनल वेतन-वृद्धि दिया जाना संभव नहीं है, फिर भी मानवीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए चूंकि इनकी योग्यता के आधार पर इन कर्मचारियों से कनिष्ठ सहायक का कार्य लिया जा रहा है एवं इन्हें पूर्व में वर्कचार्ज के तहत रखा गया था, तथा मण्डल में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध इन्हें कनिष्ठ चयन समिति द्वारा चयन किया जा चुका है तथा यदि ये अपनी पूर्व श्रृंखला में ही रहते तो इन्हें आज से अधिक वेतन मिलता। अतः जिन कर्मचारियों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें प्रस्तावानुसार, नोशनल वेतन-स्थिरीकरण का लाभ मण्डल द्वारा दिये जाने बाबत सिद्धान्ततः राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में अनुमोदन किया गया। शेष अनुत्तीर्ण कर्मचारियों के लिए मण्डल की पूर्व बैठक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने के बाद कार्यवाही किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

184.18 राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सभी (अनुदानित/गैर अनुदानित) शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत।

C.E.M. इस संबंध में प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया-

1. श्री बी.डी.गुप्ता, उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. सचिव, राजस्थान राजस्थान आवासन मण्डल,
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल।

उक्त समिति राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं के नियमों के अनुरूप आवश्यक संशोधन बाबत विचार कर अपने प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

184.19 राजस्थान आवासन मण्डल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-1989 लागु करने के क्रम में।

A. राजस्थान आवासन मण्डल में बढ़ते संस्थापन व्यय को देखते हुए राजकीय उपक्रम विभाग के आदेशानुसार "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-1989" लागु किया जाना प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

184.20 राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड निरसन अधिनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने बाबत।

...6

प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार
हेतु स्वीकृत किये गये निम्न चिकित्सालयों संबंधी आदेशों की पुष्टि की गई-
1. [illegible] हॉस्पीटल एवं [illegible], [illegible], [illegible] सांगानेर रोड,
जयपुर।
2. भण्डारी हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर एवं
3. जीवन ज्योति हॉस्पीटल (ब्रांच भण्डारी हॉस्पीटल), रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,
सांगानेर।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी निजी चिकित्सालयों की
दरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये एवं यदि दरों में अत्यधिक अधिकता पाई जाये
तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को अग्रिम आदेशार्थ अवगत कराया जाये।

Comparative statement required from F.A.&C.A.O.

184.21 मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1998-99 हेतु बोनस/अनुग्रह राशि के
भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.22 माननीय अध्यक्ष महोदय के चिकित्सा के दौरान परिवारजनों का यात्रा एवं आवास
व्यवस्था पर किये गये खर्चे के संबंध में।

F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.23 मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवंटन पत्र में मांगी जाने वाली
प्रारंभिक राशि एवं मासिक किश्तों की अवधि के संबंध में।

F.A./
C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.24 Issual of Revised A&F sanction for Rs. 542.45 lacs for construction & development of scheme No. 14279 excluding external electrification, PHE, Adm. charges and overheads Ph.-IV, Sec. 19, P.N., Sanganer under NON-HUDCO.

C.E./
F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.25 Revision in the HUDCO's R.O.I. for EWS & LIG categories effective from 20th Marhc, 1999.

C.E./
F.A.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184.26 राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा मोटर वाहन उपयोग के संदर्भ में दिये गये
दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को राज्य सरकार से
लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत किये जाने बाबत।

SECY.

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विशिष्ट शासन सचिव, वित्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि
मण्डल द्वारा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्रस्तावानुसार अधिकारियों को
अधिकृत किया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा मण्डल के वृत्त कार्यालयों में निर्माण
गतिविधियों के कारण वाहनों की आवश्यकता को के मद्देनजर मण्डल द्वारा मोटर गैराज
[illegible] वाहनों [illegible] वाहनों [illegible] हेतु राज्य सरकार
[illegible] जाये। इस बारे में विशिष्ट शासन सचिव, वित्त भी सैद्धान्तिक रूप से सहमत

(कृष्णा मेडिकल ट्रस्ट के स्थान पर कृष्णा चेरिटेबिल ट्रस्ट पढ़ा जावे का शुद्धि पत्र क्रमांक 3003 दिनांक 7.1.2000 जारी किया गया)

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकृत अधिकारी पूर्वानुसार ही बाहर के वृत्तों में जाने हेतु पूल में से वाहन लेकर मण्डल कार्य कर सकता है।

अतः यह निर्णय लिया गया कि वृत्त कार्यालयों से मंगाकर मोटर गैराज विभाग को भिजवाये गये वाहनों को पुनः मण्डल में मंगाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाये। मण्डल के आवासीय अभियन्ताओं एवं परियोजना अभियन्ताओं के लिए कन्वेयन्स आदि की सुविधा पूर्व में मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार की जाए

184·27 C.E.M. — कृष्णा मेडीकल ट्रस्ट को आवंटित भूमि को 50 प्रतिशत राशि पर कब्जा देने बाबत।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

184·28 C.E.M., CAO. — आवासन मण्डल को विभिन्न योजनाओं में संस्थाओं एवं पंजीकृत ट्रस्ट को भूमि आवंटन के समय आरक्षित दर पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत उपरिव्यय भार चार्ज नहीं करने बाबत।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव विचाराधीन प्रकरणों पर भी लागु होगा।

184·29 C.E.M. — सेन्ट सोल्जर पब्लिक स्कूल को सांगानेर योजना में आवंटित 8000 व·मी· भूमि के संबंध में।

प्रकरण सेन्ट सोल्जर पब्लिक स्कूल को सांगानेर योजना में आवंटित 8000 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा पूरी राशि जमा नही करा पाने के कारण नहीं दिये जाने पर विचार करने हेतु मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। प्रकरण पर विचार-विमर्श के उपरान्त उपयोगिता एवं मैरिट के आधार पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

184·30 F.A. — Regarding providing of guarantee to Bank/Financial Institutions for securing the loans raised by Avas Vikas Limited.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

विशिष्ट शासन सचिव वित्त द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार बिन्दु

विशिष्ट शासन सचिव वित्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित मितव्ययता समिति की सिफारिशों पर मण्डल में भी विचार करने हेतु अपना पक्ष रखा, तथा सुझाव दिया कि चूंकि राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति है, अतः मण्डल को भी अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने के साथ अधिशेष/ आधिक्य पदों को समाप्त करने का निर्णय लेना चाहिए। इस पर सैद्धान्तिक रूप से सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए मण्डल अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए गये, जो वे अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेंगे।।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)
सचिव 31/1

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की 185वीं विशेष बैठक दिनांक 29.1.2000 को प्रात: 11.00 बजे मंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राज. आवासन मंडल — अध्यक्ष
2. श्री जी. एस. संधु, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग — सदस्य
3. श्री प्रीतम सिंह, आवासन आयुक्त, राज. आवासन मंडल — सदस्य
4. श्री आर. के. शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार — सदस्य
5. श्री सीताराम शर्मा, वि. स. एवं मु. ले. अ., रा. आ. मं. — अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी

विशेष आमंत्रित:-

1. श्री बी. एन. मूलचन्दानी, मुख्य अभियंता, राज. आवासन मंडल

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

श्री एस. एम. माथुर, अति. मुख्य अभियंता-द्वितीय, श्री एम. एल. दुबे, अति. मुख्य अभियंता-तृतीय, श्री आर. पी. शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट), रा. आ. मं., जयपुर

कार्यवाही विवरण

185.1 दिनांक 17.12.99 को सम्पन्न हुई मंडल की 184वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि:-

मंडल की 184वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई । उक्त बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे ।

एवं मु. ले. अ. 185.2 वर्ष 1999-2000 का संशोधित बजट एवं 2000-2001 का बजट अनुमान:-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय सलाहकार द्वारा वर्ष 1999-2000

का संशोधित बजट एवं वर्ष 2000-2001 का बजट अनुमान माननीय सदस्यों
प्रस्तुत किया गया । उन्होंने माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुये निवे
कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर सम्पत्ति निस्तारण, मार्केट स्लम्प के
एक चुनौती बना हुआ है, वहीं बढ़ते संस्थापन व्यय को नियंत्रित करना भी
में एक चुनौती ही है । ऐसी परिस्थितियों में लक्ष्यों की प्राप्ति की ध्यान
संस्थापन व्यय को संतुलित करने के साथ-साथ अन्य निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं
बजट में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया:-

§1§ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्र
रही कमी के बारे में चाही गई जानकारी का जवाब देते हुये वित्तीय
ने बताया कि मंडल द्वारा निर्मित फ्लेट्स की ओर आवंटियों का रूझान
के फलस्वरूप सम्पत्ति का निस्तारण धीमी गति से हो पाया, इस कार
की आशातीत प्राप्ति नहीं हो पाई । इस कमी को दूर करने हेतु गत
मंडल द्वारा व्यक्तिगत आवंटन, समूह बिक्री आदि के माध्यम से लागत
छूट प्रदान कर काफी हद तक सम्पत्ति का निस्तारण किया गया है एवं
वर्षों में और अधिक लक्ष्य रखे जाकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास
जायेगा ।

§2§ वित्तीय सलाहकार ने बजट की समीक्षा करते हुये आगे बताया कि मंड
क्षेत्रीय फैलाव को देखते हुये भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मंडल द्वारा ही
दो वृत्त कार्यालय-अलवर एवं बीकानेर में खोले गये है, जिससे मंडल द्वारा
प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान दिया जाना संभव हो सके ।

§3§ प्रस्तुत बजट अनुमान में पृष्ठ संख्या 29 पर वर्ष 2000-2001 हेतु रखे गये
लक्ष्यों के "मुख्यालय पर भुगतान मद के अन्य" चरण के कॉलम 5 में रखे गये
करोड़ रुपये के बजट को और अधिक स्पष्ट करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोद
इसे 3.00 करोड़ रुपये किये जाने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें से 2.00
रुपये पार्कों के विकास हेतु एवं 1.00करोड़ रुपये स्ट्रीट लाइट हेतु रखे जायें

एवं मु.ले.अ.

सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(4) शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा मंडल को प्रस्तावित जगतपुरा आवासीय योजना हेतु भूमि का कब्जा प्राप्त करने में आ रही कठिनाई के मद्देनजर पूर्व स्वीकृत 12 प्रतिशत विकसित भूमि के स्थान पर 15 प्रतिशत विकसित भूमि एवं नियमानुसार ब्याज की गणना करते हुये मंडल को भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु सुझाव दिया गया तथा इसे सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । इस हेतु शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, श्री एस.एन. माथुर को निर्देशित किया गया ।

(5) बजट अनुमान में खण्ड तृतीय एवं अष्टम के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्टेडियम निर्माण कार्यों हेतु रखे गये 20-20लाख रुपये के लक्ष्य को बढ़ाकर 1.00-1.00 करोड़ रुपये किये जाने के शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन के प्रस्ताव को भी सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(6) शासन सचिव, न.वि.आ.द्वारा टाउन प्लानिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेंट हेतु गठित समिति को जानकारी देते हुये मंडल की ओर से भी 25.00लाख रुपये इस मद हेतु बजट में जोड़े जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

(7) आवासन आयुक्त महोदय द्वारा मंडल की वसूली में प्रगति हेतु प्रस्तुत विशेष छूट योजना के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15 फरवरी से 31 मार्च 2000 तक विशेष छूट योजना आरम्भ कर मंडल की वसूली में प्रगति की जाये । इस हेतु निम्नानुसार छूट प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

ले. अ.

(अ) उक्त योजना दिनांक 15.2.2000 से 31.3.2000 तक लागू रहेगी ।

(ब) छूट हेतु पात्र आवंटियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:-

(1) ऐसे आवंटी जिन्होंने दिनांक 1.2.2000 तक की सभी किश्तें यथासमय जमा करा दी है, यदि वे अपना शेष मूलधन एकमुश्त जमा कराना चाहते

है तो उन्हें इस शेष मूलधन पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । इस श्रेणी में
वाले आवंटियों पर यदि कोई शास्ति है तो उस पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर
आय वर्ग के आवंटियों को 60प्रतिशत एवं मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवंटियों
प्रतिशत छूट दी जायेगी परन्तु उक्त शास्ति ब्याज में दिये जाने वाला लाभ केवल
आवंटियों को दिया जायेगा जो एकमुश्त शेष मूलधन, बकाया लीजराशि एवं देय
शास्ति योजना अवधि में एकमुश्त जमा करायेंगे । इस प्रकार उनका समस्त मूलधन
शास्ति जमा की जायेगी और मंडल की ओर से उनका किसी प्रकार का कोई ब
नहीं रहेगा ।

§2§ ऐसे आवंटी जो मंडल की मासिक किश्तें नियमित रूप से नहीं देते है तथा जन
तक इनमें किश्तें बकाया हैं उनके लिए शास्ति में छूट का प्रावधान निम्न प्रकार
§क§ आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के आवंटियों हेतु 60 प्रतिशत
§ख§ मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवंटियों हेतु 40 प्रतिशत ।

वसूली के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी माननीय सदस्यों द्वारा आवंटियों की
समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें एक ही बार में समस्त आपत्तियों की पूर्ति हेतु
किये जाने के संदर्भ में यह उचित समझा गया कि एक चैकलिस्ट मुख्य सम्पदा प्रबन्धक तैय
करेंगे जिसमें समस्त पूर्तियाँ करने हेतु आवंटियों को एक बार में ही सूचित कर दिया जा
ताकि आवंटी को अनावश्यक परेशानी न हो ।

§8§ चर्चा के दौरान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन तथा आवासन आयुक्त महो
यह प्रस्ताव भी रखा कि एशियन डवलपमेन्ट बैंक की योजना के तहत राज्य सरकार न
विकास के लिये 5.00 करोड़ रूपये उपलब्ध करायेगी, जिसमें मंडल की सहभागिता §वैयि
1 करोड़ रूपये की होगी ।

उपरोक्तानुसार बजट अनुमान पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित
अनुमानों में संशोधनों जो बिन्दु संख्या 185.2 के उपबिन्दु संख्या 3, 5, 6 एवं 8 पर प्रस्तावि
अनुमोदित है, को पत्रावली पर लेकर अगले संशोधित बजट अनुमानों में समाहित कर लिया जा

बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा उपरोक्तानुसार विस्तृत चर्चा-उपरान्त प्रस्तावानुसार
1999-2000 का संशोधित बजट एवं 2000-2001 का बजट अनुमान अनुमोदित किया ।

वि. स. एवं मुख्यलेखाधिका

(28)

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर ।

राजस्थान आवासन मंडल की दिनांक 29.1.2000 को आयोजित 185वीं विशेष बैठक में बजट प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों द्वारा परिचर्चा के दौरान निम्न सुझाव दिये गये:-

1. नगरीय विकास एवं आवासन सचिव द्वारा भिवाड़ी में मंडल की सम्पत्ति के प्रभावी निस्तारण हेतु सुझाव दिया गया कि वहाँ "ग्रुप हाऊसिंग" को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मकानों के टाईप-डिजाईन आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये तैयार कराये जायें तथा इसके साथ-साथ मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, श्री एस.एम. माथुर को अग्रिम कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया।

2. शासन सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया कि महानगरों की तर्ज पर खेतीहरों के लिये मंडल की विभिन्न योजनाओं में सब्जी, दूध आदि के थोक व्यवसाय करने हेतु बड़े क्योस्क बनाकर मंडल की ओर से सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस हेतु योजना बनाने के लिये मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया, जो योजना बनाकर मंडल में प्रस्तुत करेंगे, ताकि उस पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सके।

3. एक अन्य सुझाव से अवगत कराते हुये शासन सचिव महोदय ने अप्रवासी भारतीयों को मंडल की आवासीय योजनाओं में बहुत अच्छी गुणवत्ता, साइट, डिजाइन के मकान उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट स्ववित्त पोषित योजना खोले जाने हेतु प्रस्ताव रखा। इस संबंध में श्री एस.एम. माथुर द्वारा बताया गया कि ऐसी योजना पूर्व में मंडल द्वारा स्वीकृत है परन्तु मंडल की सम्पत्ति के धीमे निस्तारण को देखते हुये इस पर अमल नहीं किया जा सका। इस संबंध में सर्वसम्मति से योजना की क्रियान्विति हेतु उपरोक्तानुसार पंजीकरण योजना आरम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही करने से पूर्व आकर्षित एवं अच्छी गुणवत्ता के आवासों हेतु नक्शे आदि तैयार किये जाएं। इसके लिये आवश्यकता हो तो मंडल के बाहर से भी नक्शे तैयार कराये जा सकते हैं। श्री एस.एम. माथुर, अति. मुख्य अभियंता, द्वितीय को इस कार्य हेतु निर्देशित किया गया।

-2-

4. थोक बाजारों को आवासन मंडल की कॉलोनियों में स्थानान्तरित किये एक अन्य प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान मुख्य नगर नियोजक ने वि व्यक्त किया कि इस प्रकार के निर्णय से पूर्व वहाँ के वातावरण एवं अन्य एवं ऐसे स्थानान्तरण के फलस्वरूप आवासीय योजना में संभावित प्रदूषण ए असुविधाओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इस बाबत तय किया पहले उचित भूमि के चुनाव हेतु मुख्य नगर नियोजक के साथ अतिरिक्त मु श्री एस. एम. माथुर निरीक्षण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट मंडल को प्रस्तुत क तत्पश्चात् इस ओर निर्णय लिया जाये।

मु. नगर नियोजक/ सचिव/अ. मु. अ. II

5. सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को सप्ताह में तीन दिन संबंधित क्षेत्रों उपलब्ध रहकर आवंटियों के प्रकरणों को निपटाने हेतु निर्देशित किया ग

मु. अ.

वि. स. एवं मुख्य लेखा. पि

राजस्थान आंवासन मण्डल::जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 186वीं बैठक दिनांक 4.8.2000 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:--

1.	श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष,राज.आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2.	श्री जी.एस.संधु,शासन सचिव,न.वि.आ.विभाग	: सदस्य
3.	श्री विनोद जुत्शी, आवासन आयुक्त	: सदस्य
4.	श्री एस.सैन,मुख्य नगर नियोजक,राज.सरकार	: सदस्य
5.	श्री आर.सी.धरमानी,सचिव,रा.आ.मंडल	: सदस्य--सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री जी.आर.पहिलाजानी, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको
2. श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मंडल
3. श्री सीताराम शर्मा, वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मंडल

186.1	प्रस्ताव	मण्डल की 185 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।
FA & CAO	निर्णय	मण्डल की 185 वीं बैठक के निर्णयों की इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई कि विज्ञापन व्यय के मद में प्रस्तावित बजट में एक करोड़ रूपये की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया जावे।

प्रस्ताव मण्डल की 184 वीं एवं 185 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।

निर्णय मण्डल की 184 वीं एवं 185 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।

प्रशासनिक एवं संस्थापन संबंधी प्रस्ताव

.3 प्रस्ताव श्री आर.एस. गुप्ता परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के 1,28,500/– रूपये चिकित्सा व्यय की स्वीकृति हेतु।

A &

AO निर्णय प्रस्तावानुसार श्री आर.एस. गुप्ता परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) के 1,28,500/– रूपये चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6.4 प्रस्ताव राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पेंशन विनियम 1992 के पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन के संबंध में।

A &

AO

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब भी उक्त नियमों में संशोधन होता है तो अध्यक्ष महोदय से निर्णय लेकर बोर्ड से बाद में पुष्टि करायी जावे।

5 & AO	प्रस्ताव	<u>मण्डल के सेवानिवृत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुये महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।</u>
	निर्णय	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में उक्त नियमों में संशोधन होता है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लेकर आगामी बैठक में पुष्टि करा ली जावे।
6.6 A & AO	प्रस्ताव	<u>राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पेंशन विनियम 1992 के सेवा उपदान संबंधी नियम सं. 35 में संशोधन के संबंध में।</u>
	निर्णय	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में जब भी उक्त नियमों में संशोधन होता है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लेकर आगामी बोर्ड बैठक में पुष्टि करायी जावें।
86.7 CEM/ ACE-II	प्रस्ताव	<u>मानसरोवर क्रिकेट ग्राउन्ड का नाम परिवर्तित कर 'के.एल.सैनी' स्टेडियम करने के संबंध में।</u>
	निर्णय	प्रस्तावानुसार मानसरोवर क्रिकेट ग्राउन्ड का नाम परिवर्तित कर 'के.एल.सैनी' स्टेडियम करने की पुष्टि की गयी।
86.8 SECY SR. PM	प्रस्ताव	<u>राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा में विस्तार करने बाबत।</u>
	निर्णय	प्रस्तावानुसार निम्न निजी चिकित्सालयों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी:—

1. रूंगटा हास्पिटल, मालवीय नगर,जयपुर।
2. भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर।
3. धन्वन्तरि हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर।

4. कमला नगर हास्पिटल, लिंक पाल रोड,जोधपुर

5. भारत विकास परिषद चिकित्सालय, दादावाडी,कोटा।

6. ओपेरा हास्पिटल, इन्द्रा विहार, कोटा

तथा चिकित्सा सुविधा दिये जाने हेतु प्रस्तावित चिकित्सालयों में से जोधपुर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड, जोधपुर को चिकित्सा सुविधा हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जयपुर के अलावा डिविजनल मुख्यालय में अधिकतम 3 निजी चिकित्सालय एवं अन्य शहरों में 1 या 2 निजी चिकित्सालयों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावे।

6.9 प्रस्ताव — मण्डल में स्वीकृत विधि अधिकारी (मुख्य विधि सहायक) वेतन श्रृंखला 6500 – 200 –10500 के पद को सहायक निदेशक (विधि) वेतन श्रृंखला (9000–300–14400) के पद पर क्रमोन्नत करने बाबत।

ECY
R
M

निर्णय — प्रस्तावानुसार मण्डल में विधि अधिकारी (मुख्य विधि सहायक) के पद को सहायक निदेशक (विधि) वेतन श्रृंखला (9000–300–14400) के पद पर क्रमोन्नत करने का अनुमोदन किया गया। तथा सेवा विनियमों में उक्त पद का समावेश करने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिए जाने कि अनुशंसा की गई।

6.10 प्रस्ताव — कनिष्ठ सहायक के तीन पद सीधी भर्ती के अनुकम्पात्मक नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति देने हेतु सृजित करने बाबत।

ECY
SR
M

निर्णय — प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर स्व. श्री देवेन्द्र कुमार कपूर, कनिष्ठ लेखाकार के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती उमा कपूर, स्व. श्री रघुनाथ सुंडा, सहायक के स्थान पर उनकी पुत्री कु. प्रीति, स्व. श्री जे.जे.सिंह, सुपरवाइजर (वरिष्ठ) के स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती रीटा सिंह को कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई नियुक्ति की पुष्टि की गई तथा उक्त नियुक्तियों के फलस्वरूप कनिष्ठ

सहायक के तीन पर सृजित करने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति देने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया। सीधी भर्ती में पद उपलब्ध न होने की स्थिति में पद सृजित करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया तथा पद सृजन की पुष्टि मंडल की बैठक में करा ली जावेगी।

6.11 प्रस्ताव — दो नये वृत कार्यालय कमशः बीकानेर एंव अलवर में तथा 4 नए खण्ड कार्यालय कमशः बीकानेर (द्वितीय), जैसलमेर, डूँगरपुर एवं टोंक में खोलने के संबंध में।

ECY

CE निर्णय — प्रस्तावानुसार दो नये वृत कार्यालय कमशः बीकानेर एंव अलवर में तथा 4 नए खण्ड कार्यालय कमशः बीकानेर (द्वितीय), जैसलमेर, डूँगरपुर एवं टोंक में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

86.12 प्रस्ताव — केबिनेट स्तर के मंत्री के स्टाफ की भाँति मण्डल में अध्यक्ष सचिवालय में कार्यरत स्टाफ को विशेष वेतन (स्पेशल पे) देने बाबत।

ECY

निर्णय — प्रस्तावानुसार केबीनेट स्तर के मंत्री के स्टाफ की भाँति मण्डल में अध्यक्ष सचिवालय में कार्यरत स्टाफ को विशेष वेतन (स्पेशल पे) दिये जाने की पुष्टि की गई।

186.13 प्रस्ताव — श्री ए.के.गर्ग , आवासीय अभियन्ता को चिकित्सा पुर्नभरण राशि रूपये 20,008/— रूपये स्वीकृत करने बाबत।

FA &

CAO निर्णय — प्रस्तावानुसार विशेष परिस्थितियों के कारण श्री ए.के. गर्ग , आवासीय अभियन्ता को चिकित्सा पुर्नभरण राशि रूपये 20,008/— की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सम्पत्ति आवंटन समिति एवं वर्क्स कमेटी में सदस्य सचिव बदले जाने बाबत ।

निर्णय प्रस्तावानुसार मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के स्थान पर तकनीकी सहायक–अध्यक्ष को सम्पत्ति आवंटन समिति का सदस्य–सचिव नियुक्त किये जाने बाबत जारी आदेश का अनुमोदन किया गया तथा इस व्यवस्था, के बारे में भविष्य में पुनर्विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

5 प्रस्ताव कनिष्ठ सहायकों के पूर्व में (183 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 183.13 के अन्तर्गत) समाप्त किये गये 22 कनिष्ठ सहायकों के पदों का नये सिरे में सृजन करने के संबंध में।

निर्णय प्रस्तावानुसार कनिष्ठ सहायकों के 22 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रस्तावित चयन प्रकिया का अनुमोदन करते हुए यह अभिशंसा की गई की राज्य सरकार को एतद्संबंधी निर्णय से अवगत कराते हुये स्वीकृति ले ली जावे।

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों को मण्डल में नियुक्ति दिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया तथा पद सृजन हेतु प्रस्ताव को आगामी बैठक में अनुमोदन करा लिया जावे।

16 प्रस्ताव मण्डल कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 के बोनस एवं अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में ।

निर्णय उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों से कितनी राशि वसूल योग्य है। इस बारे में पूर्ण विवरण लेकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव — सम्पत्ति आवंटन समिति एवं वर्क्स कमेटी में सदस्य सचिव बदले जाने बाबत ।

निर्णय — प्रस्तावानुसार मुख्य सम्पदा प्रबन्धक के स्थान पर तकनीकी सहायक–अध्यक्ष को सम्पत्ति आवंटन समिति का सदस्य–सचिव नियुक्त किये जाने बाबत जारी आदेश का अनुमोदन किया गया तथा इस व्यवस्था के बारे में भविष्य में पुनर्विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

5 प्रस्ताव — कनिष्ठ सहायकों के पूर्व में (183 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 183.13 के अन्तर्गत) समाप्त किये गये 22 कनिष्ठ सहायकों के पदों का नये सिरे में सृजन करने के संबंध में।

निर्णय — प्रस्तावानुसार कनिष्ठ सहायकों के 22 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रस्तावित चयन प्रकिया का अनुमोदन करते हुए यह अभिशंसा की गई की राज्य सरकार को एतद्संबंधी निर्णय से अवगत कराते हुये स्वीकृति ले ली जावे।

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों को मण्डल में नियुक्ति दिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया तथा पद सृजन हेतु प्रस्ताव को आगामी बैठक में अनुमोदन करा लिया जावे।

16 प्रस्ताव — मण्डल कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 के बोनस एवं अनुगृह राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में ।

निर्णय — उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों से कितनी राशि वसूल योग्य है। इस बारे में पूर्ण विवरण लेकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

/ Y & प्रस्ताव राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) एवं परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को कन्वेन्स भत्ता दिये जाने हेतु।

निर्णय प्रस्तावानुसार परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) एवं परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को कन्वेंस भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पष्ट किया गया कि कन्वेन्स भत्ता लेने वाले ऐस कर्मचारियों को बोर्ड से प्रसारित आदेश दिनांक 21/10/1995 के तहत निर्धारित यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18 CY 6 प्रस्ताव राजस्थान आवासन मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 की शिड्युल तकनीकी में परि.अभि.(वरिष्ठ) से आवासीय अभियन्ता के पद पर पदोन्नति नियमों में संशोधन बाबत।

निर्णय इस प्रकरण में विधि सम्मत तथ्यों की जॉच करवाई जावे, इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय को निर्णय हेतु अधिकृत किया जावें

भाग दो

तकनीकी व आवासन संबंधी प्रस्ताव

6.19 CE &M प्रस्ताव **Revision in the HUDCO's financing patern for housing (oter than EWS, LIG & action plan Schemes) urban infrstracture Project with effect from 01-02-2000**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन के पश्चात कियान्विति की जावे तथा आगामी बैठक में अनुमोदन करा लिया जावे।

86.20 CE &M प्रस्ताव **Revision in the HUDCO' S Financing Pattern Housing (other than EWS, LIG & Action Plan Scheme) Urban infrastructure Projects with effect from 01-01-2000**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन

के पश्चात् कियान्वित की जावे तथा आगामी बैठक में अनुमोदन करा लिया जावे।

प्रस्ताव **Authorising Chairman, RHB to approve raising of Loans and issuing Administrative & Financial (A & F) Sanction for various schemes.**

निर्णय उक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात कियान्विति की जावे तथा आगामी बैठक में अनुमोदन करा लिया जावे।

प्रस्ताव **Loan assistance of Rs. 144.58 lacs from the Bank of Rajasthan for the Construction of HIG Housing Scheme Ph VI, Swami viveka Nand Nagar, Kota**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा बैंक आफ राजस्थान से मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो पर राशि रूपये 144.58 लाख का ऋण लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पी.एंड एम. को अनुबन्ध पर उप आवासन आयुक्त पी.एंड एम. अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव **Loan assistance of Rs. 112.90 Lacs from the National Housing Bank for the Construction of 50 EWS & LIG Houses of RHB Colony Tonk.**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा नेशनल हाऊसिंग बैंक से मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो पर राशि रूपये 112.90 लाख का ऋण लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पी.एंड एम. को अनुबन्ध पर उप आवासन आयुक्त पी.एंड एम. अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव **<u>Loan assistance of Rs. 52.74 Lacs from the National Housing Bank for the construction of 8 MIG I, 10 MIG II and 5 HIG Houses at RHB Colony at Tonk</u>**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा नेशनल हाऊसिंग बैंक से मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तो पर राशि रूपये 52 . 74 लाख का ऋण लेने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पी.एंड एम. को अनुबन्ध पर उप आवासन आयुक्त पी.एंड एम. अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव **<u>Revision in the HUDCO's Financing Pattern for Housing /Urban infrastructure Projects w.e.f.24.4.2000</u>**

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

6 प्रस्ताव <u>चौपासनी रोड स्कीम में पारिजात योजना के मध्यम आय वर्ग ब 114 एवं उच्च आय वर्ग 58 आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुमोदनार्थ।</u>

निर्णय प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा उक्त योजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

27 प्रस्ताव <u>महावीर नगर योजना तृतीय कोटा में पारिजात स्कीम के तहत उच्च आय वर्ग के 88 मकानों के निर्माण हेतु रूपये 539.68 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु ।</u>

निर्णय प्रस्तावानुसार उक्त योजना हेतु मण्डल द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव — विश्व बैंक के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आर.सी.एच.सब प्रोजेक्टस जयपुर एवं टोंक तथा राज्य के तीस जिलों में स्वीकृति हेतु विचाराधीन मेजर प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार एवं राजस्थान आवासन मण्डल के मध्य निर्माण कार्य के अनुबन्ध की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

निर्णय — प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल इस कार्य में प्रोजेक्ट में प्राप्त अग्रिम राशि से ही कार्य सम्पादित करें व इसमें मण्डल की राशि न लगाना पडे।

प्रस्ताव — खुली बिक्री योजना के तहत अधिशेष/ धीमीगति से बिकने वाले आवासों के लिए जारी किये गये छूट संबंधी आदेश कमांक 383 दिनांक 1.5.2000 परिशिष्ट (अ) तथा कार्यालय आदेश कमांक 626 दिनांक 15.7.2000 की पुष्टि के संबंध में।

निर्णय — प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा ऐसी सामूहिक छूट योजनाओं पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया । बाद में बोर्ड बैठक में पुष्टि करा ली जाये।

प्रस्ताव — खुली बिकी योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में बहु मंजिले आवास एवं अजमेर नाका मदार योजना के आवासों की लागत 31.10.2000 तक स्थिर रखने बाबत।

निर्णय — भविष्य में उक्त प्रकार के प्रकरणों पर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर कियान्वयन प्रारम्भ कर दिया जावे तत्पश्चात मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदन करवा लिया जावे।

प्रस्ताव — मासिक किश्तों पर देय ब्याज में विशेष छूट योजना 2000

निर्णय — प्रस्तावानुसार मासिक किश्तों पर देय ब्याज में विशेष छूट योजना 2000 के अन्तर्गत प्रस्तावानुसार बढाई गई अंतिम तिथि 15.4.2000 की स्वीकृति प्रदान कीगई।

186.32	प्रस्ताव	आवासों/फलेटों को लागत स्थिर वाले प्रकरणों में पुनः लागत निर्धारण करते समय स्थिर अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में।
& O	निर्णय	अध्यक्ष महोदय को उक्त प्रकरणों में अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
186.33	प्रस्ताव	सीमा सुरक्षा बल के भू.पू.जवान एवं उनकी विधवाओं के लिये आवास आवंटन में आरक्षण के संबंध में।
EM	निर्णय	प्रस्तावानुसार सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व जवान एवं उनकी विधवाओं को भी निर्धारित 2 प्रतिशत कोटे में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षित कोटे की वर्तमान निर्धारित प्रतिशत 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत कोटा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
186.34	प्रस्ताव	संगीत किसलय संस्थान, जोधपुर को रियायती दर पर प्रेक्षागृह (सांस्कृतिक भवन) निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।
EM	निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय को नीतिगत निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।
186-35	प्रस्ताव	जगतपुरा जयपुर की वृहद आवासीय योजना।
CE/ A & CAO	निर्णय	प्रस्तावानुसार उक्त योजना का अनुमोदन किया गया तथा रूपरेखा एवं डिजाईन् आदि तैयार करने हेतु प्रसिद्व वास्तुविद् श्री यू.सी.जैन की सेवाये लेने हेतु उन्हें मानदेय कौसिल आफ आर्चिटेक्ट और इन्सिट्यूट ऑफ टाऊन प्लान इंडिया द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुरूप दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकता होने पर आर्चिटेक्ट की नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष महोदय अपने स्तर पर करें व बोर्ड से बाद में पुष्टि करा लेवे।
186.36	प्रस्ताव	राज्य सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर में विकास कार्य करने के विषय में ।

निर्णय — प्रकरण में विचार–विमर्श कर जोधपुर में निम्नलिखित विकास कार्य हेतु अनुमानित राशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई:–

क.स. कार्य का विवरण	अनुमानित राशि रूपये
1. बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम जोधपुर में बचे हुए निर्माण कार्य	118.80 लाख
2. बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में नये कार्य	152.00 लाख
3. मण्डोर उद्यान सौन्दर्यकरण का कार्य	70.00 लाख
4. उम्मेद उद्यान(पब्लिक पार्क) में मरम्मत व सौन्दर्यकरण का कार्य।	30.00 लाख

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर में विकास कार्य हेतु निर्देश प्रदान किये गये है जिस पर मण्डल द्वारा निम्नानुसार सहमति प्रदान की गई:–

क.स. कार्य का विवरण	अतिरिक्त स्वीकृत राशि रूपये
1. मंडोर उद्यान के रख–रखाव हेतु	30.00 लाख रू.
2. उम्मेद उद्यान के रख–रखाव हेतु	20.00 लाख रू.
3. पुराने स्टेडियम के रख–रखाव हेतु	10.00 लाख रू.

3. प्रस्ताव — जयपुर शहर के बापू बाजार, नेहरू बाजार व इन्दिरा बाजार के नवीनीकरण की वित्तीब एवं प्रशासनिक स्वीकृति बाबत ।

निर्णय — राज्य सरकार द्वारा आपरेशन पिंक में जयपुर शहर के बापू बाजार, नेहरू बाजार एवं इन्दिरा बाजार के नवीनीकरण का कार्य दिये गये आदेश अनुसार निम्न प्रकार से व्यय की गयी राशि की प्रस्तावानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन किया गया:–

कसं.	स्थान का नाम	निर्माण कार्य (रू.लाखों में)	विधुत कार्य (रू.लाखों में)	दूरसंचार कार्य (रू.लाखों में)	जलदाय कार्य (रू.लाखों में)
1.	बापू बाजार	38.60	15.00		
2.	नेहरू बाजार	35.40	12.00	सभी स्थानों के लिए	
3.	इन्दिरा बाजार	7.73	7.00	कुल खर्चा	
		81.73	34.00	9.13	20.30

कुल राशि 145.16 लाख रुपये

प्रस्ताव — राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में किए गये संशोधनो को आवासन मण्डल में लागू करने के संबंध में

निर्णय — प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

भाग तीन

वर्क्स कमेटी, पी.ए.सी. व प्रोजेक्ट कमेटी से संबंधित प्रकरण एवं प्रस्ताव।

9 प्रस्ताव — वर्क्स समिति में नियुक्त प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास संस्थान की सदस्यता समाप्त किये जाने बाबत।

निर्णय — प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव

दिनांक 10.12.99 से 14.6.200 तक आरोपित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठकों में पारित निर्णय मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

88 वीं प्रोजेक्ट कमेटी बैठक दिनांक 24.1.2000 का संक्षिप्त विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

राजस्थान आवासन मण्डल की कार्य समिति की बैठक दिनांक 29.3.2000 एवं दिनांक 14.6.2000 की बैठक में लिए गए निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बोर्ड के सदस्यों को सम्पत्ति आवंटन समिति, प्रोजेक्ट कमेटी एवं कार्य समिति की हुई बैठकों के बारे में अवगत करा दिया गया व लिये गये निर्णय अवलोकनार्थ बैठक में प्रस्तुत किये गये। तथा अनुमोदन किया गया ।

भाग चार

नीतिगत प्रस्ताव

प्रस्ताव

मण्डल का प्रगति प्रतिवेदन एवं भविष्य की योजनाओं के सन्दर्भ में नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा।

निर्णय

बोर्ड बैठक में रखे गये नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा हुयी तथा सदस्यों द्वारा इन नीतिगत प्रस्तावों पर अपनी सहमति देते हुये यह भी प्रस्तावित किया गया कि:—

1. मण्डल की 185 वीं बैठक में ग्रुप हाऊसिंग योजना को भी बढावा दिया जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 185 वीं बैठक में अप्रवासी भारतीयों के

लिये योजना बनाने का जो प्रस्ताव लिया गया था। उस संबंध में आगामी अन्तराष्ट्रीय राजस्थानी समारोह जो सितम्बर 2000 में जयपुर में आयोजित हो रहा है , उसके लिये तत्काल योजना तैयार कर योजना समारोह में प्रस्तुत की जावे। इसके लिये निजी क्षेत्र के भवन निर्माताओं (बिल्डर्स, डवलपर्स) आदि से भी, सहायता प्रोजेक्ट करने की दिशा में भी कदम उठाया जावे । इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर उच्च कोटी के बिल्डर्स, डवलपर्स से शीघ्र प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

2. माननीय आवासन मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, मानसरोवर योजना में , कपडा मंडी हेतु 200 दुकानों के आवंटन करने बाबत निर्णय की पुष्टि की तथा भविष्य में इस प्रकार के निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया ।

अनुपूरक प्रस्ताव

6.42 प्रस्ताव — कनिष्ठ चयन समिति द्वारा बिना टंकण परीक्षा के चयनित कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नोशनल आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में।

SECY SR PM

निर्णय — प्रस्तावानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कनिष्ठ सहायकों को तदर्थ रूप से कार्यरत अवधि का नोशनल वेतन स्थरीकरण का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद परिलाभ टंकण परीक्ष उत्तीर्ण करने की तिथि से 1 वर्ष बाद देय होगा।

13 प्रस्ताव राजस्थान आवासन मण्डल में निर्माण लागत में कास्ट ओवर रन पर ली जा रही ब्याज दरों में संशोधन बाबत।

&

0 निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

44 प्रस्ताव राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी पेंशन योजना के स्थान पर पुनः अशंदायी भविष्य निधि योजना प्रभावी करने के संबंध में।

&

0 निर्णय उक्त प्रकरण में मण्डल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तथा मण्डल ने प्रस्तावानुसार यह निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः राज्य सरकार को पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र लिया जावे तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही मण्डल में पेंशन योजना को लागू रखें, अन्यथा मण्डल सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना के सदस्य मानते हुये सेवा परिलाभ दे देवें तथा मण्डल के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर पेंशन योजना को समाप्त कर पुनः अशंदायी भविष्य निधि योजना प्रभावी कर दी जावे।

6.45 प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 100 नये थाना भवनों के निर्माण हेतु जारी स्वीकृति में से 16 पुलिस थाना भवनों के निर्माण बाबत।

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

कसं जिला	पुलिस थाने का नाम
1 भरतपुर	1 चिकसाना , 2 बैर, 3 हलेना, 4 गोपालगढ,5 जुरहेरा, 6 कामा
2. अलवर	7 शिवाजी मार्ग, 8 अरावली बिहार
3. बासंवाडा	9 अम्बापुरा 10 गरही
4. उदयपुर	11 कनोद, 12 फतेह नगर
5. झुन्झुनू	13 बिसाऊ

6. कोटा 14 महावीर नगर

7. बून्दी 15 गंडोली 16 केशवराय पाटन

.46	प्रस्ताव	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत ठेकेदारों के श्रमिकों पर भवन निर्माण अधिनियम लागू करने के संबंध में।
& AO	निर्णय	मण्डल को उक्त प्रस्ताव से अवगत कराया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में भविष्य निधि कार्यालय व भारत सरकार से वहाँ प्रचलित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेकर पुनः परीक्षण किया जावे।
6.47 A & AO	प्रस्ताव	विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान बनी सहमति के आधार पर प्रस्ताव ।
	निर्णय	प्रस्तावित बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया।
86.48	प्रस्ताव	विधि प्रकोष्ठ में जयपुर विकास प्राधिकरण के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाये प्रदान किये जाने बाबत।
A & AO	निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं विधुत मण्डल में प्रचलित वेतनमानों एवं आवासन मण्डल की अन्य सर्विसेज जिन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण के समान वेतनमान दिया जा रहा है, का तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।
86.49 CE	प्रस्ताव	कोटा में मण्डल एवं नगर विकास न्यास के बीच कुछ विकास कार्यो की कियान्विति एवं समनवित विकास हेतु भूमि के लेन देन संबंधित प्रस्ताव की

स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक सहमति देते हुये यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा के साथ प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेवे।

0 प्रस्ताव मण्डल द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सडक के किनारे भूतल एवं रियायती दर पर आवास आवंटन बाबत

निर्णय प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विकलांगों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भवन निर्माण किया जावेगा।

1 प्रस्ताव स्ट्रीप आफ लैण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में।

निर्णय प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में यदि 100 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक, भू–पट्टी आवास के साथ सलंग्न है तो, ऐसी भूमि वर्तमान आवासीय दर पर, सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णय से आवंटित की जा सकेगी तथा यह निर्णय वाणिज्यिक भूखण्डों पर प्रभावी नहीं होगा।

52 प्रस्ताव निजी सचिव की वेतन श्रृंखला में संशोधन के संबंध में।

निर्णय

प्रस्ताानुसार अनुमोदन किया गया।

53 प्रस्ताव प्रिंसीपल प्राइवेट सैक्रेटरी का पद सृजन करने के संबंध में।

निर्णय उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर अध्यक्ष महोदय द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रिन्सीपल प्राइवेट सैकेटरी का एक पद वेतन श्रृंखला 11300 – 16200 में सृजित करने व उक्त पद पर श्री सारंगधरन को दी गई तदर्थ पदोन्नति की पुष्टि की गई तथा उक्त पद हेतु राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम

1976 में प्रावधान जोडने हेतु जे.डी.ए. व रिको के आधार योग्यता निर्धारित कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जावे।

.54 प्रस्ता। हैल्पर के पूर्व में (183वीं बैठक के निर्माण बिन्दु संख्या 183.13 के अन्तर्गत) समाप्त किये गये हैल्पर के पदों का पुनः नये सिरे से सृजन किये जाने बाबत।

CY

र निर्णय प्रस्तावानुसार 13 हैल्परों के पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य सरकार द्वारा आवास विकास संस्थान के सरप्लस हुये कर्मचारियों के समायोजन बावत भेजे गये आदेशों को अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात कियान्वित किया जावेगा तथा पदों की स्वीकृति आगामी बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु रखी जावेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

)6.55 प्रस्ताव सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर के पुनर्वास एवं शोध केन्द्र विभाग (आर.आर.सी)में पोलियों केकटिव सर्जरी के लिए आपरेशन थेटर भवन निर्माण हेतु।

E/

A & निर्णय निदेशक, पुनर्वास एवं शोध केन्द्र (आर.आर.सी.), सवाई मानसिंह अस्पताल,जयपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार–विमर्श कर पोलियों केकटिव–सर्जरी के लिये आपरेशन थेटर भवन निर्माण हेतु रूपये 4,80,000/ की स्वीकृति प्रदान की गयी।

AO

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल की 187वीं बैठक दिनांक 25/01/2001 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	:	अध्यक्ष
श्री दामोदर शर्मा, आवासन आयुक्त	:	सदस्य
श्री ए.के.गुप्ता, मुख्य नगर नियोजक	:	सदस्य
श्री एस.के.गौतम, सचिव	:	सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री जी.आर.पहिलाजानी, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको,जयपुर

श्री वी.एन. मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता,रा.आ. मंडल

श्री सीताराम शर्मा, वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी,रा.आ.मंडल

मण्डल की 186 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।

मण्डल की 186 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गयी ।

मण्डल की 186 वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति प्रतिवेदन।

मण्डल के 186 वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति का अवलोकन किया गया। बिन्दु संख्या 186.34 के सन्दर्भ में कियान्विति मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। बिन्दु संख्या 186.44 के सन्दर्भ में निर्णय

लिया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के सन्दर्भ में पुनः भविष्य निधि विभाग को पत्र लिखकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पत्र भेजा जावे। तत्पश्चात प्रकरण पुनः मण्डल की आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जावे। निर्देशित किया कि 186.48 पर लिये गये निर्णय अनुसार तुलनात्मक विवरण आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किये जावे।

187.3 **मण्डल का संशोधित बजट वर्ष 2000–2001 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2001–2002**

F.A.& C.A.O. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्तीय सलाहकार द्वारा मण्डल का वर्ष 2000–2001 का संशोधित बजट एवम् वर्ष 2001–2002 का बजट अनुमान माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त संशोधित अनुमान वर्ष 2000–2001 में विज्ञापन व प्रचार मद हेतु किये गये प्रावधान में रूपये 20.00 लाख की बढ़ोतरी का निर्णय लेते हुए उक्त बजट अनुमानों को अनुमोदित किया गया।

प्रतिनियुक्ति के पाँच सर्वेयर (अमीन) पदों के सृजन के संबंध में।

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवश्यकता के अनुसार सर्वेयर प्रतिनियुक्ति पर लिये जावें।

मानसरोवर योजना में किसी एक पार्क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी "मास्टर आदित्येन्द्र" पार्क किये जाने बाबत।

राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे।

आवास विकास संस्थान के अधिशेष कनिष्ठ सहायकों को राज्य सरकार की अभिशंषा पर नियुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप 26 पदों के सृजन किये जाने बाबत।

प्रस्तावानुसार कनिष्ठ सहायकों के 26 पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में किये जाने के फलस्वरूप तथा इन पदों को

भूतलक्षी प्रभाव से भरने के कारण विशिष्ट भर्ती के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित आरक्षण एवं पदोन्नति के नियम लागू नहीं होगें। इस शर्त के साथ 26 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>आवास विकास संस्थान के अधिशेष हैल्परों को राज्य सरकार की अभिशंषा पर नियुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप 29 पदों के सृजन किये जाने बाबत।</u>

प्रस्तावानुसार हैल्परों के 29 पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में किये जाने के फलस्वरूप तथा इन पदों को भूतलक्षी प्रभाव से भरने के कारण विशिष्ट भर्ती के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित आरक्षण एवं पदोन्नति के नियम लागू नहीं होगें। अतः उक्त 29 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>श्री अरविन्द माथुर, परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) को अध्ययन हेतु विशेष अवकाश दिनांक 1.5.2000 से 15.6.2000 तक स्वीकृत करने के संबंध में।</u>

राज्य सरकार के आदेश पर प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में।</u>

AO दिनांक 31/3/2001 तक भूमि की दर स्थिर रखने की स्वीकृति दी गयी।

<u>105वीं बोर्ड मीटिंग में सैनिकों के हितों में लिये गये निर्णय जो कि बोर्ड बैठक 134 में निरस्त कर दिये गये थे, उन्हें पुनः लागू करने बाबत।</u>

उक्त प्रकरण में पूर्व में मण्डल की 105 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 105.8 में लिये गये निर्णयों को पुनः लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>Agenda item for perusal of Board regarding early repayments made to various financial institutions Amounting to Rs. 38.67 Crores to during the current financial year 2000-2001.</u>

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

187.12 **Competition for Architectural Designs of Different type of house used in housing schemes of Rajasthan Housing Board.**

S.T.P. प्रस्ताव पर आगामी प्रोजेक्ट कमेटी में विस्तृत परीक्षण कर निर्णय लिया जावे।

187.13 "प्रान्तीय वैष्णव ब्राहमण समाज, राजस्थान" को सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु आवंटित भूमि की दर कम किये जाने बाबत।

C.E.M. प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी निर्णय करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक प्रस्ताव

187.14 श्री प्रतापसिंह को सांगानेर में आवंटित आवास संख्या 113/111 के स्थान पर मालवीय नगर में 6/395 प्लीन्थ लेबल तक उनके द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार बनाकर आवंटन करने बाबत।

C.E.M. श्री प्रतापसिंह को सांगानेर में आवंटित आवास संख्या 113/111 के स्थान पर मालवीय नगर में 6/395 प्लीन्थ लेबल का मकान मण्डल के नक़्शे के अनुसार मण्डल नियमों के अन्तर्गत आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

187.15 **Agenda item for revision in Income cellings for various income groups by the Board.**

C.E.M. प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।

187.16 मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट प्रा० लि० एवं आवासन मण्डल के मध्य दिनांक 8/1/2001 को किये गये अनुबन्ध का अनुमोदन बाबत।

E. प्रस्ताव का मुख्य अभियन्ता, वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी तथा निदेशक विधि द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। अतः प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने बैठक में जानकारी दी कि भूमि एवं सम्पत्ति के कई मामलें वर्षो से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। इन

प्रकरणों में संबंधित पक्षकार या राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जिस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व पुनः उच्च न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करने के कारण लंबित रहते है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों पर न्यायालय से बाहर जाकर समझौता करना हित में रहता है। इस पर मुख्य नगर नियोजक ने भी बताया कि न्यायालय से बाहर जाकर समझौते प्रायः न्यायिक प्रकिया को सुलझाने में ठीक रहते है व विलम्ब नहीं होता है।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव

166

:: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

राजस्थान आवासन मण्डल की 188वीं बैठक दिनांक 18.8.2001 को प्रातः 11.00 बजे मण्डल मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक मे उपस्थिति निम्नानुसार रही :--

1.	श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	:	अध्यक्ष
2.	श्री बी.एल.आर्य, आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	:	सदस्य
3.	श्री खेमराज, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	:	सदस्य
4.	श्री ए.के.गुप्ता, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	:	सदस्य
5.	श्री बी.डी.गुप्ता, उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार। (शासन सचिव, न.वि.वि., राजस्थान सरकार के राजकीय दौरे पर जोधपुर प्रवास के कारण, उनके द्वारा श्री बी.डी.गुप्ता, उप शासन सचिव, को अधिकृत किया गया।)		
6.	श्री रविन्द्र सिंह	:	सदस्य
7.	श्री जवाहर सुराणा	:	सदस्य
8.	श्री अशोक अग्रवाल	:	सदस्य
9.	श्री जगदीश राजावत	:	सदस्य
10.	श्री हंसराज मीणा	:	सदस्य
11.	श्री भूधरमल वर्मा	:	सदस्य
12.	श्री एस.के.गौतम, उप सचिव, राज.आवा.मण्डल,	:	मण्डल-सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल।
2. श्री सीताराम शर्मा, वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।
3. श्रीमती सुबोध लक्ष्मण, निदेशक विधि, राज. आवा. मण्डल।
4. श्री एस.एम.माथुर, अति.मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राज.आवा.मण्डल।
5. श्री एम.एल.दुबे, अति.मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राज.आवा.मण्डल।

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नवागन्तुक गैर सरकारी माननीय बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुए उनके सदस्य नियुक्त होने पर स्वयं एवं मण्डल की ओर से बधाई दी, साथ ही उन्होंने मण्डल की गतिविधियों, विकास कार्यो एवं गत ढाई वर्षो में मण्डल द्वारा अर्जित उपलब्धियों आदि से माननीय सदस्यों को संक्षिप्त में अवगत कराया। तत्पश्चात् सभी सदस्यों एवं उपस्थित अधिकारियों ने आपस में परिचय दिया। माननीय नवनियुक्त सदस्यों द्वारा मण्डल के नियम, उपनियम, बजट की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया। इस संबंध में मण्डल सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को समस्त वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् मण्डल सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष

..2/

महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की। बैठक में लिये गये निर्णय बिन्दुवार निम्नानुसार हैं-

188·1 मण्डल की 187वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

मण्डल की 187वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि पर चर्चा के दौरान उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा बजट के संबंध में मण्डल से मांगी गई सूचनाएँ यथा-20 लाख रूपये विज्ञापन के मद में की बढ़ोतरी का औचित्य बताते हुए सूचना राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हुई हैं, उक्त सूचनाएं अविलम्ब भिजवायी जाये। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवम् अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचनाएँ शीघ्र भिजवाने का आश्वासन दिया गया।

एवं गुलेआ/ अभि इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर नियोजक ने स्पष्ट किया कि पूर्व बैठक संख्या 187 में न्यायालय से बाहर जाकर समझौते की जो बात कही थी, वह केवल भूमि अवाप्ति के संबंध में ही थी, अतः उसे इसी अनुरूप पढ़ा जाये।

बिन्दु संख्या-187·14 में श्री प्रताप सिंह को आवंटित मकान की पत्रावली राज्य सरकार द्वारा मांगी गई है, श्री बी·डी·गुप्ता ने बताया कि वह पत्रावली अविलम्ब भिजवाई जाये।

बिन्दु संख्या-188·16 के बारे में श्री बी·डी·गुप्ता ने बताया कि बोर्ड के द्वारा मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत सूचना भिजवाई जाये और अब तक उन्हें कितने-कितने भुगतान हो चुके हैं तथा क्या-क्या भुगतान किया गया है, इसकी सूचना अविलम्ब राज्य सरकार को भिजवाई जाये।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधनों/सुझावों के साथ उक्त संदर्भित बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

188·2 दिनांक-25·1·2001 को आयोजित मण्डल की 187वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्विती प्रतिवेदन।

मण्डल की 187वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विती प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके बिन्दु संख्या-187·6 एवं 7 के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि पूर्व आवास विकास संस्थान से मण्डल में आए कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाये क्योंकि आवासन मण्डल को इन कर्मचारियों का हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा ही किया गया था।

188·3 संभागीय प्रशासनिक समिति द्वारा वर्ष 1987-88 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में बिन्दु सं· 9 पर आक्षेपित बिन्दु "आवासीय अभियंताओं को पारितोषिक स्वरूप रूपये 16,000/- का अनियमित भुगतान के निस्तारण के संबंध में।

वर्ष 1987-88 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में आक्षेपित बिन्दु की अनुपालना में, अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में वर्ष 1986 में खण्ड-प्रथम, जोधपुर, खण्ड-द्वितीय, जोधपुर,

--3/

(signature)

खण्ड-बीकानेर एवं खण्ड-उदयपुर को पुरस्कार स्वरूप दिये गये 16,000/- रूपये की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत यह विचार-बिन्दु प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया ताकि किसी प्रकार का ऑडिट आक्षेप न बने।

188·4 राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी सेवा विनियम, 1970 में संशोधन करने बाबत।

प्रस्तावानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संबंध में मण्डल के सेवा विनियम, 1970 में मण्डल की 163वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या-163.8 द्वारा किए गए संशोधनों में पुनः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक-एफ-13(53)कार्मिक/एसीआर/90 दिनांक-21·4·2000 के अनुरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु न्यूनतम सेवावधि 15 वर्ष किए जाने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव गहन विचार-विमर्श के पश्चात् अनुमोदित किया गया। उक्त प्रस्ताव जो विचार बिन्दु संख्या-188·4 (पृष्ठ-15) पर है, में (उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के अवगत कराये अनुसार) के 34-ए में अंकित अंतिम पंक्ति में "244 (2)" के स्थान पर "53 (1)" संशोधन किया जाये ताकि किसी प्रकार का संशय न रहे।

188·5 अभिलेखों/दस्तावेजों का अधिकृत प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने बाबत।

(अभिलेख)

राजस्थान सरकार द्वारा पारित विधेयक बाबत-"सूचना के अधिकार" के तहत राजस्थान आवासन मण्डल के अभिलेख/दस्तावेजों की छाया प्रतियां आवेदकों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया-

1· छाया प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित सामान्य दर 3/- रूपये प्रति पृष्ठ एवं अत्यावश्यक प्रतियों हेतु 5/- रूपये प्रति पृष्ठ रखी जाये।

2· छाया प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु साधारण समयावधि अधिकतम 7 दिवस (छुट्टियों आदि को सम्मिलित करते हुए) एवं अत्यावश्यक प्रतियों हेतु 24 घंटे रखी जाये।

3· उक्त संशोधनों को सम्मिलित करते हुए एक परिपत्र अविलम्ब जारी किया जाये।

4· उक्त समस्त सूचनाएं अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करवाई जाये।

5· प्रस्तावानुसार प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय स्तर पर एवं मुख्यालय के अतिरिक्त कार्यालयों में व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी सौंपी जाये, नोडल ऑफीसर नियुक्त किये जावें। साथ ही उक्त संशोधनों को नियमों में अध्याय-8 नया जोड़ने के बिंदु को अनुमोदित किया गया।

188·6 मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले बड़े वाणिज्यिक भूखण्डों का निस्तारण छत के अधिकार सहित किये जाने के संबंध में।

(है.अ.)

उपरोक्त प्रस्ताव निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया-

1· नीलामी हेतु आरक्षित दर जो लीज के निर्धारण हेतु मान्य होती है, उपरोक्त

--4/

समस्त प्रकार के वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु आरक्षित दर का चार गुणा रखे जाने का निर्णय लिया गया।।

2· नीलामी के समय मण्डल की समस्त शर्तों जैसे-बेसमेन्ट के निर्माण, मंजिलों की संख्या, छत के अधिकार आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो।

188·7 <u>पंजीकरण निरस्त होने के पश्चात् आवेदकों की जमा पंजीकरण राशि में से की जाने वाली कटौती के संबंध में।</u>

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पंजीकरण राशि बढ़ाने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है, अतः प्रस्तावानुसार कटौती की राशि बढ़ाये जाने पर सभी सदस्यों द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को स्थगित रखा जाने का निर्णय लिया गया।

188·8 <u>Revision in the HUDCO'S Financial Pattern for Housing /Urban Infrastructure Projects with effect from 13.12.2000.</u>

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही माननीय सदस्यों द्वारा नए पंजीकरण हेतु स्थानों (विशेषकर धौलपुर, अन्ता आदि के क्षेत्र) का सर्वे कराये जाने का सुझाव दिया गया। इस हेतु आवासन आयुक्त महोदय द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम तय किये जाने हेतु मुख्य अभियंता को निर्देश दिये गये।

188·9 <u>Authorising Chairman, RHB to approve raising of loans and issuing Administrative & Financial (A&F) sanction for various schemes.</u>

यथा प्रस्तावित अनुमोदित। इस संबंध में चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल की शक्ति से अधिक के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जायें।

188·10 <u>मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1999-2000 हेतु बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।</u>

श्री बी·डी·गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की स्टेट इवेल्युएशन कमेटी ने राजस्थान आवासन मण्डल में रिपोर्ट भेजी हुई है, उस पर बोर्ड की ओर से कार्यवाही की जाकर राज्य सरकार को अवगत करायें। इसके साथ ही प्रस्तावानुसार, मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1999-2000 हेतु 20 प्रतिशत की दर से किये गये बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान के आदेशों की पुष्टि की गई।

188·11 <u>श्रीमती पुष्पा पिल्लई, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।</u>

प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि मण्डल नियमानुसार

--5/

श्रीमती पिल्लई को शैक्षणिक योग्यता में छूट दिया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में प्रस्ताव में उल्लेखित विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर श्रीमती पिल्लई को तीन वर्ष में हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एक मौका और दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार-बिन्दु

188•12• मण्डल की मानसरोवर योजना के मध्यम मार्ग का पुनर्नामकरण करने बाबत।

चर्चा के दौरान नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया किन्तु यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि पूर्व में इस मार्ग का नाम संभवतः गांधी मार्ग रखा हुआ है एवं पुनः नामकरण से कठिनाइयां पैदा होगी। यद्यपि पूर्व नामकरण की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः यह निर्णय लिया गया कि तथ्यों की जांच करली जावे। तब तक निर्णय स्थगित रखा गया।

188•13 राजस्थान आवासन मण्डल में गठित विभिन्न समितियों के पुनर्गठन के संबंध में।

राजस्थान आवासन मण्डल में गठित विभिन्न समितियों के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

188•14 विभिन्न आयवर्गों के लिए आय-सीमा, पंजीकरण व पूर्वग्रहण राशि, कब्जे से पूर्व लिये जाने वाली आंशिक राशि, ब्याज दरों व किश्तों में ली जाने वाली राशि पर ब्याज दर व पुनर्भुगतान अवधि, वर्तमान एवं अब प्रस्तावित मौलिक लागत सीमा, निर्माण अवधि, आवंटियों की जमा पंजीकरण व सीड राशि पर देय ब्याज दर, सी•ई•आर• अग्नि दुर्घटना बीमा राशि व प्लिंथ लेवल तक निर्मित किये जाने वाले आवासों की भूमि व विकास दर में संशोधन के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्न निर्णय लिये गये-

1• चूंकि ढांचे के मकानों में आवंटियों के द्वारा समय पर निर्माण नहीं कराया जाता है, इससे योजना के विकास में बाधा आती है, अतः यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में ढांचे के मकान मण्डल द्वारा निर्माण नहीं किये जायें।

2• केवल प्लिंथ स्तर पर एवं पूर्ण निर्मित मकानों का ही निर्माण मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्लिंथ स्तर के मकानों हेतु अलग से क्षेत्र निर्धारित (Set apart) कर दिया जाये ताकि शेष योजना पर उनके निर्माण नहीं होने तक विपरीत प्रभाव न पड़े।

3• प्लिंथ स्तर पर आवंटित मकानों के लिये आवंटियों को कब्जा लेने की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि में निर्माण कराने हेतु बाध्यकारी शर्त जोड़ी जाये।

4• उपरोक्तानुसार प्लिंथ स्तर के मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित अवधि दो वर्ष के पश्चात् और एक वर्ष तक छूट, पंजीकरण राशि की दस प्रतिशत शास्ति सहित दी जा सकेगी।

5• प्लिंथ स्तर पर आवंटित मकानों को मण्डल द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार ही बनाने हेतु पाबंद किया जाये, अन्यथा मकान का निरस्तीकरण कर, पुनः मण्डल को

(5)

अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

6. विशिष्ट परिस्थितियों में इससे अधिक समय की छूट के प्रकरण केवल मानवीय दृष्टि से मण्डल की बैठक में निर्णीत कराये जायेंगे।

शेष प्रस्ताव, यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

188.15 वर्तमान में लागु राजस्थान-आवासन-बोर्ड कर्मचारी पेंशन विनियम, 1992 को यथावत चालू रखने के सम्बन्ध में।

मण्डल में लागू पेंशन योजना को यथावत चालू रखे जाने के लिए पूर्व में मण्डल स्तर पर निर्णय लेने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने हेतु लिखे जाने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव, यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

188.16 राजस्थान आवासन मण्डल नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के नियमित वर्कचार्ज-कर्मचारियों-के-अनुरूप देय पेंशन-योजना-के-संबंध में।

राजस्थान आवासन मण्डल नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों के अनुरूप देय पेंशन परिलाभ प्रस्तावानुसार दिनांक 1.10.1996 से ही प्रभावी माने जावेंगे तथा इससे पूर्व के निष्पादित प्रकरणों को पुनः नहीं खोले जाने का प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया।

188.17 Loan assistance of Rs. 881.07 Lakhs from the National Housing Bank, New Delhi for Eight schemes of Housing Board at various places of Rajasthan.

प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

188.18 मण्डल द्वारा अप्रवासी भारतीयों/अप्रवासी राजस्थानियों हेतु प्रस्तावित "राज-आँगन योजना" के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान लगभग सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावानुसार मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को विभिन्न मदों में दिये जाने वाले कमीशन चार्जेज विवरण चाहते हुए कहा कि मण्डल में इतने अभियन्ताओं के होते हुए किसी निजी फर्म को मण्डल की ओर से किसी भी प्रकार की राशि दिया जाना युक्तियुक्त नहीं है, इससे मण्डल के अभियन्ताओं की काबलियत पर प्रश्नचिन्ह लगता है, जिससे मण्डल की छवि धूमिल होगी। चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि सांगानेर में मण्डल द्वारा प्रस्तावित उक्त योजना की संभावित लागत 83 करोड़ रुपये है व पिछली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 187.16 पर अनुमोदित की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा कराए गए आई.आर.सी. सम्मेलन के दौरान योजना में प्रस्तावित आवासों एवं उनकी लागत के आधार पर अनुमानित की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव की भाषा में कमी बताते हुए पुनः स्पष्ट किया कि मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. एवं मण्डल के मध्य दिनांक 8.1.2001 को पूर्व में

ही मण्डल के निर्णयानुसार अनुबन्ध हो चुका है। अनुबंधानुसार कुल प्रोजेक्ट लागत का 10•775 प्रतिशत कन्सलटेंसी चार्जेज के 894•33 लाख रुपये दिये जाने संबंधी मण्डल की पूर्व बैठक संख्या-187•16 पर अनुमोदित प्रस्ताव की जारी की गई, किन्तु यह राशि बोर्ड की सीमा से अधिक होने के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि हेतु यह प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु, रखा जाना था, जो कि गलती से पुनः विचारार्थ मण्डल के समक्ष रख दिया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत इस विचार बिन्दु पर काफी चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा अन्त में अध्यक्ष महोदय की उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी के मद्देनजर सहमति दी कि चूंकि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, तथा यह मण्डल की पूर्व बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है, अतः इसे राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

188•19 <u>मण्डल की भूमि एवं विकास दर की वैधता अवधि समय-समय पर स्थिर करने के आदेशों के अनुमोदन के क्रम में।</u>

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की भूमि एवं विकास दर की वैधता अवधि मण्डल द्वारा पूर्व में समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है, इसी क्रम में अन्तिम बार बढ़ाई गई समयावधि दिनांक 30•6•2002 हेतु जारी आदेशों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया गया।188•20

188•20 <u>सम्पत्ति निस्तारण विनियम के अन्तर्गत मकान प्राप्त करने की पात्रता के निर्धारण बाबत।</u>

वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल के डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन के तहत मण्डल से मकान लेने हेतु कोई भी व्यक्ति केवल एक शहर में एक ही मकान हेतु पात्र होता है। राजस्थान आवासन मण्डल एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मण्डल के डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन में एक व्यक्ति राजस्थान के किन्हीं दो शहरों में मकान लेने हेतु पात्र होगा। इस आशय के संशोधन डिस्पोजल एक्ट में किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव, यथाप्रस्तावित अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

188•21 <u>राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न शहरों में निर्माण एवं सौंदर्यकरण, विकास कार्यों के लिये निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने के संबंध में।</u>

प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श के दौरान आवासन आयुक्त महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जाहिर की एवं इसे व्यवहारिक रूप से मण्डल के लिए अहितकारी बताते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि सरकार द्वारा मण्डल को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा निःशुल्क भूमि नहीं दी जाती है एवं मण्डल स्वयं बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर कार्य करता है, अतः मण्डल द्वारा इस प्रकार के व्ययों से मण्डल के मकानों की लागत प्रभावित होगी व इसका सीधा आवंटी पर पड़ता है अतः जब तक राज्य सरकार इस हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती तब तक मण्डल द्वारा इस क्षेत्र में व्यय किया जाना उचित नहीं होगा। मण्डल के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी इस प्रस्ताव को अव्यवहारिक बताया गया। उन्होंने भी सैद्धान्तिक रूप से यह माना कि सौंदर्यीकरण का कार्य मण्डल का नहीं है, अतः इस हेतु मण्डल पर दबाव डालना

--8/

अप्रासंगिक है। इस प्रस्ताव पर विशिष्ट शासन सचिव, वित्त एवं उप शासन सचिव, नगरीय विकास, एवं आवासन विभाग एवं मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार द्वारा भी इस आधार पर आपत्ति प्रकट की गई कि जो कार्य अधिनियम की परीसीमा में नहीं है उसे नहीं किया जावे।

अन्त में विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सौंदर्यीकरण के संबंध में चूंकि मण्डल के नियमों में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं होने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, अतः इस संदर्भ में अधिनियम में उचित संशोधन कराया जावे। इस हेतु अधिनियम एवं मण्डल के नियमों में इस हेतु संशोधन किए जाने बाबत इस प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों ने सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में यह लोकहित में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। वित्तीय विभाग के विशिष्ट शासन सचिव व आवासन आयुक्त ने इस आशय का एक्ट में प्रावधान करने पर जोर दिया। साथ ही सभी गैर सरकारी सदस्यों ने इस प्रकार के कार्य सरकार की इच्छा के अनुसार करने पर सहमति व्यक्ति की। अतः अन्त में प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर सहमति व्यक्त की गई तथा अध्यक्ष द्वारा कार्य जो हाथ में लिये गये हैं उन्हें पूर्ण करने का निर्णय लिया। भविष्य में इस सम्बन्ध में जो भी आदेश प्राप्त होंगे वह पहले मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखे जायेंगे।

1. भविष्य में मण्डल की बैठकों से संबंधित एजेण्डा कम से कम 7 दिवस पूर्व भिजवाये जायें।
2. मण्डल के कार्यों एवं लागत की प्रक्रिया में और सुधारात्मक कदम उठाने, मण्डल द्वारा आवंटियों से वसूल की जाने वाली व्याज दर में कमी करने आदि से संबंधित प्रस्ताव मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जायें।
3. माननीय बोर्ड सदस्यों द्वारा मण्डल के पार्क, रास्ता आदि के नामकरण के सम्बन्ध में विद्यमान प्रक्रिया एवं तत्संबंधी नियमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव 11/9/2001

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

[illegible] आवासन मण्डल की 189वीं बैठक दिनांक 29.1.2002 को प्रातः 11.00 बजे मण्डल [illegible] पर सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही——

श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
श्री एम.के.खन्ना, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
श्री [illegible], विशिष्ट शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री आनन्द [illegible], मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री [illegible] वर्मा	सदस्य
श्री [illegible] मीणा	सदस्य
श्री रवीन्द्र सिंह	सदस्य
श्री जवाहर सुराणा	सदस्य
श्री जगदीश [illegible]	सदस्य
श्री अशोक अग्रवाल	सदस्य
श्री जी.पी.शुक्ला	मण्डल सचिव

आमंत्रित

श्री के.एन.[illegible], मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल।
श्री सीताराम शर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।
श्री एस.एन.माथुर, अति.मुख्य अभियन्ता, अति.मुख्य अभियन्ता द्वितीय, रा.आ.म.
श्री संत कुमार, निदेशक विधि (चार्ज), राज.आवा.मण्डल।
श्री आर.पी.शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) एवं
श्री एस.के.गौतम, उप सचिव।

कार्यवाही विवरण

[illegible] अध्यक्ष महोदय ने मण्डल के आवासन आयुक्त श्री [illegible] [illegible] सदस्यों का स्वागत [illegible] से करवाया। तत्पश्चात् आवासन आयुक्त ने [illegible] सदस्यों का [illegible] [illegible] करवाया। तत्पश्चात् मानीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गई।

बैठक में लिए गए निर्णय बिन्दुवार निम्नानुसार हैं

[illegible] की 188वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।

दिनांक 18.8.2001 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 188वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि [illegible] सर्वप्रथम श्री जवाहर सुराणा जी ने अपने द्वारा दिये गये पूर्व पत्रानुसार जो [illegible] उठाये गये थे उन पर चर्चा का आग्रह किया, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें पिछली बैठक की क्रियान्विति पर चर्चा के दौरान उठाने का सुझाव दिया। 188वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

[illegible] की 188वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति।

.2 बोर्ड की 188वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति पर चर्चा के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया।

188.2 पर चर्चा के दौरान विशिष्ट शासन सचिव वित्त द्वारा जानकारी चाही गई कि मण्डल द्वारा पूर्व आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों के पदों के सृजन संबंध में राज्य सरकार को लिखे गये पत्र का कोई जवाब आया या नहीं? सचिव महोदय ने स्पष्ट

इस संबंध में राज्य सरकार
किया गया कि अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में राज्य सरकार को लगातार पत्र लिखकर शीघ्र सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

188.5 अभिलेखों/दस्तावेजों की अधिकृत प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने संबंधी बिन्दु की क्रियान्विति स्वरूप आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान श्री जवाहर सुराणा जी द्वारा मण्डल के नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में जानकारी चाही। आवासन आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि मण्डल द्वारा जारी किया जाने वाला नागरिक अधिकार पत्र पूर्ण रूप से तैयार है, जिसमें कुछ अन्य विभागों यथा–खाद्य विभाग आदि द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्रों में से कुछ और जनोपयोगी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर, आवश्यक संशोधनों के साथ 30 दिवस में स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवा दिया जायेगा। इस पर यह सुझाव दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

188.6 मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भूखण्डों के निस्तारण के समय समस्त शर्तों आदि को विज्ञापन के समय उल्लेख किये जाने संबंधी बिन्दु पर चर्चा के दौरान सचिव ने बताया कि तत्संबंधी आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। बैठक के दौरान जन सम्पर्क अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे मण्डल की ओर से छपने वाले विज्ञापनों में सभी आवश्यक शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित करें। सभी माननीय सदस्यों ने आग्रह किया कि उन्हें मण्डल द्वारा की जाने वाली नीलामी की यथा समय सूचना दी जानी चाहिए।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान श्री सुराणा जी ने सुझाव दिया कि मण्डल की विकसित योजनाओं एवं अविकसित योजनाओं हेतु मण्डल द्वारा की जाने वाली सम्पत्ति की नीलामी की आरक्षित दरों में अन्तर रखा जाये। माननीय सदस्यों द्वारा यह महसूस किया गया कि चूँकि यह एक ऐसा बिन्दु है, जिस पर विस्तृत विचार–विमर्श की आवश्यकता है, अतः श्री रवीन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिया कि इस पर निर्णय से पूर्व पूर्ण विचार–विमर्श एवं विश्लेषण हेतु एक माह बाद बैठक बुला ली जाये तथा बाद में इस पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय ले लिया जाये। इस संबंध में वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी ने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया कि वे गत 6 माह की पूर्ण सूचना आगामी एक माह में उपलब्ध करा देंगे।

188.9 आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु लिये जाने वाले ऋणों एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने संबंधी इस बिन्दु पर श्री जवाहर सुराणा जी द्वारा सुझाव दिया गया कि मण्डल की 'नॉन–स्कीम एरिया' के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आवश्यक अनुमोदन करा लिया जावे।

188.12 श्री रवीन्द्र सिंह जी से निरन्तर बिन्दुओं पर शीर्षक 'अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार–बिन्दु' के स्थान पर 'माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत' किये जाने का सुझाव दिया।

इसी बिन्दु पर आगामी चर्चा के दौरान मण्डल की मानसरोवर योजना के विद्यमान "मध्यम मार्ग" का नाम व्यवहारिक दृष्टिकोण से यही रखा जाना उचित समझते हुए इस पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(8)

188.13 प्रस्ताव की क्रियान्विति के फलस्वरूप गठित समितियों के संबंध में श्री जवाहर
सुराणा जी द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी
सुझाव दिया कि सभी समितियों के द्वारा ली जाने वाली बैठकों के निर्णयों की
सूचना सदस्यों को समयानुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए। आवासन आयुक्त
एवं सचिव महोदय द्वारा उन्हें भविष्य में उपरोक्तानुसार सूचना दिये जाने हेतु
आश्वस्त किया।

श्री भूपरमल वर्मा जी ने इसी संबंध में चर्चा के दौरान यह सुझाव रखा कि बजट
प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आने से पूर्व मण्डल द्वारा गठित समितियों के माध्यम से उस
पर चर्चा करके बोर्ड बैठक में रखा जाना चाहिए। इस पर विशिष्ट शासन सचिव
वित्त, आवासन आयुक्त एवं वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बताया गया कि
तकनीकी कारणों एवं प्रचलित प्रक्रियानुसार बजट सीधे ही बोर्ड बैठक में प्रस्तुत
किया जाता रहा है। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

188.14 प्लिंथ स्तर पर आवंटित मकानों को मण्डल द्वारा निर्धारित नक्शे के अनुसार नहीं
बनाने पर मकान के निरस्तीकरण संबंधी उपबिन्दु संख्या 5 पर चर्चा करते हुए श्री
जवाहर सुराणा जी एवं श्री भूपरमल वर्मा जी द्वारा यह आपत्ति की गई कि उक्त
निर्णय गत बैठक में नहीं लिया गया था, अतः इसे कार्यवाही विवरण से हटा दिया
जाये। इस पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् व्यावहारिक दृष्टिकोण से सभी माननीय
सदस्यों ने भी इसे हटाये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

188.18 मण्डल द्वारा अप्रवासी भारतीयों/अप्रवासी राजस्थानियों हेतु प्रस्तावित "राज ऑगन
योजना" से संबंधित इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
से हुए अनुबंध की प्रति श्री जवाहर सुराणा जी द्वारा चाही गई। इस पर माननीय
अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि वे सभी सदस्यों को चाहे
अनुसार सूचना एवं प्रति उपलब्ध करा दें। उक्त प्रस्ताव को राज्य सरकार को
भिजवाये जाने की जानकारी श्री सुराणा जी द्वारा चाही गई, जिस पर मुख्य
अभियन्ता ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र भिजवा दिया गया है परन्तु अभी
तक वहाँ से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। श्री सुराणा जी ने आगे यह भी
जानकारी चाही कि यदि राज्य सरकार इस अनुबन्ध को स्वीकृत नहीं करती है तो
इसके भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। मुख्य अभियन्ता ने बताया कि चूँकि
यह राज्य सरकार द्वारा ही मण्डल को सौंपी गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे
माननीय मुख्य मंत्री एवं आवासन मंत्री, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं मुख्य
नगर नियोजक, आवासन आयुक्त आदि की समिति द्वारा पूर्ण विचार-विमर्श कर
निर्णयोपरान्त मण्डल को सौंपा गया है, अतः राज्य सरकार द्वारा इस पर असहमति
का प्रश्न ही नहीं उठता। भुगतान के संबंध में माननीय सदस्यों को वित्तीय
सलाहकार ने स्पष्ट किया कि मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को बैठक की
तिथि तक लगभग 58.00 लाख रुपयों का भुगतान किया गया है। यह भुगतान
अनुबन्ध के अनुरूप एवं संबंधित आवासीय अभियन्ता एवं उप आवासन आयुक्त की
मांग के आधार पर किया है तथा यह भुगतान उनके द्वारा मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स
प्रा.लि. को व्यय की गई राशि के पुनर्भरण के रूप में किया गया है। मै. सिद्धा
प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अग्रिम भुगतान देने के लिए
बैंक गारंटी का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है तथा इस परियोजना के लिए बोर्ड को

56.00 लाख रूपये अनिवासी भारतीयों/राजस्थानियों से प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने
पुनः स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की स्वीकृति की अपेक्षा में ही समस्त विकास
कार्य किये जाते हैं। अन्त में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया
गया कि इसकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त की जावे। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने
इस हेतु व्यक्तिगत रूप से प्रयास किये जाने का आश्वासन दिया।

श्री सुराणा जी ने यह भी आग्रह किया कि मण्डल की 5.00 करोड़ रूपये से ज्यादा
की योजनाओं का अनुमोदन राज्य सरकार से कराया जाना चाहिए। इस पर मुख्य
अभियन्ता एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा तकनीकी नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया
गया कि मण्डल के द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों संबंधी आदेश
प्रसारित किए हुए हैं, एवं नियमानुसार ही स्वीकृतियां जारी की जाती हैं, अतः इन्हें
राज्य सरकार को भिजवाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है।

188.21 राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न शहरों में निर्माण एवं
सौंदर्यीकरण, विकास कार्यों के लिए निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये
जाने संबंधी इस बिन्दु पर श्री जवाहर सुराणा जी ने बताया कि राज्य सरकार की
मंशा के अनुरूप हाई मास्ट लाईटें एवं विकास कार्यों की अनुमति बोर्ड द्वारा ली
जानी चाहिए। उन्होंने इस बिन्दु पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए यह भी
आग्रह किया कि आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाकर पहले स्वीकृति ली जानी
चाहिए। इस पर पुनः विस्तृत चर्चा के उपरान्त श्री सुराणा जी के अतिरिक्त सभी
सदस्यों ने कहा कि चूंकि कार्य हो चुका है, अतः पूर्व के कार्यों पर स्वीकृति मानी
जाये एवं भविष्य में ऐसे प्रकरण यथा संभव कम से कम समय में बोर्ड से
अनुमोदित करा लिए जाए।

इसी बिन्दु पर आगे चर्चा के दौरान विशिष्ट शासन सचिव, श्री गुरदयाल वर्मा जी
एवं श्री जवाहर सुराणा जी ने मण्डल द्वारा अपने मकानों की लागत कम करने के
संबंध में मण्डल द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में जानकारी चाही। इस पर वित्तीय
सलाहकार द्वारा बताया गया कि मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं हेतु लिये गये ऋण
से 2 प्रतिशत अधिक रखते हुए ही मण्डल अपने आवंटियों से लागत में ब्याज दर
वसूल कर रहा है। इस पर विशिष्ट शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में
सभी संस्थानों द्वारा ब्याज दर में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक की कमी की गई है,
अतः तदनुरूप ही मण्डल में भी ब्याज दर और कम किए जाने संबंधी प्रस्ताव
मण्डल में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस पर वित्तीय
सलाहकार द्वारा बताया गया कि मण्डल द्वारा मकानों की दर कम करने के कई
प्रयास किए गए हैं, यथा—मकान की लागत में 10 से 20 प्रतिशत छूट सीधे
आवंटियों को दी गई है, हाल ही में पुनः 5 से 10 प्रतिशत की छूट के आदेश
माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रसारित किए गए हैं। आवंटियों से वसूल
की जा रही ब्याज दरों में 1 प्रतिशत की कमी 1 जनवरी, 2002 से की जा रही है।

श्री राजावत जी ने भी इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किये कि आज के
प्रतिस्पर्धात्मक युग में मण्डल का अस्तित्व बनाये रखने हेतु मण्डल में भी कम
ब्याज दर पर ऋण लेकर आवंटियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
इस पर वित्तीय सलाहकार ने बताया कि माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप
ही मण्डल द्वारा हाल ही में अधिक ब्याज दर पर लिये गये हुडको के ऋण के 50
लगभग करोड़ रूपये का समय पूर्व पुनर्भुगतान किया जा चुका है।

मण्डल के वित्तीय भार को कम करने के सुझावों में विशिष्ट शासन सचिव वित्त द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को मण्डल द्वारा दिये जाने विज्ञापनों की राशि में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे प्रायोगिक रूपये अन्य विभागों में ऐसी छूट स्वयं दिलवा चुके हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, आवासन मण्डल ने जन सम्पर्क अधिकारी को निर्देश दिये कि वे तुरन्त विशिष्ट शासन सचिव वित्त से सम्पर्क स्थापित कर इस संबंध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें तथा भविष्य में सभी विज्ञापन एजेन्सियों से 10 प्रतिशत की छूट पर ही उन्हें कार्य दिया जावे।

इसी बिन्दु के उपबिन्दु संख्या–3 के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि मण्डल की योजनाओं में पार्क, रास्ते आदि के नामकरण के नियम आदि बनाये जायें। तथा उसी अनुरूप भविष्य में भी महापुरूषों आदि के नामों पर इनका नामकरण किया जाये।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।

3 वर्ष 2002–03 का बजट अनुमान एवं वर्ष 2001–02 का संशोधित बजट।

i) श्री जवाहर सुराणा जी ने यह पूछा कि बजट में माह अक्टूबर, 2001 तक का ही विवरण क्यों दिया गया है जबकि अब दिसम्बर माह भी समाप्त हो चुका है। इस पर वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रक्रियानुसार अक्टुबर माह तक के ही व्यय के आधार पर बजट हर वर्ष बनता है, वही बनाया गया है। विस्तृत चर्चा उपरान्त आवासन आयुक्त महोदय एवं विशिष्ट शासन सचिव ने निर्देश दिये कि यदि भविष्य में बैठक दिसम्बर माह के बाद हो तो बजट अनुमानों के साथ पृथक से माह दिसम्बर तक का खण्डवार व्यय भी संचालक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

ii) बजट पर चर्चा आरम्भ होने पर माननीय सदस्य श्री भूधरमल वर्मा जी ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की 1995 से वरीयता निर्धारित करते हुए बैकलॉग को पूरा करने के फलस्वरूप मण्डल पर पड़ने वाले वित्तीय भार का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए। इस पर वित्तीय सलाहकार ने बताया कि यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो कि स्वतः ही पदोन्नति आदि के साथ–साथ पूर्ण होती रहती है, इस हेतु बजट में पहले से ही लगभग 10 प्रतिशत का मार्जिन रख लिया जाता है। अतः इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाना वांछनीय नहीं है।

iii) श्री जवाहर सुराणा जी ने कहा कि बजट की प्रतियों में सभी पृष्ठों पर सभी कॉलम की संख्या के स्थान पर पूर्ण शीर्षक लिखा जाना चाहिए।

iv) श्री जवाहर सुराणा जी ने मण्डल के बढते प्रशासनिक व्यय के संबंध में कह कि इसे कम किया जाये। इसी पर श्री राजावत द्वारा भी अलवर वृत्त में स्टॉफ की तुलना में कार्य कम होने का जिक्र किया। इस पर मुख्य अभियन्ता ने स्पष्ट किया कि चूंकि सरकार द्वारा आवास विकास संस्थान का अवसायन कर लिया गया है

— 175 —

एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व आवास विकास संस्थान के कार्मिकों को
मण्डल में नियुक्ति दी गई है, जिसके फलस्वरूप मण्डल पर कार्मिकों का भार बढ़
गया है जिसके कारण प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी हुई है।

v) श्री सुराणा जी द्वारा वर्क्स कमेटी की बैठक बुलाकर स्कीमवाईज ऑफ वर्क्स के
प्रकरण कमेटी में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। इस पर श्री जगदीश राजावत जी
ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर बाद में अलग से चर्चा कर ली जायेगी।

vi) श्री सुराणा जी एवं श्री रवीन्द्र सिंह जी ने बताया कि स्टॉफ एवं व्यय की तुलना में
निर्माण कार्य कम करना बजट में दर्शाया गया है। इस पर अति.मुख्य अभियन्ता ने
बताया कि डिपोजिट कार्य भी बजट का ही अंग है, तब श्री राजावत जी ने कहा
कि स्कीम एरिया में होने वाले डिपोजिट कार्य की सूचना भी वर्क्स कमेटी में रखी
जानी चाहिए।

vii) श्री सुराणा जी ने बताया कि मण्डल के वर्ष 2001-02 के निर्माण कार्यों पर व्यय
अनुमान की तुलना में 63 करोड़ रूपये कम किये जाने का लक्ष्य है। इस संबंध में
वित्तीय सलाहकार ने स्पष्ट किया कि यह अन्तर मुआवजा भूमि के भुगतान में कमी
के कारण आया है।

viii) श्री रवीन्द्र सिंह जी ने कहा कि मकानों के विक्रय में असंतुलन की स्थिति को
रोका जाकर स्थानीय एजेन्सियों के माध्यम से मकानों के विक्रय को बढ़ाने के
प्रयास किये जाने चाहिए। इस पर वित्तीय सलाहकार ने बताया कि मण्डल द्वारा
हाल ही में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के मकानों पर 10 प्रतिशत
एवं मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के मकानों पर 5 प्रतिशत की छूट के आदेश मुख्य
सम्पदा प्रबन्धक द्वारा जारी किए गए है। इसी संबंध में अध्यक्ष महोदय ने भी स्पष्ट
किया कि मण्डल द्वारा सीधे अपने ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु 20 प्रतिशत तक
की छूट भी दी गई थी। इस प्रकार मण्डल द्वारा अपने मकानों को बेचने के प्रयासों
में गति लाई गई है। इसी क्रम में मण्डल द्वारा खुली बिक्री योजना द्वारा आवंटित
किए जाने वाले आवासों की पंजीकरण राशि राशि कम करके छोटे मकानों हेतु
5000 रूपये एवं बड़े मकानों हेतु 10000 रूपये कर दी गई है। इसका भी
सकारात्मक प्रभाव मण्डल के मकानों के विक्रय पर पड़ेगा। मण्डल द्वारा हाल ही में
आवंटियों से वसूली की प्रक्रिया को गति देते हुए बकाया की दण्डीय ब्याज में
40 एवं 60 प्रतिशत की आकर्षक छूट पूरे की मांग के लिए जाने के आदेश किये
गये हैं। विचार विमर्श पश्चात् इस छूट योजना को फरवरी 28 फरवरी तक एवं
तत्पश्चात् 31 मार्च तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु आवश्यक
आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

श्री जवाहर सुराणा जी ने बजट अनुमान में विकास कार्यों हेतु लिए गये प्रावधान
के विस्तृत विवरण दिये जाने की मॉंग की। तथा मण्डल की योजनाओं में सड़कों
के रख-रखाव हेतु राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मॉंग की जिस पर
वित्तीय सलाहकार ने बताया कि मण्डल की योजनाओं में विकास कार्यों व
रख-रखाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रावधान किये गये हैं जो कि बजट पुस्तिका में
खण्डवार दर्शाये गये हैं तथा रूपये 5.00 लाख का प्रावधान भी पुरानी
कॉलोनियों के रख-रखाव हेतु अलग से लिया गया है। परन्तु श्री सुराणा जी ने

इसे कम मानते हुए 20.00 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव रखा। वित्तीय सलाहकार ने बताया कि इसके लिए उचित होगा कि रख–रखाव उन्हीं योजनाओं में किया जावे जो स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं की गई हो तथा जिसका वित्तीय प्रबन्धन मकानों की लागत में लिया गया हो परन्तु सदस्यों के जोर दिये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में रखे गये 5.00 करोड़ रूपये के प्रावधान को बढ़ाकर कुल 15.00 करोड़ रूपये करने की अनुमति दी। इस तरह इस मद में वर्ष 2002–03 में रूपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान विशेषकर सडकों की मरम्मत हेतु किया गया है।

x) श्री जवाहर सुराणा जी ने मण्डल की सभी योजनाओं के अवशिष्ट मकानों की सूची एवं कितनी वर्गमीटर भूमि अवशिष्ट है, इसकी सूचना चाही गई एवं विज्ञापन मद में रखे गये 3 करोड़ रूपये के प्रावधान में कमी किये जाने का सुझाव दिया गया। मकान सस्ते व अच्छी गुणवत्ता के दिये जाने का भी सुझाव माननीय सदस्य द्वारा दिया गया। अवशिष्ट भूमि की सूचना हेतु सचिव, विज्ञापन मद में खर्चे में कमी हेतु जन सम्पर्क अधिकारी तथा अवशिष्ट मकानों की सूची एवं गुणवत्ता सुधारने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

xi) श्री हंसराज मीणा जी द्वारा बजट प्रावधानों पर चर्चा के दौरान बजट पृष्ठ संख्या–143 पर जवाहर नगर, बारां योजना हेतु किए गए 1.50 लाख के प्रावधान को 10.00 तक बढ़ाने तथा एम.एन. एक्सटेंशन में किए गए 4.00 लाख के प्रावधान को कम से कम 20.00 लाख करने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकृत किया गया जो कि संबंधित खण्ड द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध रख–रखाव के बजट में से आवंटित किया जायेगा।

xii) इटावा में समाज कल्याण विभाग के डिपोजिट कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, जिन्हें जल्दी कराया जाये। इस पर अति.मुख्य अभियन्ता द्वितीय ने बताया कि हाल ही में संबंधित उप आवासन आयुक्तों को डिपोजिट कार्य की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकार दे दिये गये हैं, अतः अब कार्य तेजी से पूर्ण होंगे।

xiii) कोटा शहर में सौन्दर्यीकरण हेतु किए गए 3.20 लाख के प्रावधानों को कम बताते हुए इन्हें 50.00 लाख तक बढ़ाने की मॉग की। आवश्यकता के अनुरूप सौन्दर्यीकरण मद में उपलब्ध 5.00 करोड़ के प्रावधान से ही इसकी पूर्ति की जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त संशोधनों के साथ बजट एवं संशोधित अनुमान-प्रस्तावानुसार पारित किए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार बिन्दु

इंदिरा गांधी नगर योजना फेज–प्रथम में 2922 आवासों के निर्माण संबंधी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति।

प्रस्तावानुसार, इंदिरा गांधी नगर योजना फेज–प्रथम में 2922 मकानों के निर्माण हेतु होने वाले कुल 82.36 करोड़ रूपये के लिए जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि की गई।

श्री सुगणा जी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को भेजे गए मामले जल्द [illegible] Persuasion
रणों की स्वीकृति के लिए शीघ्र पूर्ण प्रयास किये जायें। //

य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न तहसील मुख्यालय के कस्बों व पंचायत समिति मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों में "अपना घर योजना" के क्रियान्वयन हेतु आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से निर्माण कार्य करवाने के प्रस्ताव।

स्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब तबके के नागरिकों व रोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वाले नागरिकों के पलायन को रोकने के लिए चलायी जा रही "अपना घर योजना" के तहत मण्डल द्वारा तहसील मुख्यालय के कस्बों व पंचायत समिति मुख्यालय पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। इस योजना की जानकारी देने हेतु पधारे श्री सोनी, अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय शाखा विभाग द्वारा योजना की पूर्ण एवं वृहद जानकारी माननीय सदस्यों के समक्ष रखी गई। उनके द्वारा यह आग्रह किया गया कि माननीय मुख्य मंत्री, आवासन मंत्री एवं राज्य के अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रतिपादित यह राजस्थान की ऐसी योजना है जिस पर भारत सरकार द्वारा भी पूरे देश में अपनाने पर विचार किया गया है। उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श किया गया एवं अनुमोदित किया गया। केवल यही संशोधन किया गया कि जिन कस्बों में भारत सरकार द्वारा 20,000/- रुपये का अनुदान नहीं मिलता है तो आवास विकास लिमिटेड द्वारा 40,000/- रुपये का ऋण लेने की योजना बनाई जायेगी।

निरस्त पंजीकरण एवं नीलामी द्वारा आवंटित निरस्त प्रकरणों के पुनर्जीवन (रेस्टोरेशन) बाबत।

वर्तमान में लागू प्रक्रिया को ही व्यावहारिक बताते हुए प्रस्ताव स्थगित रखा गया।

के.एन.गर्ल्स कॉलेज जोधपुर कैम्पस में विज्ञान संकाय हेतु-प्रथम चरण में कक्षा तथा लेबोरेटरी भवन के निर्माण हेतु 66.16 लाख रुपये के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्तावानुसार 66.16 लाख रुपये के कार्य की लागत तथा 15 से 20 वर्ष तक की अवधि में पुनर्भुगतान की शर्त पर के.एन.गर्ल्स कॉलेज जोधपुर में विज्ञान संकाय हेतु प्रयोगशाला भवन बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभिन्न शहरों में सौन्दर्यीकरण, निर्माण एवं विकास कार्य किये जाने बाबत।

राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों को यथासम्भव कम से कम समय में बोर्ड बैठक में रखा जाकर अनुमोदन कराया जाये।

माननीय सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव भी दिये गये

जगदीश राजावत जी ने कोटा की तलवंडी योजना की काफी समय से लंबित दुकानों जानकारी चाही गई एवं समयावधि निकल जाने के कारण किये गये निरस्तीकरण को स्वीकृत कर आवंटित किये जाने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस

प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए दुकानें आवंटन करने की अनुमति दी। मुख्य अभियन्ता
निर्णय की की।

जिस प्रकार अन्य मण्डल कर्मचारी, पत्रकार, सांसद एवं विधायकों हेतु प्रावधान है, उसी
प्रकार सभी माननीय सदस्यों द्वारा मण्डल के मकान लेने हेतु प्रावधान करने की मांग की
गई। इस पर मुख्य अभियन्ता से जानकारी चाही गई, उन्होंने बताया कि पूर्व में एक बार
मण्डल सदस्यों को मकान देने हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना प्रारंभ की गई थी, जिसकी
स्वीकृति भी राज्य सरकार से प्राप्त हो गई थी। किन्तु उस पर पूर्व में अमल नहीं किया जा
सका था। इस पर माननीय सदस्यों ने पुरजोर मांग अध्यक्ष महोदय से की कि उक्त
योजना पुनः चालू की जावे। अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों हेतु विशिष्ट पंजीकरण
योजना खोलने के निर्देश दिये। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि पूर्व में इस प्रकार की
स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है तो पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।
और यदि नहीं ली गई है तो पुनः राज्य सरकार को इस हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

श्री रवीन्द्र सिंह जी ने जानकारी चाही कि पूर्व बैठक में मकानात हेतु जो लिये जाने के
लिये गये निर्णय के संबंध में क्या कार्यवाही की गई। इस पर मुख्य अभियन्ता ने उनके
द्वारा सर्वे कराये जाकर विवरण पत्र माननीय सदस्यों को प्रस्तुत किया। श्री रवीन्द्र सिंह जी
ने श्री एस.एल.मित्तल, उप आवासन आयुक्त, पी. एण्ड एम. को इस चाही, जनमपुरा क्षेत्र
हेतु लगाये जाने का आग्रह किया जिसे मुख्य अभियन्ता ने स्वीकार किया।

माननीय बोर्ड सदस्यों द्वारा सर्किट हाउस एवं दिल्ली में बाणगंगापुरी विश्राम गृह में मण्डल
के सदस्यों को भी ठहरने संबंधी सुविधा दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से शीघ्र
अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए आवासन आयुक्त महोदय को निवेदन किया गया कि वे
व्यक्तिशः इस ओर ध्यान देंगे।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त
की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

...जस्थान आवासन मण्डल की 190वीं विशेष बैठक दिनांक 11.4.02 को अपरान्ह पश्चात 3.00 ...मे मण्डल मुख्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :--

श्री मानसिंह देवडा, अध्यक्ष, राजसस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
श्री भूधरमल वर्मा	सदस्य
श्री हंसराज मीणा	सदस्य
श्री रवीन्द्र सिंह	सदस्य
श्री जवाहर सुराणा	सदस्य
श्री जगदीश राजावत	सदस्य
श्री अशोक अग्रवाल	सदस्य
श्री एम.के. खन्ना, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
श्री खेमराज, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री हेमन्द मुरडिया, मुख्य नगर नियोजक, राजसस्थान सरकार	सदस्य
श्री जी. पी. शुक्ला	मण्डल-सचिव

...ष आमंत्रित :

श्री बी. एन. मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज0 आवासन मण्डल।
श्री सीताराम शर्मा, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0 आ0 मण्डल।
श्री पी. एस. राठौड, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल।
श्री एस. एम. माथुर, अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0 जयपुर।
श्री एम. एल. दूबे, अति. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
श्री संत कुमार, निदेशक विधि (चार्ज), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

...नीय अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज की ...ा बैठक बुलाने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल हेतु बनाये ...राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (डिस्पोजल ऑफ बिजनैस) रेग्यूलेशन-2002 के प्रारुप पर चर्चा ...ना है।

...दिनांक 29.1.2002 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 189वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :-

189वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गई :-

(i) श्री जवाहर सुराणा ने एतराज किया कि 188वीं बैठक के निर्णयों में किये गये संशोधनों को दर्ज क्यों नही किया गया। सचिव ने बताया कि भूलवश रह गये हैं, सभी संशोधनों को कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज कर लिया जावेगा। सचिव महोदय ने बताया कि 189 एवं 188वीं बैठक की कार्यवाही में जो भी संशोधन हैं,

-2-

सदस्य महोदय भेज दें, उन्हें कार्यवाही पुस्तिका मे सम्मिलित कर संशोधित कर दिया जायेगा। 190वीं बैठक अचानक होने के कारण 189वीं बैठक की क्रियान्विती आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

श्री जवाहर सुराणा ने पिछली बैठक के दौरान किये गये संशोधनों को कार्यवाही विवरण में समावेश कने के सम्बन्ध में जानकारी चाही एव सभी बोर्ड बैठको के निर्णय एक पंजिका में संशोधनों सहित 7 दिवस के अन्दर–अन्दर करते हुए दर्ज किए जावें।

(ii) बैठक संख्या 188.5 के बिन्दु की क्रियान्विती रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा जी ने मण्डल द्वारा बनाये जा रहे नागरिक अधिकार पत्र जारी करने की देरी के लिये एतराज किया। आयुक्त महोदय ने बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकार पत्रों का अवलोकन कर अतिशीघ्र आवासन मण्डल का नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जायेगा। श्री सुराणा ने मांग की कि पहले सभी सदस्यों को एक–एक प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाये एवं सदस्यों के सुझाव अधिकार पत्र में सम्मिलित कर जारी किया जावे। इस हेतु एक माह का समय दिया गया।

(iii) बिन्दु संख्या–188.6 के सम्बन्ध में क्रियान्विती बाबत मण्डल द्वारा दिये जा रहे भूखण्ड/आवासीय नीलामी के विज्ञापनों के सम्बन्ध में श्री जवाहर सुराणा ने कहा कि लीज राशि के बारे में एवं सभी शर्ते व छत के अधिकार आदि के बारे मे पूर्ण जानकारी प्रकाशित करवाई जावे।

(iv) बिन्दु संख्या–188.21 के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को दिये जाने वाले विज्ञापनों में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के प्रकरण पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही तथा श्री जवाहर सुराणा ने जन सम्पर्क अधिकारी से पूछा कि गत बैठक के निर्णयानुसार आपने विशिष्ट शासन सचिव, वित्त से सम्पर्क क्यों नही किया। जन सम्पर्क अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा आवासन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी को पत्र जारी कर ऐसी छूट के विष्य मे जानकारी चाही गई थी तथा उन्होने ऐसी किसी छूट दिये जाने से इन्कार किया। इस पर पुन: विस्तृत चर्चा के दौरान आवासन आयुक्त महोदय ने सुझाव दिये कि यदि विज्ञापन एजेंसियों को बुलाकर अनौपचारिक रूप से 10 प्रतिशत छूट की बात की जाए। चूंकि कई विज्ञापन एजेन्सी कार्यरत हैं, अत: आपसे स्पर्द्धा के कारण छूट आसानी से प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त आवासन आयुक्त महोदय, श्री बृधरमल वर्मा जी एव श्री हंसराज मीणा जी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक एजेंसी बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से ही विज्ञापन दिये जायें। इस पर आगे चर्चा मे श्री हंसराज मीणा जी ने विज्ञापन सम्बन्धी नियमों एव प्रणाली की जानकारी चाही। इस पर जन सम्पर्क अधिकारी ने अवगत कराया कि मण्डल द्वारा माह जून, 2002 तक एजेंसियों से टेण्डर के आधार पर अनुबन्ध किया हुआ है, अत:

...3.

इसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। इस पर माननीय सदस्यों ने भविष्य में टेण्डर किये जाकर ही विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन सम्बन्धी कार्य दिये जाने के निर्देश दिये।

(v) श्री हंसराज जी मीणा ने गत बैठक में उनके द्वारा कोटा की दुकानों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दु का प्रस्ताव उनकी ओर से उठाये जाने का अंकन नहीं किया गया। इस पर सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो माननीय सदस्य लिखित में दे सकते हैं ताकि उसे आगामी बैठक से पूर्व सुधार किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध में दुकानों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी देत हुए श्री एम.एल. दूबे, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जानकारी दी कि 2–3 दुकानों के प्रकरण उनके द्वारा निस्तारित किये जा चुके हैं और आगे भी प्राप्त होने पर निस्तारित कर दिये जायेंगे।

(vi) श्री रवीन्द्र सिंह जी ने अपनी ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किये कि विभिन्न संस्थाओं यथा–कृषि उपज मण्डी, रीको, आर.एफ.सी. आदि के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भूमि आप्त की हुई है एवं जो उनके लिये अनुपयोगी है और जिसे मण्डल को हस्तान्तरित करने की स्थिति में उनकी भूमि के निस्तारण के साथ–साथ मण्डल को उक्त भूमि की रजिस्ट्री करानी होती है, जिससे मण्डल को आर्थिक हानि होती है। अतः राज्य सरकार से छूट प्राप्त की जावे क्योंकि यह हस्तान्तरण एक राजकीय विभाग से दूसरे राजकीय विभाग/उपकम को किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवासन आयुक्त, वित्त विभाग को प्रस्ताव भजेंगे।

(vii) श्री रवीन्द्र सिंह जी ने मण्डल की सम्पूर्ण गतिविधियों यथा–पंजीकरण, अनिस्तारित आवास, मकान की लागत, खुली बिकी योजना पर उपलब्ध आवास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं में अ–आवंटित आवासों आदि के सम्बन्ध में ताजा एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रति माह समस्त बोर्ड मेम्बर्स को उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

(viii) श्री हंसराज मीणा जी ने अवगत कराया कि मण्डल द्वारा कोटा में कुन्हाडी योजना में अभी भीं बिना स्वीकृत योजनाओं के बावजूद स्व–वित्त पोषित योजना के नाम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट कमेटी में पूर्व स्वीकृति लेकर ही कार्य कराया जाना चाहिये। इस पर अध्यक्ष महोदय एवं अन्य अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट कमेटी में केवल नक्शों का ही अनुमोदन कराया जाता है और सभी योजनाऐं इस प्रकार अनुमोदित होकर ही चालू की जाती हैं। श्री एम.एल. दूबे ने कुन्हाडी की सदर्भित योजना के सम्बन्ध में बताया कि इसकी स्वीकृति तो दो वर्ष पूर्व ही ली जा चुकी थी। इस पर माननीय सदस्य श्री मीणा एवं श्री जगदीश राजावत जी ने पुनः स्पष्ट किया कि वहां जब पूर्व में भी मकान अनिस्तारित पडे हुए है तो स्व–वित्त पोषित योजना का वहां कोई औचित्य नहीं है। इस पर श्री हंसराज जी ने विचार व्यक्त किया कि स्व वित्ति पोषित योजना पूर्ण विकसित स्थानों पर ही उच्च वर्ग के व्यक्तियों

....4

(5))

को ही लाभान्वित करती है, जबकि यदि इसी योजना मे साधारण श्रेणी के व्यक्तियों के लिये भी मकान बना दिये जायें तो मण्डल के उददेश्यों की पूर्ति के साथ-साथ गरीब व्यक्तियों को भी उसका लाभ मिल सकेगा। श्री एस.एम. माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने इस बिन्दु को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल पॉकेट स्कीम्स ही डिमाण्ड एवं आवश्यक्ता के आधार पर प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप आरम्भ की जाती है। इस पर श्री राजावत जी एवं श्री मीणा जी ने जानकारी चाही कि क्या कुनहाडी योजना स्वीकृत है? श्री दूबे ने बताया कि योजना माननीय अध्यक्ष महोदय से स्वीकृत है। महावीर नगर कोटा में 88 उच्च आय वर्ग के मकानों हेतु 2 वर्ष पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्या निवारण शिविर के दौरान स्वीकृति दी थी जिसके आवेदन अब आमंत्रित किये जा रहे हैं। श्री मीणा ने बताया कि चूंकि ऐसी योजनाऐं वाणिज्यिक स्तर की भूमि पर बनाई जाती हैं, अतः परन्तु साधारण व्यक्तियों को भी अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। उन्होंने यह भी बताया कि रंगबाडी योजना में एक स्थान पर पार्क की जमीन पर भी ऐसी योजना बनाई गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य अभियन्ता श्री बी.एन. मूलचन्दानी एवं श्री एम.एल. दूबे, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। सचिव ने इस बिन्दु पर अपना सुझाव दिया कि किसी भी योजना के आरम्भ किये जाने से पूर्व सभी बोर्ड सदस्यों को इकी पूर्व सूचना दे दी जाये। माननीय सदस्यों ने इस हेतु मुख्य अभियन्ता महोदय को निर्देश प्रदान किये।

(ix) श्री रवीन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिए कि एस.एफ.एस. के मकानों हेतु बैंक गारन्टी लिये जाने का प्रावधान किये जाने एवं निश्चित समयावधि एवं कीमत में मण्डल द्वारा मकान आवंटियों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्रोजेक्ट कमेटी में विचार-विमर्श करना चाहिये।

12 <u>राजस्थान आवासन बोर्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगूलेशन 1970 के स्थान पर राजस्थान आवासन बोर्ड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस रेगूलेशन 2002 लागू किये जाने बाबत।</u>

राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ8.(1)यूडीएच/3/2000 दिनांक 5.4.2002 द्वारा मण्डल को प्रेषित राजस्थान आवासन बोर्ड (डिस्पोजल ऑफ बिजनेस) रेगूलेशन-2002 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा के दौरान श्री जवाहर सुराणा जी ने उक्त प्रारूप हिन्दी में भिजवाये जाने बाबत राज्य सरकार को निवेदन किये जाने का सुझाव दिया। श्री रवीन्द्र सिंह जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गये (डिस्पोजल ऑफ बिजनेस) रेगूलेशन-2002 के प्रारूप को सरसरी नजर से देखने पर प्रतीत होता है कि सरकार ने आवासन मण्डल के अध्यक्ष एवं आवासन मण्डल से सारे अधिकार छीन कर आवासन आयुक्त को देने का प्रयास किया है जोकि कतई उचित नहीं है। अध्यक्ष किसी भी संस्था का संवैधानिक प्रमुख होता है। आवासन मण्डल मे भी अध्यक्ष प्रमुख है। अतः बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रारूप में उचित संशोधन कर राज्य सरकार की मंजूरी हेतु भेजा जावे जिसमें न केवल अध्यक्ष पद की गरिमा वरन् बोर्ड की गरिमा एवं

...5.

81

आवासन आयुक्त के पद की गरिमा भी बनी रहे। बोर्ड के सभी सदस्यों ने एकमत से श्री रवीन्द्र सिंह के कथन का समर्थन कर अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदों के अनुसार गरिमा बनाये रखने का निर्णय करते हुए निम्न संशोधनों के साथ नया प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया --

Part-I ; Allocation and Disposal of Business :

3 आवासन आयुक्त को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाये जाने के बिन्दु पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कि यथा स्थिति बनाई रखी जाये अर्थात् वर्तमान में अध्यक्ष महोदय को प्राप्त सारी शक्तियां जारी रहे।

Part-II ; Procedure of the Board :

7 **Meetings :**

निम्न बिन्दु जोडे जाने का निर्णय लिया गया --

(3) 1/3 बोर्ड सदस्यों के लिखित आग्रह पर विधिवत आवासन मण्डल द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई जावे।

8 **Notice of Meetings etc. :**

(i) " 7 दिवस के स्थान पर 10 दिवस किया जावे"

(ii) " 4 दिवस के स्थान पर 7 दिवस किया जावे"

15 **Disposal of cases by Housing Commissioner :**

पंक्ति संख्या-2 में आवासन आयुक्त से पहले अध्यक्ष किया जाये।

इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि यदि अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की किसी बिन्दु पर राय में भिन्नता हो तो उसे बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा जावे।

18 इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के दौरान श्री रवीन्द्र सिंह जी ने बताया कि जब राज्य सरकार अखबारों में छपने पर या किसी की शिकायत पर कोई भी कार्य को रोक सकती है एवं पूर्व में कई बार कार्य रोके गये हैं। बोर्ड का कोई भी सदस्य या अधिकारी नियमों के विपरीत कार्य को राज्य सरकार से रूकवा सकता है तो इस अधिकार को आवासन आयुक्त को देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे सम्पूर्ण बोर्ड का औचित्य ही खतरे में पड जाता है। समय-समय पर पूर्व में कई वर्षो से आवासन आयुक्त राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां भेजते रहे हैं और राज्य सरकार उस पर कार्यवाही करती है एवं आवासन आयुक्त को राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, जिसका मण्डल अनुमोदन कर उनकी नियुक्ति को मंजूरी देता है। इन सभी परिस्थितियों को मद्येनजर रखते हुए उक्त बिन्दु को हटाने का निर्णय लिया गया।

...6.

Part-IV ; Delegation of Financial Powers :

1. State Government — Above Rs. 50.00 Crores
2. Board — Upto Rs. 50.00 Crores
3. Chairman — Upto Rs. 10.00 Crores
4. Housing Commissioner — Upto Rs. 5.00 Crores with consent of Chairman

Part-VI

30.* Observance of Regulations :

पंक्ति संख्या–4 में " notice of the Chairman through the Housing Commissioner and necessary action taken by competent uathority as per rules." जोड़ा जावे।

SECOND SCHEDULE :

4. इस बिन्दु में यह जोड़ा जाये – राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण अध्यक्ष द्वारा एवं अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकार आवासन आयुक्त के रहेंगे।

5. तृतीय शिड्यूल के बिन्दु संख्या–5 द्वितीय शिड्यूल मे जोड़े जाने का निर्णय लिया गया।

6. तृतीय शिड्यूल के बिन्दु संख्या–10 द्वितीय शिड्यूल मे जोड़े जाने का निर्णय लिया गया।

THIRD SCHEDULE :

3. Posting and transfer of non-gazetted officers/officials.
5. यह बिन्दु द्वितीय शिड्यूल के बिन्दु संख्या–5 पर अंकित किया जाये।
10. यह बिन्दु द्वितीय शिड्यूल के बिन्दु संख्या–6 पर अंकित किया जाये।
11. इस बिन्दु पर माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बजट से बाहर किसी भी प्रकार के व्यय हेतु बोर्ड की विशेष बैठक बुलाकर उसमें रखा जाये। परन्तु प्राकृतिक आपदाओं मे अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त निर्णय ले सकते हैं।

....7.

NOTES :

2. इस बिन्दु के विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

190.3 <u>राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 14(2) के अन्तर्गत आवासन आयुक्त के पद पर श्री एम.के. खन्ना, आई.ए.एस. की नियुक्ति किये जाने बाबत।</u>

विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसके प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत विचार बिन्दु :</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत विचार बिन्दु पर विचार–विमर्श से पूर्व सभी माननीय गैर सरकारी बोर्ड सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मण्डल के विभिन्न कार्यालयों/योजनाओं आदि के निरीक्षण व जनहित में सुझाव आदि देने के बारे में विचार कर निर्णय लिया जाये।

इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मण्डल की किसी भी योजना के सुधार एवं जनहित मे प्रगति के सम्बन्ध मे माननीय सदस्यों को निरीक्षण के समय सभी उप आवासन आयुक्तों को सहयोग करने बाबत निर्देश जारी किये जायें ~~तथा इस दौरान सम्बन्धित अधिकारी माननीय सदस्यों को वाहन भी उपलब्ध करायेंगे~~। ~~अध्यक्ष महोदय ने भी इस हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये।~~

श्री रवीन्द्र सिंह जी द्वारा सुझाव दिया गया कि मण्डल की निर्माण गतिविधियों मे सकारात्मक सुधार लाने हेतु मण्डल के अभियन्ताओं की डिजाईन, तकनीकी सम्बन्धी प्रतियोगिताऐं आयोजित की जानी चाहिये ताकि आज के प्रतिस्पर्द्धात्मक युग मे मकानों की गुणवत्ता एवं तकनीकी में और सुधार लाया जा सके।

<u>विचार बिन्दु संख्या–1</u>

<u>पंजीकरण के बेचान के उपरान्त आवंटित आवास का कब्जा दिये जाने एवं क्रेता के नाम नियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

इस बिन्दु पर सभी सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के दौरान श्री हंसराज मीणा जी द्वारा पुरजोर शब्दों मे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सुझाव दिया कि मण्डल द्वारा चूंकि नियमितिकरण की कार्यवाही पूर्व मे ही की जा रही है, अतः इसे बढाते हुए पंजीकरण के बेचान को भी नियमित किये जाने का निर्णय लिया जाना चाहिये।

श्री जगदीश राजावत जी द्वारा भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया तथा उन्होंने भी अपने विचार रखे कि बहुत से प्रकरणों मे क्रेता के द्वारा मण्डल द्वारा मकान का कब्जा

... 8.

S)

दिये जाने से पूर्व मकान क्रय किया जा चुका है परन्तु नियमितिकरण नहीं किये जाने के कारण उसे मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में पंजीकरण के बेचान को नियमित किया जाना ही उचित है।

वित्तीय सलाहकार ने इस पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिये जाने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि पंजीकरण नियमितिकरण किया जाना आरम्भ कर दिया जायेगा तो इससे राज्य सरकार के राजस्व आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। परन्तु श्री मीणा जी एवं राजावत्त जी ने पुनः मण्डल द्वारा पूर्व में ही किये जा रहे नियमितिकरण की प्रक्रिया को बढाते हुए जनहित में निर्णय लिये जाने पर जोर दिया।

अन्त में माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सलाहकार को निर्देश दिये गये कि –

1. जिन प्रकरणों में आवंटन से पूर्व पंजीकरण का बेचान किया जा चुका है, उनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के मकानों हेतु नाममात्र का शुल्क 50 या 100 रूपये लिया जाकर एवं मध्यम आय वर्ग–अ, ब एवं उच्च आयवर्ग के लिये 500 रूपये शुल्क लिया जाकर पंजीकरण को नियमित करने के प्रस्ताव आगामी दो दिवस में अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

2. जिन प्रकरणों में पंजीकरण का बेचान आवंटन पश्चात् किन्तु मकान का मण्डल द्वारा कब्जा दिये जाने से पहले किया गया है उनमें जनहित दृष्टिकोण अपनाते हुए पंजीकरण नियमित किये जाने के प्रस्ताव आगामी दो–तीन दिवस में अध्यक्ष महोदय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

<u>विचार बिन्दु संख्या–2</u>

श्री जवाहर सुराणा ने प्रस्ताव रखा कि बरकतुल्लाह खां स्टेडियम राजस्थान का एक मात्र शानदार स्टेडियम है एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसमें आवासन मण्डल पवेलियनो का निर्माण कर रहा है। इसे अत्याधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु हाईमास्ट लाइटे लगाने की व्यवस्था की जाये जिससे यहां रात्रिकालीन खेलों का आयोजन भी हो सकता है। इस पर अनुमानित लागत 5 करोड़ रूपये के आस–पास आयेगी। सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे राज्य सरकार से भी अनुमोदित करवा लिया जाये। निर्णय लिया गया कि बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में हाईमास्ट लाईटे (डे–नाईट मैच के लिये) लगाई जाये एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करली जाये।

अन्त में आवासन आयुक्त महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों को इतने अल्प समय में पधारकर अपने बहुमूल्य समय तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर बैठक को सफल बनाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया तथा इसके साथ ही बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव 26/5/2002

प्रारूप अनुमोदनार्थ

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवासन मण्डल की 191वीं बैठक दिनांक 26.9.02 को प्रातः 11.00 बजे मण्डल मुख्यालय पर हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
श्री भूधरमल वर्मा	सदस्य
श्री हंस राज मीणा	सदस्य
श्री रवीन्द्र सिंह	सदस्य
श्री जवाहर सुराणा	सदस्य
श्री जगदीश राजावत	सदस्य
श्री अशोक अग्रवाल	सदस्य
श्री अतुल शर्मा, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
श्री सुरेश चन्द दिनकर, शासन उप सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री हेमन्त गुरड़िया मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
श्री रमेश चन्द सोलंकी	मण्डल-सचिव

आमंत्रित

श्री बी.एन.गूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल।
श्री सुरेश सिंहल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।

कार्यवाही विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं अवगत कराया कि लम्बी बीमारी के कारण बोर्ड बैठक समय पर आहूत नहीं की जा सकी। बोर्ड के कार्यों में सदस्यों द्वारा दिये जा रहे सकारात्मक सहयोग के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी को धन्यवाद

श्री जवाहर सुराणा, माननीय बोर्ड सदस्य द्वारा मण्डल के नये आवासन आयुक्त, सचिव, एवं सलाहकार का स्वागत किया, तत्पश्चात् तीनों अधिकारियों ने सदस्यगणों को अपना-अपना दिया तथा आश्वस्त किया कि मण्डल नियमों के दायरे में रहते हुए वे हर प्रकार से मण्डल अपना प्रशासनिक सहयोग देंगे।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर सचिव महोदय ने माननीय सदस्यों का अपनी एवं मण्डल की ओर से हार्दिक स्वागत किया, तत्पश्चात् बोर्ड की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा निम्न निर्णय लिये गये-

दिनांक 11.4.2002 को सम्पन्न हुई मण्डल की 190वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :
दिनांक 29.01.2002 को आयोजित मण्डल की 189वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

बोर्ड की बैठक संख्या 190 के बिन्दु संख्या-190.1 पर पूर्व बैठक संख्या-189 (i) के कार्यवाही विवरण की पुष्टि पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा द्वारा पूर्व में लिखित में भिजवाये गये

संशोधनों को कार्यवाही विवरण में नहीं जोड़ने के संबंध में आपत्ति की और बताया कि उक्त संशोधन कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करने चाहिए थे, जो कि अभी तक भी नहीं किए गए हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त बैठक के पुनः संशोधित कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जायें। श्री भूधर मल वर्मा जी ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नही हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ii) बिन्दु संख्या–188.5 नागरिक अधिकार पत्र के बिन्दु पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा ने पूर्व निर्णयानुसार, बिना मण्डल सदस्यो की राय एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए नागरिक अधिकार पत्र राज्य सरकार से अनुमोदित करवा लिये जाने पर आपत्ति करते हुए इसे पुनः संशोधन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी सदस्यों ने विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस अधिकार पत्र को रोका जाकर, एक माह में बैठक बुलाकर उसमें सदस्यों से चर्चा की जाकर यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार की पुनरानुमति प्राप्त कर इसे जारी किया जाये।

(iii) बिन्दु संख्या–188.6 पर भूखण्ड/आवासीय नीलामी के विज्ञापनों के संबंध में आरक्षित दरों में कमी के संबंध में बिन्दु पुनः क्यों नहीं लिया गया?

इस पर विस्तृत चर्चा उपरान्त उपरोक्तानुसार एक माह में बुलाई जाने वाली बैठक में ही इस बिन्दु पर भी चर्चा किया जाना तय किया गया।

श्री जगदीश राजावत जी ने उक्त बैठक में मण्डल के खाली पड़ी भूमि के अतिरिक्त खाली पड़े मकानों के संबंध में भी चर्चा करने का प्रस्ताव दिया।

आवासन आयुक्त महोदय ने अन्त में यह भी सुझाव दिया कि इनके अतिरिक्त भी मण्डल हित में कोई भी प्रस्ताव/सुझाव उक्त बैठक में चर्चा कर ली जाये।

बिन्दु संख्या–188.13 पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा जी ने निर्णयानुसार, मण्डल की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयों की किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आपत्ति जाहिर की।

बिन्दु संख्या–188.21 पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा एवं श्री रवीन्द्र सिंह जी ने मकानों की लागत कम करने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में भी आगामी एक माह वाली बैठक में प्रस्ताव चर्चा हेतु रखे जायें। श्री भूधरमल जी ने मकानों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी चर्चा करने को कहा।

189.3 वर्ष 2002–2003 के बजट एवं अनुमान वर्ष 2001 2002 से संबंधित बिन्दु पर चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व निर्णयानुसार वर्ष 2000 2001 की ऑडिट रिपोर्ट, 2001–2002 की बैलेन्स शीट भी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक भी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त मार्च, 2002 तक के वास्तविक व्यय की जानकारी

—167

दिया जाना भी तय किया गया था जो कि नहीं कराई गई है। इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आवासन आयुक्त ने अवगत कराया कि हाल ही में आयोजित राजकीय उपक्रम समिति की बैठक में भी मण्डल की कार्यप्रणाली पर काफी टिप्पणी हुई है, जिसके संबंध में भी कई कड़े प्रशासनिक निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। श्री जवाहर सुराणा ने आगे बताया कि मण्डल द्वारा किए जाने वाले बिल्डिंग मैन्टीनेन्स एवं विज्ञापनों की दरें डी पी आर एवं डीएवीपी की दरों के आधार पर दी जाये; अध्यक्ष महोदय ने इस पर कहा कि मण्डल, कार्पोरेशन आदि पर उक्त दरों की पाबंदी नहीं है। अन्त में विस्तृत चर्चोपरान्त यह स्वीकार किया गया कि विज्ञापन मद में कमी के हरसम्भव प्रयास किए जायें।

श्री जवाहर सुराणा ने पूर्व बजट में अंकित फण्ड की सीमा के संबंध में चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि बजट अनुमान वर्ष 2002–2003 के पृष्ठ संख्या–(V) के मद संख्या–अ.1 में अंकित उप मद संख्या–1,2,3 जो जोधपुर की चोपासनी योजना में अशोक उद्यान, जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम के अधूरे कार्य को पूर्ण करना तथा पैवेलियन का निर्माण कार्य एवं कोटा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में रख–रखाव के कार्य हेतु अ.2 में की गई फण्ड की व्यवस्था से अधिक व्यय होने पर कारण सहित बोर्ड के समक्ष लाया जायेगा ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।

श्री रवीन्द्र सिंह जी द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि जिला स्तरीय नीलामी कमेटियों में माननीय बोर्ड सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस पर आवासन आयुक्त महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया तय कर आदेश जारी किए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन राज्य सरकार की अनुमति के बिना किया जाना उचित नहीं होगा। अन्त में विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त कमेटियों में कम से कम एक बोर्ड सदस्य को सम्मिलित करने बाबत राज्य सरकार को पुनः लिखा जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत बिन्दु संख्या 4 पर चर्चा करते हुए श्री जवाहर सुराणा जी ने के.एन.गर्ल्स कॉलेज जोधपुर कैम्पस में विज्ञान संकाय हेतु प्रथम चरण के निर्माण हेतु दी गई वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप मण्डल द्वारा दी जाने वाली राशि की वसूली, वसूली की अवधि, ब्याज के संबंध में भी निर्णय लिया जाना आवश्यक है। श्री रवीन्द्र सिंह जी ने भी इसी बिन्दु के संबंध में संस्था के दोषी पाये जाने की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही भी तय किया जाना आवश्यक बताया। मुख्य अभियन्ता द्वारा इस बाबत संस्था से एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करवाने की भी सलाह दी। इस पर सभी के द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्णित शर्तों पर ऋण मंजूर करते हुए वसूली की प्रक्रिया का एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जावे।

১১८~

— 168

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए दिनांक 29.1.02 को आयोजित मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

दिनांक 11.04.2002 को आयोजित मण्डल की 190वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन:

190.1 (iv) के संबंध में रीको, कृषि उपज मण्डी, आर.एफ.सी. आदि संस्थाओं से उनके लिए जमीन जो मण्डल के लिए उपयोगी हो सकती है, के संबंध में सर्वे कराया जाये। श्री रवीन्द्र आवासन आयुक्त महोदय से व्यक्तिगत स्तर पर इस हेतु प्रयास किये जाने का आग्रह किया। श्री भूधरमल वर्मा ने बताया कि दौसा में रीको की एक भूमि खाली पड़ी है, जिसके संबंध में उप आयुक्त वृत्त तृतीय ने उन्हें सूचित किया था। ऐसी भूमियों के संबंध में सर्वे कराकर, मण्डल में प्रयास किया जाना चाहिए जिससे मण्डल की योजनाओं में उनका उपयोग किया जा सके।

190.1 (vii) के संबंध में मण्डल की खाली पड़ी जमीनों की भी जानकारी चाही गई थी जो इस छूट गया है, जिसे जोड़ा जाये। इसी बिन्दु पर श्री जवाहर सुराणा ने मण्डल की प्रत्येक नई की जानकारी सभी बोर्ड सदस्यों को दी जानी चाहिए। श्री जवाहर सुराणा जी ने सभी उप आयुक्तों को बोर्ड सदस्यों को हर सम्भव सहयोग देने एवं योजनाओं की जानकारी देने हेतु दिये जाने को कहा। इस पर आवासन आयुक्त ने बताया कि वे इस बाबत पूर्व में ही परिपत्र भी र चुके हैं एवं मुख्य अभियन्ता ने सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया कि किसी भी योजना की जानकारी माननीय सदस्यों को आवश्यक रूप से दी जायेगी।

श्री जगदीश राजावत ने बताया कि मण्डल की उदासीनता के कारण कोटा में महत्वपूर्ण जमीन ...त तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया जाकर एक भव्य इमारत का निर्माण भी चालू कर दिया गया ...जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही अविलम्ब की जाये।

बिन्दु संख्या–190.1 (viii) श्री हंसराज मीणा के सुझाव पर बिन्दु संख्या–190.1 (viii) के पृष्ठ ... की पंक्ति संख्या–15 पर अंकित नाराजगी से संबंधित वाक्य को कार्यवाही विवरण से हटाये ...निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–190.1 (ix) – एस.एफ.एस. के मकानों के लिए बैंक गारन्टी लिए जाने के संबंध आगामी एक माह में होने वाली उक्त बैठक में की जाये।

190.2 के संबंध में मण्डल में राज्य सरकार द्वारा लागू किए "बिज़नेस रूल्स" में संशोधन करके ... सरकार से अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। इस सम्बन्ध में कुछेक ... किये जाने हेतु बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष महोदय के राज्य सरकार से निवेदन हेतु अधिकृत ...था। उक्त प्रस्ताव पर उप. सचिव (वित्त) एवं आवासन आयुक्त महोदय ने असहमति दर्ज ...जब तक राज्य सरकार संशोधन नहीं करती तब तक यही नियम प्रभावी रहेंगे, पर भी सहमति

— 169

190.3 के संबंध में चर्चा करते हुए श्री रवीन्द्र सिंह जी ने निर्णय में से कटे हुए हिस्से को कटा हुआ माने जाने का प्रस्ताव रखा तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को वाहन उपलब्ध की जानकारी भी दी।

उपरोक्त संशोधनों के साथ दिनांक 11.04.2002 को आयोजित मण्डल की 190वीं बैठक के के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

देश की रक्षार्थ जम्मू कश्मीर सीमा पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्य मंत्री सहायता कोष में राशि भिजवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया। तथा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों को मण्डल की अगली बैठक में ही पुष्टि करा ली जाये। अन्ततः उसी वित्तीय वर्ष में तो आवश्यक रूप से पुष्टि कराया जाना तय किया गया।

गुजरात में आयें भीषण भूकम्प से हुई जानमाल की अपूर्वक्षति को देखते हुए सहायता के लिए "मुख्य मंत्री सहायता कोष" में राशि भिजवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया। तथा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों को मण्डल की अगली बैठक में ही पुष्टि करा ली जाये। अन्ततः उसी वित्तीय वर्ष में तो आवश्यक रूप से पुष्टि कराया जाना तय किया गया।

राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल चैम्पीयनशिप के लिए रूपये 2.00 लाख अनुदान राशि देने एवं स्टेडियम में विज्ञापन लगवाने बाबत।

प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

Authorising Chairman RHB to approve raising of Loans and Issuing Administration and Financial (A&F) Sanction for various Schemes.

उक्त बिन्दु पर विचार विमर्श किया जाकर प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया ।

Loan assistance of Rs. 3472.12 Lacs from the National Housing Bank New Delhi for Nine Schemes of Housing Boards at various places of Rajasthan.

(x) तकनीकी कोलन संबंधित ... के तैयार होने के

बिन्दु पर चर्चा की गई (x)। आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल ने उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान आवासन मण्डल कार्य निष्पादन विनियम 2002 के नियम 6 के अनुसार समस्त दस्तावेज 'इंस्ट्रूमेंट्स' मण्डल की ओर से मण्डल के सचिव द्वारा निष्पादित किये जाने है। चर्चा उपरान्त उक्त प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।

पश्चात मंडल द्वारा अनुमोदन पश्चात सचिव संबंधित दस्तावेज के निष्पादन के ...

अ॰

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

...स्थान आवासन मण्डल की 192 वीं (विशेष) बैठक दिनांक 29.1.2003 को प्रातः 11.00 ...मण्डल मुख्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही -

1.	श्री मानसिंह देवड़ा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री भूधरमल वर्मा	सदस्य
3.	श्री हंसराज मीणा	सदस्य
4.	श्री रवीन्द्र सिंह	सदस्य
5.	श्री जवाहर सुराणा	सदस्य
6.	श्री जगदीश राजावत	सदस्य
7.	श्री अशोक अग्रवाल	सदस्य
8.	श्री अतुल शर्मा, आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
9.	श्री संजय दीक्षित, विशिष्ट शासन सचिव (आय-व्यय), राज.सर.	सदस्य
10.	श्री हेमन्त मुरड़िया, मुख्य नगर नियोजक, राज.सरकार	सदस्य
11.	श्री रमेश चन्द सोलंकी	मण्डल-सचिव

विशेष आमंत्रित-

1. श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल।
2. श्री सुरेश सिंहल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।

इनके अतिरिक्त, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री एस.एम.माथुर, श्री एम.एल.दुबे एवं श्री ए.एन.पुरोहित (तकनीकी सहायक-अध्यक्ष), वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) एवं श्री आर.पी.शर्मा भी उपस्थित हुए।

कार्यवाही विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय न सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि ये ...क राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2002-03 के संशोधित बजट एवं 2003-04 के बजट अनुमान की स्वीकृति हेतु बुलाई गई है। उक्त बजट आँकड़े एक लम्बी प्रक्रिया के बाद तैयार किए गए हैं, जिसमें माननीय आवासन आयुक्त महोदय ने वृत्त/खण्डवार बैठक आहूत करके वास्तविक आधार पर आँकड़े लिए हैं। वर्ष 2002-03 के संशोधित बजट एवं 2003-04 के बजट अनुमान में हालांकि सभी मुद्दों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है, तथापि सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी राय भी प्रस्तुत करें ताकि उन्हें भी बजट में सम्मिलित किया जा सके। कुछ कमियाँ भी पूर्व अनुमानों की प्राप्ति में रही हैं, जिनके मुख्य कारणों में-इंदिरा गांधी आवासीय योजना, जगतपुरा से संबंधित निविदाओं के संबंध में न्यायिक स्थगन आदेश एवं राज्य सरकार की आपत्ति होना रहा है। इसके अतिरिक्त प्रचलित आर्थिक मन्दी के कारण भी मकानों के विक्रय के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। राज्य सरकार द्वारा मण्डल की नीलामी प्रक्रिया की माह अगस्त-02 में देरी से हुई स्वीकृति के कारण भी राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों में कमी रही है तथापि निधारित लक्ष्यों को आप सभी के सहयोग से फरवरी एवं मार्च. माह में पूरे किए जाने का प्रयत्न किया जायेगा। आशा है कि इससे बोर्ड की आय में आशानुकूल बढ़ोतरी होगी।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार हाउसिंग योजनाओं को आगे लाना चाहती है, इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान आवासन मण्डल को भी गांधी कुटीर योजना के अन्तर्गत 5400 मकान

मकाने हैं, आशा है इस योजना में मण्डल अग्रणी रहेगा। पिछले कई वर्षों से बकाया चल रहे
मकानों के लक्ष्य भी आप लोगों के सहयोग से पूर्ण किये जा सके हैं। मैंने आवासन आयुक्त एवं
मुख्य अभियन्ता महोदय को निर्देश दिये हैं कि जहाँ-जहाँ 15000 से अधिक आबादी वाले कस्बे-
गाव हैं, वहाँ आवासीय योजनाओं की शुरूआत मण्डल की ओर से किए जाने के संबंध में कार्यवाही
की जावे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि काफी जगहों पर सर्वे हो भी चुका है तथा शेष
जगहों हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल ने पहली बार अपनी पुरानी आवासीय योजनाओं में सड़कों,
नालियों, सीवरेज आदि की मरम्मत एवं जन उपयोगी सुविधायें यथा-सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण,
स्कूल, डिस्पेंसरी, पार्क आदि के लिए जमीनों/निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है। आवासन आयुक्त
महोदय से मैंने इस बाबत भी चर्चा की कि मण्डल की रिहायशी योजनाओं में वाणिज्यिक केन्द्र अलग
से निर्मित किए जाकर नीलाम किए जायें ताकि रिहायशी योजना का स्वरूप न बिगड़ पाए।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने बजट प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य
लेखाधिकारी को निर्देशित किया।

इसी बीच माननीय बोर्ड सदस्य श्री जवाहर सुराणा जी ने गत बैठक के कार्यवाही
विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत एजेन्डा आईटम नंबर 192.1 पर चर्चा करने हेतु निवेदन किया।

इस बिन्दु पर माननीय अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त महोदय ने आगामी बोर्ड बैठक में

192.1 इस बिन्दु को रखे जाने के आश्वासन के साथ यह निवेदन किया कि इस बैठक में केवल
बजट पर ही चर्चा करना उचित रहेगा। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी
सहमति व्यक्त की।

192.2 <u>राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2002-03 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष</u>
<u>2003-04 के बजट अनुमान।</u>

1. वित्तीय सलाहकार ने अपने बजट भाषण के आरम्भ में "संशोधित अनुमान वर्ष 2002-
03 व बजट अनुमान वर्ष 2003-04-एक नजर में", जो सभी माननीय सदस्यों को
उपलब्ध कराया हुआ था, को अक्षरशः पढ़कर माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत
किया, जिस पर निम्नानुसार चर्चा हुई-

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त ने मण्डल के संस्थापन व्यय 35.20 करोड़ जो कि बजट
का लगभग 30 प्रतिशत है, को अत्यधिक बताते हुए उसमें कमी किए जाने का सझाव
दिया है। इस पर माननीय अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त महोदय ने बताया कि मण्डल
ने इस संबंध में काफी प्रयास किये हैं, जिसमें कि वित्तीय संस्थाओं को अधिक ब्याज के
ऋण का पुनर्भुगतान करना, अन्य विभागों के कार्य डिपोजिट वर्क के आधार पर करना एवं
15000 से कम आबादी वाले कस्बों में मण्डल की योजनाओं को आरम्भ करना इत्यादि
प्रमुख हैं।

2. श्री जवाहर सुराणा ने बजट पर अपनी ओर से टिप्पणी करते हुए बजट के पृष्ठ संख्या-
(IV) के बिन्दु संख्या (3-4) के प्वाईट नंबर (ii) के संबंध में सुझाव दिया कि
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु केवल वही योजनाएं राज्य सरकार को प्रेषित की जायें
जो कि बजट में स्वीकृत नहीं हैं या नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृत करवाई जानी
हैं। शेष के संबंध में सक्षम अधिकारी की ही स्वीकृति पर्याप्त है।

श्री सुराणा ने कोटा शहर में 25 पार्कों के विकास, सड़कों की मरम्मत, नालियों की मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार सीवरेज की मरम्मत/सुधार का कार्य तथा दादाबाड़ी एवं गणेश तालाब योजनाओं में सामुदायिक भवनों के निमार्ण सम्बन्धी मद को "विकास एवं मरम्मत" मद में लिये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यगणों द्वारा स्वीकार किया गया।

श्री सुराणा ने यह भी टिप्पणी की कि बजट में स्वीकृत मद को किसी भी स्थिति में दूसरे मद में नहीं किया जावे। ऐसा करने की स्थिति में इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान किया जाये।

3\. श्री जगदीश राजावत ने वित्त एवं लागत समिति की बैठक काफी समय से नहीं होने के संबंध में अपनी चिन्ता प्रकट की, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मण्डल के वित्तीय हालातों में सुधार हेतु गंभीरता से विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि मण्डल को आर्थिक स्थिति से उभारा जा सके। पिछली बैठक में आवासन आयुक्त महोदय से मकान बेचने के प्रयास करने के बाबत चर्चा हुई थी, जिस पर भी वार्ता की जानी चाहिए

इस पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय सलाहकार को निर्देश दिये कि वे आगामी तीन दिन में मण्डल की सभी उप समितियों की बैठकों के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसी सन्दर्भ में चर्चा के दौरान श्री भूधर मल वर्मा ने कहा कि यदि समय पर सभी बैठकें आयोजित की जाकर उसमें चर्चा होती तो उस पर तद्नुकूल निर्णय लिया जा सकता था तथा बोर्ड के वर्तमान हालातों पर और अधिक सुदृढ़ तरीके से निर्णय लिये जा सकते थे। भविष्य में इस ओर अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए

अन्त में इस पर यह निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से सभी उप समितियों की बैठकें रखे जाने का प्रयास किया जाये।

4\. श्री सुराणा ने जोधपुर के एक समाचार पत्र में छपी मण्डल के 5000 मकानों के लगभग हर कस्बे एवं गाँव में निर्मित किये जाने संबंधी समाचार के हवाले से यह प्रस्ताव रखा कि मण्डल सदस्यों की जानकारी में लाकर खबर छापी जाये तो वे भी उसमें अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इस पर आवासन आयुक्त महोदय ने बताया कि भविष्य में प्रशासनिक कार्यक्रम में एवं योजनाएं बनाते समय माननीय सदस्यों को साथ में लेकर इस संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

5\. श्री हंस राज मीणा ने बताया कि मकानों की लागत, वित्त एवं लागत समिति की बैठक बुलाये बिना ही तय कर दी जाती है, जिससे कि लागत में काफी भिन्नता आती है, अतः वित्त एवं लागत समिति की बैठक के बिना लागत तय नहीं की जाये। इस संबंध में आवासन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मण्डल द्वारा लागत निर्धारण करने के संबंध में निर्देश जारी किए हुए हैं। और उसी के अनुसार लागत की गणना लेखा शाखा द्वारा की जाती है। तदुपरान्त इसकी स्वीकृति अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी की जाती है। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि लागत के वर्तमान

4

सिद्धान्तों को वित्त एवं लागत समिति की बैठक में रखा जावे ताकि उसमें कोई संशोधन करना हो तो उसे संशोधित कर लागत प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे ताकि लागत तय करते समय विरोधाभास न हो।

6· श्री रवीन्द्र सिंह ने बजट के पृष्ठ-1 पर दी गई टिप्पणी के हवाले से बताया कि मण्डल के लगभग 10·75 प्रतिशत मकान बिक्री के लिए पड़े हुए हैं, जिनके निस्तारण के लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। इस बिन्दु पर सभी सदस्यों ने चिंता जाहिर की एवं यह प्रस्ताव किया कि मण्डल के आवासों के शीघ्र निस्तारण के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी है। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि मण्डल के आवासों के मूल्यों को बाजार दर के अनुरूप करने की कार्यवाही की जाये ताकि इनका निस्तारण संभव हो सके।

इस पर आवासन आयुक्त महोदय ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में काफी कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है, जिन पर विचार हेतु आगामी दिनों में ही प्रस्ताव बनाकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाजार दरों का भी ध्यान रखते हुए इस ओर निर्णय लिये जायेंगे।

श्री रवीन्द्र सिंह जी ने यह भी बताया कि मण्डल इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के मद में कोई बजट प्रावधान नहीं किया जाता है, जबकि निर्माण संस्थाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक पहलू है।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अंतर्गत ही एक रिसर्च एण्ड डवलपमेंट प्रकोष्ठ की स्थापना की जावे जिसके अंतर्गत आवासीय अभियंता स्तर के अधिकारी इस कार्य को संपादित करेंगे।

इसी सन्दर्भ में श्री रवीन्द्र सिंह ने जानना चाहा कि गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार क्या मण्डल ने पुरानी ब्याज दर पर लिये गये ऋण का चुकारा कर नई कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किया है?

इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि उसी अनुरूप मण्डल ने इस वर्ष कोई नया ऋण नहीं लिया है और पुराने समस्त ऋण का चुकारा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवासन आयुक्त महोदय ने भी बताया कि हुड्को से मण्डल की कुछ योजनाओं पर लिए गए अधिक ब्याज दर के ऋण को कम ब्याज दर पर किए जाने के संबंध में अनुबन्ध किया जा रहा है जिसके लिए वे आधा प्रतिशत सर्विस चार्ज वसूल करेंगे।

7· श्री सुराणा ने मण्डल के संस्थापन ढांचे में उपलब्ध विभिन्न पदों के सम्बन्ध में समानीकरण का प्रयास किये जाने का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने सहमति जताई।

आवासन आयुक्त महोदय ने भी सभी कार्यालयों में पदों को आवश्यकता के अनुरूप समानीकरण किए जाने का आश्वासन दिया।

बजट के पृष्ठ संख्या-161 के क्रमांक-2 पर अशोक उद्यान एवं टैक्नोलोजी पार्क के "अन्डर शॉप्स" पर किए जा रहे विद्युतीय कार्य के लिए रखे गए 50 लाख के प्रावधान

के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा। इस पर मुख्य अभियन्ता ने बताया कि यह बाहरी विद्युतीकरण के कार्य हेतु लिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने भी इस बारे में विस्तार से बताया कि यह बाहरी विद्युतीकरण के कार्य हेतु है।

बजट के पृष्ठ संख्या-116 पर अशोक उद्यान में 42 दुकानों के निर्माण के स्थान पर "क्राफ्ट शॉप" लिखा जाने का एवं इन्हें नीलामी द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया।

8. श्री जगदीश राजावत ने कहा कि कोटा शहर के लिए निर्धारित बजट में वहाँ की आवासीय योजनाओं में सड़कों, पार्कों, सीवर लाईन आदि की मरम्मत हेतु भी प्रावधान रखा जाना चाहिए था, तथा उन्होंने कोटा शहर के लिए 2 करोड़ का बजट मरम्मत एवं रख-रखाव के मद में बढ़ाने का आग्रह किया। जिसे सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी, इस पर 2 करोड़ रूपये इस मद में बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार बजट पर विस्तृत चर्चोपरान्त वर्ष 2002 03 के संशोधित अनुमान व वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान सर्वसम्मति से संलग्न संशोधन {परिशिष्ट-अ} सहित पारित किए गए। अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को अत्यंत सौहार्दपूर्ण ढंग से बजट के अनुमोदन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई

सचिव

संलग्न-परिशिष्ट-अ

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 193वीं (विशेष) बैठक दिनांक 29.1.2004 को सांय 04.00 बजे मण्डल मुख्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. श्री अशोक सम्पतराम, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल — अध्यक्ष
2. श्री कुलदीप शर्मा, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल — सदस्य
3. श्री हेमन्त गुरेड़िया, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार — सदस्य
4. श्री मनोज कुमार, शासन उप सचिव, वित्त एवं व्यय–4, राजस्थान सरकार (प्रतिनिधि शासन सचिव वित्त एवं व्यय) — सदस्य
5. श्री मनोज नाग, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल — मण्डल–सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन.मूलचन्दानी, मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल।
2. श्री सुरेश सिंहल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।

इनके अतिरिक्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री ए.एन.पुरोहित (तकनीकी सहायक अध्यक्ष), श्री आर.के.गुलाटी, अति. मुख्य अभियन्ता, पी. एण्ड एम., श्री टी.सी.मित्तल, तकनीकी सलाहकार, आवासन आयुक्त, एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) श्री आर.पी.शर्मा भी उपस्थित हुए।

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम मण्डल सचिव ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित बोर्ड सदस्यों, का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक मुख्यतः राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2003–04 के संशोधित बजट एवं 2004–05 के बजट अनुमान की स्वीकृति हेतु बुलाई गई है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मण्डल सचिव ने बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की–

<u>विचार बिन्दु संख्या–193.1</u> : <u>दिनांक 29.1.2003 को सम्पन्न हुई मण्डल की 192वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि</u> :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

<u>विचार बिन्दु संख्या–193.2</u> : <u>मण्डल की 192वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति प्रतिवेदन</u> :

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक के निर्णयों की कियान्विति के संबंध में जानकारी चाही। इस पर मण्डल सचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि सभी बिन्दुओं की कियान्विति पूर्ण हो गई है। इस पर प्रस्तावानुसार कियान्विति का अनुमोदन किया गया।

<u>विचार बिन्दु संख्या–193.3</u> : <u>वर्ष 2003–04 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2004–05 का बजट अनुमान</u> :

सं मु.ले.अ. मण्डल सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को मण्डल का बजट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बजट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना वर्ष 1970 में हुई। वर्तमान में मण्डल में मुख्यालय के अतिरिक्त 44 इकाईयां कार्यरत हैं जिसमें 8 वृत्त एवं 36 खण्डीय कार्यालय तथा कुल 2145 कर्मचारी कार्यरत हैं। मकान की समस्या के समाधान हेतु माह नवम्बर, 2003 तक 167750 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया और 166778 मकानों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष में 3918 इकाईयां निर्माणाधीन हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 8512 इकाईयां निर्माणाधीन रहेंगी। जयपुर शहर की आवास समस्या के समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा आरम्भ की गई है। भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते प्रथम चरण में इस योजना में सभी जन सुविधाओं से युक्त 1394 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शहर की मानसरोवर विस्तार योजना में भी कार्य प्रारम्भ करने की योजना है एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 15000 आबादी वाले 173 कस्बों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और इसके लिये आवश्यकतानुसार भूमि अवाप्ति एवं पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है साथ ही अप्रवासी भारतीयों/राजस्थानियों के लिये राज आंगन आवासीय योजना परिसर के निर्माण की विशेष योजना मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास कार्य प्रगति पर हैं।

मण्डल द्वारा आवासों के निर्माण के साथ-साथ समय-समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं जिसमें मुख्यतः चिकित्सा विभाग के 16 जिलों में ऑपरेशन थियेटर तथा लेबर रूम के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा समाज कल्याण, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, न्यायिक विभाग के आवास सामान्य प्रशासन विभाग एवं पुलिस आवासीय योजना तथा जेलों के निर्माण कार्य भी किये जा रहे हैं तथा विभिन्न जिलों में जिलों में जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा मण्डल से डिपॉजिट कार्य करवाये जा रहे हैं। मण्डल द्वारा पुराने निर्माण कार्यों के साथ-साथ अपनी आवासीय योजनाओं में पार्कों के विकास कार्य, कार्यालय भवन, जन उपयोगी सुविधाएं यथा-सामुदायिक भवन, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक शाला आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है तथा पुरानी आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण एव रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे हैं।

उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्नांकित विवरणानुसार वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमान एवं आगामी वर्ष 2004-05 के व्यय के बजट अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं-

निर्माण कार्य

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.सं.	बजट अनुमान 2003-04	संशोधित बजट अनुमान 03-04	बजट अनुमान 04-05
1.	171.34	105.31	171.12

उपरोक्त व्यय राशि में भूमि अवाप्ति के भुगतान हेतु वर्ष 2003-04 में संशोधित अनुमान 20 करोड़ एवं वर्ष 2004-05 हेतु 50 करोड़ का प्रावधान लिया हुआ है। विकास कार्यों हेतु वर्ष 2003-04 में

32.12 करोड़ एवं वर्ष 2004—05 में 46.94 करोड़ का प्रावधान भी कुल व्यय में सम्मिलित है जिसमें
मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में सड़कों व नालियों का निर्माण, सीवर लाईनों का निर्माण,
जलापूर्ति योजना, बाह्य विद्युतीकरण, पार्कों के विकास एवं वृक्षारोपण किये जायेंगे।

उक्त निर्माण कार्यों के व्यय के अतिरिक्त मण्डल द्वारा आगामी वर्ष में 37.91 करोड़ का
संस्थापन व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें वेतन एवं भत्तों की 31.09 करोड़ की राशि
सम्मिलित है एवं अन्य 6.82 करोड़ कार्यालय विविध खर्च के हैं।

मण्डल द्वारा कर्मचारी कल्याण के अन्तर्गत प्रतिवर्ष खेलकूद का आयोजन किया जाता है और
इस आयोजन हेतु 7.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। यह राशि संस्थापन व्यय में सम्मिलित
है। इस वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कोटा शहर में फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा—निवृत्ति के पश्चात् बकाया उपार्जित अवकाश
के नकदीकरण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से प्रस्ताव विचाराधीन है। इस हेतु सम्भावित अंशदान के
पेटे आगामी वर्ष के लिये 1.5 करोड़ का प्रावधान भी संस्थापन व्यय में सम्मिलित है।

आगामी वित्तीय वर्ष में ऋणों के पुनर्भुगतान, ब्याज के भुगतान एवं सामान्य जन—सुविधाओं हेतु
क्रमशः 8.19 करोड़, 16.97 करोड़ एवं 2.72 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मण्डल ने अपने स्रोतों से 31 दिसम्बर 2003 तक 132.30 करोड़ के ऋण जो पूर्व में अधिक
ब्याज पर लिये हुए थे, का समय पूर्व भुगतान विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं को किया है जिसमें से 59
करोड़ का समय पूर्व भुगतान इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2003 तक किया है।

उक्त कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में मण्डल की सम्पत्ति
विक्रय से 180 करोड़, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण के पेटे 55.25 करोड़ एवं राज्य सरकार के
विभिन्न विभागों से डिपॉजिट कार्यों हेतु 18.00 करोड़ तथा ब्याज एवं अन्य राजस्व मदों से 12.37 करोड़
के प्राप्त होने का अनुमान है।

उपरोक्त बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तावित वर्ष 2003—04 के संशोधित
अनुमान एवं वर्ष 2004—05 के बजट अनुमान सर्वसम्मति से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान सहित
पारित किये गये—

"जोधपुर शहर स्थित निर्माणाधीन अशोक उद्यान के रख—रखाव हेतु वर्ष 2004—05 के लिये
रूपये 5.00 लाख स्वीकृत किये गये।"

विचार बिन्दु संख्या—193.4 : **Loan assistance of Rs. 3272.48 lacs from National Housing Bank, New Delhi for three schemes of Infrastructure Development/Housing Schemes at Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur and Partapur, Banswara, Rajasthan.**

विचार—विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

विचार बिन्दु संख्या—193.5 : **Authorising Chairman, RHB to approve raising of loans and issuing administrative & financial (A&F) sanctions for various schemes :**

विचार–विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण बोर्ड बैठकों के माध्यम से ही निर्णीत कराये जायें। अत्यावश्यक होने पर इन्हें "परिचलन के माध्यम से" बोर्ड सदस्यों को भिजवाकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

अन्य विन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

विचार विन्दु संख्या : 193.6 :श्री एच.एल.गुप्ता, आवासीय अभियंता की पत्नी श्रीमती वीना गुप्ता के केन्सर रोग के उपचार पर दिल्ली स्थित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल में चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति बावत

विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार रूपये 1,06,820/– के पुनर्भरण की सवीकृति प्रदान की गई।

विचार विन्दु संख्या : 193.7 :राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकलापों को सुचारू रूप से संपादित करते हुए विभिन्न समितियों के पुनर्गठन के संबंध में :

विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं वर्क्स कमेटी में वित्तीय सलाहकार को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विचार विन्दु संख्या : 193.8 : मण्डल द्वारा आवासों की लागत निर्धारण में किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के लिए मासिक किश्तों में वसूल की जाने वाली एवं पंजीकरण राशि के रिफण्ड व आवंटन पत्र में समायोजित के मामले में देय ब्याज दरों के संबंध में :

विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव के साथ संलग्न विवरणानुसार ब्याज दरों में संशोधन किये जाने बाबत स्वीकृति प्रदान की गई।

विचार बिन्दु संख्या : 193.9 :मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2000–01, 2001–02 एवं 2002–03 हेतु बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में :

विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विचार विन्दु संख्या : 193.10 : वित्तीय वर्ष 2002–03 (कर निर्धारण वर्ष 2003–04) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति के संबंध में :

विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पूर्व में (वर्ष 2002–03, कर निर्धारण वर्ष 2003–04) के लिये कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट को, उनके सन्तोषजनक कार्य को देखते हुए, वर्ष 2002–03 के लिये की गई नियुक्ति को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई एवं पूर्व में स्वीकृत शर्तो पर वर्ष 2003–04 (कर निर्धारण वर्ष 2004–05) हेतु अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विचार बिन्दु संख्या : 193.11 : चोपासनी योजना के अन्तर्गत जोधपुर में सिटी लेवल बहुद्देशीय योजना अशोक उद्यान के विकास के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु :

इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सभी माननीय सदस्यों ने यह विचार रखा कि उक्त उद्यान के रख-रखाव एवं अन्य विकास हेतु चूंकि अत्यधिक व्यय होना सम्भावित है एवं मण्डल पर इसका विशेष वित्तीय भार न पड़े इस दृष्टि से आवश्यक है कि इसके सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाये ताकि उस पर गुणादोष के आधार पर चर्चा कर आगामी बैठक में निर्णय लिया जा सके। इस हेतु अध्यक्ष महोदय ने एक समिति अविलम्ब गठित किये जाने के निर्देश दिये जो कि आगामी 15 दिवस में अपनी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

बैठक में सामान्य चर्चा के दौरान माननीय सदस्यो द्वारा मण्डल में आन्तरिक एवं बाह्य अंकेक्षण, राज्य सरकार द्वारा समैय-समय पर जारी आदेशों की पालना एवं 100 दिन की कार्य योजना के सम्बन्ध में पालना करने के सुझाव पर भी विस्तृत चर्चा हुई तथा चर्चानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

...स्थान आवासन मण्डल की 194वीं (विशेष) बैठक दिनांक 25.6.2004 को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष ...दय के सचिवालय स्थित कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

श्री बी0पी0आर्य, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
श्रीमती उषा शर्मा, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
श्री कुलदीप शर्मा, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
श्री हेमन्त गुरड़िया, मुख्य नगर नियोजक,	सदस्य
श्री मनोज कुमार, शासन उप सचिव, वित्त व्यय 4, (प्रतिनिधि शासन सचिव वित्त व्यय).	सदस्य
श्री के0के0गुप्ता , सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

...शेष आमंत्रित

1. श्री सुरेश सिंहल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल।
2. श्री एस.एम.माथुर, अति0मुख्य अभियन्ता द्वितीय
3. श्री टी.सी.मित्तल, तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त
4. श्री एच.सी.अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त
5. श्री मनोज नाग, उप सचिव, आवासन मण्डल

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम मण्डल सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित बोर्ड सदस्यों, का स्वागत किया गया । तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की गयी:–

बिन्दु संख्या–194.1 : दिनांक 29.1.2004 को सम्पन्न हुई मण्डल की 193वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–194.2 : मण्डल की 193वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति प्रतिवेदन :

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक के निर्णयों की कियान्विति के संबंध में जानकारी चाही गई। इस पर मण्डल सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बिन्दुओं की कियान्विति पूर्ण हो गई है। इस पर प्रस्तावानुसार कियान्विति का अनुमोदन किया गया।

–161

संख्या–194.3 :मण्डल कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के सम्बन्ध में :

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.1(6)(वित्त) नियम/98 दिनांक 24.6.04 के द्वारा राज्य कर्मचारियों की अधिवार्षिकी की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गयी है। संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि आवासन मण्डल कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु भी तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप ही 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की जावे।

द संख्या : 194.4 :**Merger of 50 % Dearness Allowance / Dearness Relief with basic pay/ basic pension to the Board Employees/ pensioners w.e.f.1/7/2004**

प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ6 (3)एफडी(रूल्स)2004 दिनांक 24/5/2004 को मण्डल में भी लागू करने का निर्णय लिया गया।

दु संख्या : 194.5 :प्रताप नगर योजना सैक्टर 22 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण कार्यो की निविदा स्वीकृति हेतु–

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

1. प्राप्त निविदायें 6 अलग अलग कार्यो की है। उक्त निविदाओं को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्धारित शैड्युल आफ पावर्स में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार स्वीकृत करने के लिये अति0मुख्य अभियन्ता सक्षम है। चूंकि इन सभी 6 कार्यो के लिये केवल एक एक निविदा ही प्राप्त हुयी है अतः इन निविदाओं के लिये इनसे एक स्तर उच्च अधिकारी स्वीकृत करने के लिये सक्षम है। अतः इन निविदाओं के निस्तारण की कार्यवाही मुख्य अभियन्ता स्तर पर की जावे।

2. इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अलग अलग कार्यो की निविदाओं को अलग अलग मानते हुये ही मण्डल में लागू

101

-162

शैड्युल आफ पावर्स में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावे एवं अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर नहीं भेजी जावे।

3 निविदाओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में ही सुनिश्चित किया जावे। निविदाओं के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

बिन्दु संख्या : 194.6 पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के पश्चात पुनर्जीवन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या : 194.7 परिचलन से जारी प्रस्ताव संख्या 212 पर हुये निर्णय का अवलोकनः

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न शहरों में आवासीय योजनाओं हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण लेने के प्रस्ताव संख्या 212 का अनुमोदन माननीय सदस्यों से परिचलन द्वारा प्राप्त हो चुका है। प्रस्ताव का अवलोकन कराया गया।

बिन्दु संख्या : 194.8 :परिचलन से जारी प्रस्ताव संख्या 213 पर हुये निर्णय का अवलोकनः

राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना सैक्टर 26, सॉगानेर, जयपुर एवं सैंती विस्तार, चित्तौड़गढ़ हेतु 497.37 लाख का ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक से लेने के प्रस्ताव संख्या 213 का अनुमोदन माननीय सदस्यों से परिचलन द्वारा प्राप्त हो चुका है। प्रस्ताव का अवलोकन कराया गया।

-101

-163-

दु संख्या : 194.9 :स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी की गई विशेष जॉच

प्रस्ताव अनुसार संचालक मण्डल द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

दु संख्या : 194.10 :अप्रवासी भारतीय / राजस्थानियों के लिये निर्माणाधीन योजना "राज ऑगन" प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में आवासों की अनुमानित लागत निर्धारण :

प्रस्ताव अनुसार "राज ऑगन" योजना में भविष्य में होने वाले पंजीकरण में आवासों की लागत पूर्व में स्वीकृत लागत से 25 प्रतिशत बढ़ाकर लिये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें लागत सिद्वान्त के अनुसार सी.ई.आर. भी शामिल है। अब तक पंजीकृत किये गये आवासों की लागत पूर्व में सूचित किये अनुसार ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल की 195 वीं बैठक दिनांक 6.9.2004 को अपरान्ह 4.00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्रीमती उषा शर्मा,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री यदुवेन्द्र माथुर,	शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री कुलदीप शर्मा,	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल ,	सदस्य
4.	श्री यू.के.श्रीवास्तव,	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री श्रीपाल शर्मा,	उप सचिव,राज.आ.मण्डल, जयपुरं	मण्डल सचिव

विशेष आमन्त्रित
1. श्री सुरेश सिंघल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर।
2. श्री के.आर.मीणा, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

सर्व प्रथम उप सचिव द्वारा सचिव की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की गई :–

बिन्दु संख्या 195.1 दिनांक 25.6.2004 को सम्पन्न हुई मण्डल की 194 बैठक के निर्णयों की पुष्टि :–

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या 195.2 मण्डल की 194 वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक के निर्णयों की कियान्विति के संबंध में जानकारी चाही गई। इस मण्डल सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सभी विन्दुओं की कियान्विति हो गई है इस पर प्रस्तावानुसार कियान्विति का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 195.3 राज्य कर्मचारियों की भांति मण्डल कर्मचारियों को भी सेवा का परित्याग के बिना अपना स्वयं का व्यवसाय अथवा अन्य नौकरी करने के लिए विशेष अवकाश (अवैतनिक) योजना मण्डल में लागू करने के संबंध में।

प्रकरणान्तर्गत राज्य सरकार के उक्त प्रासंगिक आदेश को अन्य स्वायत्त संस्थाओं द्वारा भी अंगीकार कर लिया गया है अतः मण्डल में भी राज्य सरकार के उक्त आदेश में वर्णित शर्तो के अनुरूप ही उक्त योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

विन्दु संख्यां 195.4 श्री नरेश राय परियोजना अभियन्ता(कनि.) बोर्ड कर्मचारी द्वारा प्राईवेट अस्पताल में चिकित्सा हेतु व्यय की गई राशि 1.04 लाख रूपये के पुर्नभरण करने के संबंध में :'

प्रस्तावानुसार उक्त राशि का पुर्नभरण करने का अनुमोदन किया गया किन्तु इसे अन्य प्रकरणों पर गुण–दोष के आधार पर मूल्यांकन करते हुए लागू किया जाये।

बिन्दु संख्या 195.5 श्रीमती तारा दीक्षित प्रत्नी डा0 आर.के.दीक्षित को मानसरोवर योजना के

-50-

क.प्र./उ.आ.आ.-II सैक्टर 12 जोन 122 में वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 12 के द्वारा 458 दिन विलम्ब से जमा कराई गई राशि के नियमन के संबंध में

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया किन्तु भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में मण्डल की अनुमति से ही राशि जमा कराई जावे।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

क.प्र. बिन्दु संख्या 195.6 शैक्षणिक संस्थाओं को मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूमि को आवंटी संस्था द्वारा अन्य संस्था के नाम परिवर्तन/स्वामित्व हस्तान्तरण करने पर पंजीकरण शुल्क में रियायत देने के संबंध में।

मूल पंजीकृत संस्था के पक्ष में लीजडीड पंजीयन होने के पश्चात् उस संस्था द्वारा अन्य संस्था को स्वामित्व हस्तान्तरण करने पर पंजीकरण शुल्क में रियायत देने के संबंध में प्रस्तावानुसार राज्य सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

6/9

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 196वीं बैठक दिनांक 17.12.2004 को अध्यक्ष महोदया के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही--

1. श्रीमती ऊषा शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं शासन सचिव,	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार	अध्यक्ष
2. श्री बी.एन.शर्मा,	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. सरकार	सदस्य
3. श्री कुलदीप शर्मा	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4. श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य--सचिव

विशेष आमंत्रित

1.	श्री सुरेश सिंहल	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
2.	श्री के.आर.मीणा	मुख्य सम्पदा प्रवन्धक, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
3.	श्री टी.पी.मित्तल	उप आवासन आयुक्त--पी.एण्ड एम.

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदया एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की गई--

बिन्दु संख्या--1 : दिनांक 6.9.2004 को सम्पन्न हुई मण्डल की 195वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या--2 : मण्डल की 195वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मण्डल की गत 195वीं बैठक के सभी बिन्दुओं की क्रियान्विति हो गई है। इस पर प्रस्तावानुसार क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या--3 : राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 14 (2) के अंतर्गत श्री अतुल शर्मा, आई.ए.एस. को आवासन आयुक्त के पद पर नियुक्ति दिये जाने बाबत :

प्रस्तावानुसार श्री अतुल शर्मा, आई.ए.एस. की आवासन आयुक्त के पद पर दिनांक 13.3.2002 से नियुक्ति की पुष्टि की गई।

DY. SECY.

बिन्दु संख्या–4 : श्री आर.के.तापड़िया, उप आवासन आयुक्त को निजी चिकित्सालयों के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण की स्वीकृति बावत : Dy. Secy.

प्रस्तावानुसार श्री आर.के.तापड़िया के चिकित्सा बिलों की व्यय राशि क्रमशः रूपये 1,12,014/– (स्वीकृति दिनांक 4.7.02) एवं रूपये 1,86,780/– (स्वीकृति दिनांक 12.3.2003) के पुनर्भरण की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–5 : राजस्थान आवासन मण्डल में 1.1.2004 को एवं इसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में : FA & CAO

राज्य सरकार के अनुरूप राजस्थान आवासन मण्डल में दिनांक 1.1.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–6 : राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि पर से हटाये गये उपरिव्यय के संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेप के सम्बन्ध में : FA & CAO

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि पर से हटाये गये 25 प्रतिशत उपरिव्यय को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–7 : राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की धारा 14 (2) के अंतर्गत श्री कुलदीप शर्मा, आई.ए.एस. को आवासन आयुक्त के पद पर नियुक्ति दिये जाने बावत : DY. SECY.

प्रस्तावानुसार श्री कुलदीप शर्मा, आई.ए.एस. की आवासन आयुक्त के पद पर दिनांक 31.5.2003 से नियुक्ति की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–8 : राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्राकृतिक चिकित्सालय, बापू नगर की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु : SECY.

प्रस्तावानुसार श्रीमती सुभद्रा शर्मा, सहायक को प्राकृतिक चिकित्सालय में कराई गई चिकित्सा के 2200/– रूपये के पुनर्भरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सालय की चिकित्सा का लाभ समस्त मण्डल कर्मचारियों को प्रदान करने हेतु प्राकृतिक चिकित्सालय, जयपुर को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–9 : मण्डल के कार्मिकों को वर्ष 2003–04 का बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में : FA & CAO

प्रस्तावानुसार मण्डल के कार्मिकों को वर्ष 2003–04 हेतु बोनस/ अनुग्रह राशि के भुगतान के आदेशों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–10 :राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के वार्षिक लेखे अनुमोदनार्थ : FA & CAO

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

विन्दु संख्या–11 : एक शहर से दूसरे शहर में पंजीकरण स्थानान्तरण करने पर रोक लगाने बावत : C.E.M.

प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया कि भविष्य में आवास का आवंटन उसी शहर में किया जायेगा जिस शहर हेतु पंजीकरण कराया गया हो। एक शहर से दूसरे शहर में पंजीकरण स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। अगर कोई आवेदक उस शहर में आवास आवंटन कराने का इच्छुक नहीं हो तो वह पंजीकरण राशि वापस प्राप्त कर सकता है। यदि उसे अन्य शहर में आवास आवंटन कराना हो तो वह खुली विक्री योजना के तहत आवास आवंटित करवा सकेगा अन्यथा उस शहर में खोली जाने वाली सामान्य पंजीकरण योजना/विशिष्ट पंजीकरण योजना में आवेदन कर सकेगा।

विन्दु संख्या–12 :गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्तावित घरौंदा योजना : C.E.

माननीय सदस्यों द्वारा गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए "घरौंदा योजना" में प्रस्तावित शिथिलताओं को प्रतापनगर सांगानेर योजना के साथ–साथ राज्य के अन्य सभी स्थानों पर लागू करने के प्रस्ताव का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

विन्दु संख्या–13 :कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर में विभिन्न आयवर्ग के 475 आवासों के निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ करने हेतु रूपये 787 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने बावत : C.E.

प्रस्तावानुसार कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर में विभिन्न आयवर्ग के 475 आवासों के निर्माण हेतु 787 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विन्दु संख्या–14 :मण्डल द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि की भूमि एवं विकास दर 50 प्रतिशत अधिक लेने हेतु :

मण्डल द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि की भूमि एवं विकास दर प्रस्तावानुसार आवासीय आरक्षित भूमि एवं विकास दर से 50 प्रतिशत अधिक लेने का निर्णय लिया गया। FA & CAO

यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थाओं से भूमि आवंटन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों पर 1000/–रू. (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) बतौर पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क लिया जावे। CEM

विन्दु संख्या–15 :राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों के साथ उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के आवंटन एवं आवंटित आवास के साथ संलग्न भू–पट्टी आवंटित किये जाने के लिए दर एवं आवंटन के मापदण्ड निर्धारण बावत : FA & CAO

उपरोक्त प्रस्ताव के संबध में विचार किया जाकर इस संबंध में प्रभावित पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया–

(i) आवासों के साथ उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के आवंटन के मामले में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–2/3/ लागत/1018/ 281 दिनांक 24.8.93 के अनुसार लागत सिद्धान्त के बिन्दु संख्या–6.12 बी के अनुसार आरक्षित भूमि दर की 50 प्रतिशत अधिक राशि वसूल की जावे।

(ii) आवंटित आवास के साथ संलग्न भू–पट्टी उपलब्ध होने एवं आवंटी द्वारा आवंटन की मांग करने पर आवंटित की जाने वाली भूमि की दर के सम्बन्ध में पूर्व आदेश क्रमांक एफ–2 (3) लागत / 1015 / 500 दिनांक 30.11.2000 वापस लिये जाते हैं व भविष्य में ऐसी भूमि का आवंटन उस समय (आवंटन के समय) प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए किया जावेगा।

(iii) अ– आवंटित की जाने वाली भू–पट्टी का नाप अधिकतम 100 वर्ग मीटर होगा परन्तु यह आवंटित आवास के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।

ब– इससे अधिक माप की भूमि उपलब्ध होने पर भू–पट्टी की उपयोगिता का ऑकलन कर, गुण, अवगुण के आधार पर आवंटन किया जावे।

(iv) अतिरिक्त भूमि एवं भू–पट्टी पर आवंटी बिना सक्षम स्वीकृति के कोई निर्माण कार्य नहीं करायेगा।

बिन्दु संख्या–16 :राजस्थान आवासन मण्डल के मुख्य अभियन्ता के निवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के निवास के समकक्ष टेलीफोन कॉल्स की स्वीकृति बाबत :

इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाकर मण्डल के मुख्य अभियन्ता के निवास पर स्थापित दूरभाष के लिए कॉल्स की सीमा 1200 से बढ़ाकर 1800 कॉल्स प्रति दो माह किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 197वीं बैठक दिनांक 22.01.2005 को अध्यक्ष महोदया के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. श्रीमती ऊषा शर्मा,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार	अध्यक्ष
2. श्री वी.एन.शर्मा,	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. सरकार	सदस्य
3. श्री कुलदीप शर्मा	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4. श्री पी.के.पाण्डे	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर)	सदस्य
5. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य–सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री सुरेश सिंहल	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
2. श्री बी.एन.मूलचन्दानी	मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यवाही विवरण,

सर्वप्रथम सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदया एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार आरम्भ की गई–

बिन्दु संख्या–1 : दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न हुई मण्डल की 196वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–2 : मण्डल की 196वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गत 196वीं बैठक के सभी बिन्दुओं की क्रियान्विति कर दी गई है। इस पर प्रस्तावानुसार क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–3 : वर्ष 2004–05 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2005–06 का बजट अनुमान : FA&CAO

प्रस्तावानुसार वर्ष 2004–05 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2005–06 का बजट अनुमान पारित किया गया।

बिन्दु संख्या–4 : राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ दिये गये अंशदान राशि की पुष्टि हेतु : FA&CAO

प्रस्तावानुसार सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्य मंत्री सहायता कोष में दी गई राशि रूपये 8.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें लगभग 4.00 लाख रूपये मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक दिवस के मूल वेतन से कटौति के रूप में तथा 4.00 लाख रूपये मण्डल कोष में से मण्डल के अंशदान के रूप में दिये गये।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से–

बिन्दु संख्या–5 : राजस्थान आवासन मण्डल सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली 2005 लागू किये जाने के संबंध में : FA&CAO

प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली 2005 का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–6 : श्री ए.के.रावत, आवासीय अभियन्ता को उनके पुत्र की चिकित्सा मुम्बई में कराये जाने की स्वीकृति बावत : SECY

प्रस्तावानुसार श्री ए.के.रावत, आवासीय अभियन्ता के पुत्र की खाण्डेपारकर नर्सिंग होम मुम्बई में कराई गई चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता की कुल राशि रूपये 72747.00 की, विशेष परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–7 : प्रताप नगर योजना, सांगानेर के सैक्टर–25 में उच्च गुणवत्ता के स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण : C.E

प्रस्तावानुसार उक्त योजना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं साथ ही उक्त योजना को प्रारम्भ करने के पश्चात् आवेदकों के रूझान को देखते हुए परियोजना की लागत 66.32 करोड़ रूपये की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–8 : चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में निर्मित अशोक उद्यान के संबंध में पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट एवं किए गए एवं बकाया व्यय राशि के भुगतान के संबंध में : C.E

प्रस्ताव पर, पूर्व गठित समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में विचार–विमर्श कर प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिए गए–

1. उक्त परियोजना पर पूर्व में व्यय की गई राशि रूपये 948.20 लाख की विभिन्न चरणों में पूर्व में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर

पुनर्विचार किया जाकर, प्रस्तावानुसार ठेकेदारों द्वारा किए गए 706.35 लाख के कार्य के विरूद्ध अब तक मण्डल द्वारा किए गए भुगतान 622.34 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। ठेकेदारों को किए जाने वाले शेष भुगतान राशि रूपये 84.01 लाख में से 70 प्रतिशत राशि का भुगतान ठेकेदारों को और किए जाने बाबत इस वित्तीय वर्ष 2004–05 में बजट प्रावधान रखा जाये! तद्नुसार वर्ष 2004–05 संशाधित बजट अनुमान में बजट प्रावधान रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. अशोक उद्यान जोधपुर से संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों की जाँच हेतु बोर्ड द्वारा जो जाँच समिति गठित की गई थी, के संबंध में विशेष जाँच राज्य सरकार के स्तर पर कराये जाने बाबत सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त परियोजना के शेष कार्यों को अन्तिम रूप देने के संबंध में अध्यक्ष एवं आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर पर निरीक्षण किया जाकर बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 198वीं बैठक दिनांक 05.08.05 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. डॉ. ललित के. पंवार	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार	अध्यक्ष
2. श्री बी.एन.शर्मा,	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. सरकार	सदस्य
3. श्री नरहरि शर्मा	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4. श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य–सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री बी.एन.मूलचन्दानी	मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री पी.एम.व्यास	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्रीमती दुर्गा जोशी	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री एस.एम.माथुर	अति.मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री टी.पी.मित्तल	अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की गई–

बिन्दु संख्या–198.1 : दिनांक 22.1.05 को सम्पन्न हुई मण्डल की 197वीं (बजट) बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–198.2 : मण्डल की 197वीं (बजट) बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मण्डल की गत 197वीं बैठक के सभी बिन्दुओं की क्रियान्विति हो गई है। इस पर प्रस्तावानुसार क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया।

विन्दु संख्या–198.3 : Proposal for according Administrative and Financial sanction for construction of 242 houses of various categories against Self Financing Scheme 2004 (II) at Kuri Bhagtasni, Jodhpur :

प्रस्तावानुसार कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से करा लिया जाये। कार्यों की प्रस्तावित स्पिलिटिंग की स्वीकृति दी गई, जिसका अनुमोदन भी राज्य सरकार से करा लिया जाये।

विन्दु संख्या–198.4 : Proposal for according Administrative and Financial sanction for the work of construction of EWS-120, LIG-445, MIG-A-50 and MIG-B-22 Nos. houses of Kuri Bhagtasni, Jodhpur :

प्रस्तावानुसार कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई एवं कार्यों की प्रस्तावित स्पिलिटिंग का अनुमोदन किया गया।

विन्दु संख्या–198.5 : राजस्थान आवासन मण्डल के लागत सिद्धान्तों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की भूमि एवं विकास दर (आरक्षित दर) संशोधित किये जाने बाबत :

प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि लागत सिद्धान्तों में भूमि की आरक्षित दर तय करने के विषय में डी.एल.सी., जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास की विभिन्न स्थानों की भूमि दरें मंगवाकर कार्यवाही की जाये एवं विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रक्रिया से किया जाये।

विन्दु संख्या–198.6 : व्यावसायिक सम्पत्तियों के नियमितीकरण हेतु लिये जाने वाले प्रशासनिक शुल्क वसूलने के क्रम में :

प्रस्तावानुसार व्यावसायिक सम्पतियों के नियमितीकरण एवं इस हेतु द्वारा लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क के संबंध में मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमशः दिनांक 16.5.05 एवं दिनांक 24.5.05 की पुष्टि की गई।

विन्दु संख्या–198.7 : सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर ब्याज दर कम करने के सम्बन्ध में :

प्रस्तावानुसार सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर देय ब्याज की दर वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए 9 प्रतिशत एवं वर्ष 2003–04 व 2004–05 के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक करने का अनुमोदन किया गया|साथ ही प्रस्तावानुसार आहरण पर वसूलनीय ब्याज दर वर्ष 2002–03 के लिए 10 प्रतिशत एवं वर्ष 2003–04 व 2004–05 के लिए 9 प्रतिशत किये जाने का भी अनुमोदन किया गया।

विन्दु संख्या–198.8 : मण्डल की निर्धारित वित्त एवं लागत समिति द्वारा दिनांक 24.3.04 की बैठक (परिचलन) में लिए गए निर्णय मण्डल के समक्ष पुष्टि हेतु :

प्रस्तावानुसार वित्त एवं लागत समिति द्वारा परिचलन द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई। भविष्य में विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों की पुष्टि, आवश्यक होने पर मण्डल की आगामी प्रथम बैठक में ही कराए जाने के निर्देश दिये गये।

विन्दु संख्या–198.9 : वित्तीय वर्ष 2004–05 (कर निर्धारण वर्ष 2005–06) के लिए राजस्थान आवासन मण्डल में चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट को नियुक्त करने के संबंध में :

प्रस्तावानुसार मण्डल में मैसर्स आर.शाह एण्ड कम्पनी को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट नियुक्त करने के निर्णय की पुष्टि की गई।

विन्दु संख्या–198.10 : मण्डल में समय–समय पर आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों की पुष्टि बाबत :

प्रस्तावानुसार सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 29.7.04, 19.1.05, 15.3.05 एवं 13.4.05 में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई।

विन्दु संख्या–198.11 : कृष्णा चेरीटेबिल ट्रस्ट को मण्डल की मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि के विशेष जाँच प्रतिवेदन की अनुपालना के सम्बन्ध में :

प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् इस बिन्दु को मण्डल की आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव

विन्दु संख्या–198.12 : 1. 'राज आंगन योजना में सलाहकार मै. सिद्धा प्रो. प्रा. लि. की अनुबन्ध अवधि बढ़ाना

प्रकरण में हुई चर्चानुसार निर्णय लिया गया कि योजना के बढ़े हुए आकार एवं लागत को मद्देनजर रखते हुए योजना के मार्केटिंग, आर्कीटैक्चर, प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन इत्यादि एक्टीविटीज के अन्तर्गत 10.775 प्रतिशत राशि के भुगतान को प्रोजेक्ट की मूल लागत के प्रावधान तक ही सीमित रखने के सम्बन्ध में सलाहकार से वार्ता की जावे। साथ ही सलाहकार के स्तर से ली जा रही सेवाओं का प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुनः आकलन किया जावे। इस हेतु योजना के नोडल अधिकारी (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय) एवं वित्तीय सलाहकार सुझाव/सिफारिशें मण्डल की आगामी बैठक में रखेंगे।

-153-

198.12 : 2. योजना को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के व्यय का जयपुर विकास प्राधिकरण को आधा भुगतान

प्रस्तावानुसार मण्डल की राज आंगन योजना को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क निर्माण पर होने वाले व्यय 397.00 लाख रूपये की आधी राशि रूपये 198.50 लाख का मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

विन्दु संख्या–198.13 : प्रतापनगर में अप्रवासी भारतीयों/राजस्थानियों हेतु राज आंगन योजना की तर्ज पर द्वितीय चरण में योजना प्रारम्भ करने के संबंध में :

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित योजना में जयपुर शहर में भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए भविष्य में बहुमंजिले आवासों का ही निर्माण किया जावे तथा इसके लिए देश के ख्यातनाम आर्कीटैक्ट्स एवं बिल्डर्स के साथ ज्वाइंट वैन्चर के तहत योजनाएं बनाई जायें जिससे मण्डल के पास उपलब्ध भूमि पर अपेक्षाकृत अधिक आवास बनाए जा सकें और मण्डल को भी अधिक राशि प्राप्त हो सके।

बिन्दु संख्या–198.14 : बीसलपुर से जयपुर शहर को जलापूर्ति योजना के तहत मण्डल की मानसरोवर कॉलोनी में 2500 वर्ग मीटर भूमि जन स्वा. अभि. विभाग को आवंटन के संबंध में :

प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को मण्डल की मान सरोवर कॉलोनी में 2500 वर्ग मीटर भूमि जनहित में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूमि के निःशुल्क आवंटन में यह शर्त जोड़ दी जावे कि भविष्य में बीसलपुर योजना से जलापूर्ति के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मण्डल से किसी भी प्रकार की शेयरिंग कोस्ट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 199वीं बैठक दिनांक 20.08.05 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. डॉ. ललित के. पंवार	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार	अध्यक्ष
2. श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सचिव

श्री नरहरि शर्मा, आवासन आयुक्त, आधे दिवस के अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विशेष आमंत्रित

श्री बी.एन.मूलचन्दानी	मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री पी.एम.व्यास	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्रीमती दुर्गा जोशी	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री एस.एम.माथुर	अति.मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यवाही विवरण

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न की गई–

बिन्दु संख्या–199.1 : दिनांक 05.08.05 को सम्पन्न हुई मण्डल की 198वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–199.2 : मण्डल की 198वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

बिन्दु संख्या–198.3 के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अन्य सभी बिन्दुओं के संबंध में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–199.3 : राजस्थान आवासन मण्डल के लागत सिद्धान्तों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की भूमि एवं विकास दर (आरक्षित दर) संशोधित किये जाने बाबत :

प्रस्तावों पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया

आवासीय भूमि : प्रस्ताव के परिशिष्ट–3 पर वर्ष 2005–06 हेतु प्रस्तावित आवासीय भूमि एवं विकास दर, जो कि वर्ष 2004–05 की स्वीकृत आरक्षित भूमि विकास दर में सामान्य ब्याज दर

...10 प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की गई है एवं कुछ योजनाएं जिनमें वास्तविक खर्चों के आधार ...प्राप्त दर को जोड़कर प्रस्तावित किया गया है, को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

...वसायिक भूमि : व्यावसायिक भूमि आरक्षित दरों का निर्धारण पूर्वानुसार आवासीय आरक्षित ...र का चार गुणा एवं निर्धारित उपरिव्यय जोड़ते हुए करने का निर्णय लिया गया।

...स्थानिक भूमि : संस्थानिक भूमि विकास दर का निर्धारण जयपुर शहर की योजनाओं हेतु, ...यपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित न्यूनतम आवासीय दरों एवं जयपुर के अतिरिक्त अन्य ...हरों की योजनाओं हेतु डी.एल.सी. की न्यूनतम आवासीय दरों में 50 प्रतिशत राशि जोड़कर ...र्धारित करने का निर्णय लिया गया। संस्थाओं हेतु निर्धारित की जाने वाली उपरोक्त ...स्थानिक भूमि विकास दरों में 25 प्रतिशत उपरिव्यय पूर्वानुसार वसूलनीय होंगे।

...ख्या–199.4 : कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को मण्डल की मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि के विशेष जांच प्रतिवेदन की अनुपालना के संबंध में :

...निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पत्र क्रमांक–8787 दिनांक–14.7.05 में कृष्णा ...ट्रस्ट को आवंटित भूमि की विशेष जाँच प्रतिवेदन में लगाये गये आक्षेपों के संबंध में पूर्व में ...गये आक्षेपों को निरस्त करते हुए मण्डल द्वारा इस विषय में सहमत नहीं होने पर 7 दिवस में ...गत कराने हेतु उल्लेखित किया गया है।

...निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के उक्त पत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत ...विमर्श के उपरांत निम्न निर्णय लिये गये–

...प्रस्तुत प्रकरण कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को आवंटित भूमि के संबंध में चल रहा है। अतः अगर ...ट्रस्ट का, आवंटित भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा है तो उसके संबंध में अलग से विचार किया ...जाना होगा। निर्णय लिया गया कि मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, ट्रस्ट के कब्जे की भूमि की पैमाईश ...आगामी 7 दिवस में कराकर यह ज्ञात करें कि वर्तमान में संस्थान का आवंटन से अधिक कितनी ...भूमि पर कब्जा है। इस अधिक कब्जे वाली भूमि के संबंध में अलग से कार्यवाही की जाएगी।

...कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.4.99 के द्वारा 6 एकड़ ...भूमि का आवंटन इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु किया गया था। दिनांक–20.6.99 को ट्रस्ट की ओर ...से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.4.99 का कार्यवाही ...विवरण संशोधित करते हुए यह अंकित किया गया कि–

..."कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को 43728.49 वर्गमीटर भूमि योजना की प्रचलित दर पर आवंटित करने ...का निर्णय लिया गया और कब्जा देने से पूर्व संबंधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने का निर्णय ...लिया गया।"

...मण्डल द्वारा दिनांक–27.8.99 को मानसरोवर योजना की वर्ष 1999, 2000 हेतु 700/– रूपये ...प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई जो दिनांक 1.7.99 से प्रभावी मानी गई। तत्कालीन ...अध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.9.99 को पत्रावली में यह आदेश दिये गये कि–"कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट ...को जो आवंटन पत्र जारी किया जायेगा उसमें सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक के दिन

अर्थात् दिनांक 30.4.99 को प्रचलित दर के अनुसार आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।" उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय द्वारा उक्त अनुसार दिनांक 24.9.99 को जारी आवंटन पत्र में भूमि की दर 545/– रूपये प्रति वर्गमीटर व 25 प्रतिशत उपरिव्यय को शामिल करते हुए भूमि की कीमत 681.25 रूपये प्रति वर्गमीटर अंकित की गई। इस कार्यवाही की पुष्टि सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20.2.2000 के निर्णय बिन्दु संख्या–10 के द्वारा की गई। मण्डल की 186वीं बैठक दिनांक–24.8.2000 में सम्पत्ति आवंटन समिति के दिनांक 10.12.99 से 14.6.2000 तक की बैठकों में पारित निर्णयों की पुष्टि की गई है जिसमें सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 20.2.2000 भी शामिल है।

स्थानीय अंकेक्षण विभाग द्वारा ट्रस्ट को कम दर पर भूमि आवंटन करने से संबंधित आक्षेप बनाया गया था जिस पर मण्डल की बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को भूमि के आवंटन का निर्णय सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक–30.4.99 में लिया गया था और उक्त आवंटन के लिए दिनांक 30.4.99 को प्रचलित आरक्षित दर पर भूमि की कीमत लेने के आदेश की पुष्टि भी सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक–20.2.2000 में कर दी गई थी एवं सम्पत्ति आवंटन समिति की इस बैठक के निर्णयों की पुष्टि भी मण्डल की 186वीं बैठक में दिनांक 24.8.2000 को कर दी गई थी एवं सम्पत्ति आवंटन समिति तथा मण्डल के उक्त निर्णयों को किसी भी स्तर पर खारिज नहीं किया गया है, अतः भूमि की कीमत के संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आक्षेप निरस्त किये जाने के संबंध में मण्डल द्वारा अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को भूमि का आवंटन सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.4.99 के द्वारा किया गया था। उस समय संस्थानों को आवंटित भूमि पर आरक्षित दर पर 25 प्रतिशत उपरिव्यय भार लेने का प्रावधान था। दिनांक 17.12.99 को आयोजित बोर्ड बैठक में संस्थानों को आवंटित की जाने वाली भूमि पर 25 प्रतिशत उपरिव्यय नहीं लेने का निर्णय लिया गया जिसमें यह भी निर्णय हुआ कि यह आदेश सभी लंबित प्रकरणों पर लागू होंगे।

मण्डल बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कृष्णा चेरीटेबल ट्रस्ट को चूंकि पूर्व में ही भूमि का आवंटन हो चुका था और उपरिव्यय के बारे में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा इससे संबंधित आक्षेप को उनके पत्र कमांक 8787 दिनांक 14.7.2005 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस निरस्तिकरण की कार्यवाही का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–199.5 : मण्डल में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति नियमों का निर्धारण एवं राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 में शामिल करने बाबत :

प्रस्तावानुसार सहायक सचिव के पद के लिए पदोन्नति नियमों का निर्धारण किया गया एवं इसे [स्थ]ान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–1976 में शामिल करने का अनुमोदन [किया] गया।

—133

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

[म]द संख्या—199.6 : श्री अभय कुमार जैन, श्री प्रकाश चन्द नाहटा एवं श्रीमती स्नेहलता नाहटा को राज आंगन योजना प्रतापनगर सांगानेर में आवास का आवंटन :

[प्र]स्ताव पर विचार किया जाकर गैर सरकारी संस्थान "अक्षयपात्र" से जुड़े समाजसेवी श्री अभय [कुमार] जैन एवं श्री प्रकाश चन्द नाहटा के समाजसेवा में उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए श्री [अभय] कुमार जैन को राज आंगन योजना का मकान पी-30 एवं श्री प्रकाश चन्द नाहटा तथा श्रीमती [स्नेह]लता नाहटा को राज आंगन योजना का मकान पी—39, नियम—8—ए के अंतर्गत आवंटित करने हेतु [राज्य] सरकार को अभिशंषा भिजवाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि [आवंटि]तों से वर्तमान दर पर राज आंगन योजना के नियमानुसार राशि प्राप्त कर पंजीकरण कर लिया [जावे]।

[म]द संख्या—199.7 : राज आंगन योजना में सलाहकार मैसर्स रिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. की अनुबन्ध की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में :

[प्र]स्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार एवं अतिरिक्त मुख्य [अभिय]न्ता—द्वितीय के साथ बैठक आयोजित कर रिद्धा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. से पूर्व में हुए एग्रीमेन्ट का [क्लॉज]वाईज विश्लेषण चार्ट के रूप में तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जावे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 200वीं बैठक दिनांक 28.01.2006 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. श्री अजयपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
2. डॉ. ललित के पँवार	प्रमुख शासन सचिव, न.वि. एवं आवा. विभाग, राज. सरकार	: सदस्य
3. श्री अशोक जैन	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. सरकार	: सदस्य
4. श्री ए.के.हेमकार	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	: सदस्य
5. श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक,	: सदस्य
6. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	: सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन.मूलचन्दानी	मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री पी.एम.व्यास	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री एस.एम.माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री टी.पी.मित्तल	अति. मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर
श्री आर.पी.शर्मा	वरिष्ठ लेखाधिकारी, बजट, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यवाही विवरण

सर्वप्रथम मण्डल के नवनियुक्त अध्यक्ष, माननीय श्री अजयपाल सिंह जी का उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की गई–

बिन्दु संख्या–200.1 : दिनांक 20.08.05 को सम्पन्न हुई मण्डल की 199वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–200.2 : मण्डल की 199वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को गत 199वीं बैठक के विन्दुओं की क्रियान्विति से अवगत कराया। क्रियान्विति की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। शेष रही क्रियान्विति, संबंधित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करें।

बिन्दु संख्या–200.3 : वर्ष 2005–06 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार वर्ष 2005–06 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2006–07 का बजट अनुमान पारित किया गया। चर्चा के दौरान वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ने संचालक मण्डल को अवगत कराया कि वर्ष 2004–05 के वार्षिक लेखों के अनुसार डिपोजिट वर्क्स के पेटे विभिन्न विभागों से लगभग 11.00 करोड़ रूपये लेना शेष है तथा बजट प्रस्तावों में लिए गए प्राप्ति एवं व्यय के प्रावधानों के पश्चात् लगभग रूपये 7.00 करोड़ विभिन्न विभागों से

-85-

बकाया रहेंगे। संचालक मण्डल द्वारा नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2005–06 के अन्त तक डिपोजिट वर्क्स के विरूद्ध बकाया राशि को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जावें।

वित्त सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा बजट प्रावधानों में संस्थापन व्यय में कमी करने के लिए कहा गया। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ने सूचित किया कि संस्थापन व्यय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के लगभग 80 प्रतिशत व्यय सम्मिलित है, अतः मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी करने की दशा में संस्थापन व्यय में स्वतः ही कमी परिलक्षित होगी। वित्त सचिव, राजस्थान सरकार ने कहा कि मण्डल द्वारा संस्थापन व्यय में कमी लाने के सार्थक प्रयास किये जाने चाहिए।

दु संख्या–200.4 : Creation of a new division naming Rajasthan Institute for Conservation of Cultural Properties (RICULLP) : **SECY.**

मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त एजेन्डा को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया–

प्रस्ताव में क्र.सं. 'B' पर अंकित पंक्ति "Subsequently the institute shall be registered under Society Act for its autonomy." को विलोपित किया गया।

क्र.सं.–'H'–यह खण्ड अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

र संख्या–200.5 : For the proper functioning of the RICULLP following proposals are now put up for consideration of the Board— **SECY.**

A : Schedule of Financial Powers, B : Formation of Permanent Technical Advisory Committee (PTAC), C : Change in Designation, D : Funds for purpose of equipments, E : Special Pay, F : Conveyance.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त उपरोक्त एजेन्डा को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया–

A : Schodulo of Financial Powers

रिकल्प के कार्य संपादन हेतु प्रस्तावित Schedule of Financial Powers जो कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान को कला एवं संस्कृति विभाग के परिपत्र दिनांक–24.7.03 के द्वारा प्रदत्त की गई है, को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया–

(1) पुरातत्व विभाग में "प्रशासनिक विभाग" को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग आवासन आयुक्त की सिफारिश पर अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्र.सं.–13 पर प्रस्तावित शक्तियों के प्रत्यायोजन को अनावश्यक माना गया।

क्र.सं. 14 पर प्रस्तावित समिति आवासन आयुक्त के स्थान पर मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में रखने का निर्णय लिया गया, जिसके अन्य सदस्य वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता व निदेशक रिकल्प होंगे।

D : Funds for purpose of equipments : विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार मण्डल से आवश्यक लगभग 6.00 लाख रूपये की स्वीकृत करते हुए मण्डल नियमानुसार उपकरण उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

E : Special Pay : विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त विशेष वेतन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

संख्या–200.6 : मण्डल में 15 कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर ऑपरेटर (Man with Machine) एवं 1 प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर लगाने बाबत : **ACE-P&M**

मण्डल में कम्प्यूटीकरण के कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार 15 कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर ऑपरेटर (Man with Machine) संविदा के आधार पर लगाने बाबत प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। उक्त व्यवस्था किसी एजेन्सी के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया। संविदा आधार पर प्रोग्रामर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया।

संख्या–200.7 : वृत्त कार्यालयों में भूमि की रख–रखाव हेतु सर्वेयर/भूमापक की नियुक्ति करने बाबत : **SECY.**

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि मण्डल के प्रत्येक वृत्त में भूमि के संधारण हेतु एक इंस्पेक्टर एवं चार भू मापक के पद सृजित किए जाकर प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु विचार किया जाए। इसके अनुसार आठ वृत्तों के लिए 40 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव इस आधार पर बनाया जाये कि इसके बदले इतने ही अन्य पद समर्पित किए जाएं। इसके अनुसार प्रस्ताव बनाये जाकर राज्य सरकार के वित्त विभाग को, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवाये जायें।

संख्या–200.8 : परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) विद्युत की पृथक रूप से वरिष्ठता सूची जारी करने बाबत : **SECY.**

मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता कनिष्ट (विद्युत) की वरिष्ठता सूची प्रस्तावानुसार अलग से जारी किए जाने के प्रकरण को स्थगित रखा गया। इस संबंध में अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

संख्या–200.9 : श्री जे.पी.गोठवाल, कनिष्ठ सहायक, वृत्त कोटा के चिकित्सा बिलों का पुनर्भुगतान : **FA&CAO**

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–200.10 : (अ) फैरोमेन कम रिकार्डकीपर को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने बाबत देय वेतन श्रृंखला एवं फेरोप्रिन्टर पद पर चयनित वेतनमान दिये जाने पर देय वेतन श्रृंखला के संबंध में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। **FA&CAO**

(ब) नगर नियोजक सहायक को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

-91-

(स) विधि सहायक को चयनित वेतनमान देने बाबत। :

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–200.11 : भण्डल अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त के लिए नये वाहन क्रय करने बाबत : SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचार–बिन्दु</u>

संख्या–200.12 : द्वारकापुरी योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं तत्सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण बाबत। A.C.E.-II

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के यहां आयोजित बैठक के निर्णयानुसार 3000 आवेदकों की जांच का कार्य नियमानुसार स्वतंत्र एजेन्सी से कराया जाये।

संख्या–200.13 : राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारियों को देय पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम की सुपर एनुएशन स्कीम के तहत कराये जाने एवं ट्रस्ट का गठन किये जाने बाबत। F.A& CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

संख्या–200.14 : आवासन मण्डल की चोपासनी योजना, जोधपुर में स्थित अशोक उद्यान का नाम परिवर्तन एवं विकास कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत। C.E

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक–प.8 (19)नविवि/1/2003 दिनांक–28.1.06 के द्वारा आवासन मण्डल की चोपासनी योजना जोधपुर में स्थित "सम्राट अशोक उद्यान" के विकास कार्यो हेतु जारी 11.00 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश का उक्त आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार–

(अ) उक्त उद्यान नगर निगम जोधपुर को विधिवत रूप से सुपुर्द करने तक रख–रखाव सम्बन्धी कार्य, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जायेगा।

(ब) इस उद्यान का नाम "अशोक उद्यान" से "सम्राट अशोक उद्यान" किया जाता है।

उक्तानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर एवं विधिवत् बजट आवंटित कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

संख्या–200.15 : सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल के चिकित्सा पुनर्भरण के रूप में हियरिंग एड हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि बाबत। F.A& CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

संख्या–200.16 : श्री भागीरथ शर्मा आवेदक, सामान्य पंजीकरण योजना–1979 के पंजीकरण पुनर्जीवन शुल्क की जमा राशि का आवास की लागत

C.E.M.

में समायोजन करने एवं उनकी वरीयता पूर्व की ही भांति रखे जाने के संबंध में।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

संख्या–200.17 : मण्डल में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों को बजट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

SECY.

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु पूर्ण विस्तृत प्रस्ताव, विश्लेषण एवं औचित्य दर्शाते हुए पुनः प्रस्तुत किया जाये।

क मण्डल में उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ततः सहमति हुई–

बजट प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि ब्याज की दरों में कमी के मद्देनजर मण्डल द्वारा आवंटियों से विशेषकर गरीब तबकों से किश्तों में वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में भी तद्नुसार परिवर्तन करने हेतु प्रकरण पर पूर्ण परीक्षण कर मण्डल की लागत एवं वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

बजट प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के दौरान प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग के सुझावानुसार मण्डल की भावी महत्वाकांक्षी योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त मण्डल द्वारा ली जाने वाली निम्नांकित तीन योजनाओं पर सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की गई–

(i) एन.आर.आई. फेज द्वितीय योजना।

(ii) मानसरोवर में आई.एस.बी.टी. योजना।

(iii) राजस्थान हैबीटेट प्रोजेक्ट।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 201वीं बैठक दिनांक 05.04.2006 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

श्री अजयपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
डॉ. ललित के पँवार	प्रमुख शासन सचिव, न.वि. एवं आवा. विभाग, राज. सरकार	: सदस्य
श्री अशोक जैन	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. सरकार	: सदस्य
श्री बी.एन.मूलचन्दानी	आवासन आयुक्त (कार्यवाहक), राजस्थान आवासन मण्डल	: सदस्य
श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक,राज.सरकार	: सदस्य
श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	: सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री पी.एम.व्यास	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।
श्री अनिल अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या–201.1 : दिनांक 20.08.05 को सम्पन्न हुई मण्डल की 200वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–201.2 : मण्डल की 200वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

(1) कार्यवाही की पुष्टि की गई। क्रियान्विति से शेष रहे बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही की जावे।

(2) बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय एवं सम्बन्धित अधिकारियों की इस बात के लिए भूरि भूरि प्रशंसा की गई कि उन्होंने आवंटियों से विशेषकर गरीब तबकों से किश्तों में वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में कमी करने बाबत, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट में घोषणा के तत्काल उपरान्त, त्वरित कार्यवाही करते हुए अगले ही दिन क्रियान्विति कर दी। इसके लिए मण्डल अध्यक्ष एवं सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

एवं मु. ले. अ.

(3) बिन्दु संख्या 200.10(अ) जो कि फैरोमेन कम रिकार्ड कीपर को प्रथम चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें निर्णय लेने के लिए संचालक मंडल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–201.3 : कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट ऑडिट प्रकरण :

.प्र.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही करने की प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–201.4 : **Creation of one post of Addl. Chief Town Planner in Planning Cell of Rjasthan Housing Board, Jaipur :**

सचिव

(1) विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त मण्डल में एक अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक का पद सृजित करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि प्रस्तावानुसार पद सृजन का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त किया जावे। यह पद नगर नियोजन विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा।

(2) विचार–विमर्श के दौरान यह बिन्दु भी चर्चा में आया कि आवासन मंडल में चल रहे कार्यभार को देखते हुए एक मुख्य अभियंता का अतिरिक्त पद सृजन करने पर विचार किया जावे। राज्य सरकार से इसके लिए अनुमति लेने के उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।

बिन्दु संख्या–201.5 : **Appointment of three Asstt. Town Planners on contract basis :**

सचिव

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल में सहायक नगर नियोजक का एक पद पूर्व में स्वीकृत था जो सीधी भर्ती का है और दो पद मण्डल की 179वीं बैठक में सृजित किए गए थे जिनकी स्वीकृति अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों पदों के सृजन की स्वीकृति एवं इस प्रकार तीनों पदों को नियमित रूप से भरने की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्यवाही की जावे।

बिन्दु संख्या–201.6 : श्री नन्द सिंह, सुपरवाईजर, खण्ड–9, जयपुर के दायें हाथ की कटी अंगुली के कारण क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में :

वि. स. एवं मु. ले. अ.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त श्री नन्दसिंह, सुपरवाईजर को राज्य सरकार की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में दिये गये प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार की राशि मण्डल से देने की स्वीकृति दी गई।

बिन्दु संख्या–201.7 : राजस्थान यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज (हॉस्पीटल एवं कॉलेज) के लिए सांगानेर, कुम्भा मार्ग पर 45000 वर्गमीटर भूमि के आवंटन की पुष्टि बावत :

मु. स. प्र.

मण्डल द्वारा दिनांक 25.11.2005 को आयोजित सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में राजस्थान यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेज (हॉस्पीटल एवं कॉलेज) को मण्डल की प्रतापनगर योजना सांगानेर सैक्टर–18 में दो भूखण्ड क्रमशः 10223 वर्गमीटर एवं 10087 वर्गमीटर कुल 20310 वर्गमीटर व मेडीकल हैल्थ विभाग, राजस्थान सरकार को 10000 वर्गमीटर भूमि मानसरोवर में निःशुल्क आवंटित करने के निर्णय की संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। इस निर्णय की राज्य सरकार की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है।

बिन्दु संख्या–201.8 : मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2004–05 का बोनस/अनुग्रह राशि की भुगतान की स्वीकृति के आदेश की पुष्टि हेतु :

वि. स. एवं मु. ले. अ.

विस्तृत–विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार मण्ड़ल कार्मिकों को बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान आदेशों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–201.9 : लागत एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 2.1.06 में लिये गये निर्णयों को मण्डल के समक्ष पुष्टि हेतु :

वि. स. एवं मु. ले. अ.

प्रस्तावानुसार लागत एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 2.1.06 में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–201.10 : प्रदेश के वर्ष 2006–07 के प्रस्तुत बजट भाषण के बिन्दु संख्या–135 में मण्डल के सम्बन्ध में आवासों की किश्तों पर देय ब्याज दरों में कमी करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति बाबत :

मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल की जा रही ब्याज दरों में की गई कमी की प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–201.11 : मण्डल के वित्तीय वर्ष 2004–05 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन हेतु :

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा मण्डल के वित्तीय वर्ष 2004–05 के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से अंकेक्षित लेखों का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–201.12 : श्री बी.के.शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी का पदोन्नति प्रकरण :

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्देश दिए गए कि अन्य विभागों में पदस्थापित सांख्यिकी संवर्ग में पदोन्नति का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जावे और उसके उपरान्त समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावें।

बिन्दु संख्या–201.13 : **Confirmation of amendments in delegation of powers as approved by Works Committee in its meeting on 4.3.2006 :**

दिनॉक 4 मार्च 2006 को सम्पन्न हुई कार्य समिति की बैठक के बिन्दु संख्या 1 में लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियमों के मद सं.24 में दी गई शक्तियों में प्रत्यायोजन परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया । संचालक मंडल द्वारा कार्य समिति के निर्णयानुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन की पुष्टि की गई ।

बिन्दु संख्या–201.14 : वृत्त बीकानेर एवं अलवर के लिए उप आवासन आयुक्त के दो पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत :

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावानुसार उप आवासन आयुक्त के दो पद सृजित करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि पदों के उक्तानुसार सृजन का अनुमोदन राज्य सरकार से कराया जावे।

बिन्दु संख्या–201.15 : श्री एन.एल.अग्निहोत्री, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को उनके स्वयं की आँखों के चिकित्सा, अहमदाबाद में कराये जाने पर चिकित्सा के पुर्नभरण की स्वीकृति हेतु :

श्री एन.एल. अग्निहोत्री परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) को उनकी आँखों की चिकित्सा अहमदाबाद में कराये जाने पर रुपये 95,000 तक के पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिन्दु संख्या–201.16 : श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन समिति मानसरोवर को आवंटित भूमि की दर व ऊपरी व्यय की राशि के क्रम में :

मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा दिनांक 25.11.2005 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन समिति को 1562.87 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर पर एवं 25 प्रतिशत उपरिव्यय लिया जाकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार समिति को आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है।

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन समिति द्वारा इस भूमि के पेटे आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेने व उपरिव्यय 25 प्रतिशत नहीं लेने का अनुरोध किया गया है।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा समिति को उक्त आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ यह भी निर्णय लिया गया कि समिति से इस भूमि के पेटे आरक्षित दर की प्रतिशत राशि लेने एवं उपव्यिय नहीं लेने की सिफारिश राज्य सरकार को जावे।

बिन्दु संख्या 201.17 : श्री रविन्द्र गोयल को आवंटित आवास संख्या–69/287 मानसरोवर, जयपुर बकाया राशि की गणना समझौता समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार करने बाबत

मु.स.प्र.

श्री रविन्द्र गोयल को आवंटित आवास संख्या 69/287, मानसरोवर, जयपुर बकाया राशि की गणना के विषय में संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि श्री रविन्द्र गोयल से समझौता समिति के निर्णय 3.9.2002 के अनुसार वर्ष 1996 की रिजर्व के आधार पर मकान की कीमत वसूल की जावे। समझौता समिति के निर्णय के पश्चात् विलम्ब से जमा कराई गई राशि पर हुड़को ब्याज दर के आधार पर वसूल किया जावे। इस प्रकार उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय द्वारा श्री गोयल को दिये गये डिमाण्ड नोट की राशि रुपये 97,062 के स्थान पर संशोधित के अनुसार वसूल की जावे।

विशेष बिन्दु संख्या (1)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान में आवासन मंडल वित्त लेखे, "प्रिप्रेशन, मेंटीनेंस एण्ड पब्लिकेशन आफ अकाउण्टस रूल्स 1970" के अनुसार तैयार किए जा रहे है। फाइनेंस बिल 2002 के सेक्शन 10(20)ए के अनुसार हाउसिंग बोर्ड आयकर भुगतान से संबंधित संस्थाओं की परिधि में आ चुका है। मंडल के चार्टेड अकाउण्टेंट सूचित किया है कि उक्त नियम 1970 के अनुसार तैयार किये जा रहे लेखों से आयकर निर्धारण करवाने में अनेकों समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं है। अतः चार्टेट अकाउण्टेंट उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मर्कण्टाइल बेसिस पर लेखा संधारण व्यवस्था अपनाने सुझाव दिये है।

वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त व्यवस्था के लिये मंडल की लेखा प्रकिया, व्यवस्था एवं मंडल द्वारा संधारण किये जा रहे विभिन्न रजिस्टर एवं प्रपत्रों की ख्यातिप्राप्त संस्था/चार्टेड अकाउण्टेंटों से सिस्टम स्टेडी कराया जाना आवश्यक है। संचालक मंडल द्वारा इसके लिए अनुमति प्रदान की गई।

विशेष बिन्दु संख्या (2)

वि.स. एवं मु.ले.अ./

मु.स.प्र.

वित्त सचिव महोदय ने सुझाव प्रस्तुत किया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड डिस्पोजल आफ प्रापर्टी रेगूलेशन नियम 1970 के अन्तर्गत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाने मकानों पर मकान मालिक(आवंटी) की मृत्यु होने की अवस्था में मंडल की बकाया राशि वसूली सुनिश्चित करने एवं आवंटी के परिवार को कठिनाइयों से बचाने हेतु बीमा कम्पनियों से वार्ता कर कोई व्यवस्था सृजित करने की कार्यवाही की जावे।

सचिव

अ. संचालक मंडल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जैसा कि मण्डल द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया है, मंडल की विभिन्न समितियों के कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु मंडल की बैठक में नहीं रखे जायेंगे, ऐसे विवरण सिर्फ आवश्यकता होने पर ही मंडल की बैठक में जायें।

सचिव

ब. मंडल बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले एजेण्डा नोट विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित कराये जाकर ही प्रस्तुत किये जायें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)
सचिव

क्रमांक:

शासन उ
आयोजन
राज. सर
जयपुर

महोदय,

भर्ती एव
करें।
में कार्यर
में किरा-
कार्यरत
किये जा

डी.बी.एपस.

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 202वीं बैठक दिनांक 11.10.2006 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. श्री अजयपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	:	अध्यक्ष
2. डॉ. ललित के पँवार	प्रमुख शासन सचिव, न.वि.वि., राजस्थान सरकार	:	सदस्य
3. श्री सोहन लाल	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	:	सदस्य
4. श्रीमती नीलकमल दरबारी	वित्त सचिव–प्रथम, राज. सरकार	:	सदस्य
5. श्री यू.के.श्रीवास्तव	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	:	सदस्य
6. श्री के.के.गुप्ता	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	:	सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन.मूलचन्दानी,	मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. श्री एस.एम.माथुर,	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. श्री पी.एम.व्यास	वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।
4. श्री अनिल अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या–202.1 : दिनांक 5.4.06 को सम्पन्न हुई मण्डल की 201वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–202.2 : **मण्डल की 201वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :**

मण्डल स्तर पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–202.3 : Amendment in the amount limit of tenders/two bid system under RE, Electrical :

मु.अभि. II

विस्तृत विचारोपरान्त मण्डल में विद्युत कार्यों हेतु भविष्य में 100.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों की निविदाएं ही two bid system में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.4 : 27 शहरों में घरौंदा योजना लागू करने के सम्बन्ध में :

मु.अभि. I/II

मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही घरौंदा योजना का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.5 : **प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में एन.आर.आई. सर्किल पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा की स्थापना :**

मु.अभि. II

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त एन.आर.आई. सर्किल, प्रताप नगर में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना पर व्यय होने वाली राशि रुपये 16.75 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस व्यय का पुनर्भरण प्रताप नगर योजना की भविष्य में विक्रय होने वाली आवासीय/व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूमि की दर बढ़ाकर करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं प्रतिमा का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रस्तावानुसार शिथिलता प्रदान करते हुए शिल्पकार आनन्द शर्मा से कराने का अनुमोदन किया गया।

...न्दु संख्या–202.6 : प्रताप नगर योजना सांगानेर के सेक्टर–24 में अप्रवासी भारतीयों/राजस्थानियों के लिए बनाये जा रहे आवासों में मै. सिद्धा प्रा. लि. से सेम्पल हाऊस के निर्माण के सम्बन्ध में :

अ.शा. TT

प्रस्तावानुसार एन.आर.आई. योजना के पांच सैम्पल आवासों का बिना निविदा आमंत्रित किए सार्वजनिक निर्माण विभाग बी.एस.आर.–1998 पर 6 प्रतिशत अधिक दर पर निर्माण कराये जाने की कालातीत स्वीकृति प्रदान की गई।

...न्दु संख्या–202.7 : वित्तीय वर्ष 2005–06 (कर निर्धारण वर्ष 2006–07) के लिए राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति बाबत :

वि.स. एवं मु. ले. अ.

विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।

...न्दु संख्या–202.8 : राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी पेंशन विनियम 1992 के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में :

...स. एवं मु. ले. अ.

विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन नियमों में संशोधन का एवं यह संशोधन दिनांक 1.7.2004 से प्रभावी होने का अनुमोदन किया गया।

...न्दु संख्या–202.9 : सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर वर्ष 2005–06 में 8 प्रतिशत ब्याज देने के संबंध में :

...स. एवं मु. ले. अ.

प्रस्तावानुसार जमा राशियों पर वर्ष 2005–06 में 8 प्रतिशत ब्याज देने एवं अस्थाई आहरण पर वसूलनीय ब्याज 9 प्रतिशत यथावत रखने का अनुमोदन किया गया।

...न्दु संख्या–202.10 : मण्डल द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सड़क के किनारे भूतल एवं रियायती दर पर आवास आवंटन बावत :

...स. प्र.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त विकलांगों को रियायती दर पर आवंटन के प्रावधान को विलोपित करने के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

...न्दु संख्या–202.11 : मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में निर्मित सामुदायिक भवन का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन रखे जाने हेतु :

...स. प्र.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में निर्मित सामुदायिक भवन का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन रखने का निर्णय लिया गया।

...न्दु संख्या–202.12 : श्रीमती विशनी देवी को आवंटित आवास सं.–75/338 का ब्याज माफ करने के संबंध में :

...स. प्र.

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पाया गया कि श्रीमती विशनी देवी एक गरीब, वृद्ध एवं विधवा महिला है तथा उसके पांचों पुत्र विकलांग हैं और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इन विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार ब्याज राशि को पूर्ण माफ करने का निर्णय लिया गया।

...न्दु संख्या–202.13 : श्री कुलवन्त सिंह को नीलामी में विक्रीत भूखण्ड की राशि दो वर्ष से अनाधिक अवधि में ब्याज रहित जमा कराने की स्वीकृति बावत :

...स. प्र.

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार विलम्ब अवधि का 24 प्रतिशत की दर से ब्याज लेते हुए नियमित करने का निर्णय लिया गया।

न्दु संख्या–202.14 :मानसरोवर थड़ी मार्केट, अग्रवाल फॉर्म का नाम झूलेलाल मार्केट तथा इससे लगते मार्ग का नाम झूलेलाल मार्ग रखने बाबत :

स.प्र.

विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना में स्थित थड़ी मार्केट के नाम से ख्यात स्थान का नाम झूलेलाल मार्केट रखने व इससे लगते सहमार्ग का नाम झूलेलाल मार्ग रखने का निर्णय लिया गया।

न्दु संख्या–202.15 :राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उदयपुर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को मण्डल की सविनाखेड़ा योजना में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में :

स.प्र.

प्रस्तावानुसार फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, उदयपुर को पूर्व में आवंटित 2.5 हैक्टेयर भूमि में से 10000 वर्गमीटर भूमि नि.शुल्क आवंटित करने और शेष भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए दिनांक 3.8.2006 की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन किया गया।

न्दु संख्या–202.16 :आवासन मण्डल की योजनाओं में अनाधिकृत निर्माण/अवैध कब्जों व ध्वस्त/हटाने के लिए प्रवर्तन दस्ता एवं शक्तियाँ प्राप्त करने बाबत :

स.प्र.

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से मण्डल को अपनी सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु प्रवर्तन दस्ता स्थापित करने की सिद्धान्ततः सहमति दी गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान पब्लिक प्रोमिसेज (इविक्शन ऑफ अन–ऑथोराईज्ड ऑक्यूपेन्ट्स) एक्ट–1964 के अन्तर्गत मण्डल के अधिकारियों को सम्पदा अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही निर्देशित किया गया कि मण्डल में उपलब्ध सरप्लस स्टॉफ को समायोजित करते हुए एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थापित प्रवर्तन दस्ते की संरचना को ध्यान में रखते हुए तार्किक ढंग से प्रवर्तन दस्ते के गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।

न्दु संख्या–202.17 :ब्राह्मण समाज को मानसरोवर योजना जयपुर में आवंटित 2000 वर्गमीटर भूखण्ड को रियायती दर पर आवंटन करने बाबत :

स.प्र.

चूंकि राज्य सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है अतः विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

न्दु संख्या–202.18 :कुमारी रानी माथुर पुत्री श्री छज्जू सिंह माथुर को जमा राशियों के रिफण्ड पर ब्याज दिलाये जाने बाबत :

स.प्र.

प्रस्तावानुसार आवेदिका द्वारा मण्डल में जमा कराई गई राशियां बिना कटौति मय ब्याज वापिस दिये जाने का निर्णय लिया गया।

न्दु संख्या–202.19 :मण्डल में कनिष्ट सहायक के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों एवं मुंशी ग्रेड प्रथम से कनवर्जन कोटे के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में :

सचिव

संचालक मण्डल की अनुमति से एजेण्डा प्रस्ताव वापिस लिया गया।

न्दु संख्या–202.20 :राज्य सरकार द्वारा चाणक्यपुरी नई दिल्ली में निर्मित स्टेट गेस्ट हाउस में अधिकारियों/कर्मचारियों के ठहरने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल यात्रा भत्ता नियमों में समावेश हेतु :

सचिव/
स. एवं मुलेअ

विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार आवासन मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्टेट गैस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में रियायती दरों पर ठहरने के व्यय के पुनर्भरण हेतु मण्डल के यात्रा व्यय नियमों में समावेश करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त स्टेट गेस्ट हाउस में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर राज्य के बाहर दिल्ली एवं अन्य राज्यों में रीको के संबंधित नियमों के समकक्ष यात्रा व्यय पुनर्भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–202.21 :मण्डल में निजी सचिव के 3 पद वेतन श्रृंखला 10000–325–15200 में अस्थाई रूप से सृजित करने बाबत :

निर्णय — विचार–विमर्श के उपरान्त मण्डल में निजी सचिव के तीन पद सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। रेप्सार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–202.22 :निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सालयों को मण्डल कार्मिकों को चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण हेतु संचालक मण्डल से पुष्टि करने बाबत :

निर्णय — प्रस्तावानुसार मण्डल से अधिकृत चिकित्सालयों की सूची का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.23 :श्री लबाना गवारिया सिख समाज सेवा समिति जोधपुर को गुरूद्वारा के लिए भूमि का आवंटन अनुदानित दर से करने बाबत :

प्र.स.प्र. — विचार–विमर्श के उपरान्त श्री लबाना गवारिया सिख समाज सेवा समिति जोधपुर को गुरूद्वारा हेतु आवंटित 1319 वर्गमीटर भूमि का आवंटन आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर करने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.24 :द्वारकापुरी योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

(अ) योजना में प्रस्तावित आवासों के निर्माण कार्यो हेतु प्रीक्वालीफिकेशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एजेन्सिज की प्रणाली से करवाने एवं वर्तमान में मण्डल में प्रचलित पोस्टक्वालीफिकेशन प्रणाली में बदलाव एवं नियमों में शिथिलता प्रदान करने तथा एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (EOI) पर विस्तृत चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई।

(ब) सलाहकार हॉफिज कॉन्ट्रेक्टर द्वारा सुझावित बिन्दुओं को निविदा प्रपत्रों में समायोजित करने एवं मण्डल में वर्तमान वित्तीय नियमों में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में मण्डल द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित बिन्दुओं पर प्राप्त स्वीकृति (पत्रांक प 08 (5)/न.वि.वि./05 पार्ट दिनांक 28.07.2006) पत्र पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया।

(स) योजना हेतु सलाहकार हॉफिज कॉन्ट्रेक्टर के एम.ओ.यू. को 600 आवासों से 3000 आवासों तक विस्तृत कर मानदेय रूपये 89,10,000 तक करने की स्वीकृति एवं सहमति पत्र के अनुमोदन हेतु राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति (पत्रांक प 08 (5)/न. वि.वि./05 पार्ट दिनांक 28.07.2006) पत्र पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया।

(द) द्वारकापुरी बहुमंजिली योजना (G+7) फेज प्रथम 2976 फ्लेटस की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से प्राप्त 68.50 करोड़ रूपये की स्वीकृत (पत्रांक प 08 (16)/न.वि.वि./1/06 दिनांक 22.07.2006) राशि पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया।

(य) योजना के सलाहकार हॉफिज कॉन्ट्रेक्टर को योजना की सलाह हेतु उनकी जयपुर यात्रा के दौरान होटल प्रवास एवं वाहन उपलब्ध करवाये गये। इस मद में व्यय रूपये 36050 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(र) योजना में आवासों के निर्माण हेतु टेण्डर स्वीकृत किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति (पत्रांक एफ. 8 (05)/न.वि.वि./1/06 दिनांक 21.08.06) राशि 68.50 करोड़ पर विचार कर अनुमोदन किया गया।

(ल) द्वारकापुरी योजना के निर्माण कार्यो के अनुबंध को प्री–बिड मीटिंग में दिये गये क्लेरीफिकेशन के आधार पर करने पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त प्रकरण में मण्डल के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण एजेन्सी के स्तर से बैंक गारन्टी Abhyudaya Co-operative Bank Ltd. K.K. Towers, Abhyudaya Bank Lane, Parel Village, Mumbai की प्रेषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा बैंक गारन्टी RUIDP के पेटर्न पर केवल राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मान्य एवं जयपुर में भुगतान योग्य मांगी गई थी। चर्चा के उपरान्त उपरोक्त प्रेषित बैंक गारन्टी पर सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु संख्या–202.25 :सैक्टर--11, प्रतापनगर, जयपुर में योजना में निर्मित 204 फ्लैट्स के निस्तारण के संबंध में :

मु.अभि. II

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त पूर्व में निर्मित 204 फ्लैट्स सहित 25000 वर्गमीटर भूमि के निस्तारण हेतु प्रस्ताव (Expression of Interest) आमंत्रित करने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.26 :औद्योगिक शहर भिवाड़ी में शहरी निर्धन वर्ग हेतु बहुमंजिले (जी+2) फ्लैट्स हेतु राशि रूपये 976.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत :

मु.अभि. II

प्रस्तावित एजेण्डा 827.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित अनुमोदित लागत राशि 827.00 के स्थान पर 976.50 लाख रूपये हो गई है। औद्योगिक शहर भिवाड़ी में निर्धन आयवर्ग हेतु बहुमंजिले (G+2) फ्लैट्स के निर्माण हेतु प्रस्तावानुसार 976.50 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–202.27 :आवासन मण्डल द्वारा राज आंगन योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ करने के संबंध में :

मु.अभि. II

मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रताप नगर सेक्टर 28 में उपलब्ध 156 बीघा भूमि पर ऊर्ध्वाकार निर्माण की संरचना हेतु पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है। मण्डल की वर्तमान राजआंगन योजना की अति उत्साहित सफलता को मध्य नजर रखते हुये अप्रवासी भारतीयों/राजस्थानियों की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि पर बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु (Expression of Interest) के माध्यम से Builders / Developers / Colonizers से Joint Venture में ऑफर प्राप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.28 :मण्डल की समस्त योजनाओं की वर्ष 2006–07 हेतु निर्धारित भूमि विकास दर/आरक्षित दरों के अनुमोदन के संबंध में :

वि. एवं मुलेअ.

प्रस्तावानुसार वर्ष 2006–07 हेतु निर्धारित भूमि विकास दरों का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.29 :राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम--1970 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन :

दव

प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा राज्य सरकार को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने हेतु भिजवाये गये प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–202.30 :पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के पश्चात्, इनके पुनर्जीवन के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 1597 दिनांक 03.03.06 के पुष्टि हेतु :

प्र.

प्रस्तावानुसार निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1597 दिनांक 3.3.06 की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–202.31 :मण्डल में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में :

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव में वर्णित पदों को भरने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई एवं इस हेतु सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–202.32 :नीलामी द्वारा आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 193/सी.एस. 23, प्रतापनगर, जयपुर का आवंटन निरस्तीकरण उपरान्त बहाल करने एवं बकाया मांग राशि पर नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने की अनुमति बाबत :

अ. प्र.

(i) प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बताया गया कि नीलामी के बोलीदाता द्वारा मांग राशि के पेटे 1.50 लाख रूपये मण्डल में जमा करवा दिये गये हैं। चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से शेष बकाया राशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लेकर आवंटन बहाल कर दिया जाये।

(ii) निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय सलाहकार को निर्देशित किया गया कि निर्धारित अवधि में मण्डल की बकाया राशि जमा न होने पर आवंटियों द्वारा स्वतः बिना किसी सक्षम अनुमति के मण्डल में राशि जमा कराने की प्रणाली की खामियों को दूर करते हुए व्यवस्था को ठीक किया जाये ताकि बिना अनुमति के राशि जमा कराने के प्रकरण नियमितीकरण हेतु मण्डल के समक्ष नहीं आ सकें।

बिन्दु संख्या–202.33 :नीलामी द्वारा आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 193/सी.एस. 45, प्रतापनगर, जयपुर का आवंटन निरस्तीकरण उपरान्त बहाल करने एवं बकाया मांग राशि पर नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने की अनुमति बाबत :

अ. प्र.

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नीलाम भूखण्ड की बकाया राशि 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा कराने पर आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–202.34 :मण्डल द्वारा आवंटित मकान को मूल आवंटी के नाम पंजीयन होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय/हस्तांतरण पर प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में :

अ. प्र.

प्रस्तावानुसार लीज हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रशासनिक शुल्क वसूल करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–202.35 :तकनीकी सहायक (उप आवासन आयुक्त) के पदों के सृजन के सम्बन्ध में :

सचिव

प्रस्तावानुसार तकनीकी सहायक (उप आवासन आयुक्त) के पूर्व में सृजित दो पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से पुनः निवेदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्य अभियन्ता द्वितीय के अधीन कार्यरत तकनीकी सहायक का पद आवासीय अभियन्ता से क्रमोन्नत कर उप आवासन आयुक्त स्तर का किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जावे।

बिन्दु संख्या–202.36 :श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर समिति की भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने के क्रम में :

अ. प्र.

(i) विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर समिति को मण्डल द्वारा दिनांक 13.9.2006 को आवंटित 800 वर्गमीटर भूमि का आवंटन आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर करने का निर्णय लिया गया।

(ii) इसके अतिरिक्त समिति के अनुरोध पर यह आवंटन आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–202.37 :बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु :

अ. एवं मुलेअ.

प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा बाढ़ पीड़ित राहत हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में 11.00 लाख रूपये जमा कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि में 6.50 लाख रूपये कर्मचारियों के योगदान से एवं 4.50 लाख रूपये मण्डल

के अंशदान के रूप में जमा कराये गये हैं। संचालक मण्डल द्वारा मण्डल के अध्यक्ष को बधाई देते हुए समस्त स्टॉफ के उक्त योगदान की सराहना की गई।

दु संख्या–202.38 :किराया क्रय पद्धति के आवंटियों पर बकाया मासिक किश्तें देरी से जमा कराने के कारण देय ब्याज में विशेष छूट योजना–2006 के सम्बन्ध में :

एवं मु. ले. अ.

चर्चा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में चलाई गई विशेष छूट योजना–2006 के अन्तर्गत मण्डल को 60.00 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है तथा इससे मंण्डल के सभी वर्गों के विशेष तौर पर समाज के कमजोर एवं निम्नवर्ग के आवंटियों को समुचित राहत प्रदान की गई है। संचालक मण्डल द्वारा मण्डल की इस छूट योजना की भरपूर सराहना करते हुए मण्डल अध्यक्ष एवं समस्त स्टॉफ को बधाई दी गई एवं इस छूट योजना की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

दु संख्या–202.39 :आवासन मण्डल में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

.स. प्र.

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा मण्डल की दिनांक 13.9.2006 को आयोजित सम्पत्ति आवंटित समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया जिसके अनुसार मण्डल में पंजीकृत आवेदक जयपुर शहर के अतिरिक्त एक शहर से दूसरे शहर में आवास आवंटन हेतु जयपुर शहर के अतिरिक्त अपना पंजीकरण स्थानान्तरण करवा सकेंगे। इसके लिए स्वीकृति देने हेतु अध्यक्ष महोदय ही अधिकृत होंगे।

दु संख्या–202.40 :मण्डल में उप सचिव का एक और पद सृजित करने के सम्बन्ध में :

चिव

विचार–विमर्श के उपरान्त मण्डल में उप सचिव का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। रेप्सार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

दु संख्या–202.41 :मण्डल में स्टेनोग्राफर संवर्ग के पदों के आवश्यकतानुसार सृजन एवं क्रमोन्नयन के संबंध में :

एवं

विचार–विमर्श के उपरान्त मण्डल में 2 वरिष्ठ निजी सहायक एवं 4 निजी सहायक के पदों के सृजन तथा वरिष्ठ निजी सहायक के 3 एवं निजी सहायक के 4 पद क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। रेप्सार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

दु संख्या–202.42 :स्व. श्री कमल किशोर सारस्वत, परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ पुत्र श्री बंशीलाल सारस्वत, भूतपूर्व विधायक को दण्डनीय ब्याज में राशि एक लाख पांच हजार माफ करने के संबंध में :

.स. एवं मुलेअ.

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि मण्डल के दिवंगत कर्मचारी श्री कमल किशोर सारस्वत, परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ की सेवा में रहने के दौरान कैंसर से मृत्यु हुई है और मृत्यु से पूर्व भी वे काफी लम्बे समय तक बीमार रहे जिससे उन्हें मण्डल द्वारा आवंटित मकान के पेटे राशि जमा कराने में देरी हुई। विचार–विमर्श के उपरान्त कार्मिक की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उससे वसूलनीय दण्डनीय ब्याज राशि माफ करने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

र संख्या–202.43 : मण्डल में 15 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) संविदा के आधार पर लगाने हेतु :

.मु. अभि.

.ण्ड एम.

प्रस्तावानुसार 15 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर संविदा पर लगाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुसार की जावेगी।

र संख्या–202.44 :मण्डल की कोटपूतली आवासीय योजना का नामकरण करने के संबंध में :

अभि. TT

प्रस्तावानुसार कोटपूतली की आवासीय योजना का नाम "रामाकृष्णा पुरम्" रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

र संख्या–202.45 :वहोवा पंजाब समाज सेवा समिति को मानसरोवर योजना में भूमि का आवंटन रियायती दर पर करने के क्रम में :

.प्र.

मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 13.9.2006 के निर्णयानुसार समिति को 858 वर्गमीटर भूमि का आवंटन मण्डल की आरक्षित दर पर किया गया था जिसके क्रम में समिति के द्वारा उक्त आवंटन रियायती दर पर करने के अनुरोध पर विचार–विमर्श उपरान्त उक्त आवंटन आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर करने का निर्णय लिया गया।

र संख्या–202.46 :मण्डल की सम्पत्ति निस्तारण हेतु संशोधित नीलामी नीति :

.प्र.

मण्डल की सम्पत्ति के निस्तारण हेतु पूर्व में जारी नीलामी प्रक्रिया दिनांक 20.8.2002 में कालान्तर में कुछ संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई। इस हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी जा रही नीलामी नीति को अधिक युक्तिसंगत पाया गया है। इस हेतु समय–समय पर नीलामी कार्यक्रमों में हुए अनुभवों के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही नीलामी नीति के अनुरूप नीलामी की शर्तों आदि में मण्डल की आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए नई नीलामी नीति तैयार की गई है जिसका संचालक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

र संख्या–202.47 :ब्याज छूट वाले प्रकरण :

एवं मुलेअ.

बैठक में चर्चा के दौरान पाया गया कि मण्डल द्वारा आवंटन के विभिन्न प्रकरणों में ब्याज छूट के मामले संचालक मण्डल की बैठक में लाये जाने पर समय का अनावश्यक अपव्यय होता है। ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय के स्तर पर ही विचार किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा। विस्तृत चर्चा के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा ब्याज छूट के प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

संख्या–202.48 :वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन :

एवं मुलेअ.

आवासन आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्षों में भूमि एवं भवनों आदि सम्पत्तियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मण्डल के बड़े–बड़े भूखण्डों की नीलामी जिनकी अनुमानित लागत 10.00 करोड़ रूपये से अधिक आंकी जा रही है एवं बड़े–बड़े निर्माण कार्य मण्डल द्वारा हाथ में लिए जा रहे हैं किन्तु मण्डल को वर्तमान में 10.00 करोड़ रूपये तक की ही वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में मण्डल को दैनिक कार्य निष्पादन में कठिनाईयों के साथ–साथ विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है। अतः यह प्रस्ताव रखा गया कि राजस्थान आवासन मण्डल कार्य निष्पादन विनियम–2002 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त 10.00 करोड रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ मण्डल में निहित की जावें। इस पर

विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण उक्तानुसार अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

संख्या–202.49 : माननीय मण्डल सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि मण्डल को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपनी समस्त योजनाओं को आमजन के हितार्थ क्रियान्वित करना चाहिए। मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते समय राज्य शासन की नीतियों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि मण्डल की गतिविधियों का लाभ समाज के सभी तबकों को प्राप्त हो सके। माननीय सदस्यों द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं को उनके सम्मुख अंकित तिथि तक क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिये गये :

T/TT

मण्डल की विभिन्न योजनाओं का विवरण	निर्धारित तिथि
मानसरोवर में अन्तर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल निर्माण का शिलान्यास तिथि	8.12.2006
सैन्य विधवाओं हेतु वीरांगना विहार योजना की शुभारम्भ तिथि	30.10.2006
एन.आर.आई. योजना फेज द्वितीय का शिलान्यास तिथि	8.12.2006
माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा द्वारकापुरी योजना मे शहरी निर्धन हेतु फ्लैट्स निर्माण योजना का शिलान्यास एवं निरीक्षण तिथि	30.10.2006
राज आंगन योजना में आवासन मण्डल जिमखाना का भूमि पूजन तिथि	30.10.2006
मण्डल की स्थापना दिवस पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण	24.2.2007
मानसरोवर में थड़ी होल्डर्स हेतु बहुमंजिले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास	14.11.2006
अम्बेडकर जयन्ती एवं बैशाखी के अवसर पर प्रताप नगर योजना में द्वारकापुरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शहरी निर्धन हेतु 400 फ्लैट्स का आवंटन एवं लोकार्पण	14.4.2007
मानसरोवर में वर्ष 1979 से प्रतीक्षारत आवेदकों हेतु बहुमंजिले टॉवर का शिलान्यास	10.12.2006

संख्या–202.50 : मण्डल सदस्यों को मानसरोवर योजना स्थित मध्यम मार्ग एवं क्षिप्रा पथ पर संचालित व्यवसायिक गतिविधियों से अवगत कराते हुए इन दोनों मार्गों को पूर्णतः व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। माननीय सदस्य उससे पूर्ण रूप से सहमत है। अतः उक्त दोनों मार्गों को व्यावसायिक घोषित करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 203वीं बैठक दिनांक 20.04.2007 को माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्षता में मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही

श्री अजयपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	: अध्यक्ष
श्री परमिन्दर सिंह पँवार	प्रमुख शासन सचिव, न.वि.वि., राजस्थान सरकार	: सदस्य
श्री चन्द्र मोहन मीणा	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
श्री गोपाल लाल शर्मा	उप शासन सचिव वित्त प्रतिनिधि–शासन सचिव वित्त (व्यय) प्रथम	
श्री एस.सी.महागांवकर	मुख्य नगर नियोजक, राज. सरकार	: सदस्य
श्री मनोज नाग	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	: सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री ए.एन.पुरोहित,	मुख्य अभियन्ता द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
श्री अनिल अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
श्री पी.सी.धमनिया	निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
श्री हेमचन्द अग्रवाल	अति.मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
श्री आशुतोष वाजपेयी	वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

मद संख्या–203.1 : दिनांक 11.10.06 को सम्पन्न हुई मण्डल की 202वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

मद संख्या–203.2 : मण्डल की 202वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल स्तर पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सचिव द्वारा अपने स्तर पर दिसम्बर, 2004 के बाद सम्पन्न हुई बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति की अनुपालना रिपोर्ट आगामी बैठक में रखी जाए।

मद संख्या–203.3 : वर्ष 2006–07 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2007–08 का बजट अनुमान, परिचलन द्वारा पारित, अवलोकन हेतु :

FA & CAO

अवलोकन पश्चात् पुष्टि की गई।

मद संख्या–203.4 : मण्डल कर्मियों को वर्ष 2005–06 के बोनस / अनुग्रह राशि के भुगतान को संचालक मण्डल से अनुमोदनार्थ :

FA & CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–203.5 : मण्डल में वर्तमान में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को स्वीकृत उपहार राशि के अनुमोदन हेतु :

FA & CAO

मण्डल में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को स्वीकृत 3100/– रूपये की उपहार राशि का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

द संख्या–203.6 : <u>राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखे निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ</u> :

FA & CAO

प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

द संख्या–203.7 : **<u>Agenda for appointing PDCOR as Project Manager Consultant to RHB for slum development under IHSUP and IHSDP component</u>** :

C.E.-I

विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

द संख्या–203.8 : **<u>Administrative and Financial sanction for construction of LIG 496 nos. houses at Mukta Prasad Nagar, Bikaner</u>** :

C.E.-I

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

द संख्या–203.9 : <u>व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन पश्चात राशि जमा होने के उपरांत, आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिये जाने पर विलम्ब अवधि पर शास्ती के संबंध में</u> :

C.E.M.

प्रस्ताव पर चर्चा की जाकर निर्णय लिया गया कि निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों पर ही प्रस्तावानुसार शास्ति ली जावे परन्तु जहाँ खाली व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किए जावें उसमें शास्ति न ली जाकर आवंटन पत्र में ही यह शर्त डाल दी जावे कि तीन माह में कब्जा नहीं लिए जाने पर स्वतः आवंटी का कब्जा माना जावेगा और यह जिम्मेदारी मण्डल की नहीं होगी।

द संख्या–203.10 :<u>प्रताप नगर योजना सांगानेर में हल्दीघाटी मार्ग के विकास में वॉछित परिवारों/काबिजों को घरोंदा योजना में पुनर्वासित करने हेतु निःशुल्क आवास आवंटन किये जाने की पुष्टि बाबत्</u> :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार सम्पत्ति आवंटन समिति दिनांक 30.11.06 के बैठक के निर्णय की पुष्टि की गई।

द संख्या–203.11 :<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को आवास आवंटन के निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण (कोटा) को पृथक–पृथक निर्धारण बाबत्</u> :

C.E.M.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को आवास आवंटन के निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण कोटे को प्रस्तावानुसार क्रमशः 8 एवं 6 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया।

द संख्या–203.12 :<u>खुली बिक्री योजना 2004–05 के अन्तर्गत आवंटित आवास संख्या 75/338, प्रतापनगर, जयपुर के आवंटन–पत्र के संबंध में</u> :

FA & CAO

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए एकमुश्त राशि को किश्तों में शामिल किया जावे तथा मासिक किश्तों में जो ब्याज शामिल हो उसको मुक्त किया जाकर किश्तों का पुनर्निर्धारण कर लिया जावे।

द संख्या–203.13 :<u>थल सेना, जल सेना, तथा वायु सेना के सैनिकों के लिए मण्डल की आवासीय योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों को पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराने का प्रावधान करने बाबत्</u> :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-203.14 : नीलामी द्वारा निरस्तारित आवासीय भूखण्ड संख्या 171/291 'ए' प्रतापनगर, जयपुर की माँग राशि विलम्ब अवधि से जमा कराने के सम्बन्ध में :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-203.15 : विशिष्ट पंजीकरण योजना 2006 में मंडल में प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आवास पंजीकरण एवं आवंटन की अनुमति हेतु :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार विशिष्ट पंजीकरण योजना 2006 मे मण्डल में प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को आवास पंजीकरण एवं आवंटन की अनुमति प्रदान की गई।

भविष्य में ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी मण्डल मे सेवावधि न्यूनतम छः माह रहेगी व सेवारत रहते हुए जिन्होंने पंजीकरण करा दिया हो, के लिए योजनावार 1 प्रतिशत कोटा निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया।

संख्या-203.16 : विधि प्रकोष्ठ में विधिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु विधि संरचना के अन्तर्गत विधि अधिकारियों के नये पद सृजित किए जाने बावत :

DL/SPM

प्रस्ताव स्थगित किया गया एवं विस्तृत सूचनाओं के साथ बोर्ड बैठक में पुनः रखे जाने का निर्णय लिया गया।

संख्या-203.17 : मोहन लाल चन्द्रावती जैन चेरिटेबल ट्रस्ट को प्रताप नगर योजना, सांगानेर में आवंटित भूमि की दर में रियायत बावत :

C.E.M.

मोहन लाल चन्द्रावती जैन चेरिटेबल ट्रस्ट को प्रताप नगर योजना, सांगानेर में आवंटित भूमि की दर में रियायत बावत चर्चा की गई। इस प्रस्ताव पर वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव पर रियायत न देने हेतु मत व्यक्त किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार संचालक मण्डल द्वारा संस्था के प्रतिवेदन के क्रम में 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने बावत निर्णय लिया गया।

संख्या-203.18 : श्री परनामी पंचायत (रजिस्टर्ड) जयपुर को मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि की दर में रियायत बावत :

C.E.M.

श्री परनामी पंचायत (रजिस्टर्ड) जयपुर को मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि की दर में रियायत बावत चर्चा की गई। इस प्रस्ताव पर वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव पर रियायत न देने हेतु मत व्यक्त किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार संचालक मण्डल द्वारा संस्था के प्रतिवेदन के क्रम में 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने बावत निर्णय लिया गया।

संख्या-203.19 : अध्यक्ष, राज.आवासन मंडल को आवास एवं बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध कराने बावत :

FA & CAO

अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से आवास एवं बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-203.20 : राजस्थान आवासन मंडल सेवा निवृत्त कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष में अतिरिक्त एक करोड़ रुपये का अंशदान बावत :

FA & CAO

राजस्थान आवासन मण्डल सेवा निवृत्त कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष में अतिरिक्त एक करोड़ रूपये के अंशदान बाबत जारी किए गए कार्यालय आदेश क्रमांक–1261 दिनांक 19.1.07 की पुष्टि की गई।

ख्या–203.21 :**मंडल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षावृत्ति/प्रोत्साहन राशि :**

A& CAO

मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षावृत्ति/प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। ऐसे बच्चों की संख्या अधिकतम 10 होगी।

ख्या–203.22 :**मुख्यालय में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिमाह मुख्यालय भत्ता :**

A& CAO

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

संख्या–203.23 :**राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत कर्मचारियों को एम.आर.आई. टैस्ट कराने पर होने वाले व्यय का शत–प्रतिशत पुनर्भरण की स्वीकृति हेतु :**

A& CAO

प्रकरण पर विचार किया गया। वित्त सचिव के प्रतिनिधि का मत था कि राजस्थान सरकार के परिपत्र अनुसार ही कार्यवाही की जावे किन्तु यह तथ्य सामने लाया गया कि पिछले वर्ष में इस प्रकार के प्रकरणों की संख्या 5 से भी कम रही है, अतः सन्तोकबा दुर्लभ जी अस्पताल में एम.आर.आई. टैस्ट हेतु निर्धारित दर पर शत–प्रतिशत पुनर्भरण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

ख्या–203.24 :**इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा) आवासीय योजना जयपुर के सेक्टर 1 एवं 7 में माननीय सांसदों एवं विधायकों के विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 1982 से 2003 तक जयपुर शहर हेतु पंजीकृत आवेदकों को आवास निर्माण एवं सेक्टर 1 में संशोधित प्लान के अनुसार सड़क निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 603.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु :**

CE-I

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

ख्या–203.25 :**A&F sanction for Viranganа Vihar Scheme in Sector 29 Pratap Nagar, Jaipur :**

CE-I

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–203.26 :**A&F sanction for Group Housing Scheme Pratap Apartment Sector 29 Pratap Nagar, Jaipur :**

CE-II

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

ख्या–203.27 :**श्री निरंजन लाल गोयल द्वारा वर्ष 1982 में हिण्डौन सिटी में आवास हेतु कराये गये पंजीकरण को विशिष्ट प्रकरण मानते हुए सांगानेर शहर में स्थानान्तरण करने बाबत :**

CE-II

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि मण्डल द्वारा पूर्व में जहाँ–जहाँ पर आवासीय योजना आरम्भ कर प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे एवम् किन्हीं कारणों से मण्डल उन आवासीय योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू नहीं कर सका, ऐसे समस्त प्रकरणों हेतु कमेटी का गठन, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कर, पूर्व में मण्डल द्वारा घोषित जयपुर से बाहर की आवासीय योजनाओं के पंजीकृत आवेदकों से कमेटी द्वारा तैयार की गई पॉलिसी प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाये।

इसके अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा मत व्यक्त किया गया कि भविष्य में जब कभी किसी भी शहर में आवासीय पंजीकरण योजना खोली जावे तो ऐसे शहरों में जहाँ भूमि न होने के कारण पंजीकरण वर्षों से लम्बित हो, के आवेदकों को भी आवेदन का विकल्प दिया जावे ताकि उनको आवास आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

संख्या–203.28 CE-I :आवासीय योजना श्यामनगर, श्रीगंगानगर के एम.आई.जी.–ए के चार अनिस्तारित आवासों के खुली बिक्री द्वारा निस्तारण हेतु कीमत में छूट बाबत :

आवासीय योजना श्यामनगर, श्रीगंगानगर के चार अनिस्तारित आवासों को "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर प्रस्तावानुसार छूट सहित, खुली बिकी द्वारा निस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया।"

संख्या–203.29 C.E.M. :वाणिज्यिक सम्पत्ति मूल क्रेता के नाम पंजीयन होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में :

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि मण्डल की जयपुर में स्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रशासनिक शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर एवं अन्य शहरों में स्थानीय निकायों/संस्थाओं के समकक्ष नाम हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक शुल्क लिया जावे किन्तु यह प्रशासनिक शुल्क किसी भी शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लिए जा रहे शुल्क से अधिक नहीं होगा।

संख्या–203.30 FA/CE-I :आवासीय योजना हनुमानगढ़ में विशिष्ट पंजीकरण योजना 2005 के आवेदकों हेतु निर्मित उच्च आय वर्ग के 3 आवासों की लागत संशोधित करने बाबत :

विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–203.31 CE-II :**Approval for Expost Facto sanction of A&F sanction for construction of MIG-B 63 No's Duplex Houses at Sector 26 Pratap Nagaer, Sanganer, Jaipur** :

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–203.32 CE-II :वीरांगना विहार योजनान्तर्गत विरांगनाओं हेतु अल्प आय वर्ग के लिए राशि रुपये 1,92,000 व मध्यम आय वर्ग 'अ' के लिए रुपये 3,43,000 रुपये की छूट की स्वीकृति हेतु :

प्रस्तावानुसार, वीरांगना विहार योजना के अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के आवासों की लागत में छूट हेतु प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

संख्या–203.33 SPM/FA :श्री सोहनलाल सहायक की मृत्यु उपरान्त उनके अधीन स्टोर चार्ज का सामान कम पाये जाने के सम्बन्ध में वसूली योग्य राशि रु. 1,49,213/–माफ करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने हेतु :

प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु उप सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया। समिति जाँच उपरान्त अपनी रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

दु संख्या–203.34 :राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट में मंडल से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैल्परों को प्रतिनियुक्ति अवधि का बोनस का भुगतान किये जाने के संबंध में :

SPM

उक्त सम्बन्धित कर्मचारी उक्त अवधि में मण्डल में कार्यरत नहीं थे, अतः नियमानुसार बोनस के भुगतान की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

दु संख्या–203.35 :मंडल में कार्यरत कनिष्ठ कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यॉकन प्रतिवेदन पूर्ण करने हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करने बाबत :

DS

मण्डल में कार्यरत कनिष्ठ कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण करने हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

दु संख्या–203.36 :संचालक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रकरण श्री जीवन सिंह खुराना पुत्र स्व. श्री सरनसिंह खुराना :

CEM/DHC-3

श्री जीवन सिंह खुराना पुत्र स्व. श्री सरनसिंह खुराना के आवास की लागत सम्बन्धी प्रकरण को एक लॉटरी/समान लागत के सिद्धान्त के आधार पर श्री खुराना से आवास की लागत 1,43,510/– रूपये लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

दु संख्या–203.37 :माही बॉध विस्थापितों को पुनर्वास हेतु खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा में किराया क्रय पद्धति पर आवास आवंटन बाबत :

CEM/FA

माही बांध विस्थापितों को पुनर्वास हेतु खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा में किराया क्रय पद्धति पर आवास आवंटन के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक–वसूली/मु./2007/वि.स./300 दिनांक 21.3.07 की पुष्टि की गई।

संख्या–203.38 :राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत वाहनचालकों को चयनित वेतनमान स्वीकृति का अनुमोदन किए जाने हेतु :

FA

प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा आवासन आयुक्त द्वारा इस प्रस्ताव की जांच कर बोर्ड बैठक में पुनः रखे जाने का निर्णय लिया गया।

संख्या–203.39 :श्री झामनदास को आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 9/70, मालवीय नगर के नियमितिकरण बावत :

C.E.M.

चर्चा उपरान्त यह प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत होने के कारण प्रस्ताव वापिस लिया गया।

संख्या–203.40 :मंडल में कार्यरत परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) एवं (कनिष्ठ) को स्थानीय यात्रा भत्ता स्वीकृत करने बाबत :

FA & CAO

मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ एवं कनिष्ठ) को स्थानीय यात्रा भत्ता स्वीकृति सम्बन्धी जारी आदेश क्रमांक- 670 दिनांक 6.3.2007 की पुष्टि की गई।

दु संख्या–203.41 :मण्डल में पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन के पश्चात् आवास का नजदीकी रिश्तेदारों में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में :

C.E.M.

मण्डल में पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटन के पश्चात् आवास का नजदीकी रिश्तेदारों में हस्तान्तरण के प्रकरणों में पौत्र/पौत्री को नजदीकी रिश्तेदारों में सम्मिलित किए जाने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या–203.42 :राजस्थान आवासन मंडल में निजी सचिव के पद से उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में प्रावधान बाबत :

SPM

राजस्थान आवासन मण्डल में निजी सचिव के पद से उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में प्रावधान जोड़े जाने बाबत यह निर्णय लिया गया कि इस पद पर पदोन्नति हेतु निजी सचिव के पद का 5 वर्ष का कार्यानुभव एवं स्नातक स्तर की योग्यता रखने वाले कार्मिक से यह पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे।

संख्या–203.43 : मंडल द्वारा स्वीकृत/स्वीकृतिधीन वास्तुविदीय कन्सलटैन्सी के अन्तर्गत देय मानदेय राशि की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति बाबत :

CE-II/I

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि आर्किटेक्चरल कन्सलटेन्सी के अन्तर्गत देय फीस की राशि को स्कीम की पूर्ण प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रकरण में ही सम्मिलित कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। आर्किटेक्चरल कन्सलटेन्सी मद में पृथक से राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषयाधीन विचार बिन्दु पर बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डल के विभिन्न प्रोजेक्ट्स हेतु आर्किटेक्चरल कन्सलटेन्ट नियुक्त किये जाने की वर्तमान प्रक्रिया के तहत मण्डल में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट्स फर्म्स से डिजाईन आमंत्रित (Limited Design Competition) किये जाते हैं व उनमें से उपयुक्त डिजाईन का चयन किया जाता है, किन्तु इस प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होता है तथा इस प्रक्रिया में इस क्षेत्र की प्रतिष्ठित व उत्कृष्ठ सेवायें देने वाली आर्किटेक्ट फर्म्स इच्छुक नहीं रहती है, अतः इस तथ्य पर विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

- मण्डल के प्रोजेक्ट्स बाबत मण्डल में सूचीबद्ध फर्म्स में से आर्किटेक्चरल कन्सलटेन्ट के चयन पर माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को पूर्णतया अधिकृत किया गया।
- आर्किटेक्चरल कन्सलटेन्सी मद में देय फीस, स्कोप ऑफ वर्क, शिड्यूल ऑफ पेमेन्ट व एग्रीमेन्ट (Fees, Scope of work, Schedule of Payment & Agreement) आदि का निर्धारण कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, इण्डिया द्वारा निर्धारित प्रावधान के आधार पर निर्णय हेतु माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को पूर्णतः अधिकृत किया गया।

संख्या–203.44 :<u>राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन</u> :

DS/LAO

राज्य सरकार द्वारा धारा–27 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं एवं मण्डल द्वारा इस हेतु राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

संख्या–203.45 :<u>Approval of MOU with HUDCO for awarding consultancy for construction of Interstate Bus Terminal on a land adjoining to Sector- 1&2, Mansarovar, Jaipur</u> :

A/DHC-II

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार को अनुमति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

द संख्या–203.46 : निरस्त पंजीकरण/आवंटन के पुनर्जीवन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कुछ आवेदकों की वरीयता पूर्ववत् रखे जाने की पुष्टि बाबत :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार पुष्टि कर, प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर भविष्य के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

द संख्या–203.47 : राजस्थान आवासन मण्डल में निःशक्तजनों को आवास आवंटन में कोटा बढ़ाने व पृथक-पृथक करने हेतु :

C.E.M.

राजस्थान आवासन मण्डल में निःशक्तजनों को आवास आवंटन हेतु वर्तमान में निर्धारित डेढ़ प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर कुल तीन प्रतिशत किया जाकर तथा प्रत्येक श्रेणी नेत्रहीन, मूक–बधिर व शारीरिक रूप से विकलांग के लिए पृथक–पृथक एक प्रतिशत आरक्षण किये जाने के निर्णय हेतु प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

द संख्या–203.48 : मानसरोवर योजना के सैक्टर 01 एवं 05 में निर्मित होने वाले स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले फ्लैटों की राशि रूपये 3463.19 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी करने बाबत :

CE-II

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार को अनुमति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

स्थान आवासन मण्डल की 204वीं बैठक दिनांक 08.02.2008 को माननीय
दय की अध्यक्षता में मण्डल कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार

यपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
मोहन मीना	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	: सदस्य
झालानी,	वरिष्ठ नगर नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर नियोजक, राज सरकार	सदस्य
भु दयाल बड़गुजर	गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
नंद यादव	गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
स्वरूप जांगिड	गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
प्रकाश चौधरी	गैर सरकारी सदस्य	: सदस्य
श्याम सुन्दर शर्मा	गैर सरकारी सदस्य	: सदस्य
वीर प्रसाद शर्मा	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	: सचिव

त्रित

णी सिंह चौहान	वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल
एन.मूलचन्दानी,	मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
एन.पुरोहित,	मुख्य अभियन्ता द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
एपी.कोडिया	निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
कुमार शर्मा	सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय), रा.आ.मण्डल, जयपुर।
जैन	सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय), रा.आ.मण्डल, जयपुर।

ठक के प्रारम्भ में राजस्थान सरकार द्वारा नव-नियुक्त माननीय मण्डल सदस्यों त किया गया। उसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डावार बैठक वाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही विवरण

ख्या–204.1 : दिनांक 20.4.07 को सम्पन्न हुई मण्डल की 203वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि :

प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।

ख्या–204.2 : मण्डल की 203वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन :

मण्डल स्तर पर की गई क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

ख्या–204.3 : वर्ष 2007–08 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2008-09 का बजट अनुमान ।

CAO ✓

विचार विमर्श उपरान्त बजट पारित किया गया।

बिन्दु संख्या–204.4 : वित्तीय वर्ष 2006 07(कर निर्धारण वर्ष 2007–08) के ... राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टेड एकाउन्टेंट की नियुक्ति ... मंडल से स्वीकृति हेतु। :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–204.5 : वर्ष 2006 07 के संशोधित बजट अनुमानों के अतिरिक्त पूरक ... की संचालक मंडल से स्वीकृति बावत :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या–204.6 : आवासों की लागत कम करने बावत :

FA&CAO

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। भविष्य में ब्याज में छूट ... माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–204.7 : मण्डल की समस्त योजनाओं की वर्ष 2007–08 हेतु निर्धारित ... विकास दर / आरक्षित दरों के अनुमोदन के सम्बन्ध में :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–204.8 : मिल्कपुर योजना भिवाडी में ग्रुप हाउसिंग योजनान्तर्गत बनाये ... वाले फ्लेटों की लागत निर्धारण के संबंध मे आवासन ... महोदय के कक्ष में दिनांक 9.8.07 को आयोजित बैठक में लि... निर्णयों की पुष्टि :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या–204.9 : किराया क्रय पद्धति के आवंटियों द्वारा समय पर किश्त ... कराने की शास्ति में छूट हेतु छूट योजना 2007 की स्वीकृ...

FA&CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। भविष्य में छूट हेतु ... लिए माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृ... गया।

बिन्दु संख्या–204.10 : राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2006–07 के ... लेखे निदेशक मंडल से अनुमोदनार्थ :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–204.11 : विविध कराधान कानूनों के तहत सलाह प्राप्ति के लिए रिटे... के आधार पर चार्टेड एकाउन्टेंट की कर सलाहकार के ... मण्डल में नियुक्ति का संचालक मण्डल से अनुमोदनार्थ :

FA&CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–204.12 : वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी के अधीन कराधान ... (taxation Cell) के गठन करने बाबत :

FA&CAO

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

2007-08) के लि...
...देक की नियुक्ति...
...के अतिरिक्त पूरक बज...
...ब्याज में छूट देने...
...गया।
...7-08 हेतु निर्धारित...
...के सम्बन्ध में :
...योर अन्तर्गत बनाये...
...ंध मे आवासन आयु...
...योजित बैठक में लिए...
...मय पर किश्त जमा...
200.. की स्वीकृति...
...में छूट हेतु...
मण्डल को अधिकृत...
...वर्ष 2006-07 के...
प्राप्ति के लिए रि...
...र सलाहकार के...
अनुमोदनार्थ...
के ...धीन कराधान...

संख्या-204.13 : मण्डल की 179वीं बैठक में सृजित/क्रमोन्नत पदों को नियमानुसार भरने हेतु :

SECY.

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

संख्या-204.14 : मण्डल के वाहनचालकों को स्वीकृत चयनित वेतनमानों को मण्डल द्वारा पुष्टि हेतु :

SECY.

प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

संख्या-204.15 : श्री कन्हैया लाल डिरसा, मुख्य मेट प्रथम(सुपरवाईजर) की अवयस्क आयु में की गई नियुक्ति को नियमित करने बावत :

SECY.

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त श्री कन्हैया लाल डिरसा के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि के बाद की सेवायें नियमित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

संख्या-204.16 : राजस्थान आवासन मण्डल के विधि प्रकोष्ठ के पुनर्गठन के संबंध में :

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-204.17 : राजस्थान आवासन मण्डल में ड्राईंग संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने बावत :

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-204.18 : मुख्य विधि सहायक के पद को सहायक विधि परामर्शी के अनुरूप क्रमोन्नत करने बावत :

SECY.

प्रस्ताव वापस लिया गया।

संख्या-204.19 : श्री सोहन लाल, सहायक की मृत्युपरान्त उनके अधीन स्टोर चार्ज का सामान कम पाये जाने के संबंध में वसूली योग्य राशि रूपये 1,49,213/- माफ करने बावत :

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि स्व. श्री सोहन लाल के वारिसान को भुगतान योग्य राशि का भुगतान सात दिवस में किया जावे।

संख्या-204.20 : सहायक निदेशक(सांख्यिकी) के पद पर पदोन्नति के संबंध में नियमों के निर्धारण बावत :

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

संख्या-204.21 : वरिष्ठ सम्पदा प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमों के निर्धारण हेतु :

SECY.

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

संख्या-204.22 : वर्ष 1987-88 में नियुक्त SCREENED परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त परियोजना अभियंता(कनिष्ठ) की सूची में जोड़ने बावत :

SECY.

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

बिन्दु संख्या 204.23 : आर.यू.आई.डी.पी. में मण्डल से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित ... की प्रतिनियुक्ति अवधि का बोनस का भुगतान किए जाने के ... में :

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 204.24 : राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 27 के ... प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल से अनुमोदन :

Dy. SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। भविष्य के लिए ... के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने तथा प्राप्त ... के आधार पर उपयुक्त निर्णय लेने हेतु माननीय ... राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या 204.25 : वित्तीय वर्ष 2004 05 में की गई आडिट आक्षेप नंबर 29 ... गये आक्षेप का निराकरण :

Dy. SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या--204.26 : मानसरोवर योजना के एस.एफ.एस सेक्टर 6 के निवा... सड़क उपलब्ध कराने हेतु समझौते से बनाई गई सड़क के ... बदले भूमि देने हेतु :

Dy. SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 204.27 : दिनाँक 8.2.06 को आयोजित नीलामी द्वारा आवंटित आवा... 69/92 के संबंध में :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या 204.28 : श्री लालाराम को दिनाँक 22.3.06को नीलामी से ... व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 8/एसपी-47, प्रतापनगर सांगानेर के संबंध में :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। ऐसे प्रकरणों में ए... अधिक एवं दो वर्ष से कम अवधि वाले प्रकरणों में बोर्ड की ... का उपयोग करने के लिए माननीय अध्यक्ष, राजस्थान ... मण्डल को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या--204.29 : स्ट्रीप ऑफ लैण्ड (भू-पट्टी) में 100 वर्ग मीटर के स्थान ... वर्ग गज किये जाने के संशोधन हेतु :

C.E.M.

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

बिन्दु संख्या -204.30 : प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये ... एक प्रतिशत कोटे में पंजीकरण हेतु निर्धारित सेवा अवधि ... छूट प्रदान करने बाबत :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव पर यह तय किया गया कि मुख्य अभियन्ता प्रथम बोर्ड सदस्यों के साथ बैठकर घरौंदा आवासों की लागत पर विस्तृत चर्चा करें। तत्पश्चात् अन्तिम निर्णय के लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

-204.39 : मण्डल द्वारा कोटा वृत्त के अन्तर्गत झालावाड़ खण्ड में विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य के लिए अन्य विभाग के ठेकेदारों को निविदाएं देने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

I/II

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

-204.40 : कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर चयनित वेतनमान देने की विसंगति को दूर करने बाबत :

CAO

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

-204.41 : नये खण्ड कार्यालयों के सृजन बाबत :

I/II

प्रस्तावानुसार, (1) प्रताप एन्क्लेव, प्रताप नगर, जयपुर, (2) मल्टीस्टोरीड फ्लैट, मानसरोवर, जयपुर, (3) भिवाड़ी एवं (4) अशोक उद्यान, जोधपुर में खण्ड कार्यालय एवं हाल ही में नव सृजित वृत्त द्वितीय, जोधपुर के सृजित करने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

-204.42 : वर्तमान में नवसृजित/प्रस्तावित वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के मापदं के अनुसार पदों के सृजन के संबंध में :

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। बोर्ड सदस्यों द्वारा बोर्ड में चल रहे रिक्त पदों पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा प्रस्ताव लिया गया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को भरने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जावे। यदि राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो मण्डल में कनिष्ठ अभियन्ता संविदा पर रखने की स्वीकृति भी मांगी जावे।

-204.43 : मैसर्स रिद्धी प्रोजेक्ट प्रा.लि. के अनुबन्ध की अवधि, संशोधित परियोजना लागत एवं सर्विस टैक्स के भुगतान के संबंध में :

II

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

-204.44 : मण्डल में 29 कम्प्यूटर मय कम्प्यूटर ऑपरेटर(Man With machine) संविदा के आधार पर लगाने हेतु :

P&M

प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।

-204.45 : आवासन मण्डल की भूमि पर स्थापित/काबिज व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास नीति के संबंध में :

ECY

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 204.31 : श्री शंकर लाल शर्मा को नीलामी द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 162/एस.पी. 23 को बोलीदाता के पक्ष में नियमित करने के संबंध में :

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 204.32 : मूल आवेदक/आवंटी के पंजीकरण/आवंटन में उसके नजदीकी रिश्तेदार का नाम जोड़कर संयुक्त नाम से किये जाने तथा आवेदक/आवंटी का नाम हटाकर पंजीकरण/आवंटन को ... नाम से करने बाबत

C.E.M.

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

बिन्दु संख्या–204.33 : वाणिज्यिक सम्पत्ति मूल क्रेता के नाम पंजीयन होने के पश्चात ... व्यक्ति के नाम विक्रय / हस्तान्तरण पर प्रशासनिक शुल्क ... जाने के सम्बन्ध में :

C.E.M.

चर्चा के उपरान्त यह महसूस किया गया कि आवासीय सम्पत्तियों के लिए भी वर्तमान में लिया जा रहा प्रशासनिक शुल्क अधिक है। आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिए प्रशासनिक शुल्क ... दरें तय करने/संशोधित करने के लिए माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–204.34 : मरुधर माथुर समाज को मानसरोवर योजना, जयपुर में ... 1000 वर्ग मीटर भूमि की रियायती दर वसूलने के सम्बन्ध में ...

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–204.35 : राज आंगन योजना प्रताप नगर, सांगानेर के दक्षिण पूर्व ... भूखण्ड पर 32 बहुमंजिले आवासों (अरावली हाइटस ...) निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति :

C.E.-II

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

बिन्दु संख्या–204.36 : Proposal for making advertisement for sale of Bo... Commercial/Residental property through a fa... property for portal "www. 99 Acres.Com" to acce... material & instrumental buyer through internet.:

A.C.E. P&M

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–204.37 : पी.डी.कोर को आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत आवास ... द्वारा आवंटित किये जाने वाले कार्य

C.E.-I

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 204.38 : माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा ... अनुरूप घरौंदा योजना के तहत वर्ष 2007–08 में विभिन्न ... घरौंदा योजना के तहत आवास बनाने की स्वीकृति बाबत ...

C.E.-I

बिन्दु संख्या—204.54 : मण्डल में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के पद को मुख्य नियोजक के पद में अपग्रेड करने के सम्बन्ध में।

SECY.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा के निर्माण कार्यों के विस्तार को मद्दे नजर रखते हुए अभियन्ता के अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव रखा गया अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या 204.55 : श्री राधा मोहन गुप्ता द्वारा नीलामी में क्रय किए गए योजना के आवास संख्या 69/61 सी के स्थान पर अन्य आवंटन के सम्बन्ध में।

C.E.M.

प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के पश्चात् श्री राधा मोहन अन्य मकान देने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 204.56 : **Revision in Income Ceiling, Registration Amo Seed Money & tentative Cost Ceiling for Vario categories of Houses.**

C.E.-I/II

प्रस्ताव स्थगित किया गया।

बिन्दु संख्या 204.57 : आवास संख्या 68/13 प्रताप नगर जयपुर का भौतिक आवंटी श्री राजेन्द्र प्रसाद को दिये जाने के क्रम में।

C.E.M.

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं इस विषय पर सदस्यों ने चर्चा उपरान्त यह तय किया कि इस प्रकार के प्रकरण शास्ति की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। अतः आवासीय में अधिकतम 5000/— रूपये एवं व्यावसायिक मामलों में 10,000 रूपये से अधिक शास्ति नहीं होनी चाहिए।

बिन्दु संख्या—204.58 : अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल ने प्रस्तावित किया कि बोर्ड गैर सरकारी सदस्यों को क्षेत्र में भ्रमण के लिए एक—एक कार एक—एक मोबाईल उपलब्ध कराया जाए।

SECY.

साथ ही जवाहर नगर स्थित गैस्ट हाउस को माननीय सदस्य लिए तैयार कराकर उपलब्ध कराया जाये।

कार्यालय उपयोग के लिए एक मैन—विथ—मशीन (कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाये।

माननीय बोर्ड सदस्यों के मण्डल कार्य से दिल्ली जाने चाणक्यपुरी स्थित राजस्थान गैस्ट हाउस में ठहरने पर व्यय मण्डल द्वारा पुनर्भरण किया जाए।

प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

–374–

…ख्या–204.59 : श्री श्याम सुन्दर शर्मा एवं श्री विनोद यादव, माननीय बोर्ड सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया गया कि आवासन मण्डल के गैर सरकारी सदस्यों को भी विधायकों के समकक्ष मण्डल से आवास प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की जावे।

C.E.M.

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

…ख्या 204.60 : वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी अधिकतम विक्रय मूल्य तय कर की जाती है। यह अधिकतम विक्रय मूल्य सामान्यतः प्रचलित बाजार दर के समकक्ष ही होती है। फिर भी ऐसे मामलों में तीन बोलीदाता होने की शर्त रखी जाती है। यह शर्त व्यावहारिक नहीं है। उचित बोली प्राप्त होने पर एक बोली दाता के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लेना चाहिए। अतः उक्त शर्त को हटाया जाना प्रस्तावित है।

… & CAO

विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

…ख्या 204.61 : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि व्यावसायिक सम्पत्तियों की नीलामी के मामलों में जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित पैटर्न अनुसार सम्पत्ति मूल्य की राशि किश्तों में ली जावे।

… CAO

विचार–विमर्श पश्चात् यह तय किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण के पैटर्न का अध्ययन कर आयुक्त एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रावधान लागू कर लिए जावें।

…या–204.62 : माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तावित किया कि मण्डल की घाट की गूणी एवं ईदगाह आवासीय योजनाओं के मामलों में ब्याज छोड़कर आज की कीमत पर राशि वसूल कर नियमित कर दिये जावें।

…A & CAO

बाद विचार–विमर्श प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

…ंख्या–204.63 : श्री विनोद यादव, माननीय बोर्ड सदस्य ने प्रस्तावित किया कि मण्डल की आवासीय योजनाओं में आगामी एक वर्ष में लगभग 2.00 लाख वृक्षों के रोपण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जावे।

C.E.-I/II

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

…संख्या–204.64 : आवासन आयुक्त द्वारा प्रस्तावित किया कि मण्डल में पुराने वाहनों के नकारा हो जाने और कार्यों में बढ़ोतरी के फलस्वरूप नये वाहनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अतः 4 नये वाहन खरीदे जावें।

…ECY.

चार नये वाहनों के खरीद का निर्णय लिया गया।

…संख्या–204.65 : उमंग सेन्टर फॉर स्पेशल एज्यूकेशन, जयपुर को मानसरोवर योजना में आवंटित भूमि 2000 वर्गमीटर की दर में रियायत किए जाने बाबत।

C.E.M.

प्रस्तावानुसार संस्था को आवंटित भूमि निर्धारित दर की 50 प्रतिशत दर पर देने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–204.66 : गुरूद्वारा श्री गुरूसिंह सभा, हीरापथ, मान सरोवर, जयपु
मानसरोवर, जयपुर के सैक्टर–6 में गुरूद्वारा हेतु आवंटित
वांछित राशि पर ब्याज एवं शास्ति माफ किए जाने के सं

C.E.M.

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक स
की गई।

-108

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 205वीं बैठक दिनांक--24.09.2008 को माननीय अध्यक्ष महोदय [अध्य]क्षता में मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

श्री अजयपाल सिंह,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
श्री तपेन्द्र कुमार	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
श्री डी.बी.गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	-सदस्य
श्री प्रकाश टेकवानी	विशेषाधिकारी, वित्त विभाग-(प्रतिनिधि–शासन सचिव, वित्त (व्यय)–प्रथम, राजस्थान सरकार, जयपुर)	–सदस्य
श्री पी.के.पाण्डे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
श्री शम्भु दयाल बडगुजर	गैर सरकारी सदस्य	–सदस्य
श्री विनोद यादव	गैर सरकारी सदस्य	–सदस्य
श्री राम प्रकाश चोधरी	गैर सरकारी सदस्य	–सदस्य
श्री श्याम सुन्दर शर्मा	गैर सरकारी सदस्य	–सदस्य
श्री बद्री नारायण	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

आमंत्रित

श्री बी.एन.मूलचन्दानी	मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राज.आवा.मण्डल
श्री ए.एन.पुरोहित	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राज.आवा.मण्डल
श्री पी.एन.विजयवर्गीय	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यवाही विवरण

विचार बिन्दु	निर्णय	
...की 204वीं बैठक के निर्णयों की	मंडल की 204वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	
...की 204वीं बैठक के निर्णयों की ...के प्रतिवेदन का अवलोकन।	मंडल की 204वीं बैठक के निर्णयों के विचार बिन्दुओं की क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।	
...कुमार शर्मा को नीलामी के माध्यम ...वंटित व्यावसायिक भूखण्ड सं. ...एस./10, प्रताप नगर, सांगानेर की ... जमा कराने की अनुमति प्रदान ...।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में एक सामान्य दिशा–निर्देश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया कि भूमि नीलामी के माध्यम से आवंटित करते समय भूमि का माप सही ढंग से किया जावे ताकि बाद में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।	मुख्य सम्पदा प्रबंधक
...की समस्त योजनाओं की वर्ष ... हेतु निर्धारित भूमि विकास ...क्षित दरों के अनुमोदन के सम्बन्ध	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही जोधपुर की चोपासनी योजना की आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थानिक आरक्षित दर अत्यधिक प्रतीत होती है अतः इसकी पुनः समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया।	वि. स. एवं मु. ले. अ.
...वर्ष 07–08 (कर निर्धारण वर्ष ...) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल ...एकाउण्टेंट की नियुक्ति बाबत ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	वि. स. एवं मु. ले. अ.

205.6	मंडल के कार्मिकों को वर्ष 2006–07 के बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान को निदेशक मंडल से अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
205.7	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कैशियरों को कैशियर भत्ता बढ़ाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही इसे अनुमो[illegible] हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
205.8	मुख्यालय में कार्यरत हैल्पर्स (साइकिल सवार) को साइकिल सवार भत्ता, धुलाई भत्ता, मशीनमेन एवं फैरोमेन को विशेष भत्ता बढ़ाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही इसे अनु[illegible] हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
205.9	राजस्थान आवासन मण्डल में यात्रा भत्ता नियमों में राज्य सरकार के अनुसार संशोधन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
205.10	आवासीय योजना तिलक नगर, भीलवाड़ा में मध्यम आय वर्ग "अ" के 38 आवासों के निर्माण कार्यो की निविदा स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर पुष्टि की गई।
205.11	घरौंदा योजना के तहत वर्ष 2007–08 में आवास बनाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणा अनुसार प्रस्तावित है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय [illegible] गया कि घरौंदा योजना के मकानों की प्रतिदिन की कि[illegible] 22 से 25 रूपये ही रखी जावे। यदि इससे अधिक ल[illegible] आती है तो किस्तों की वसूली अवधि बढ़ा दी जावे। घरौंदा योजना के लिए राजकीय से भूमि निःशुल्क [illegible] जाने के प्रयास किए जावें।
205.12	मण्डल की 204वीं बैठक के बिन्दु संख्या 3 से स्वीकृत वर्ष 2007–08 के संशोधित बजट अनुमानों के अतिरिक्त पूरक बजट की संचालक मण्डल से स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में विज्ञापन एवं [illegible] मद में व्यय कम करने के प्रयास किये जावें।
205.13	(1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 A (1) aa के अन्तर्गत राजस्थान आवासन हाउसिंग बोर्ड को चैरिटेवल/रिलीजियस ट्रस्ट संस्थान की हैसियत से पंजीकरण हेतु आयकर आयुक्त के यहॉं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सम्बन्धित आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने एवं, (2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (xii) में छूट प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार के राजपत्र में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की अधिसूचना प्रकाशित कराने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने व संबंधित अन्य आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने हेतु वकील /सनद लेखाकार की नियुक्ति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

309

...न आवासन मण्डल के आर्थिक दृष्टि ...जोर आय वर्ग के आवासों की ब्याज ...तिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत किये ...बत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	वि. स. एवं मु. ले. अ.
... विभाग द्वारा आयकर के रूप में ...ई राशि को ई-बैंकिंग द्वारा जमा ...ने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	वि. स. एवं मु. ले. अ.
...के.शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को ... व्यय राशि रुपये 70,000/- के ...की स्वीकृति बाबत।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि हॉर्ट एण्ड हैल्थ केयर सेन्टर, जोधपुर, मण्डल द्वारा अधिकृत नहीं है, अतः यह निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा अधिकृत चिकित्सालय से ही इलाज करवाया जावे।	वि. स. एवं मु. ले. अ.
...के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य ...के बराबर बढ़े हुए मंहगाई राहत ...न के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	वि. स. एवं मु. ले. अ.
...गुप्ता परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) ...रतन धारीवाल, सुपर वाइजर को ...Prosthetic & Orthotic Centre से ... लगवाने एवं चिकित्सा व्यय पर ... राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	वि. स. एव मु. ले. अ.
...आवासन मण्डल में पांच दिवसीय ...ह लागू करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	सचिव
...वेषय (विचार बिन्दु) माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
...र में लैण्ड बैंक के तहत ग्राम ... 1100 बीघा भूमि जोधपुर विकास ...से आवंटन बाबत।	विचार बिन्दु पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त जमीन के सम्बन्ध में पुनः निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।	डी. एस/ एल ए ...
...न आयुक्त 7 पदों के सृजन के	प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया किन्तु इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उप आवासन आयुक्त के पदों के सृजन हेतु अलग से परीक्षण कराया जावे।	सचिव
...कार्मिकों को वर्ष 2007-08 का ...ग्रेशिया दिये जाने बाबत।	राजकीय उपक्रम विभाग के पत्र क्रमांक-2(23) बीपीई/बोनस/07/797 दिनांक 2.7.08 द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन मामलों में पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट-1965 के प्रावधान लागू होते हैं, उनमें इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही बोनस का भुगतान किया जावे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, निगमों में जहाँ कर्मचारियों को एक्स-ग्रेसिया दिया जाता रहा है, वहाँ पर एक्सग्रेसिया 8.33% या, घोषित बोनस की प्रतिशत में से जो भी कम हो, वह दिया जावे। उपहार राशि भी 500/- रूपये से अधिक नहीं दी जावे। इस आदेश का अनुमोदन सम्बन्धित बोर्ड से भी कराया जाये। यह प्रकरण बोर्ड बैठक में रखा गया। बोर्ड द्वारा इस आदेश का अनुमोदन किया गया तथा साथ ही इस प्रकरण को पूर्व	वि. स. एवं मु. लेअ.

		की भांति बोनस/एकसाधेरिया देने हेतु राज्य सरकार प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।
205.23	आवासन मण्डल द्वारा बिना अवाप्त किये काश्तकारों/भू–स्वामियों से 25% भूमि विकसित भूमि के बदले भूमि लेने बाबत।	वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल खातेदारों स्वामियों से भूमि, भूमि अवाप्ति अधिनियम–1894 धारा–4 (1) की विज्ञप्ति के बाद 25% विकसित भूमि बदले ले सकता है। धारा 4 (1) की विज्ञप्ति में काफी लगता है। अतः जो खातेदार या भू–स्वामी अपनी 25% विकसित भूमि के बदले स्वेच्छा से मण्डल को चाहते हैं, तो ऐसी भूमि को, भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) की विज्ञप्ति के बिना 25% विकसित भूमि बदले लेने के लिए राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु लिखने का निर्णय लिया गया।

सचिव

क्रमां

अध्य
सचि
शास
सरव
मान
श्री
श्री
पानी
श्री
का
श्री
सचि

महो

राज

निर्ण

किर

रांल

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 206वीं बैठक दिनांक–8.04.2009 को माननीया अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्रीमती रूकमणि हल्दिया,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2.	श्री अभय कुमार,	शासन सचिव,वित्त (व्यय)-प्रथम, राजस्थान सरकार,जयपुर	–सदस्य
3.	श्री पी.के.पाण्डे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
4.	श्री बद्री नारायण	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

विशेष आमंत्रित

1.	श्री ए.एन.पुरोहित	मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल
2.	श्री पी.एन.विजयवर्गीय	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3.	श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रवन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल
4.	श्री एच.सी.अग्रवाल	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय,राज.आवासन मण्डल
5.	श्री के.सी.मीणा	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम, राज.आवासन मण्डल
6.	श्री डी.सी.वायेल	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय, राज.आवासन मण्डल
7.	श्री टी.सी.गिदल	अति.मुख्य अभियंता, पी.एण्ड एम., राज.आवासन मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय
206.1	दिनॉक 24.9.08 को सम्पन्न हुई मंडल की 205वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि ।	प्रस्तावानुसार गत बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।
206.2	दिनॉक 24.9.08 को सम्पन्न हुई मंडल की 205वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	मण्डल स्तर पर की गई क्रियान्विति का अवलोकन किया गया।
206.3	Revision of Pay Scale-2008 Regular Employees.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
206.4	Revised Pay Scales 2008 to the work charge Employees of the Rajasthan Housing Board.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
206.5	Revision of Pension/Family Pension.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
206.6	मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के स्वरूप (एलाटमेंट/रजिस्ट्रेशन) एवं पंजीकरण आमंत्रण योजनाओं (GRS/SRS) की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार बाबत।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
206.7	मंडल की विभिन्न योजनाओं में संस्थाओं को भूमि पर वसूलनीय शहरी जमा बंदी के क्रम में। (जानकी देवी)	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
206.8	वर्ष 2008–09 में किये गये कार्यों की प्रगति की समीक्षा।	मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति बावत दिये गये पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेशन का अवलोकन कर समीक्षा की गई।

मु. अभि.	206.9	वर्ष 2009–10 के प्रस्तावित Action Plan की समीक्षा	मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की प्रग[illegible] बाबत दिये गये पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन का अवलोकन कर स[illegible] की गई।
मु. अभि.	206.10	मंडल में शेष रहे पंजीकरणों के निस्तारण के संबंध में कार्य योजना पर विचार।	मुख्य अभियंता ने अवगत कराया [illegible] शेष पंजीकरण के निस्तारण के [illegible] में अलग से प्रस्ताव तैयार कर [illegible] कर दिया जायेगा।
मु. अभि.	206.11	विभिन्न प्रक्रियाओं की समीक्षा।	प्रस्ताव के अभाव में समीक्षा नहीं [illegible] जा सकी।
वि. स. मु. लि. अ.	206.12	श्री एस.एल.वोरा, सेवानिवृत्त उप आवासन आयुक्त को चिकित्सा पुनर्भरण दावा राशि रुपये 24822.40 के भुगतान के सम्बन्ध में।	गोयल हास्पिटल एण्ड रिसर्च [illegible] प्रा.लि., जोधपुर की दरों के अनु[illegible] चिकित्सा राशि के पुनर्भरण [illegible] स्वीकृति प्रदान की गई।
मु. स. प्र.	206.13	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (मेडिकल अनुभाग) को मण्डल की प्रताप नगर योजना के सेक्टर –11 में दुकान संख्या 11–एसपीए–1 के आवंटन बाबत।	आवंटन की स्वीकृति दी [illegible] आवंटन आदेश चुनाव आचार [illegible] हटने पर जारी करने का [illegible] लिया गया।
मु. स. प्र.	206.14	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (मेडिकल अनुभाग) को मण्डल की मालवीय नगर योजना के सेक्टर –6 में निर्मित डिस्पेंसरी में दुकान आवंटन के बाबत।	आवंटन की स्वीकृति दी गई, आवंटन आदेश चुनाव आचार संहिता हटने पर जारी करने का नि[illegible] लिया गया।
मु. अभि.	206.15	राजस्थान आवासन मण्डल की "राज आँगन" योजना, प्रतापनगर, सांगानेर के सलाहकार मैसर्स सिद्धा प्रोजक्ट प्रा.लि. के अनुबन्ध की अवधि संशोधित परियोजना लागत एवं सर्विस टैक्स के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात [illegible] अनुबन्ध की अवधि दिनॉक 30.6.[illegible] तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अंत में माननीया अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव

BM206

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 207वीं बैठक दिनांक–16.07.2009 को माननीय अध्यक्ष महोदया अध्यक्षता में मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

श्रीमती रूकमणि हल्दिया, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल		–अध्यक्ष
श्री आशीष बहुगुणा,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
श्री पी.के.पाण्डे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
श्री बद्री नारायण	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

आमंत्रित

श्री ए.एन.पुरोहित	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
श्री पी.एन.विजयवर्गीय	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

विचार बिन्दु	निर्णय	
दिनांक 8.4.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 206वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	**दिनांक 8.4.09 को सम्पन्न हुई मण्डल की 206वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।**	
दिनांक 8.4.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 206वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	दिनांक 8.4.09 को सम्पन्न हुई मण्डल की 206वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बिन्दु संख्या–206.11 के बारे में निर्णय लिया गया कि मण्डल में होने वाले विभिन्न कार्यो एवं प्रक्रियाओं में सुधार लाने के बारे में सलाहकार की सेवाएं ली जाएं। रिपोर्ट तीन माह के अन्दर–अन्दर प्रस्तुत होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि 206वीं बैठक के बिन्दु संख्या–206.13 एवं 206.14 की पालना इस माह के अंत तक आवश्यक रूप से कर ली जावे। इसमें बिन्दु संख्या 206.13 में दुकान नम्बर भी सही नहीं होना बताया गया है। अतः इसका संशोधन भी कराया जावे। इस कार्य में हुई देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही भी प्रारम्भ करी जावे।	CE CEM
मण्डल मे परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) के पदों का परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) में क्रमोन्नत किये जाने बाबत।	**परियोजना अभियंता(कनिष्ठ) के 231 पदों को परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) के पदों पर क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ** ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जावे।	Secy.

-180-

	अनुमोदन के पश्चात् इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के पूर्व परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) के पदों पर भर्ती के नियम तथा इनके जोब-चार्ट, दायित्वों, आदि के पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।	
राजस्थान आवासन मण्डल में बहुमंजिले व्यवसायिक काम्पलेक्स की लागत निर्धारण करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस काम्पलेक्स हेतु सड़क व विद्युत कार्य शीघ्र सम्पादित कराया जाये। थड़ी मार्केट के व्यापारियों को तुरन्त इस काम्पलेक्स में बसाया जाये। काम्पलेक्स को शीघ्रातिशीघ्र नगर निगम को सुपुर्द किया जाये।	FA& CAO/ CE
श्री आर.सी.नागक, लेखाकार खण्ड स्टम् राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर मे कार्यरत की पत्नि के ईलाज पर किये गये व्यय को पुर्नभरण किये जाने की स्वीकृति हेतु।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA& CAO
मण्डल द्वारा निर्मित आवासो के स्वरूप (Plinth/ Skeleton) एवम् पंजीकरण आमंत्रण योजनाओं (GRS/SRS) की व्यवहार्यता पर पुर्नविचार बावत।(206.6 स्थगित)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
मण्डल की "राज आंगन" योजना प्रतापनगर सॉगानेर के सलाहकार मैसर्स सिद्धा प्रोजेक्टस प्रा. लि. के अनुबन्ध की अवधि, संशोधित परियोजना लागत एवं सर्विस टैक्स के भुगतान के सम्बन्ध में।	अनुबन्ध के अनुसार सलाहकार को 18 माह की अवधि में समस्त आवासों को विक्रय करना था। अतः निर्णय लिया गया कि सलाहकार द्वारा उक्त अवधि में विक्रय किये गये आवासों की लागत के आधार पर भुगतान किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा सलाहकार को सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा।	CE
श्री क्षेत्रपाल रावत को नीलामी से आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 34/18,प्रतापनगर सॉगानेर की राशि जमा करने की अनुमति बावत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि श्री क्षेत्रपाल रावत समस्त बकाया राशि दो माह में जमा कराये अन्यथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी।	CEM
मण्डल में अवयस्क अवस्था में पूर्व में की गई वर्कचार्ज संवर्ग की नियुक्तियों को नियमित करने बाबत निर्णय लिये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में वर्णित कर्मचारियों को चयनित वेतनमान आदि के लिए सेवा की गणना उनके 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।	Secy.
वर्तमान सरकार के नीतिगत दस्तावेजों के संकल्पों की क्रियान्विति के संबंध में प्रदेश के प्रोफेशनल्स व राजकीय कर्मचारियों को राजकीय आवासीय योजनाओं में आरक्षण बावत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी वर्ग हेतु आरक्षित आवासों का विक्रय नहीं होने की स्थिति में उन्हें साधारण वर्ग हेतु विक्रय करने दिया जाएगा। आवासन आयुक्त ने अभिमत व्यक्त किया कि इतने अधिक	CEM

—181

	श्रेणियों हेतु आरक्षण अव्यवहारिक है तथा जन सामान्य हेतु समुचित संख्या में आवास उपलब्ध कराने में बाधक सिद्ध होते हैं।	
शैक्षणिक, सार्वजनिक व चेरिटेबल संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नवीन नीति निर्धारण किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजने के निर्देश दिये गये। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने संस्थाओं को भूमि आवंटित करने पर रोक लगा रखी है। यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को अनुरोध किया जाए कि उपरोक्त नीति के अनुसार मण्डल को बगैर किसी छूट अथवा रियायत के संस्थाओं को भूमि आवंटित करने का अधिकार पुनः दिया जाना चाहिए।	CEM
ग्राम कुडली शिवसिंहपुरा जिला सीकर की आवासीय योजना हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के प्रस्ताव के संबंध में ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Dy. Secy.

शासन उप सचिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के पत्र क्रमॉक प 7 (34) नविवि /3/08, दिनॉक 2.3.09 के निर्देशन में मण्डल की 204वीं बैठक के विचार बिन्दुओं के पुनः परीक्षणोपरान्त मण्डल के समक्ष विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। इस बिन्दु में सम्मिलित विचार बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

204.9 किराया क्रय पद्धति के आवंटियों द्वारा समय पर किश्त जमा नहीं कराने की शास्ति में छूट हेतु "छूट योजना 2007" की स्वीकृति हेतु	मण्डल की बैठक संख्या 204 के बिन्दु संख्या–204.9 का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जावे।	FA& CAO
204.13 मण्डल की 179वीं बैठक में स्वीकृत/क्रमोन्नत पदों को नियमानुसार भरने हेतु	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.13 को स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु में वर्णित पदों के सृजन के बारे में पहले मण्डल में कार्य को देखते हुए पदों की आवश्यकता की समीक्षा की जावे। यह कार्य किसी सक्षम एजेन्सी को आउटसोर्स किया जावे, जो इस कार्य का अध्ययन कर अपनी लिखित रिपोर्ट 3 माह में पेश करे।	Secy.
204.14 मण्डल के वाहन चालकों को स्वीकृत चयनित वेतनमानों की मण्डल द्वारा पुष्टि हेतु।	बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.14 की पुष्टि नहीं की गई।	FA& CAO
204.15 श्री कन्हैया लाल सिरसा, मुंशी व प्रभार (सुपरवाईजर) की अवयस्क आयु में की गयी नियुक्ति को नियमित करने के संबंध में।	बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.15 के प्रस्ताव की पुष्टि इस बोर्ड बैठक संख्या–207 के बिन्दु संख्या–207.9 पर की जा चुकी है।	Secy.

-182-

204.17 राजस्थान आवासन मण्डल में ड्राईंग संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.17 को स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि मण्डल में ड्राईंग संवर्ग के पदों की कार्य की आवश्यकता को देखते हुए समीक्षा की जावे। यह कार्य किसी सक्षम एजेन्सी को आउटसोर्स किया जावे, जो इस कार्य का अध्ययन कर अपनी लिखित रिपोर्ट 3 माह में पेश करे।	Secy.
204.28 श्री लालाराम को दिनॉक 22.1206 की नीलामी से आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 8/सपी–47, प्रताप नगर योजना, सांगानेर के संबंध में।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.28 की समीक्षा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रार्थी श्री लाला राम ने राशि जमा नहीं कराई है तथा इस प्रकरण को 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अतः इस प्रकरण को ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में लिए गए निर्णय की पुष्टि नहीं की गई।	CEM
204.30 प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये आरक्षित एक प्रतिशत कोटे में पंजीकरण हेतु निर्धारित सेवा अवधि 6 माह में छूट प्रदान करने बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.30 के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि अल्पावधि के लिए मण्डल में पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु पंजीकरण में कोटा आरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः बोर्ड की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या 30 की पुष्टि नहीं की गई। इस प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया।	CEM
204.33 वाणिज्यिक सम्पत्ति मूल क्रेता के नाम पंजीयन होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के संबंध में।	बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.33 को स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को आगामी बैठक में पूरी तरह प्रक्रिया की समीक्षा कर, पुनः प्रस्तुत किया जाये।	CEM
204.40 कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर स्वीकृत वेतनमान देने की विसंगति को दूर करने बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.40 का अनुमोदन नहीं किया गया । इस प्रकरण को राज्य सरकार के मूल आदेश के परिपेक्ष्य में निर्णय लेने हेतु आवासन आयुक्त को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।	FA& CAC
204.42 वर्तमान में नव सृजित/प्रस्तावित वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में नार्म्स के अनुसार पदों के सृजन के संबंध में।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.42 को स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु में वर्णित पदों के सृजन के बारे में पहले मण्डल में कार्य को देखते हुए पदों की आवश्यकता की समीक्षा की जावे। यह कार्य किसी सक्षम एजेन्सी को आउटसोर्स किया जावे, जो इस कार्य का अध्ययन कर अपनी लिखित रिपोर्ट 3 माह में पेश करे।	Secy.

183

204.45 आवासन मण्डल की भूमि पर स्थापित/काबिज व्यक्तियों / परिवारों के पुनर्वास नीति के संबंध में।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.45 के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि पर स्थापित/काबिज व्यक्तियों/परिवारजनों की पुनर्वास नीति के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–3 का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव के अन्य बिन्दुओं का अनुमोदन नहीं किया गया एवं तद्नुसार इस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय के शेष भाग की पुष्टि नहीं की गई।	Dy. Secy.
204.48 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के शिड्यूल आफ एडमिनिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती हेतु निर्धारित नियमों में संशोधन बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.48 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार ही नियमों में संशोधन किया जाये। प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन राज्य सरकार से भी कराया जाये।	Secy.
204.52 मण्डल में एक उद्यानिकी खण्ड के सृजन बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.52 कीसमीक्षा की गई। अभी मण्डल में स्वतंत्र उद्यानिकी खण्ड की आवश्यकता नहीं होने के कारण इस निर्णय की पुष्टि नहीं की गई। प्रकरण में आगे कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया।	Secy.
204.54 मण्डल में अतिरिक्त मुख्य नगर योजक के पद को मुख्य नगर योजक के पद में अपग्रेड करने के संबंध में।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.54 को स्थगित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु में वर्णित पद को अपग्रेड करने के बारे में पहले मण्डल में कार्य को देखते हुए समीक्षा की जावे। यह कार्य किसी सक्षम एजेन्सी को आउटसोर्स किया जावे, जो इस कार्य का अध्ययन कर अपनी लिखित रिपोर्ट 3 माह में पेश करे।	Secy./ CE
204.60 वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया कि व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी की अधिकतम विक्रय मूल्य की शर्त को ... गया जावे।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.60 की समीक्षा की गई। इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक सम्पत्तियों का अधिकाधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं के होने की शर्त बोर्ड हित में है। अतः इस सम्बन्ध में 204.60 पर लिए गए निर्णय को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	FA& CAO
204.61 अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित पैटर्न के अनुसार व्यवसायिक सम्पत्तियों की नीलामी की राशि किश्त में ली जावे।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.61 को स्थगित किया गया और यह निर्देश दिये गये कि अलग से विस्तृत विचार बिन्दु प्रस्तुत किया जाये।	FA& CAO

184

204.62 अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मंडल की घाट की गूणी एवं ईदगाह आवासीय योजनाओं के मामलों में ब्याज छोड़कर आज की कीमत पर नियमितिकरण कर दीजावे।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.62 की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि हालॉकि ब्याज को माफ करना एक गलत परिपाटी को प्रारम्भ करेगा, किन्तु साथ ही व्यवहारिक रूप से इन अवासों में कई वर्षो से काबिज व्यक्तियों से समुचित राशि वसूल कर इस प्रकरण को निपटाना ही उचित रहेगा। अतः इस समस्त प्रकरण को पत्रावली पर आवासन आयुक्त के समक्ष अलग से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।	CE/ FA& CAO
204.64 आवासन आयुक्त द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मंडल में पुराने वाहनों के नकारा हो जाने और कार्यो में बढ़ोतरी के फलस्वरूप चार नये वाहनों की खरीद की जावे।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.64 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चूँकि मण्डल में 2 वाहन क्रय किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.64 पर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy/ FA& CAO
204.65 उमंग सेन्टर फॉर स्पेशल एज्युकेशन, जयपुर को मानसरोवर योजना में आवंटित 2000 वर्ग मीटर भूमि की दर में रियायत किये जाने बाबत।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.65 को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः निर्णय लिया गया कि संस्था को तद्नुसार अवगत करा दिया जाए।	CEM
204.66 गुरूद्वारा श्री गुरूसिंह सभा हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर को मानसरोवर जयपुर के सेक्टर 6 में गुरूद्वारा हेतु आवंटित भूमि की वॉछित राशि पर ब्याज एवं शास्ती माफ किये जाने के संबंध में।	मण्डल की बैठक संख्या–204 के बिन्दु संख्या–204.66 को स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पहले इस प्रकरण का परीक्षण किया जावे कि क्या ब्याज एवं शास्ति में छूट देने का नियमों में प्रावधान है? उसके आधार पर विस्तृत परीक्षण कर इस प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जावे।	CEM
...आंगन योजना, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में कम्पनियों को एक से अधिक आवास आवंटन बाबत।	यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित कम्पनी इस बारे में न्यायालय में दायर की गई वाद–याचिकाओं को वापस लेने की शर्त पर इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	CEM
...जीकरण /आवंटन निरस्त हो जाने के पश्चात् पुनर्जीवित करने के नियमों के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
...जीकरण को एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण नही करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM

185

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (मेडिकल अनुभाग) को **मंडल की प्रताप नगर योजना के सेक्टर 11 में दिनाँक** 8.4.09 को 206वीं बैठक के निर्णय विन्दु संख्या 13 में आवंटित दुकान संख्या 11–एसपीए–1 के स्थान पर प्रतापनगर के सेक्टर 11 में स्थित चिकित्सालय परिषर में निर्मित दुकान संख्या 1 के आवंटन की स्वीकृति बाबत संशोधन किया जाये।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव

-173

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 208वीं बैठक दिनांक–17.11.2009 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2.	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
3.	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
3.	श्री पी.के.पाण्डे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
4.	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1.	श्री ए.एन.पुरोहित	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2.	श्री अनिल जैन	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3.	श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
.1	**दिनांक 16.07.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 207वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।**	**गत बोर्ड बैठक संख्या–207 दिनांक 16.7.09 के कार्यवाही विवरनण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।**	Secy.
.2	दिनांक 16.07.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 207वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	बैठक संख्या–207.4 : झूलेलाल मार्केट के विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जावे। आवंटियों को मार्केट में शीघ्रातिशीघ्र शिफ्ट करके इस कॉम्प्लेक्स को जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित किया जावे। बैठक संख्या–207.12 : ग्राम कुड़ली, शिवसिंहपुरा, **जिला सीकर की आवासीय योजना हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम–1894 की धारा–4 (1) के प्रस्ताव बाबत पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय की पुनः समीक्षा किये** जाने का निर्णय लिया गया। बैठक संख्या–207.13.09 : 204वीं बैठक के बिन्दु **संख्या–204.40** कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर चयनित वेतनमान देने की विसंगति को दूर करने हेतु आवासन आयुक्त को अधिकृत किया गया था। इसे शीघ्रता से निस्तारण किया जाये। बैठक संख्या–207.13.17 : 204वीं बैठक के बिन्दु **संख्या–204.62 द्वारा घाट की घूणी एवं ईदगाह आवासीय योजनाओं में निर्मित आवासों पर काबिज व्यक्तियों को समुचित राशि वसूल कर आवंटन किये** जाने पर उचित निर्णय हेतु पूर्व बैठक द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश	Secy.

		दिये गये थे। इसको शीघ्र निस्तारित किया जाये। अनुपालना प्रतिवेदन के शेष बिन्दुओं का बैठक में अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया गया।	
.3	वर्ष 1987–88 में नियुक्त स्क्रीण्ड परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) की सूची में जोड़ने बाबत।	बिन्दु पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने के पश्चात् दिनांक–27.8.07 की अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया।	Secy.
.4	श्री एच.एस.अग्रवाल, सहायक आवासन अधिकारी द्वारा उनके पुत्र का ईलाज पारस अस्पताल गुड़गांव में करवाये जाने पर किए गए व्यय की पुनर्भरण की स्वीकृति हेतु।	श्री एच.एस.अग्रवाल, सहायक आवासन अधिकारी द्वारा अपने पुत्र का इलाज पारस अस्पताल, गुड़गाँव में कराये जाने पर हुए व्यय राशि रूपये 1,50,349.98 के पुनर्भुगतान करने का इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि भविष्य में किसी भी बोर्ड कार्मिक द्वारा मण्डल द्वारा गैर–अधिकृत अस्पताल में एवं बिना रेफर किए इलाज कराये जाना आवश्यक हो तो मण्डल में सक्षम अधिकारी को पूर्व में सूचित किया जाना आवश्यक होगा।	FA & CAO
.5	राजस्थान आवासन मण्डल की आगामी बैठक में वित्तीय वर्ष 2007–08 के वार्षिक लेखे अनुमोदन हेतु।	स्थगित किया गया।	FA & CAO
.6	राजस्थान आवासन मंडल के वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे निदेशक मण्डल से अनुमोदन हेतु।	स्थगित किया गया।	FA & CAO
.7	वित्तीय वर्ष 2008–09 (कर निर्धारण वर्ष 2009–10) के लिए मण्डल के चार्टेड एकाउण्टेंट की नियुक्ति के संबंध में।	राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक लेखों के लिए सनदी लेखा परीक्षक नियुक्त किये जाने बाबत जारी कार्यालय आदेश क्रमांक–एफ–2 (8)/कम्पा../सीए/137/ 2009/123 दिनांक 5.6.2009 द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
.8	मंडल के कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2008–09 के बोनस/ अनुग्रह राशि के भुगतान को निदेशक मंडल से अनुमोदन करवाने हेतु।	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2008–09 के बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए जारी कार्यालय आदेश क्रमांक–एफ 2(8)/कम्प./83/ 2009/425 एवं 426 दिनांक 30.9.09, राजकीय उपक्रम ब्यूरो के मानदण्डों के अनुरूप होने के आधार पर अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
.9	मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढे. हुए महँगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	मण्डल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को बढ़े हुए महँगाई भत्ते के अनुसार राहत देने बाबत जारी आदेश क्रमांक–पीएफ एण्ड पेन्शन/डीआर/2009–10/ 1141 दिनांक–7.10.09 का अनुमोदन किया गया।	FA & CAO

10	मंडल योजनाओं की वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित भूमि एवं विकास दरों की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	मण्डल योजनाओं की वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित भूमि एवं विकास की संशोधित दरों हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक–एफ–2(3)लागत/1037/128 दिनांक–14.7.09 का अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
11	प्लिंथ स्तर के आवंटित भूखण्डों के आवास के निर्माण हेतु निर्धारित शर्तो की पालना न करने पर प्रतिवर्ष प्रशासनिक राशि निर्धारण बाबत।	मण्डल की आवासीय योजनाओं में प्लिन्थ स्तर तक आवंटित आवासों के आवंटन के 2 वर्ष की नियत अवधि में आवंटी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर आगामी 4 वर्षो के लिए आवंटन मूल्य का 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क प्रति वर्ष वसूल किये जाने की शर्त पर भवन निर्माण कराने की समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति/छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
12	भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन बाबत नवीन दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में भू–पट्टी आवंटन बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव का इस संशोधन के साथ कि—माप की इकाई वर्गगज के स्थान पर वर्गमीटर रखी जाये तथा भू–पट्टी के तौर पर विक्रय किये जाने वाले भूखण्ड 100 वर्गमीटर अथवा आवंटित आवास के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, के आधार पर एवं आवंटन के समय प्रचलित भूमि एवं विकास दर की सवा दो गुणा राशि लेते हुए जिला आवंटन समिति तथा जयपुर हेतु मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा विक्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। भू–पट्टी हेतु निर्धारित सीमा 100 वर्गमीटर अथवा मूल भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर समस्त प्रकरण मुख्यालय स्थित सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।	
13	गुरूद्वारा श्री गुरूसिंह सभा, हीरापथ, मानसरोवर, जयपुर को मानसरोवर, जयपुर के सेक्टर 6 में गुरूद्वारा हेतु आवंटित भूमि की वांछित राशि पर ब्याज एवं शास्ती माफ किये जाने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मण्डल में सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम/नियमों में ब्याज व शास्ति माफ किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इस बिन्दु का अनुमोदन नहीं किया गया।	CEM
14	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–27 के अन्तर्गत प्रावधान है कि मण्डल की किसी भी प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु संचालक मण्डल के निर्णयानुसार अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को प्रस्तावित की जाती है। मण्डल द्वारा 204वीं बैठक के बिन्दु संख्या–204.24 दिनांक 8.2.08 में लिए गए निर्णय अनुसार अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल के अनुमोदन पश्चात् विभिन्न	Secy.

योजनाओं की धारा–27 की अधिसूचना हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित की गई योजनाओं में से निम्न योजनाओं का पश्चात्वर्ती अनुमोदन किया गया–

क्रसं	योजना का नाम	क्षेत्रफल
1	ग्राम उदयपुर गिलरिया, टोडी रमजानीपुरा, जगतपुरा	108.60 हैक्ट0
2	लखावा, कोटा	369.52 हैक्ट0
3	खोडा गणेश रोड–द्वितीय, किशनगढ़ अजमेर	476–12 बीघा
4	पाली चक नं. 1, जिला पाली	316–08 बीघा
5	माकड़वाली, अजमेर	712–01–07 बीघा
6	कोहला हनुमानगढ टाउन, चक 14 व 16 एस.एस.डब्ल्यू	160.52 हैक्ट0
7	दौसा खुर्द, खानभांकरी, महेश्वरा खुर्द	27.34 हैक्ट0
8	गोपालपुरा मांकरोल रोड़, बारां	14.63 हैक्ट
9	खेडली--सूरजपुरा, दौसा	90.84 हैक्ट0
10	खोनागोरियान, भावगढ़ वन्धा, जगतपुरा, जयपुर	72.02 हैक्ट0
11	बांसवाड़ा	197–01 बीघा
12	मोहनपुरी योजना मानसरोवर विस्तार, जयपुर	125.89 हैक्ट0
13	दांतली, सेपाऊ, भूडथल व भटेसरी इन्दिरागांधी नगर विस्तार, जयपुर	314.30 हैक्ट0
14	लंगेरा, बाड़मेर	143–13 बीघा
15	ग्राम जावद, शक्तपुरा, राजसमन्द	301–04 बीघा
16	नेनसुख बहरोड	48.20 हैक्ट0
17	सेवारामपुरा, टोंक	168.61 हैक्ट0

मण्डल द्वारा निम्न दो प्रस्तावित योजनाओं का कुल क्षेत्रफल सुनियोजित एकल योजना के न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्रफल से कम होने के कारण अनुमोदन नहीं करने का निर्णय लिया गया–

क्रसं	योजना का नाम	क्षेत्रफल
1	श्यालावास खुर्द, बांदीकुई	24.45 हैक्ट0
2	केकड़ी, अजमेर	14.23 हैक्ट0

115	**मण्डल में पंजीकृत आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन एवं भुगतान पद्धति परिवर्तन के संबंध में।**	**मण्डल योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों के आयवर्ग एवं भुगतान पद्धति परिवर्तन में विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव पर आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आयवर्ग एवं भुगतान पद्धति परिवर्तन की सक्षम**	**CEM**

8

		स्वीकृति प्रदान करने हेतु मण्डल के आदेश क्रमांक–मुसप्र./06/473 दिनांक 23.6.06 को विद्ड्रॉ करते हुए उप आवासन आयुक्तों को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।	
16	राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ (मेडिकल अनुभाग) को मंडल की मालवीय नगर योजना, जयपुर में आवंटित दुकान संख्या 2, सेक्टर नं.6, के लिये 6.60 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन बाबत।	राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ (मेडीकल अनुभाग) को मण्डल की मालवीय नगर, जयपुर योजना के सैक्टर–6 में निर्मित डिस्पेन्सरी में दुकान संख्या– 2 में 6.60 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि, वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
17	POLICY FOR AFFORD-ABLE HOUSING IN URBAN AREAS OF RAJASTHAN (WITH FOCUS ON EWS AND LIG HOUSING)	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में निम्नलिखित प्रावधानों को आवश्यक रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया– 1 :– राजस्थान आवासन मण्डल अपनी समस्त योजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत आवास/फ्लैट आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु निर्माण कराये जायें। इसके अतिरिक्त मध्यम आय वर्ग–अ के लिए प्रत्येक योजना में कम से कम 20 प्रतिशत आवास निर्माण कराये जायें। 2 :– राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग आवास निर्माण की लागत को वहनीय सीमा में रखने हेतु बड़े आयवर्ग श्रेणी के आवासों की लागत में पारगामी अनुदान (Cross Subsidy) पद्धति के आधार पर समायोजन किया जाये।	CE

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 209वीं बैठक दिनांक–18.02.2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2.	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
3.	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
4.	श्री अभय कुमार	शासन सचिव, वित्त–प्रथम(व्यय), राजस्थान सरकार, जयपुर	–सदस्य
5.	श्री पी.के.पाण्डेय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
6.	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1.	श्री एच.सी.अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2.	श्री अनिल जैन	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3.	श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
209.1	दिनांक 17.11.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 208वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 17.11.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 208 वी बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
209.2	परिचलन द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 232/09 एवं 233/09 की पुष्टि।	मंडल के परिचलन प्रस्ताव संख्या 232/09 एवं 233/09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
209.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि। 209.3.1 वर्क्स कमेटी बैठक की दिनांक 15.12.09 एवं 27.1.2010 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 209.3.2 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 25.1.2010 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 209.3.3 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 25.11.09 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 209.3.4 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 25.1.2010में	मंडल की विभिन्न समितियों की गत बैठक दिनांक 17.11.09 व वर्तमान बैठक के मध्य की अवधि में आयोजित हुई विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्णयो का अवलोकन किया गया।	

	लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 209.3.5 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 25.1.10 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।		
209.4	दिनांक 17.11.09 को सम्पन्न हुई मंडल की 208वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	**संचालक मंडल की 208वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुये बैठक संख्या 207के बिन्दु संख्या 207.4 द्वारा** झूलेलाल मार्केट के विकास कार्यो पर विमर्श करते हुये आवंटियों को उक्त विकसित मार्केट में शीघ्रातिशीघ्र शिफ्ट करने पर बल दिया गया। निर्णय लिया गया कि **प्रशासन शहरों के संग अभियान सम्पन्न होने के पश्चात् राजस्थान आवासन मण्डल व नगर निगम संयुक्त प्रयास कर नवनिर्मित** मार्केट में आवंटियों को शिफ्ट **करवाना सुनिश्चित करें।** बैठक में 207वीं बैठक के बिन्दु संख्या 207.12 बाबत विमर्श कर आगामी बैठक से पूर्व कुड़ली –शिवसिंहपुरा, सीकर की प्रस्तावित आवासीय योजना बाबत मंडल द्वारा **समुचित निर्णय लिया जाकर संचालक मंडल की आगामी बैठक से पूर्व क्रियान्विति सुनिश्चित करें।** अनुपालना प्रतिवेदन के शेष बिन्दुओं का बैठक में अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	Sc
209.5	वर्ष 2009–10 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान ।	वर्ष 2009–10 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान पर **विस्तार से विचार–विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	FA
209.6	आवासन मण्डल की बयाना आवासीय योजना की भूमि अवाप्ति के संबंध में ।	**राजस्थान आवासन मण्डल की** बयाना कस्बा में प्रस्तावित **आवासीय योजना की भूमि अवाप्ति** हेतु धारा 27 की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रस्तावित भूमि आवासीय योजना हेतु उपयुक्त नहीं होने से उक्त योजना निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	Sc

209.7	नीलामी प्रक्रिया में संशोधन हेतु प्रस्ताव।	मंडल की व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियों का नीलामी से विक्रय करने बाबत निर्धारित प्रक्रिया में प्रस्तुत संशोधनों को विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात बिन्दु संख्या 17 में 'आवासन आयुक्त' के स्थान पर 'उप आवासन आयुक्त' एवं बिन्दु संख्या 21 में आवासीय अभियंता कार्यालय 'से अपने' के स्थान पर आवासीय अभियंता कार्यालय 'द्वारा संबंधित क्रेता के' शब्द प्रतिस्थापित करते हुये अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।	FA&CAO
209.8	वाणिज्यिक सम्पत्ति मूल क्रेता के नाम पंजीयन होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय/हस्तानान्तरण करने पर मण्डल रिकार्ड में क्रेता का नाम दर्ज करने व प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के संबंध में।	मंडल की वाणिज्यिक सम्पत्ति के मूल क्रेता के नाम पंजीकृत डीड जारी होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति को विक्रय अथवा हस्तान्तरण करने पर मंडल अभिलेख में क्रेता का नाम दर्ज करने हेतु प्रक्रिया एवं प्रशासनिक शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	CEM
209.9	प्रताप नगर सेक्टर 11, सांगानेर में अर्द्धनिर्मित 204 फ्लेट्स के निस्तारण हेतु मंडल की 202वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 202.25 पर पारित निर्णय के संशोधन बावत।	मंडल की प्रतापनगर आवासीय योजना के सेक्टर 11 में अर्द्धनिर्मित 204 फ्लेट्स की मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान,जयपुर की टीम से जॉच करवा कर फ्लेट्स का शेष कार्य पूर्ण करने एवं मंडल स्तर पर इनके विक्रय करने एवं उक्त स्थल पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर मध्यम आय वर्ग के फ्लेट्स निर्मित करने का निर्णय किया गया।	CE
209.10	मण्डल में भूमि संबंधी कार्यो के निष्पादन, रखरखाव हेतु सेवानिवृत भू– मापकों / पटवारियों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्तियॉ प्रदान करने बाबत्।	मंडल मुख्यालय पर 2 एवं प्रत्येक वृत्त मुख्यालय पर एक–एक सेवा निवृत्त भू–निरीक्षक /पटवारी /भूमापक को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा सेवा निवृत्त कार्मिकों के पुनर्नियोजन बाबत जारी नीति–निर्देशानुसार नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
209.11	मण्डल में निर्मित आवासों के किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत कब्जा देने से पूर्व ली जाने वाली राशि, आवासों की लागत आवंटन आदि पर ब्याज दर एवं कब्जा देने के पश्चात् वसूलनीय किस्तों की समयावधि में संशोधन के संबंध में।	मंडल में निर्मित आवासों की किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत कब्जा देने से पूर्व ली जाने वाली राशि, आवासों की लागत पर ब्याज दर एवं कब्जा देने के पश्चात् वसूली योग्य किस्तों की संख्या व समयावधि में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO

209.12	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010 के अंतर्गत मासिक किस्तों के समय पर भुगतान नहीं करने के कारण ब्याज/शास्ति में छूट हेतु।	प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010 के संदर्भ में शासन द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के आवास आवंटियों को बकाया किस्तों पर ब्याज व शास्ति में दिनांक 31.3.2010 तक बकाया राशि जमा करवाने पर छूट देने के प्रस्तावों को राजस्थान आवासन मंडल में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
209.13	मैसर्स क्रिसेन्ट कन्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ द्वारकापुरी योजना, प्रतापनगर, जयपुर में फ्लेट्स निर्माण हेतु निष्पादित संविदा की समीक्षा बाबत।	इस प्रस्ताव को विचार–विमर्श बाद और अधिक सूचनाओं के साथ आगामी बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।	CE
209-14	भूमि एवं विकास दर निर्धारण में प्रतिवर्ष ब्याज दर 18% से 15 %करने हेतु।	राजस्थान आवासन मंडल की भूमि एवं विकास दर के निर्धारण हेतु प्रतिवर्ष वृद्धि की जाने वाली दर को 18 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत 01 जुलाई, 2010 से संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
209-15	मण्डल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुये मंहगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	मंडल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुये मंहगाई राहत का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।	FA
209-16	बकाया लीज राशि (शहरी जमा बंदी) की ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट दिये जाने सम्बन्धित आदेशों की पुष्टि बाबत।	मंडल द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति पर बकाया लीज राशि के ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट दिनांक 31.3.2010 तक दिये जाने का निर्णय किया गया।	CEM
209-17	श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा उच्चतम बोली में भूखण्ड संख्या एफ–1, प्रतापनगर, सांगानेर के आवंटन पत्र की वांछित राशि विलंब अवधि से जमा कराने की स्वीकृति के संबंध में।	श्री कन्हैया लाल शर्मा को प्रतापनगर योजना के सेक्टर 8 के वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एफ–1 को उच्चतम बोली के आधार पर विक्रय किया गया। उच्चतम बोली दाता को एक वर्ष से अधिक की अवधि के विलम्ब पश्चात् निर्धारित ब्याज व शास्ति पर विक्रय के नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 210वीं बैठक दिनांक 25.05.2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	--अध्यक्ष
श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	--सदस्य
श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
श्री पी.के.पाण्डेय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	--सदस्य
श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	--मण्डल सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :--

श्री एच.सी.अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
श्री अनिल जैन	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल
श्री के.सी.मीणा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
श्री डी.सी.बावेल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय

कार्यवाही विवरण

विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
दिनांक 18.2.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 209वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	गत बोर्ड बैठक दिनांक 18.2.10 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	कार्यवाही अपेक्षित नही
दिनांक 18.2.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 209वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	207वीं बैठक के निर्णय संख्या-- 207.4 के अनुसार नव निर्मित झूलेलाल मार्केट में आवंटियों को शिफ्ट करने हेतु नगर निगम के साथ संयुक्त कार्यक्रम बनाकर क्रियान्विति पूर्ण की जाये। 207वीं बैठक के निर्णय संख्या-- 207.12 के अनुसार कुडली शिवसिंहपुरा, सीकर की प्रस्तावित आवासीय योजना बाबत समुचित निर्णय लिया जाकर मण्डल की आगामी बैठक में क्रियान्विति प्रस्तुत करें। शेष अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Chief Engineer Secretary
मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन। 210.3.1 वर्क्स कमेटी बैठक की दिनांक 26.2.10 एवं 19.4.10 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 210.3.2 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 9.3.10 एवं 30.3.10 एवं 10.5.10 में लिये गये	मण्डल की विभिन्न समितियों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन किया गया।	

निर्णयों की पुष्टि। 210.3.4 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक26.2.10 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 210.3.4 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 8 4.10 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि। 210.3.5 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 10.2.10, 3.3. 10 एवं 23.3.10में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।		
परियोजना अभियन्ता (क.) को राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 21.10.1993 द्वारा जोड़े गये "परन्तुक" के अनुरूप चयनित वेतनमान निरन्तर अवधि की गणना के आधार पर ही दिये जाने बाबत।	चयनित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध मे वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ.16(2)एफ डी रूल्स/98 दिनांक 29.6.09 की क्रियान्विति मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) के मामलों में पूर्व में वित्त विभाग के द्वारा जारी अपवाद दिनांक 21.10.93 के अनुरूप छूट देते हुए कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर निरंतर अवधि की गणना के आधार पर ही दिये जाने के सम्बन्ध मे जल संसाधन विभाग की पत्रावली पर वित्त विभाग की टिप्पणी के आधार पर आदेश दिनांक--26.9.09 को आवासन मण्डल के कनिष्ठ अभियन्ताओं के मामलों में भी लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की कियान्विति प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही की जाए।	Secretary
आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजना /लैंड बैंक हेतु अनुमोदित योजनाओं में से 12 योजनाओं की भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण, योजना निरस्त करने के संबंध में।	मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न 12 स्थानों पर आवासीय, योजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति हेतु धारा–27 की अधिसूचना (9 योजनाओं को अधिसूचित व 3 योजनाओं को प्रस्तावित) के बारे में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित आवासीय योजना मण्डल के लिए उपयुक्त व उपयोगी नहीं है। अतः निम्नलिखित 12 योजनाओं की धारा-27 की कार्यवाही को वापस लेने का निर्णय लिया गया -- 1. टोडाभीम 8.57 हेक्टेयर 2. नदबई 12.31 हेक्टेयर 3. कांकरड 533.80 हेक्टेयर 4. राजगढ 17.82 हेक्टेयर	Secretary

	5. श्रीमाधोपुर 20.46 हेक्टेयर 6. नगर 12.52 हेक्टेयर 7. नवलगढ 15.33 हेक्टेयर 8. तिजारा 16.29 हेक्टेयर 9. रींगस 10.98 हेक्टेयर 10. ठेकड़ा धन्तूरी 26.25 हेक्टेयर 11. लखावा 369.52 हेक्टेयर 12. बाडी 112–08 बीघा	
एक व्यक्ति(पति / पत्नी / आश्रित बच्चे) के द्वारा एक शहर में एक से अधिक आवास क्रय करने पर पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता के पक्ष मे नियमितिकरण करने के संबंध में।	किसी व्यक्ति द्वारा मण्डल के आवासियों अथवा बाजार से एक या एक से अधिक आवास क्रय करने पर पश्चातवर्ती क्रेता द्वारा अनुरोध किये जाने पर क्रय किये गये आवास को उसके नाम हस्तान्तरण किया जाकर मण्डल रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया जा सकेगा।	CEM
श्रीमती अनिता के पंजीकरण /आवंटन को पुनर्जिवित करने हेतु । (गुसप्र/एच.सी.सी./राज्य आयोग–2067 /04/म.सं.124/359, मान सरोवर)	श्रीमती अनीता के मकान संख्या–124/359, मानसरोवर के पंजीकरण के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अपील संख्या–2067/04 में पारित निर्णय की अनुपालना हेतु श्रीमती अनीता के पंजीकरण/आवंटन को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति दिनांक 19.4.10 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
मण्डल द्वारा आवंटित आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन पश्चात पश्चात –वर्ती क्रेता का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने के क्रम में फार्म–बी की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में।	मण्डल द्वारा आवंटित आवास के पश्चात्वर्ती क्रेता द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में क्रय का अंकन करने हेतु मूल आवंटी के हस्ताक्षर सहित प्रोफॉर्मा–बी को अव्यवहारिक मानते हुए अंतिम क्रेता से प्रोफॉर्मा–डी की पूर्ति कराई जाकर पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर मण्डल अभिलेख में क्रेता का नाम दर्ज करने की अनुमति का निर्णय लिया गया।	CEM
मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुए मँहगाई राहत के भुगतान के सम्बन्ध मे।	अवलोकन कर प्रस्तावानुसार मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता देने के आदेश क्रमांक PF&Pension/DR/2010-11/216 दिनांक 3.4.2010 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नही
श्री मनोहर लाल, फिटर, खण्ड–अलवर को उनके पुत्र श्री अजय यादव के ईलाज पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	अवलोकन कर राशि रूपये 32,458/– के भुगतान की अनुमति दी गई।	FA&CAO
आवासन मण्डल द्वारा जारी विकसित भूखण्डों के विक्रय /हस्तान्तरण के पश्चात्	मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.1(4)मु.अ./94 दिनांक 22.4.10 द्वारा श्रेणीवार निर्धारित शुल्क एवं आवासन मण्डल अभिलेख में अंकन किये जाने के	कार्यवाही अपेक्षित नहीं

केता का नाम मंडल रिकार्ड ... र्ज करने के संबंध में।	आदेश दिनांक 22.4.2010 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	
राजस्थान आवासन बोर्ड ...ारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के ...निक शिड्यूल में राज्य सरकार की भाँति स्क्रीनिंग का प्रावधान जोड़ने बाबत।	मण्डल में 19 कर्मचारी वर्ष 1992 से तदर्थ/दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.2.09 के अनुरूप राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम-1976 के विनियम संख्या-6 के परन्तुक संख्या-2 व विनियम संख्या-10 का परन्तुक यथा प्रस्तावानुसार जोड़े जाने हेतु संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
... द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को बोर्ड बैठक से ...नुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	(i) वर्ष 2001 से 2010 तक विभिन्न वर्षों में आवासन मण्डल द्वारा कुल- 51 निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किये जाने की स्वीकृतियों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। (ii) इन निजी चिकित्सालयों से उपचार पर Bulk Discount लेने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। (iii) वर्तमान में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया। (iv) एक कार्मिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक के चिकित्सा बिल पुनर्भरण हेतु प्राप्त होने पर उनका सत्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
...वा... मण्डल की ...जनाओं में विकलांग ...कि... को सड़क के ...नारे भूतल पर आवास ...वंट... किये जाने के संबंध ...।	राजस्थान आवासन मण्डल आवासीय योजनाओं में विकलांग आवेदकों को आवास आवंटन बाबत जारी आदेश क्रमांक-993 दिनांक 29.12.00 में किये गये प्रावधान "आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में निःशक्तजन (विकलांग) व्यक्तियों को सड़क के किनारे भूतल के आवास आवंटन किये जायें एवं इन आवासों का आवंटन रियायती दर पर किया जाये" में से "एवं इन आवासों का आवंटन रियायती दर पर किया जाये" को विलोपित किये जाने का एवं उपरोक्तानुसार निःशक्तजन (विकलांग) व्यक्तियों को भूतल के आवास आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
...cision on ...com...endations ...bmitted by the ...en... committee ...stituted to look into ... related to ...arka Puri Scheme at ...tor 26 Pratap Nagar,	अति0 मुख्य अभि0-प्रथम द्वारा 'पॉवर पॉईन्ट प्रजेन्टेशन' के माध्यम से, द्वारकापुरी योजना की विस्तृत जानकारी एवं सक्सैना कमेटी के निष्कर्ष व सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस सम्बन्ध में, मै0 क्रिसेन्ट कन्स्ट्रक्शन क0 द्वारा दिनांक 25/05/2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत पत्र पर भी चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा	CE

Sanganer, Jaipur.	उपरान्त, सक्सैना कमेटी द्वारा सुझाये गये द्वितीय विकल्प के अनुरूप, द्वारकापुरी योजना–प्रथम चरण के कार्यादेश की अन्तरिम समयावधि निम्न शर्तों के साथ दो वर्ष के लिये बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया :– 1. ब्लॉक ए–3 एवं ए–4 के 372 फ्लेट्स का सम्पूर्ण कार्य 'एम0ओयू0' सम्पादन की तिथि से एक माह में पूर्ण कर दिया जायेगा। 2. ब्लॉक ए–2 के 186 फ्लेट्स का सम्पूर्ण कार्य 'एमओयू0' सम्पादन की तिथि से दो माह में पूर्ण कर दिया जायेगा। 3. द्वारकापुरी प्रथम चरण का शेष निर्माण कार्य 'एम0ओयू0' सम्पादन की तिथि से दो वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। मै0 क्रिसेन्ट कन्सट्रक्शन कं0 द्वारा इसका विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय कार्ययोजना मय माईलस्टोन्स दिनांक 26/05/2010 को प्रस्तुत की जायेगी। इसके औचित्य का बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाकर, आवश्यक संशोधन उपरान्त, स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा। 4. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह मुख्य अभि0, अति0मु0अ0–प्रथम एवं वित्तीय सलाहकार की समिति द्वारा की जायेगी। 5. ठेकेदार द्वारा किये गये बकाया भुगतान के दावों की समीक्षा मुख्य अभि0, अति0मु0अ0–प्रथम एवं वित्तीय सलाहकार की समिति द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा कम्पनी का पक्ष एवं आवासीय अभियन्ता, खण्ड दशम् द्वारा मण्डल का पक्ष रखा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। 6. कार्य की धीमी प्रगति के कारण 'एल0डी0' की मद में रोकी गई राशि का भुगतान समगूल्य की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्त पर किया जा सकेगा। 7. उपलब्धता के आधार पर, मण्डल द्वारा ठेकेदार को सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति अनुबन्ध में वर्णित मूल दर पर की जायेगी, किन्तु ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति नहीं होने की वजह से कार्य बन्द नहीं किया जा सकेगा तथा न ही कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की जायेगी। 8. यह अन्तरिम समयावधि अनुबन्ध को जीवित रखने हेतु बोर्ड द्वारा भविष्य में शास्ति लगाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, बिना किसी	

	दुर्भावना के स्वीकृत की जाती है। कार्य पूर्ण होने पर, गुण व दोष के आधार पर प्रकरण की समीक्षा कर, अन्तिम समयावधि स्वीकृत की जायेगी। 9. इस सम्बन्ध में ठेकेदार एवं मण्डल के मध्य पृथक से एक 'एमओयू0' सम्पादित किया जायेगा। 'एमओयू0' के प्रारूप का अनुमोदन राज्य सरकार से करवाया जायेगा। 10. फ्लैटों का निर्माण पूर्ववृत जी+9 के आधार पर ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इन फ्लैटों के संधारण के लिए समिति बनाई जाएगी। इस समिति के संचित कोष के लिए प्रत्येक आवंटी से एक निश्चित राशि ली जाएगी ताकि यथासंभव ब्याज की राशि से विभिन्न सुविधाऐं संधारित की जा सके एवं संधारण पर आवंटी (सदस्यों) से मासिक शुल्क की राशि अधिक नही हो।	
कार्मिक प्रबन्धक के पद पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदौन्नति विनियम–1976 में निर्धारित अनुभव मे राज्य सरकार के नियमानुसार दी गई 1/3 छूट की पुष्टि हेतु।	राजस्थान आवासन मण्डल की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.3.10 मे कार्मिक प्रबन्धक पद हेतु निर्धारित 7 वर्ष के कार्यानुभव में एक तिहाई छूट देने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु आयोजित की जाने वाली डी पी सी में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सम्पदा प्रबन्धक एवं लेखाधिकारी के पदो पर कार्यानुभव में एक तिहाई छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
नगर परिषद हनुमानगढ द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को हनुमानगढ मे आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के सम्बन्ध में।	हनुमानगढ जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल की आवासीय योजना हेतु नगर परिषद् हनुमानगढ से 23–09 बीघा भूमि 500/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से तथा लगभग 200 बीघा अतिरिक्त भूमि नगर परिषद् हनुमानगढ के प्रस्ताव एव स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.5.10 के अनुसार कृषि भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर अनुसार क्रय करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
आवासन मण्डल की डूंगरपुर आवासीय योजना हेतु भूमि अवाप्ति धारा 27 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अनुमोदन के क्रम में।	डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर ग्राम नवाडेरा व उदयपुरा की 218 बीघा भूमि पर आवासीय योजना हेतु एवं ग्राम भातपुरा, गोकुलपुरा, डूंगरपुर की 182–13 बीघा भूमि अवाप्ति की जाने हेतु धारा–27 की पृथक–पृथक अधिसूचना जारी कराने का निर्णय लिया गया।	Secretary
आवासन मण्डल की आवासीय योजना मनवा खेड़ा हेतु भूमि अवाप्ति के नये प्रस्तावित योजना का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन के क्रम में।	उदयपुर जिला मुख्यालय पर मण्डल की मनवाखेड़ा योजना हेतु धारा–27 की अधिसूचना हेतु पूर्व में प्रस्तावित 61.59 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर नये प्रस्तावानुसार 9.32 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति हेतु धारा–27 की अधिसूचना जारी कराने का निर्णय लिया गया।	Secretary

लागत सिद्धान्त 1993 में संशोधन।	The Board approved the Principles of Costing with following amendments: 1. Sub-clause (c) of the clause 6.11 will be substituted as follows: On institutional land: the cost of developed land shall be 1.5 times that applicable on residential land on the reasoning given in clause 6.1(c). In case of corner plots, 25 per cent additional cost will be charged on the institutional rates. 25% overheads on the price of land allotted for institutional purpose will be added to account for direct costs. 2. Sub-clause (c) of the clause 6.11 will be substituted as follows: On commercial land: the cost of developed land shall be four times that applicable for residential land on the reasoning given under clause 6.1(c). 3. Clause No. 6.12 & 6.13 will be renumbered as 6.13 & 6.14 respectively. 4. Clause No. 6.12 will be inserted as follows: 6.12 The allottees belonging to Economically Weaker Sections and Lower Income Group will be cross-subsidized. The allottees belonging to the Middle Income Group-'A' will be charged the rate of developed land for residential purpose as mentioned in clause 6.11(a). The rate of developed land for residential purpose will be calculated as follows:	FA&CAO

Category of allottees	The rate of developed land.
Economically Weaker Sections	80 per cent of the rate of developed land as mentioned in 6.11(a).
Lower Income Group	90 per cent of the rate of developed land as mentioned in 6.11(a).
Middle Income Group - 'A'	100 per cent of the rate of developed land as mentioned in 6.11(a).
Middle Income	110 per cent of the rate of

Group - 'B'	developed land as mentioned in 6.11(a).
Higher Income Group	120 per cent of the rate of developed land as mentioned in 6.11(a).

5. In the clause 17.2, the table will be substituted as follows:

Income Group	Rate of CER
Economically Weaker Sections	NIL
Lower Income Group	2 %
Middle Income Group - 'A'	7%
Middle Income Group - 'B'	7%
Higher Income Group	8%
Commercial	10%

6. In the clause 23.2, ancillary service charges will not be charged from the allottees belonging to Economically Weaker Sections & Lower Income Group categories.

जीकरण /आवंटन निरस्त जाने के पश्चात् र्जीवित करने के नियमों के संबंध में।	मण्डल द्वारा निरस्त पंजीकरण/आवंटन को पुनर्जीवित करने बाबत जारी आदेश क्रमांक–मुसप्र /2009/699 दिनांक 6.8.09 में अंकित एक वर्ष की अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।	CEM
ाप नगर सांगानेर में स्तावित आर.एच.बी. "कृष्णा पार्टमेंट" योजना के न्तर्गत आर्थिक दृष्टि से मजोर आय वर्ग हेतु 512 दुमंजिले (जी 3) आवासों निर्माण हेतु वित्तीय एवं शासनिक स्वीकृति ।	राजस्थान आवासन मण्डल की आर.एच.बी. "कृष्णा अपार्टमेंट" योजना के 512 आवासों के निर्माण हेतु 1467.37 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE
इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, यपुर में प्रस्तावित मध्यम य वर्ग (ब) डुप्लेक्स एस. एस. के 132 आवासों के र्माण हेतु वित्तीय एवं शासनिक स्वीकृति।	इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा में प्रस्तावित मध्यम आय वर्ग–ब, डुप्लेक्स, एस.एफ.एस. के 132 आवासों के निर्माण हेतु 1470.67 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE
थानीय निकाय यथा नम/परिषद/पालिकाओं	स्थानीय निकायों को मण्डल द्वारा नकद भुगतान पर व नीलामी से आवंटित/विक्रय किये गये भूमि	CEM

को हस्तान्तरित होने वाली मण्डल की विकसित आवासीय योजनाओं से संबंधित रिकार्ड/पत्रावलियाँ हस्तानान्तरण के संबंध में।	व भवनों से संबंधित रिकॉर्ड ही हस्तान्तरित किया जायेगा। जिन आवासों व भूखण्डों के विरूद्ध मण्डल की बकाया राशि होगी, उनसे संबंधित रिकॉर्ड/पत्रावलियां हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। ऐसी पत्रावलियां मण्डल की समस्त बकाया राशि जमा होने के पश्चात् ही हस्तान्तरित की जा सकती है। जिन आवंटित/विक्रय किये गये भूमि व भवनों के रिकॉर्ड/पत्रावलियां हस्तान्तरित की जायेगी उन भूमि व भवनों की लीज राशि यदि बकाया हो तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा वसूल की जायेगी।	
राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–1976 के शिड्यूल आफ एडमिनिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती हेतु निर्धारित नियमों में संशोधन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–1976 की प्रशासनिक अनुसूची में कनिष्ठ सहायकों के संवर्ग में 10 प्रतिशत पदों पर सुपरवाईजर (मुंशी ग्रेड–प्रथम) के पद से कनवर्जन हेतु निर्धारित पात्रता में संशोधन करते हुए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
मानसरोवर योजना के भृगु पथ पर स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग 'ब' के 200 फ्लेट्स (B+G+10) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के भृगु पथ पर एस.एफ.एस. योजनान्तर्गत मध्यम आय वर्ग–ब के 200 फ्लैट की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 4295.00 लाख की जारी करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।	CE
मण्डल की दीर्घ काल से अनिस्तारित सम्पदाओं की नीलामी हेतु उन्हें Chronic Property के रूप में श्रेणीबद्ध करने हेतु मापदण्डों सहित उनके न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण का अधिकार तय करने बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में लम्बे समय से अनिस्तारित सम्पदाओं का निर्धारण करने हेतु निम्न मापदंड शामिल करने का निर्णय लिया गया :– (अ) नीलामी योग्य मण्डल की ऐसी सभी सम्पदाएं जिन्हें पूर्व में कम से कम 5 बार नीलामी हेतु विज्ञापित किये जाने पर भी जिनका निस्तारण नहीं हो सका है, एवं (ब) नीलामी योग्य ऐसी सभी निर्मित दुकानें/आवास जिनका निर्माण 5 वर्ष पूर्व किया गया हो। ऐसी सम्पत्तियों एवं उनके न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण भी संचालक मण्डल की अनुमति से किया जाएगा।	CE

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव
31/5/10

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 211वीं बैठक दिनांक–29.07.2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2.	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
3.	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
4.	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1.	श्री एच.सी.अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2.	श्री अनिल जैन	वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज.आवा. मण्डल
3.	श्रीमती सुषमा अरोड़ा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
211.1	दिनांक 25.5.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 210वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	210वीं बैठक दिनांक–25.5.2010 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secy.
211.2	दिनांक 25.5.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 210वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	210वीं बैठक के क्रियान्विति प्रतिवेदन की अनुपालना का अवलोकन किया गया। शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित प्रस्तावों में निम्न प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है :– बिन्दु संख्या 210.05 : अनुमोदन प्राप्त। बिन्दु संख्या 210.12 : अनुमोदन प्राप्त। बिन्दु संख्या 210.25 : अनुमोदन प्राप्त। (i) 207वीं बैठक के बिन्दु संख्या– 207.04 के अनुसार झूलेलाल मार्केट, मानसरोवर में आवंटियों को शिफ्ट करने की अनुपालना अभी अपेक्षित है। (ii) 207वीं बैठक के बिन्दु संख्या– 207.12 के अनुसार कुड़ली शिवसिंहपुरा, सीकर की प्रस्तावित आवासीय योजना बाबत समुचित निर्णय लेकर अनुपालना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।	Secy.

211.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन। 211.3.1 वर्क्स कमेटी बैठक दिनांक 9.6.10 एवं 20.7.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 211.3.2 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 8.6.10 एवं 14.7.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 210.3.3 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 9.6.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 210.3.4 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 10.6.10 एवं 13.7.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	मण्डल की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन किया गया।	Secy. TACM ACTP Secy. Secy.
211.4	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलत प्रदान करने बाबत।	मृतक कार्मिक स्व. श्री विजय सिंह के आश्रित पुत्र श्री भवानी सिंह के बालिग होने पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के नियम 10 (3) में दिये गये परन्तुक के अनुसार आपवादिक शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.5	मण्डल की योजनाओं में चिकित्सा एवं शैक्षणिक तथा संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर संबंधित संस्थाओं से असंचालित (बंद पड़े) शैक्षणिक संस्थान /अस्पताल के पुनः संचालन बाबत अन्य संस्थानों को दिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CEM
211.6	बोर्ड के वृत्त कार्यालयों में विधि प्रकोष्ठ में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने बाबत।	प्रत्येक वृत्त कार्यालय में न्यायालयों से सम्बन्धित विधिक कार्य सम्पादन के प्रयोजन से विधि सहायक पद की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने व नियमित विधि सहायक की नियुक्ति होने तक कोटा व जोधपुर के अतिरिक्त अन्य समस्त वृत्त कार्यालयों में सेवानिवृत्त सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि सहायक/विधि सहायक को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। परन्तु उपरोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर किसी भी अन्य सेवा	Secy.

		से सेवानिवृत्त विधि स्नातक सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकेगी।	
211.7	श्री एस.पी.सिंह, परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) को चिकित्सा व्यय की राशि रुपये 1,58,362/–के पुनर्भरण बाबत।	श्री एस.पी.सिंह, परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराये गये इलाज पर किए गए चिकित्सा व्यय राशि रूपये 1,58,362/– के पुनर्भरण का निर्णय लिया गया।	FA& CAO
211.8	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 के अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल (कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम 1976 को प्रतिस्थापित करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल (कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम–2010 के प्रारूप का प्रारूप में प्रस्तावित तकनीकी अनुसूचि के क्रम संख्या–7 पर परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) की सीधी भर्ती हेतु पात्रता में एक वर्ष के अनुभव को एवं नगर नियोजन अनुसूचि के क्रम संख्या–3 पर सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुकार पद के लिए सीधी भर्ती के पद उपलब्ध नहीं होने से सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित पात्रता को विलोपित करते हुए अनुमोदन किया गया। मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–53 (1) (सी) के प्रावधानानुसार, प्रारूप शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.9	मृतक कार्मिक श्री छाजू सिंह, हैल्पर को रेन्टल योजनान्तर्गत आवंटित आवास संख्या 4/516, जवाहर नगर, जयपुर के विरूद्ध दण्ड़नीय किराया राशि माफ करने के संबंध में।	मृतक मण्डल कर्मी स्व. श्री छाजू सिंह को रेन्टल योजनान्तर्गत आवंटित आवास संख्या–4/516, जवाहरनगर के विरूद्ध माह जून, 2005 से अगस्त, 2009 तक कुल 51 महीनों के बकाया किराया राशि रूपये 20,502/– को उसके आश्रित पुत्र श्री रूप सिंह द्वारा मण्डल कोष में जमा कराने की शर्त पर दण्डनीय शास्ति रूपये 2,25,222/– माफ करने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.10	वित्तीय वर्ष 2009–10 (कर निर्धारण वर्ष 2010–11) के लिये बोर्ड के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति को बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु ।	वित्तीय वर्ष 2009–10 के कर अंकेक्षण एवं अंतिम खाते तैयार करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी की नियुक्ति एकमुश्त पारिश्रमिक राशि रूपये 50,000/– व सेवा कर अतिरिक्त के आधार पर अनुमोदन किया गया।	FA& CAO
211.11	विविध कराधान कानूनों के तहत सलाह प्राप्ति के लिये रिटेनरशिप के आधार पर चार्टेड एकाउण्टेंट की कर सलाहकार के रूप में मण्डल में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।	वित्तीय वर्ष 2010–2011 हेतु विविध कराधान कानूनों के तहत सलाह देने के लिए रिटेनरशिप के आधार पर मैसर्स मेहनोत एण्ड कम्पनी को एकमुश्त पारिश्रमिक राशि रूपये 30,000/– एवं सेवाकर अतिरिक्त पर रिटेनरशिप के आधार पर कर–सलाहकार नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।	FA& CAO

211.12	मृत्योपरान्त "अशोक चक्र" प्रदत्त स्व0 श्री पुनीत नाथ दत्त की माता श्रीमती अनिता दत्त को मानसरोवर योजना में निःशुल्क आवंटित किये गये आवास संख्या 71/108 की पुष्टि बावत।	कारगिल शहीद मरणोपरान्त "अशोक चक्र" विजेता लैफ्टीनेंट पुनीत नाथ दत्त की माता श्रीमती अनिता दत्त को नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 2.7.10 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल की मानसरोवर, जयपुर आवासीय योजना स्थित आवास संख्या-71/108 निःशुल्क आवंटन किये जाने का अनुमोदन किया गया।	CEM
211.13	स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा द्वारा गबन की गई कुल राशि रुपये 7,69,834/- को अपलेखन (Write-off) किये जाने के संबंध में।	मृतक मण्डल कर्मी स्व. श्री रमेश चन्द शर्मा के विरूद्ध अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई गबन की राशि रूपये 7,69,834/- की वसूली सम्भव नहीं होने के कारण अपलिखित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.14	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत।	मृतक मण्डल कर्मी स्व. श्री मदन लाल मीणा के आश्रित पुत्र श्री बाबू लाल मीणा को वयस्क होने पर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के नियम-10 (3) के परन्तुक में प्रावधानानुसार अपवादिक शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Secy.
211.15	भरतपुर शहर में जेल विभाग की भूमि डी.एल.सी दर पर आवंटन करवाये जाने बावत।	भरतपुर जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल की आवासीय योजना हेतु सेवरकलाँ में जेल विभाग की भूमि 4.80 हैक्टेयर, डी. एल. सी. दर पर आवंटित कराये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.16	मंडल की आवासीय योजना रानपुर, धर्मपुरा जिला कोटा में प्रस्तावित भूमि की धारा 27 की अधिसूचना निरस्त करने बाबत।	मण्डल की आवासीय योजना राणपुरा, धर्मपुरा, जिला कोटा, शहर से 10-12 किलोमीटर दूर स्थित होने तथा प्रस्तावित भूमि के शहर के बीच औद्योगिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित अवाप्ति को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.17	मंडल की आवासीय योजना बृज नगर झालावाड में प्रस्तावित भूमि की धारा 27 की अधिसूचना निरस्त करने बावत।	मण्डल की आवासीय योजना बृजनगर, झालावाड़ में 5..6.96 को मण्डल अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत 72 बीघा 10 बिस्वा भूमि की अधिसूचना को अनुपयोगी व अव्यवहारिक मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.18	अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु, कनवर्जन कोटे के कनिष्ठ सहायक के 4 पदों को सीधी भर्ती कोटे में शामिल करने बाबत।	मृतक मण्डल कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कनवर्जन कोटा के 24 पद रिक्त उपलब्ध होने एवं किसी भी वरिष्ठ सुपरवाईजर का आवेदन लंबित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए 4 पदों को मृतक आश्रित कार्मिकों की नियुक्ति से भरे जाने का निर्णय लिया गया।	Secy.
211.19	मंडल की समस्त योजनाओं की वर्ष 2010-11 हेतु निर्धा-रित भूमि विकास दर/ आर-क्षित दरों के अनुमोदन बावत।	मण्डल की समस्त योजनाओं के लिए वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित भूमि विकास दर/आरक्षित दर बाबत जारी आदेश संख्या-एफ 2 (3) लागत/1037/[illegible] दिनांक 20.7.2010 का अनुमोदन किया गया।	FA& CAO

211.20	माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय की पालना में पंजीकरण पुनर्जीवित करने हेतु।	भारतीय उपभोक्ता मंच राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा श्री शिव कुमार गोयल पुत्र श्री रामजी लाल गोयल के प्रकरण में मण्डल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या–315/04 के निर्णय दिनांक 18.11.09 की अनुपालना में श्री शिव कुमार गोयल के पंजीकरण को पुनर्जीवित किये जाने की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।	CEM
211.21	मण्डल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को बोर्ड बैठक से अनुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	मण्डल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों के अनुमोदन हेतु मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक–1605/27.7.10 का अनुमोदन किया गया।	Secy.
211.22	स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण /आवंटन पुनर्जीवन के संबंध में।	मण्डल योजनाओं में स्व वित्त पोषित योजनाओं के लिए पंजीकृत आवेदकों के निरस्त आवेदन पत्रों को निम्नानुसार पात्रता व शर्तों के अध्याधीन पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। (1.) पुर्नजीवन हेतु पात्रता :– (i) पंजीकृत आवेदक द्वारा मूल लागत की न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि जमा करा दी है। (ii) पंजीकरण/आवंटन पुर्नजीवन हेतु केवल वे ही निरस्त पंजीकृत आवेदक पात्र होगे जिन्होंने निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप पंजीकरण राशि एवं आरक्षण पत्रानुसार जमा की गयी अन्य राशियो का मण्डल से रिफण्ड नही लिया हो। (2.) पुर्नजीवन हेतु आवश्यक शर्तें:– 1. पंजीकरण का पुर्नजीवन मूल पंजीकृत आवेदक के नाम ही किया जावेगा। 2. पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदित स्ववित्त पोषित योजना में निर्मित आवास वर्तमान में आवंटन हेतु उपलब्ध हो। 3. पंजीकरण पुर्नजीवन हेतु आवेदक को प्रतिवेदन के साथ अपना नवीनतम सत्यापित फोटो एवं आरक्षण पत्रानुसार जमा की गयी राशि के चालान की फोटो प्रति प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करनी होगी। 4. पुर्नजीवन हेतु आवेदक को पत्र व्यवहार/स्थायी पत्ते के सत्यापन एवं आवेदक की पहचान हेतु प्रमाण स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/राशन कार्ड/बिजली, पानी अथवा टेलीफोन का बिल/बैंक पास बुक में से कोई दो प्रमाणों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 5. पुर्नजीवन हेतु आवेदक से मण्डल नियमानुसार ब्याज/शास्ति भी वसूल की जावेगी। 6. पुर्नजीवन हेतु आवेदक द्वारा पुर्नजीवन शुल्क राशि रूपये 8000 देय होगी।	CEM

		7. पंजीकरण/आवंटन निरस्ती- करण के पश्चात 3 माह तक उप आवासन आयुक्त, 6 माह तक आवासन आयुक्त, 12 माह तक अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल तथा 18 माह तक पुर्नजीवन हेतु संचालक मण्डल (बोर्ड) अधिकृत होगे।	
211.23	मण्डल की योजनाओं में विभिन्न आय वर्गो के पजीकरण हेतु वार्षिक आय के पुनर्निर्धारण के संबंध में।	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न आयवर्गों के पंजीकरण हेतु वार्षिक आय के मापदण्डों का पुनर्निधारण निम्नानुसार किया गया :-	CEM

क्र सं.	आयवर्ग	वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय सीमा	परिवर्तन हेतु प्रस्तावित वार्षिक आय सीमा
1.	आ. दृष्टि से कमजोर	39,600/- तक	60,000/- तक
2.	अल्प आयवर्ग	39,601 से 87,600 तक	60,001 से 1,50,000 तक
3.	मध्यम आयवर्ग-अ	87,601 से 1,20,000 तक	1,50,001 से 2,40,000 तक
4.	मध्यम आयवर्ग-ब	1,20,001 से 1,74,000 तक	2,40,001 से 3,60,000 तक
5.	उच्च आयवर्ग	1,74,001/- एवं अधिक	3,60,001/- एवं अधिक

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 212वीं बैठक दिनांक–2.12.2010 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2.	श्री पवन कुमार गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
3.	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
3.	श्री एच.एस.संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	–सदस्य
4.	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1.	श्री एच.सी.अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2.	श्री अनिल जैन	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3.	श्री आर.पी.शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
212.1	दिनांक 29.7.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 211वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 29.7.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 211वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
212.2	दिनांक 29.7.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 211वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	दिनांक 29.7.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 211वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। (I) बैठक के बिन्दु संख्या 211.8 में राज्य सरकार से अनुमोदन अपेक्षित था, जो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है।	Secretary
		(II) 207वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 207.4 के अनुसार झूलेलाल मार्केट, मानसरोवर में आवंटियों को शिफ्ट करने की अनुपालना अभी भी अपेक्षित है। नगर निगम से समन्वय कर शीघ्र अनुपालना करवायी जावे।	CEM

212.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन। 212.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 24.9.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 212.3.2 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 26.7.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	मंडल की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।	Secretary ACTP Secretary
212.4	सैक्टर–11 व सैक्टर–5 इन्दिरा गॉधी नगर आवासीय योजना में प्रस्तावित नवीन पंजीकरणों हेतु उच्च आय वर्ग के 64 आवासो के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार इन्दिरा गॉधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर 5 व 11 में उच्च आय वर्ग के 64 डूप्लेक्स आवासों के निर्माण हेतु 1307.78 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्योत्तर (Ex-Post Facto) प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई।	C.E.
212.5	Approval of A&F for construction of MIG-I, 160Nos.G+3 flats, Phase-III at Arvali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार अरावली विहार, भिवाड़ी में मध्यम आय वर्ग–अ वर्ग के 160 G+3 flats आवास निर्माण हेतु 1513.56 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्योत्तर (Ex-Post Facto) प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई।	C.E.
212.6	मृतक कार्मिक श्री नानक राम रूपानी,हैल्पर को रेंटल योजनान्तर्गत आवंटित आवास संख्या 3ख 33 वैशाली नगर, अजमेर के विरूद्व दण्डनीय किराया राशि माफ करने के संबंध में।	मृतक कार्मिक श्री नानक राम रूपानी की पत्नी श्रीमती दया रूपानी के विरूद्ध वैशाली नगर, अजमेर के रेंटल आवास संख्या 3 ख 33 के लिये 7 माह की दंडनीय किराया राशि रुपये 30961/– को माफ करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
212.7	राज्य सरकार से स्वीकृत विभिन्न उप आवासन आयुक्त के पदो को मंडल में अनुमोदन बाबत।	मंडल में स्वीकृत उप आवासन आयुक्त के 14 पदों के आवंटन आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/पद आवंटन/उप आ.आ./2010/2452, दिनांक 30.09.10 का अनुमोदन किया गया।	Secretary
212.8	दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति तथा पदोन्नति हेतु अपात्र से संबंधित राज्य सरकार के नियमों को मंडल सेवा	दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति तथा पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/ क–2/95 पार्ट, दिनांक 13.8.2004 एवं निश्चित वृत्ति प्रोन्नति (Assured	Secretary

	नियमों में लागू करने के संबंध में।	Career Progression) (A.C.P.) बाबत वित्त विभाग द्वारा जारी मैमोरेन्डम क्रमांक एफ.14(88)एफ.डी. रूल्स/2008/II, दिनांक 31.12.2009को यथावत मंडल में भी शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर तुरन्त प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।	
212.9	श्री ओमप्रकाश शर्मा सुपरवाईजर वरिष्ठ को चिकित्सा पुनर्भरण राशि रूपये 391555/— के भुगतान की स्वीकृति बाबत	यथा प्रस्तावानुसार श्री ओम प्रकाश शर्मा, सुपरवाईजर (वरिष्ठ) को चिकित्सा पुनर्भरण राशि रुपये 3,91,555/—के भुगतान करने का निर्णय लिया गया।	FA & CAO
212.10	राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2009—10 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल से अनुमोदनार्थ	मंडल के वित्तीय वर्ष 2009—2010 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
212.11	बोर्ड के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2009—10 के बोनस/एक्सग्रेशिया के भुगतान को निदेशक मंडल से अनुमोदन करवाने हेतु एजेण्डा।	मंडल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2009—2010 के लिये बोनस/एक्सग्रेशिया के भुगतान का यथा प्रस्तावानुसार 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि 8400/—की स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
212.12	मंडल के सेवानिवृत कर्मचारियो को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढे हुए मँहगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	यथा प्रस्तावानुसार मंडल कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समकक्ष दिनांक 1.7.2010 से मंहगाई भत्ते की दर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
.12.13	जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010, मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2010 तथा मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 को राजस्थान आवासन मण्डल में लागू करने बाबत विचारार्थ	(I) जयपुर विकास प्राधिकरण में लागू किये गये जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 के प्रावधानों को राजस्थान आवासन मंडल की जयपुर स्थित समस्त आवासीय योजनाओं में लागू किये जाने हेतु अपनाने का अनुमोदन किया गया। (II) मॉडल राज.भवन विनियम 2010 एवं मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के संबंध में परीक्षण कर यथा अपेक्षित संशोधन करने के बाद लागू करने हेतु अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मडल को अधिकृत किया गया।	ACTP
.2.14	मण्डल में परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) विद्युत के पदों को परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) में क्रमोन्नत किये जाने बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत परियोजना अभियंता(कनिष्ठ), विद्युत के पदों को परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) के पद में क्रमोन्नति हेतु राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 1976 के तकनीकी शिड्यूल के बिन्दु संख्या 2 के पश्चात् 2—ए निम्नानुसार जोड़े जाने का निर्णय लिया	Secretary

<table>
<tr><td></td><td></td><td>गया:—
<table>
<tr><th>s No</th><th>Desription of the Post</th><th>Source of Recruitment</th><th>Qualification for direct recruitment</th><th>Post form which appointment by promotiis to be made</th><th>Minimum experience and qualification required promotion</th></tr>
<tr><td>2(A)</td><td>Project Engineer (Sr.) Electrical</td><td>100% Promotion on one time basic on the post of PE (Jr.)</td><td>-</td><td>Project Engineer (Jr.) Electrical</td><td>Post to be filled in by promotion form amongest the Degree holder 3 years experience/Diploma holder PE(Jr.) Electrical in the Board service.</td></tr>
</table>
नियमों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर मंडल में लागू किया जावे।</td><td></td></tr>
<tr><td>212.15</td><td>राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना हेतु अनुमोदित योजना की ग्राम त्रिशूल टोड़ाभीम , जिला दौसा में भूमि उपयुक्त न होने के कारण योजना निरस्त करने के संबंध में।</td><td>मंडल की आवासीय योजना हेतु ग्राम त्रिशूल तहसील टोडाभीम, जिला दौसा में भूमि अवाप्ति हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 21.12.09 अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4(1) को विड्रा करने हेतु निर्णय लिया गया।</td><td>Secretary</td></tr>
<tr><td>212.16</td><td>प्रताप नगर आवासीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण के संबंध में।</td><td>मंडल की प्रतापनगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर 11 में लगभग 16 हैक्टेयर भूमि जो पूर्व में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स हेतु नियोजित है, में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक निस/प्रशास /नविवि/ 2010 /1333, दिनांक 7.10.2010 अनुसार पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर शीघ्र क्रियान्विति किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके संबंध में प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।</td><td>C.E.</td></tr>
<tr><td>212.17</td><td>आवासीय अभियंताओं के स्वीकृत पदों के कार्यालयों के निर्धारण बाबत्।</td><td>मंडल में आवासीय अभियंताओं के स्वीकृत 61 पदों के आवंटन हेतु जारी आदेश क्रमांक 2816, दिनांक 29.10.10 का अनुमोदन किया गया। सृजित खण्ड निम्नानुसार है:—

1. खण्ड—चित्तौडगढ़— वृत्त उदयपुर के अधीन
2. खण्ड—दौसा—वृत्त—तृतीय, जयपुर के अधीन।</td><td>Secretary</td></tr>
<tr><td>212.18</td><td>राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा—27 के</td><td>राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार नई आवासीय योजनाओं हेतु</td><td>Secretary</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>अंतर्गत नीम का थाना एवं फतेहपुर, जिला सीकर तथा ग्राम ढीकली एवं बाढा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हेतु प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन बाबत्</td>
<td>भूमि अवाप्त करने के प्रस्ताव की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया:-
<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>योजना का नाम</td><td>क्षेत्रफल</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>ग्राम नीम का थाना-सीकर</td><td>47.51 है0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कस्बा फतेहपुर-सीकर</td><td>17.23 है0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ग्राम ढीकली एवं बाढा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर</td><td>233.4743 है0</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212.19</td>
<td>राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा-27 के अंतर्गत कस्बा सूरतगढ़, जिला हनुमानगढ़ हेतु प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन बाबत्</td>
<td>मंडल की आवासीय योजना हेतु कस्बा सूरतगढ़, जिला हनुमानगढ़ में राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत 33.657 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना जारी करवाने हेतु निर्णय लिया गया।</td>
<td>Secretary</td>
</tr>
<tr>
<td>212.20</td>
<td>श्रीमती कृष्णा पूनिया, स्वर्ण पदक विजेता को आवास आवंटन के संबंध में।</td>
<td>राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती कृष्णा पूनिया को राज्य सरकार की घोषणानुसार मध्यम आय वर्ग-ब श्रेणी का आवास मंडल की आवासीय योजना मानसरोवर में आवास संख्या 21/203 (9 X 18 मीटर) 162 वर्ग मीटर निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
राजस्थान आवासन मंडल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के विनियम 8 A के अन्तर्गत आवास के आवंटन हेतु राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जावे।</td>
<td>CEM</td>
</tr>
</table>

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव 19/12/10

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 213वीं बैठक दिनांक–11.03.2011 को 4.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1	श्री ललित कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एच.एस.संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल –सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री पी.एल.अग्रवाल, (सदस्य) बजट संबंधी कार्यो में व्यस्त होने के कारण मंडल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1	श्री एच.सी.अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2	श्री ए.एस.शेखावत	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3	श्री आर.पी.शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल
4.	श्री मोहन टावरी	अति मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल
5.	श्री सोहन लाल शर्मा	निदेशक (विधि),राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
213.1	दिनांक 2.12.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 212वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 2.12.2010 को सम्पन्न हुई मण्डल की 212 वी बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
213.2	दिनांक 2.12.10 को सम्पन्न हुई मंडल की 212वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	मण्डल की 212 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन का का अवलोकन किया गया:– 213.2.1 211 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 211.8 के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन पत्र क्रमांक प.10(12)नविवि/2010 दिनांक 5.1.2011 प्राप्त हो गया है। 213.2.2 207 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 207.4 के अनुसार झुलेलाल मार्केट, मानसरोवर में आवंटियों को शिफ्ट करने की अनुपालना अभी तक अपेक्षित है।	Secretary

		मुख्य अभियंता ने अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में नगर निगम, जयपुर से समन्वय स्थापित कर आवंटियों को स्थानांतरित करवाने हेतु शिविर आयोजित कर के प्रयास किये जा चुके है परन्तु आवंटी अभी तक शिफ्ट होने के लिए राहगत नहीं है। निर्णय अनुसार नगर निगम, जयपुर से समन्वय कर आवंटियों को शिफ्ट करना सुनिश्चित किया जाकर अनुपालना की जावे। 213.2.3. गत बैठक के बिन्दु संख्या 212.13 (ii) के अनुसार मॉडल राज.भवन विनियम 2010 एवं मॉडल स्थानीय निकाय(नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 को लागू किये जाने की अनुपालना शेष है, जो शीघ्र की जाकर आगामी बैठक से पूर्व अनुपालना प्रस्तुत करें।	
213.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन। 213.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 6.12.10 एवं दिनांक 2.2.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 213.3.2 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 6.12.10 एवं 16.12.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 213.3.3 कार्य समिति की बैठक दिनांक 13.12.10 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	मण्डल की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन किया गया।	Secretary ACTP Secretary
213.4	मंडल का वर्ष 2010-11 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2011-12 का बजट अनुमान।	मण्डल के वर्ष 2010-11 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान पर विस्तार से विचार-विमर्श कर अनुमोदन किया गया।	F.A.CAO.
213.5	बोर्ड के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये उपहार राशि के भुगतान के अनुमोदनार्थ	राजस्थान आवासन मंडल को "इण्डिया प्राईड अवार्ड" 2010 प्राप्त होने के उपलक्ष में मंडल कार्मिकों को 5100/-रुपये प्रति कार्मिक दी गई उपहार राशि के भुगतान का अनुमोदन किया गया।	F.A.CAO.

213.6	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 में संशोधन बाबत।	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम 2010 के विनियम 13, एवं 19 में संशोधन तथा विनियम 5(1) के अन्तर्गत प्रावधित अनुसूची के सेक्शन–A सामान्य विंग के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा में क्रम संख्या 4–A तथा अनुसूची के सेक्शन B तकनीकी विंग बोर्ड सर्विसेज में बिन्दु 8–A शामिल किये जाने हेतु "राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) (प्रथम संशोधन) 2011" का बाद विचार-विमर्श अनुमोदन किया गया।	Secretary
213.7	प्रताप नगर सांगानेर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में मध्यम आय वर्ग "अ" के 233 डूप्लेक्स आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	प्रताप नगर सांगानेर आवासीय योजना, के सेक्टर 7 में मध्यम आय वर्ग "अ" के 233 डूप्लेक्स आवास निर्माण हेतु 1521.79 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का निर्णय किया गया।	C.E.
213.8	मानसरोवर जयपुर की 1,08,612. 63 वर्गमीटर भूमि जयपुर मैट्रो को आवंटित करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर योजना के अन्तर्गत दिसावर बस स्टेशन हेतु चिन्हित 108612.63 वर्ग मीटर भूमि राजस्थान सरकार के मंत्री मंडलीय ज्ञापन संख्या प10(24) नविवि/3/01 /पार्ट–1, दिनांक 21.7.2010, मंत्री मंडल की आज्ञा 132/2010, दिनांक 21.7.2010 तथा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पत्र क्रमांक JMRC/LAND/ 10-11/74.दिनांक 26.8.2010 के अनुसरण में दिसावर बस स्टेण्ड की 108612.63 वर्ग मीटर वाणिज्यिक भूमि, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 4400/–रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर कुल कीमत 466.90 करोड़ रुपये है, को राज्य सरकार द्वारा सममूल्य की राजकीय भूमि राजस्थान आवासन मंडल को निःशुल्क आवंटन करने की सहमति अनुसार उक्त भूमि जयपुर मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राजस्थान आवासन मंडल के आदेश क्रमांक CE/Metro/Land/304, दिनांक 22.02.11द्वारा किये गये निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया। जयपुर मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन को आदेश क्रमांकCE/Metro/Land/260, दिनांक 4.01.2011 द्वारा मानसरोवर योजना के अन्तर्गत न्यू आतिश मार्केट के पीछे शिप्रा पथ स्थित 23150 वर्ग मीटर भूमि तथा आदेश क्रमांक CE/Metro/Land/266, दिनांक 13.01.2011 द्वारा मानसरोवर योजना के अरावली मार्ग पर 40,000 वर्ग मीटर भूमि जयपुर मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कंसट्रक्शन डीपो के लिये अस्थाई तौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिये किये गये	C.E

		आवंटन का अनुमोदन किया गया।	
213.9	केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा –4 सपठित 17(4) के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्ति प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन।	राजस्थान आवासन मंडल की सागवाड़ा आवासीय योजना को सागवाड़ा–गलियाकोट मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु 60 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु ग्राम लक्ष्मणपुरा की 4 बीघा 06 बिस्वा एवं ग्राम गोवाडी की 3 बीघा 09 बिस्वा कुल 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि की अति आवश्यक अनिवार्यता को देखते हुये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1)सपठित धारा 17(4) के अन्तर्गत अवाप्त किये जाने हेतु अधिसूचना के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया।	Sec
213.10	राजस्थान आवासन मंडल द्वारा खातेदारों से मंडल की अनुमोदित आवासीय योजनाओं हेतु अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर, सांगानेर स्थित एस.आर.आई. योजना में खसरा नंबर 172 कुल रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा में से अवाप्ति में से शेष रही 01 बीघा भूमि को खातेदार से प्राप्त सहमति के अनुसार व योजना की आवश्यकता को देखते हुये राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 22 के तहत प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत धारा 28 में वर्णित आवासीय योजना की गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे के तौर पर परिपत्र दिनांक 27.10.2005 के अनुसार अवाप्त भूमि के बदले खातेदार को 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड देने के आधार पर समझौते से भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया गया।	Secre
213.11	आवासन मंडल द्वारा खातेदारों से मण्डल की अनुमोदित आवासीय योजना हेतु अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना के अन्तर्गत ग्राम बंबाला के पुराने खसरा नंबर 272 जिसका वर्तमान खसरा नंबर 225 व 226 है, की अवाप्ति से शेष रही 7 बिस्वा भूमि की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–4 सपठित धारा 17(4) की अधिसूचना जारी करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secreta

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव 15/3/11

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 214वीं बैठक दिनांक 09.09.2011 को 3.30 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:--

1	श्री [illegible] कोठारी,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी.एस.सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एच.एस.संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल –सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री संजय मल्होत्रा के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मंडल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :--

1	श्री डी.सी.बावेल	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2	श्री ए.एस.शेखावत	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3	श्री आर.पी.शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल
4	श्री मोहन टावरी	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
214.1	दिनांक 11.3.11 को सम्पन्न हुई मंडल की 213वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	गत बैठक दिनांक 11.3.11 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	
214.2	दिनांक 11.3.11 को सम्पन्न हुई मंडल की 213वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति [illegible] का अवलोकन।	213 वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। 214.2.1 [illegible] 207वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 207.4 के अनुसार झूलेलाल मार्केट, मानसरोवर में आवंटियों को शिफ्ट करने की अनुपालना अभीतक अपेक्षित है। मुख्य अभियंता ने अवगत कराया कि नगर निगम से समन्वय स्थापित कर शिविर आयोजित कर प्रयास किये जा चुके है परन्तु आवंटी शिफ्ट	Secretary

		होने के लिये सहमत नहीं है। निर्णयानुसार नगर निगम, जयपुर से समन्वय स्थापित कर आवंटियों को शिफ्ट करना सुनिश्चित किया जाकर आगामी बैठक से पूर्व अनुपालना प्रस्तुत की जावे।	
		214.2.2 212वीं बैठक के बिन्दु संख्या 212.13(II) के अनुसार मॉडल राज. भवन विनियम 2010 एवं मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 को राजस्थान आवासन मंडल में लागू किये जाने की अनुपालना शेष है। अति. मुख्य नगर नियोजक ने अवगत कराया कि उक्त विनियम मंडल में लागू करने हेतु इसी बैठक के बिन्दु संख्या 214.29 पर एजेण्डा रखा गया है।	ACTP
214.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।	मंडल की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।	
	214.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 20.6.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।		
	214.3.2 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 21.6.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।		
	214.3.3 कार्य समिति की बैठक दिनांक 17.3.11, 6.4.11 एवं 20.6.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।		
	214.3.4 [illegible] समिति की बैठक दिनांक 7.7.2011 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।		
214.4	मंडल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य	मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के	FA&CAO

	कर्मचारियों के बराबर की दर से महगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	[illegible] दिनांक 1.1.2011 से 51 प्रतिशत की दर से महगाई भत्ते के भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	
214.5	बिहारी लाल रैगर को मोहरबंद निविदा के माध्यम से आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 162/एस पी–16 एवं 162 एस पी–22 के जमा बकाया राशि की स्वीकृति एवं अनुमोदन बाबत।	श्री बिहारी लाल रैगर को मोहरबंद निविदा से आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 162/एस पी–16 एवं 162 एस पी–22 एक वर्ष अधिक बकाया अवधि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व 10 प्रतिशत पेनेल्टी लगाते हुये नियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	CEM
214.6	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 के शिड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती हेतु निर्धारित नियमों में संशोधन बाबत।	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2010 के शिड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती में वर्कचार्ज कर्मचारियों के 10 प्रतिशत कनवर्जन कोटे में पात्रता बाबत प्रस्तावित संशोधन करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.7	बोर्ड में विविध करों के भुगतान को इन्द्राज करने हेतु बजट में एक नया लेखाशीर्ष सृजन करने बाबत।	राजस्थान आवासन बोर्ड में विविध करों के भुगतान को लेखा अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु बजट में एक नया लेखा शीर्ष निम्नानुसार सृजित करने का निर्णय लिया गया:– II. Revenue B. Expenditure 5. Miscellaneous (e) Miscellaneous. Taxes (i) Income Tax (ii) Fringe Benefit Tax (iii) Service Tax (vi) House Tax (v) Urban Development Tax (vi) Others	FA&CAO
214.8	परियोजना अभियंता (कनिष्ठ) विद्युत के पदोन्नति नियमों को राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 के तकनीकी शिड्यूल में से विलोपित करने बाबत।	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2010 के तकनीकी शिड्यूल में क्रम संख्या 8A को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.9	मंडल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को बोर्ड बैठक से अनुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	मंडल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों की सूची का अनुमोदन किया गया।	Secretary

214.10	आवासीय योजना बारां में पहुंच हेतु भूमि अवाप्त करने बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल की बमूलिया माताजी बारां स्थित आवासीय योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा आवंटित चरागाह भूमि तक पहुंचने के लिये 1.01 हैक्टेयर भूमि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा –4 सपठित धारा 17(4) के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्ति के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.11	प्रस्तावित योजना ग्राम पाली तहसील पाली आवासीय योजना क्षेत्रफल 783.09 बीघा का राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन।	जिला मुख्यालय पाली पर वृहद आवासीय योजना नियोजित किये जाने हेतु पूर्व में निर्मित आवासीय योजना के आगे 783.09 बीघा भूमि अवाप्ति किये जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।	Secretary
214.12	श्री मनोहर लाल पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र के पंजीकरण को किराया क्रय पद्धति पर ही पुनर्जीवित किये जाने बाबत।	श्री मनोहर लाल पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र को नगद भुगतान पद्धति में आवंटित आवास संख्या एमआईजीबी / जी–2 /ओआरएस / 108,सांगानेर आवासीय योजना में पूर्व में हुये पंजीयन के अनुसार किराया क्रय पद्धति पर ही पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
214.13	श्री के.के.चित्तौडा, परियोजना अभियंता(वरि.) को उनकी पत्नी के चिकित्सा कोटा एवं नई दिल्ली में कराये गये चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	श्री के.के.चित्तौडा, परियोजना अभियंता(वरिष्ठ), खण्ड–कोटा को उनकी पत्नी श्रीमती कान्ता चित्तौडा को Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi में कराये गये ईलाज की राशि रुपये 1,36,649/–के पुनर्भरण का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.14	राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना हेतु अनुमोदित योजना की ग्राम बिलियाखुर्द जिला भीलवाड़ा में भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण योजना निरस्त करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित आवासीय योजना बिलियाखुर्द हेतु 65.10 बीघा भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित थी। शासन को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 3.7.2006 से लंबित है। अब मौके पर अधिकांश भूमि पर धारा 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है। अतः उक्त प्रस्तावित परियोजना व अवाप्ति हेतु धारा 27 के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	Secretary

214.15	श्रीमती मोहनी देवी शर्मा को नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 162/एस पी–10 के आवंटन को नियमित करने बावत।	श्रीमती मोहनी देवी शर्मा को नीलामी के माध्यम से आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 162/एस पी–10 को एक वर्ष से अधिक अवधि का बकाया होने पर ब्याज व शास्ति लेते हुये नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।	CLM
214.16	श्री शिवदेव सिंह, परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) खण्ड–12 के कैंसर के ईलाज पर किये गये व्यय राशि (2,64,938/–रुपये) को पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति बाबत।	श्री शिवदेव सिंह, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ), खण्ड 12,जयपुर की पत्नी में कैंसर बीमारी का ईलाज Medanta Hospital, गुड़गांव में कराये जाने के व्यय राशि रुपये 2,64,938/–के पुनर्भुगतान का निर्णय लिया गया।	FA&CAO
214.17	आवासन आयुक्त की विदेश यात्रा पर किये गये व्यय के अनुमोदन बावत।	आवासन आयुक्त श्री पवन कुमार गोयल की विदेश यात्रा पर हुये व्यय राशि रुपये 5,46,712/–का अनुमोदन किया गया।	Secretary
214.18	राजस्थान आवासन मंडल सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा राहत कोष हेतु कार्यरत कर्मचारियों की अंशदान में वृद्धि बावत।	राजस्थान आवासन मंडल में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के चिकित्सा राहत कोष में कार्यरत कर्मचारियों के अंशदान राशि में प्रस्तावित वृद्धि क्रमशः दिनांक 10.07.10 व 1.1.11 से निम्नानुसार लागू किये जाने का निर्णय लिया गया:	FA&CAO

S. No.	Category of Government Servants (Basic pay i.e. **total of pay in running pay band and grade pay)**	Subscription per month w.e.f. 10.07.2010	Subscription per month w.e.f. 01.01.2011
1	Employees drawing basic pay upto Rs. 7,000	Rs. 100	Rs. 115
2	Employees drawing basic pay above Rs. 7,000 but upto 13,000	Rs. 160	Rs. 190
3	Employees drawing basic pay above Rs. 13,000 but upto Rs. 21,000	Rs. 235	Rs. 280
4	Employees drawing basic pay above Rs. 21,000	Rs. 235	Rs. 385

सेवा निवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा राहत कोष में

		संरचना अंशदान राशि रुपये 15000/-से बढ़ाकर रुपये 25,000/- करने का निर्णय लिया गया।	
214.19	राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना हेतु अनुमोदन योजना ग्राम रामबाग डीग, जिला भरतपुर में भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण योजना निरस्त करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की प्रस्तावित आवासीय योजना रामबाग, तहसील डीग, जिला भरतपुर उपयुक्त व उपयोगी नहीं होने के कारण प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रत्याहरित करने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.20	राजस्थान आवासन मंडल में तकनीकी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रावधान लागू करने बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल में डिग्री एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों के लिये तकनीकी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रावधान राजस्थान शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को निम्नानुसार मानदेय देय होगा:-- प्रथम वर्ष के छात्रों को 1490/—रुपये प्रतिमाह द्वितीय वर्ष के छात्रों को 1700/—रुपये प्रतिमाह तृतीय वर्ष के छात्रों को 1970/—रुपये प्रतिमाह चतुर्थ वर्ष के छात्रों को 2220/—रुपये प्रतिमाह	Secretary
214.21	मंडल के खण्ड कार्यालयों को समाप्त करने एवं नवीन सृजन किये जाने तथा विभिन्न संवर्गों के सृजित पदों का पद आवंटन का अनुमोदन करवाये जाने बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल में वर्तमान में कार्यरत खण्ड कार्यालयों का कार्यभार के आधार पर किये नवसृजन, समाप्ति तथा अंतरण का तथा राजस्थान आवासन मंडल में कार्यरत एवं नवसृजित मंडल मुख्यालय, वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के लिये विभिन्न संवर्गों के स्वीकृतशुदा पदों के आवंटन हेतु जारी निम्न आदेशों का अनुमोदन किया गया:-- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक 3722, दि. 18.1.11 2. कार्यालय आदेश क्रमांक 3482, दि. 24.12.10 3. कार्यालय आदेश क्रमांक 1066, दि. 22.6.11 4. कार्यालय आदेश क्रमांक 1006, दि. 17.6.11 5. कार्यालय आदेश क्रमांक 1788, दि. 12.8.11	Secretary
214.22	आवश्यकता से अधिक कुछ पदों के उनके समकक्ष वेतनश्रृंखला में परिवर्तन करने बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल में स्वीकृतशुदा आवश्यकता से अधिक पदों को उनके समकक्ष अथवा कमतर वेतनश्रृंखला में निम्न सारणी के कालम सं. 5 में अंकित संवर्गों में	Secretary

उनके सामने कालम सं. 6 में अंकित संख्यानुसार पदों को रूपान्तरित किये जाने का निर्णय किया गया:–

क्र. सं. 1	पदनाम 2	ग्रेड 3	ग्रेड पे	कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या 4	रूपान्तरित पद 5	पद संख्या 6
1	नगरनियोजक सहायक	9300–34800	3600	01	लेखाकार	01
2	सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800	4200	01	प्रोग्रामर	01
3	सहायक	5200–20200	1900	01	हैल्पर	01
4.	वाहन चालक	5200–20200	1900	06	हैल्पर	06
5	माली	5200–20200	1900	01	हैल्पर	01
6	[illegible]	[illegible]	1900	06	हैल्पर स्वीपर	04 02
7	योग			16		16

214.23	आवासन मंडल द्वारा खातेदारों से मंडल की अनुमोदित आवासीय योजना हेतु राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम की धारा –22 सपठित धारा–28 के तहत अपने स्तर पर समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की भिवाडी आवासीय योजना मे ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नंबर 287 के 1/3 हिस्से (11बिस्वा) भूमि के खातेदार के साथ आपसी समझौते के आधार पर वर्तमान में प्रचलित मुआवजा राशि 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड दिये जाने के आधार पर राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम की धारा 22 सपठित धारा 28(a) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.24	राजस्थान आवासन मंडल की आवासीय अनुमोदित योजना का ग्राम पाली चक नं. 1, जिला पाली में भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण योजना निरस्त करने के सम्बन्ध में।	राजस्थान आवासन मंडल की पाली जिला मुख्यालय हेतु राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मंडल स्तर पर पूर्व में अनुमोदित 316.08 बीघा भूमि अवाप्त किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार कर उक्त प्रस्तावित अवाप्ति क्षेत्र मंडल योजना हेतु उपयुक्त व उपयोगी नहीं होने के कारण पूर्व में राज्य सरकार को प्रेषित धारा 27 की अधिसूचना के प्रस्ताव को प्रत्याहरित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
214.25	कनिष्ठ सहायक(लेखा) के पद से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति बाबत।	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 की अनुसूची के खण्ड "ख" (लेखा प्रभाग) की अधीनस्थ मंडल सेवा के क्रम बिन्दु संख्या 3 के	Secretary

		कालम संख्या 3 में राज्य सरकार से प्राप्त पूर्वानुमति के अनुसार 44 पदों पर पदोन्नति से नियुक्ति हेतु एकबारगी प्रावधान कालम संख्या 5 (कनिष्ठ सहायक (लेखा)) तथा कालम संख्या 6 में 5 वर्ष का अनुभव अंकित किये जाने का संशोधन करने का निर्णय किया गया।	
214.26	राजकीय ड्यूटी के दौरान मारे गये पुलिस कर्मियों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप आवासन मंडल के एम.आई.जी. श्रेणी में आवासों का आवंटन निःशुल्क किये जाने बाबत।	राजकीय ड्यूटी के दौरान मारे गये पुलिस कर्मियों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल के एम.आई.जी. श्रेणी के आवासों का गृह विभाग, राज्य सरकार द्वारा कीमत के पुनर्भरण किये जाने की प्रत्याशा में मंडल द्वारा निम्नानुसार किये गये निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया:-	CEM

क्र. सं.	पुलिस कर्मी व आश्रित का नाम	आवासीय योजना	आवास संख्या
1	[illegible]	[illegible]	2/84 मध्यम आय वर्ग 'ब'
2	[illegible]	[illegible] विस्तार, बलीचा, उदयपुर	बी-28 मध्यम आय वर्ग 'ब'
3	[illegible]	[illegible] विस्तार, बलीचा, उदयपुर	बी-127 मध्यम आय वर्ग 'ब'
4	[illegible]	[illegible] नगर योजना	190/194 [illegible] मध्यम आय वर्ग 'अ'

214.27	लागत नियम 2010 में संशोधन बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल में भवनों के लागत नियम 2010 के नियम 5.1, 6.1, 7.2.1, 8, 12.1, 17.1, 19.2, 19.3, 20.2.1, 20.2.2, 22.1, 23.2, 23.3, 23.4 में यथा प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
214.28	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम--2010 के विनियम --50 के परन्तुक में प्रावधानानुसार पदोन्नति में छूट देने के संबंध में।	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 के विनियम 50 के परंतुक में किये गये प्रावधानानुसार लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 3 वर्ष के कार्यानुभव में 1/3 छूट देते हुये आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 6.9.11 में प्रदत्त छूट का अनुमोदन किया गया।	Secretary
214.29	1. मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिये)	मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2010 व मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010 के प्रावधानों का अवलोकन करने के पश्चात् पुनः परीक्षण किया जाकर मंडल की योजनाओं के अनुरूप यथा अपेक्षित संशोधित	ACTP

2. मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम 2010(संशोधित)(एक लाख से कम आबादी के शहरों के लिये) राजस्थान आवासन मंडल में लागू करने बाबत विचारार्थ।	विनियम आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव 15/9/11

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 215वीं बैठक दिनांक–16.02.2012 को 3.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1	श्री परसराम मोरदिया,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री पी.के.देव	अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री पी.के.गोयल,	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एन.के.खरे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	श्री जस्सा राम चौधरी	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल –सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मंडल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
2	श्री ए.एस.शेखावत	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3	श्री आर.पी.शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल
4.	श्री अरूण चतुर्वेदी	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल
5.	श्री एच.एस.शर्मा	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम, राज.आवासन मंडल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
215.1	दिनांक 09.09.2011 को सम्पन्न हुई मंडल की 214 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	214वीं बैठक दिनांक 09.09.2011 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
215.2	दिनांक 09.09.2011 को सम्पन्न हुई मंडल की 214वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	214वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। गत बैठक के बिन्दु संख्या 214.29.2 की शीघ्र अनुपालना की जाकर क्रियान्विति की जावे।	Secretary

215.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन। 215.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 25.08.11 एवं 20.10.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 215.3.2 चयन समिति (वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दिनांक 05.09.11, 18.11.11 एवं 01.02.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 215.3.3 कार्य समिति की बैठक दिनांक 27.7.11 एवं 19.10.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 215.3.4 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 26.09.11 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	मंडल की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया।	
215.4	बजट अनुमान वर्ष 2012–13 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2011–12 संचालक मंडल से अनुमोदन कराने बाबत।	संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2011–2012 का अनुमोदन किया गया । बजट अनुमान वर्ष 2012–2013 के भौतिक लक्ष्यों में कमजोर आय वर्ग के लिये आवासों के निर्माण की संख्या में बढ़ोतरी करने, मंडल की प्रत्येक आवासीय योजना में पेयजल, सीवरेज व सौर–ऊर्जा की पुख्ता व्यवस्था करने के संकल्प के साथ बजट	FA&CAO

		अनुमान वर्ष 2012–2013 का अनुमोदन किया गया।	
215.5	मंडल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों का राज्य कर्मचारियो के बराबर बढ़े हुये मंहगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	मंडल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता 58 प्रतिशत दिनांक 01.07.2011 से दिये जाने का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
215.6	वित्तीय वर्ष 2010–2011 (कर निर्धारण वर्ष 2011–2012) के लिये बोर्ड के चार्टेड एकाउण्टेंट की नियुक्ति को बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु।	मंडल के वर्ष 2010–2011के अंकेक्षण व अंतिम खाते तैयार करने हेतु मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी को चार्टर्ड एकाउन्टेंट नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
215.7	विविध कराधान कानूनों के तहत सलाह प्राप्ति के लिये रिटेनरशिप के आधार पर चार्टेड एकाउण्टेंट की कर सलाहकार के रूप में मंडल में नियुक्ति का संचालक मंडल से अनुमोदन बाबत।	मंडल में विविध कराधान कानूनों के तहत सलाह प्राप्ति हेतु मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी को वार्षिक पारिश्रमिक 50,000/–रुपये + सेवा कर पर वर्ष 2011–12 हेतु रिटेनरशिप के आधार पर सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।	FA&CAO
215.8	मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2010–2011 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।	मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2010–2011 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि क्रमशः 8400/–रुपये एवं 6600/–रुपये के भुगतान का अनुमोदन किया गया। लेकिन भविष्य में उक्त राशि को अन्य उपक्रमों के समतुल्य ही रखा जाये।	FA&CAO
215.9	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल से अनुमोदन बाबत।	मंडल के वित्तीय वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखे मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार किये गये, जिनका अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
215.10	राजस्थान आवासन मंडल	इस बिन्दु पर पुनः GF & AR व RAPSER Act	FA&CAO

	मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को देय लोकल फिक्स कन्वेंन्स चार्जेज के पुनर्भरण भुगतान बाबत।	के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।	
215.11	विरांगना विहार योजना में आवंटित आवासों की लागत में छूट देने के संबंध में।	मंडल की विरांगना विहार आवासीय योजना में बनाये जा रहे आवासों की लागत में अल्प आय वर्ग के आवास में 2.40लाख रुपये व मध्यम आय वर्ग(अ) के आवास में 4.22 लाख रुपये की छूट देते हुये निर्धारित लागत क्रमशः 8.22 लाख रुपये व 10,45,100 रुपये का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
215.12	श्रीमती सुभद्रा शर्मा, सहायक के पुत्र के ईलाज पर किये गये व्यय को पुनर्भरण किये जाने की स्वीकृति हेतु अनुमोदन बाबत।	मंडल कर्मी श्रीमती सुभद्रा शर्मा, सहायक के पुत्र श्री राकेश शर्मा के एस.एम.एस.हॉस्पिटल, जयपुर में आंतरिक रोगी के रूप में कराये गये ईलाज पर दवाईयों के व्यय में बिना एन.ए.सी. प्राप्त किये खरीदी गई. दवाईया राशि 77,240 / –रुपये के व्यय के पुनर्भरण का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
215.13	प्लीन्थ स्तर तक के आंवटित किये गये आवासों पर निर्माण कराये जाने की निर्धारित समयावधि को बढ़ाये जाने के संबंध में।	मंडल द्वारा पूर्व में कतिपय आवासीय योजनाओं में प्लीन्थ स्तर के आवंटित आवासों के निर्माण की निर्धारित समयावधि दो वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर आवंटन पत्र में अंकित भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क प्रति वर्ष वसूल करते हुये 8 वर्ष का समय और (कुल 10 वर्ष की अवधि)प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया । दस वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।	CEM
215.14	एशियाई खेलों एवं सारेगामापा विजेता को	एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजता श्री बजरंग	CEM

	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप आवासन मंडल के एम. आई.जी. श्रेणी में निःशुल्क आवास आवंटन की पुष्टि बाबत।	लाल ताखर व सारेगामापा विजेता मास्टर अजमत पुत्र श्री जाफर हुसैन को क्रमशः मानसरोवर व प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 102/109 व 52/578 निःशुल्क आवंटित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	
215.15	राजकीय ड्यूटी के दौरान मारे गये पुलिस कर्मियों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप आवासन मंडल के एम. आई.जी. श्रेणी में निःशुल्क आवास आवंटन की पुष्टि बाबत।	राजकीय ड्यूटी के दौरान मारे गये पुलिस कर्मी स्व.श्री विजेन्द्र सिंह, कानि. व स्व.श्री निहाल सिंह, कानि. की आश्रित बेबा श्रीमती चैन कंवर पत्नी स्व. श्री विजेन्द्र सिंह व श्रीमती ममता देवी पत्नी स्व.श्री निहाल सिंह को इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा व प्रताप नगर, सांगानेर में क्रमशः आवास संख्या 3 एम ए 674 एवं 52 एन 24 के निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया। लागत गृह विभाग से पुनर्भरण की कार्यवाही की जाये।	CEM
215.16	प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 26 स्थित द्वारकापुरी योजना के प्रथम चरण में 2976 (जी +7) फ्लेटो के निर्माण कार्य की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से मंडल को अवगत कराने के संबंध में।	210वीं मण्डल बैठक में लिये गये निर्णय के राज्य सरकार से अनुमोदन के पश्चात्, द्वारकापुरी योजना के प्रथम चरण के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु 2 वर्ष की अंतरिम समयावधि (14.09.2012 तक) प्रदान करते हुए मण्डल एवं संवेदक मैसर्स क्रिसेन्ट कन्सट्रेक्शन कम्पनी के मध्य दिनांक 15.09.2010 को एक एम. ओ. यू. सम्पादित किया गया। संवेदक दिनांक 15.09.2010 को सम्पादित एम. ओ. यू. में शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रदान अंतरिम समयावधि में वर्णित आपसी सहमति से निर्धारित किये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया विफल रहा है जिसके कारण संवेदक अभी तक एम. ओ. यू. सम्पादित करने की	CE

		तिथि से वांछित 1626 फ्लेटस कास्टिंग के विरूद्व कुल 630 फ्लेटस कास्टिंग का कार्य (38.74 %) ही कर पाया है तथा वांछित 1757 फ्लेटस फिनिशिग के विरूद्व कुल 372 फ्लेटस की फिनिशिग का कार्य (21.17 %) ही कर पाया है। निर्माण की अत्यधिक धीमी गति के कारण अन्तरिम समयावधि दिनांक 14.09.2012 तक कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। निर्माण समयावधि में अत्यधिक वृद्वि के कारण फ्लेटों की लागत में निरन्तर वृद्वि हो रही है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण के लिये प्रदान की गई अन्तरिम समयावधि दिनांक 14.09.2012 तक कुल 10 ब्लॉकों (A1, A2,A3,A4, B1, B2, B3 C1, C2, C3) के 1860 फ्लेटों का निर्माण आवश्यक रूप से संवेदक से पूर्ण करवाया जायें तथा शेष 6 ब्लॉकों (D1,D2,,D3, E1, E2, E3)में चल रहे निर्माण कार्यो को तुरन्त प्रभाव से रोके जाने तथा इन ब्लॉकों के शेष निर्माण कार्य को वापस (withdraw) करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्माण कार्य में हुई देरी के लिये अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	
215.17	प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 26 स्थित द्वारकापुरी योजना के द्वितीय चरण में 1116 (जी +7) फ्लेटो के निर्माण कार्य के कार्यादेश को वापस लेने एवं संवेदक द्वारा ब्याज रहित गोबिलाइजेशन एडवांस एवं प्रतिभूति जमा के विरूद्ध	द्वारकापुरी योजना के द्वितीय चरण में 1116 (जी+7) फ्लेटों का निर्माण कार्य (राशि रूपये 26.76 करोड़) कार्यादेश क्रमांक 855 दिनांक 10.01.2008 द्वारा मैसर्स क्रिसेन्ट कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। कार्यादेशानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 05.03.2010 थी। संवेदक को अनुबंध के विशेष शर्तों के अनुसार कार्यादेश राशि की 10 प्रतिशत राशि के	CE

	जमा करवाई गई बैंक गारंटियों क्रमशः रुपये 267.64 लाख एवं रुपये 53.52 लाख रु. को encash करवाने के संबंध में।	समतुल्य रूपये 267.64 लाख का मोबिलाईजेशन एडवांस भी दिनांक 7.03.2008 को दिया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। मैसर्स क्रिसेन्ट कन्सट्रेक्शन कम्पनी द्वारा द्वारकापुरी योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्य को भी किया जा रहा है। द्वारकापुरी प्रथम चरण के निर्माण की अत्यधिक धीमी गति के कारण अन्तरिम समयावधि दिनांक 14.09.2012 तक यह कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। संवेदक के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण द्वितीय चरण का कार्य प्रथम चरण के कार्य के पूर्ण होने से पहले प्रारम्भ नही किया जा सकता है। निर्माण कार्य में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण फ्लेटों की लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः द्वारकापुरी द्वितीय चरण के निर्माण कार्य के कार्यादेश को वापस लेने एवं संवेदक द्वारा ब्याज रहित मोबिलाइजेशन एडवांस एवं प्रतिभूति जमा के विरूद्व जमा करवाई गई बैंक गारण्टियों क्रमशः रूपये 267.64 लाख एवं रूपये 53.52 लाख को तुरन्त encash करवाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त संवेदक से मोबिलाइजेशन एडवांस रू. 267.64 पर भुगतान की तिथि से encashment करवाने की तिथि तक अनुबंध के विशेष शर्तों के अनुसार ब्याज वसूलने एवं संवेदक के विरूद्व अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	
215.18	अवयस्क अवस्था में	मंडल कर्मी स्व.श्री घासीलाल के निधन दिनांक	Secretary

	अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत।	06.01.2010 को उनके आश्रित पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु पूर्ण नहीं होने व तत्पश्चात् प्रार्थी की आयु दिनांक 15.10.2010 को निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त होने पर व मंडल में हैल्पर के पद अब रिक्त होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मृतक आश्रित श्री राजेन्द्र कुमार को व्यस्क होने तक आयु एवं समय सीमा में शिथिलता देते हुये अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	
215.19	राज आंगन योजना (एन. आर.आई. कॉलोनी) के प्रस्तावित भवन विनियम (बिल्डिंग बायलॉज) अनुमोदन हेतु।	मंडल की महत्वांकाक्षी आवासीय योजना राज आंगन (एन.आर.आई.) योजना के प्रस्तावित भवन विनियम (बिल्डिंग बायलॉज) निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. उक्त योजना में सभी साईज के भूखण्डों में भूतल व प्रथम तल ही निर्मित किये जा सकेंगे। 2. भवन का Front Elevation योजना में परिकल्पित Front Elevation के अनुसार यथावत् रखा जाना आवश्यक होगा। 3. सभी भूखण्डों में Front व Side सेट बैक्स योजना में रखे गए टाईप डिजाईन अनुसार (परिशिष्ट "अ") ही रखे जायेगें। यदि भूखण्डधारी पुनः निर्माण करना चाहता है तो भी न्यूनतम Front व Side सेट बैक्स टाईप डिजाईन के अनुसार ही रहेगें। 4. विभिन्न साईज के भूखण्डों में पिछे का सेट–बैक्स निम्नानुसार होंगे।	ACTP

क्र. सं	भूखण्ड की साईज व टाईप	प्रस्तावित पीछे का न्यूनतम सेट बैक्स
1.	E 500 वर्गमीटर	3 मीटर
2.	D 750 वर्गमीटर	4.5 मीटर
3.	C 1000 वर्गमीटर	4.5 मीटर

		<table><tr><td>4.</td><td>B 1250 वर्गमीटर</td><td>6.0 मीटर</td></tr><tr><td>5.</td><td>A 1500 वर्गमीटर</td><td>6.0 मीटर</td></tr></table> 5. F.A.R. :– प्रस्तावित सैट–बैक्स सीमा के अन्दर जो प्राप्त होता है देय होगा। 6. आच्छान्दन :– सैट–बैक्स क्षेत्र में जो भी प्राप्त होता है देय होगा। 7. वर्षा जल संग्रहण हेतु इस योजना में केन्द्रीयकृत सामुहिक वर्षा जल संग्रहण हेतु पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। अतः व्यक्तिगत स्तर पर सभी भूखण्डधारियों को वर्षा जल संग्रहण युनिट लगाया जाना आवश्यक नहीं है। सभी भूखण्डधारियों द्वारा सामुहिक वर्षा जल संग्रहण लाईन/केन्द्र से अपने भवन का वर्षा जल को जोडना आवश्यक होगा। 8. भूखण्डधारियों को योजना में प्रस्तावित प्रवेश/निकास द्वार पूर्व में जो योजना/टाईप डिजाईन में दिया गया है उसमें परिवर्तन नही किया जा सकेगा। 9. उक्त स्वतन्त्र आवास के भूखण्डों में सैट बैक्स एरिया में स्वयं के वाहनों की पार्किंग एक के पिछे एक अनुज्ञय होगी। आगन्तुक पार्किंग दिया जाना आवश्यक नहीं होगा। पार्किंग के अन्य प्रावधान यथा ECU साईज Number of ECU, NBC कोड के अनुसार होगी। 10 भवन अनुमति की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा जारी की जावेगी। 11. भूखण्डधारी यदि स्वीकृति विरूद्ध निर्माण करता है तो इस कार्यालय द्वारा जारी भवन अनुमति स्वतः निरस्त होगी।	
215.20	मंडल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को संचालक मंडल से अनुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	मंडल द्वारा मडल कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत निम्न निजी चिकित्सालयों का अनुमोदन किया गयाः– <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>हॉस्पिटल का नाम व पता</th></tr><tr><td>1</td><td>आदित्य होम्योपैथिक ट्रीटमेन्ट सेन्टर, एफ–55, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्री</td></tr></table>	Secretary

		नगर जयपुर। (मोबाईल नम्बर – 9414068389) 2 भाला डेन्टल क्लिनिक, 'ए–38, नियर हैड पोस्ट ऑफिस, शास्त्री नगर जयपुर–302016 (दूरभाष नम्बर – 0141–2301714) 3 एस.जी. हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 850, महावीर नगर,–प्रथम, राम मंदिर के पीछे, टोंक रोड़, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141–2545197) 4 गुप्ता चाइल्ड एण्ड डेन्टल क्लिनिक 93–एस–11, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141–2762167) 5 टीथ केयर एण्ड ऑर्थाडेन्टिक सेन्टर, 1/251, विष्णुमार्ग, एसएफएस अग्रवाल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141– 2397983) 6 रेटिना केयर फाउण्डेशन एण्ड आई क्लिनिक, डी–7, सामुदायिक केन्द्र के सामने, देव नगर, टोंक रोड़, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141– 27405544) 7 एडवान्स न्यूरोलॉजी एण्ड सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, "ब्रेन टॉवर". डी–358, मालवीय नगर, नियर गौरव टॉवर, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141– 2724258) 8 नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल, सेक्टर–28, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141– 5192940) 9 डेन्टल लॉन्ज, तिवारी बिल्डिंग, निरोज के सामने, एमआई रोड़,जयपुर। (दूरभाष नम्बर – 0141–2369811)	
215.21	मंडल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के संबंध में।	मंडल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लम्बे समय से लंबित 14 प्रकरणों में शीघ्र नियुक्ति देने को दृष्टिगत रखते हुये कनिष्ठ सहायक (लेखा) संवर्ग के 44 पदों को, जो कि वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग में	Secretary

		कार्यरत है, रिक्त मानते हुये वर्तमान में लंबित मृतक आश्रित आवेदकों व इसी अनुरूप भविष्य में प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिये उक्त पदों को रिक्त उपलब्ध मानकर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।	
215.22	मंडल अध्यक्ष के लिये एक अतिरिक्त वाहन क्रय करने की स्वीकृति बाबत।	मंडल अध्यक्ष द्वारा फील्ड में यात्रा प्रयोजन के लिये नया टाटा सफारी वाहन लागत 10.42लाख रुपये में क्रय किये जाने का अनुमोदन किया गया।	Secretary
215.23	दिनांक 01.01.2004 को अथवा इसके पश्चात् नियमित नियुक्त हुये कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय पुनर्भरण सुविधा उपलब्ध कराने बाबत।	मंडल में दिनांक 01.01.2004 को अथवा इसके पश्चात् नियमित रूप से नियुक्त हुये कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण किये जाने के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक के समक्ष रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।	FA&CAO
215.24	राज्य सरकार आवास विकास लि. को "राजस्थान आवासन विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि." बनाये जाने के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल द्वारा गठित कंपनी आवास विकास लि. को सुदृढ़ करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मंत्री मंडलीय आज्ञा क्रमांक 150/2011 दिनांक 28.11.2011 के द्वारा "राजस्थान आवासन विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि." के रूप में गठित कंपनी की अंश पूंजी में 5 लाख रुपये का अंशदान करने का अनुमोदन किया गया। शेष बिन्दुओं के संबंध में आवास विकास लि. से औपचारिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।	FA&CAO
215.25	मंडल द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक प 72/मुसप्र/स.प.कार्य/	मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवंटियों को जारी किये गये मांग पत्र पर	CEM

	2012/2513, दिनांक 27.01.2012 की पुष्टि बाबत।	निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं होने अथवा बिना सक्षम स्वीकृति के जमा कराई गई राशि के नियमन संबंधी प्रकरणों में मंडल अध्यक्ष को अधिकृत किये जाने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प 72/मुसप्र/स.प.कार्य/ 2012/2513, दिनांक 27.01.2012 का अनुमोदन किया गया।	
215.26	ग्राम गेवा जोधपुर की रकबा 72.16 राजकीय भूमि के भुगतान की स्वीकृति बाबत।	मंडल की आवासीय योजना के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम गेवा जोधपुर के खसरा नबर 67 व 68 की 72.16 बीघा भूमि क्रय करने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1402, दिनांक 17.12.11द्वारा मांग की गई राशि 13.98 करोड़ रुपये में निर्धारित शर्तों पर भूमि क्रय करने व उक्त भूमि के पेटे दी गई अग्रिम राशि दस करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमोदन किया गया।	Secretary
215.27	केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) सपठित धारा 17(4) के अन्तर्गत Compulsory Acquisition प्रस्तावित कार्यवाही का अनुमोदन बाबत।	राजस्थान आवासन मंडल की बीकानेर स्थित मुक्ताप्रसाद नगर आवासीय योजना के मध्य में स्थित खसरा नबर 756, 758, 940/743 कुल रकबा 46.05 बीघा भूमि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) सपठित धारा 17(4) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
215.28	विवेक विहार आवासीय योजना में मंडल को आवंटित की जाने वाली 100 बीघा भूमि के भुगतान के संबंध में।	राजस्थान आवासन मंडल की जोधपुर में आवासीय योजना हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्रस्तावित विवेक विहार आवासीय योजना में 100 बीघा भूमि सचिव, जोधपुर विकास	Secretary

		प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1407, दिनांक 17.12.2011 द्वारा मांग की गई राशि 43.70 करोड़ रुपये पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप भूमि क्रय करने एवं उक्त भूमि के पेटे किये गये अग्रिम भुगतान राशि रुपये 25 करोड़ का अनुमोदन किया गया।	

बोर्ड की गतिविधियों व बजट पर चर्चा तथा प्रगति की समीक्षा के दौरान निम्न निर्णय भी लिये गये:–

(i).	आवासन मंडल द्वारा अपनी क्षमता से बहुत कम कार्य करवाये जा रहे हैं इस वजह से प्रशासनिक व्यय (लगभग 20 प्रतिशत है) बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिससे आवासों की लागत भी बहुत ज्यादा आ रही है। अतः आवास निर्माण के भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ाना तथा अफोर्डबल हाऊसिंग के राज्य सरकार द्वारा लिये लक्ष्यों को 2012–13 के बजट में शामिल करा जाये। इस हेतु लक्ष्यों व बजट में संशोधन प्रस्तावित किया जाये व प्रशासनिक व्यय घटाकर 5 प्रतिशत तक लाने हेतु कार्य–योजना बनायी जाये।	CE
(ii)	वर्कचार्ज कर्मचारियों से कार्य लिये जाने व उन्हें अन्य पदों पर नियमानुसार समायोजित करने की कार्यवाही की जाये।	Secretary
(iii)	कार्य की गुणवत्ता में सुधार व थर्ड पार्टी इंस्पेक्टशन तथा external agencies को empanel कर अग्रिम कार्यवाही की जाये व गुणवत्ता नियंत्रण में लगे स्टाफ द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जाकर इनका पूर्ण उपयोग किया जाये।	CE
(iv)	प्रत्येक नयी व पुरानी स्कीम, भवनों, अपार्टमेन्टस में वर्षा जल पुनर्भरण,सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग योजनाओ में सौर ऊर्जा पार्क के निर्माण , सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर	CE

	जल के पुर्नऊपयोग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।	
(v)	पुराने पेंडिग रजिस्ट्रेशनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने की कार्यवाही की जाये।	CE & CEM

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव